H. D. 174
1,300

भारत सरकार

गृह-मन्त्रालय

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

की

रिपोर्ट

(सातवीं रिपोर्ट)

Price : Rs. 6 75p. or 10 sh. 9d.

सविधान के अनुच्छेद 350 (ख) (2) के अन्तर्गत यह सात वीं रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है।

दिनाक :
30 अप्रैल, 1965

अनिल के. चन्दा,
भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

विषय-सूची

परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

———

पहला अध्याय

भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राणों की व्यवस्था

संविधान में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित विशेष परित्राणों की व्यवस्था है :—

अनुच्छेद 29 (1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा ।

(2) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जायेगा ।

अनुच्छेद 30 (1) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है ।

अनुच्छेद 350.—किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा ।

अनुच्छेद 350 क.—प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपबन्धित की जायें, और राष्ट्रपति किसी राज्य को एसे निदेश दे सकेगा जैसा कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है ।

अनुच्छेद 350 ख (1)—भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए एक विशष पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए जो परित्राण इस संविधान के अधीन उपबंधित है उनसे सम्बद्ध सब विषयों का अनुसन्धान करना और ऐसी अन्तरावधियों पर उन विषयों के सम्बन्ध में, जैसा कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्त्तव्य होगा, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा ।

2. संविधान में समाविष्ट प्रावधान भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारन्टी देते हैं, यथा, विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) धर्म, प्रजाति इत्यादि पर आधृत विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15), राज्याधीन नौकरियों में अवसर की समता (अनुच्छेद 16) भी उल्लेखनीय हैं ।

3. भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व सन् 1949 में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने भाषाजात अल्पसंख्यकों के शैक्षिक परित्राण के प्रश्न पर विचार कया था । उनके संकल्प (परिशिष्ट I) में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया ।

4. राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के भाग IV में भाषाजात अल्पसंख्यकों के परित्राणों के प्रश्न की जांच की और कुछ सिफारिशें की थीं । इन पर भारत सरकार ने 1956 में विचार किया और इनके आधार पर एक ज्ञापन (परिशिष्ट II) तैयार किया जिसको संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सभी राज्य सरकारों के पास भेजा गया । यह ज्ञापन राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यकों को सर्वसम्मत न्यूनतम परित्राण दिए जाने से संबंधित एक प्रकार का अखिल भारतीय संहिता जैसा है ।

5. सन् 1949 में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन तथा राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा परिकल्पित भाषाजात अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले विभिन्न परित्राणों पर दक्षिण क्षत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति ने सन् 1959 में विचार किया । उक्त बैठक (परिशिष्ट III) के निर्णयों में साधारणतः सन् 1956 के भारत सरकार के ज्ञापन में निरुपित सिद्धांतों का कुछ पक्षों में और भी उदारता वरतते हुए अनुसरण किया गया ।

6. सन् 1961 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन (आगे इसका 1961 का मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन कह कर उल्लेख किया गया है) में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राण-योजना पर विचार किया गया । सम्मेलन ने कुछ परिवर्तनों के साथ 1956 के भारत सरकार के ज्ञापन में निहित सामान्य सिद्धांतों तथा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति के निर्णयों की पुनः पुष्टि की । उक्त सम्मेलन द्वारा जारी किया गया वक्तव्य (परिशिष्ट IV) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा सभी राज्य सरकारों को भी भेजा गया था ।

7. 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों में से एक यह थी कि केन्द्रीय गृह मंत्री के सभापतित्व में क्षेत्रीय परिषदों के उपसभापतियों की एक समिति गठित की जाय । यह सुझाया गया था कि यह समिति भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित विविध परित्राणों से तथा राष्ट्रीय एकता की प्रगति के कार्यन्वयन की गतिविधि से सम्पर्क रखेगी । इस समिति (राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति) की पहली और दूसरी बैठकों की कार्यवाही आयुक्त की पांचवीं रिपोर्ट के पृष्ठ 144–152 में दी गई थी । इस समिति की तीसरी बैठक की कार्यवाही से एक उद्धरण परिशिष्ट V में प्रस्तुत किया गया है ।

8. 1961 की जनगणना के आधार पर जिला स्तर से नीचे भाषा विषयक आंकड़े तभी ज्ञात होंगे जब सभी राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय जनगणना की सूचियां प्रकाशित हो जायें, अतः इस रिपोर्ट में 1951 की जनगणना का उल्लेख मिलेगा। अभी हाल में 1961 की जनगणना की भाषाओं की तालिकाएं प्रकाशित हुई हैं, इन में जिला स्तरीय भाषावार विभाजन के आंकड़े भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के ही दिए हैं। अतः इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही हुआ।

दूसरा अध्याय

शैक्षिक परित्राण

सामान्य

9. परिच्छेद 4, 5 और 6 में उल्लिखित निर्णयों में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक परित्राण की योजना दी हुई है, जो विभिन्न स्तरीय परामर्शों का परिणाम है ।

10. भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों का प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार संविधान में प्रतिष्ठित किया गया है । अनुच्छेद 350क राज्य सरकारों को इस हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का आदेश देता है । ऊपर जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है उनमें विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर ऐसी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ।

11. सन् 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने निश्चय किया कि यदि किसी एक कक्षा में किसी एक भाषाजात वर्ग के 10 विद्यार्थी से कम न हों अथवा समूचे स्कूल में 40 विद्यार्थी हों तो कम से कम एक शिक्षक की नियुक्ति करके मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए । प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान (नवां संशोधन) विधेयक द्वारा संविधान का अनुच्छेद 350क जोड़ा गया ।

12. 1959 में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति जिन निर्णयों पर पहुंची उन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है, क्योंकि उनका सम्बन्ध प्राथमिक स्तर के शिक्षा सम्बन्धी परिमाणों के प्रश्न से है :—

(i) इस समिति ने सन 1956 के भारत सरकार के ज्ञापन में निर्दिष्ट विभिन्न परिमाणों को स्वीकार करने का निर्णय किया ।

(ii) समिति ने निर्णय किया कि विद्यालय सत्र प्रारंभ होने के एक पखवारे के पूर्व समाप्त होने वाली तीन महीने की अवधि में सभी प्राथमिक विद्यालय, भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के माता-पिताओं से उनके बच्चों के प्रवेश कराने तथा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे । ये आवेदन एक रजिस्टर में दर्ज होने चाहिएं । यह देखने के लिए विभागीय प्रबंध किया जाना चाहिए कि इस कारण कोई आवेदन अस्वीकार न कर दिया जाय कि जिस स्कूल में आवेदन किया गया है, उसमें आवेदनकर्ताओं की संख्या कम है, और जहां आवश्यक हो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में विद्यार्थियों के भेजने की व्यवस्था की जाय ।

(iii) विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय तथा अध्यापकों की सुविधाओं संबंधी जो स्थिति 1 नवम्बर, 1956 को थी उसका भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए पृथक विद्यालय और पृथक कक्षाओं की दृष्टि से चारों राज्यों में से प्रत्येक में पता लगाया जावेगा और बिना कमी के उसे चालू रखा जावेगा किन्तु मद्रास के तेलुगु विद्यार्थियों के लिए तथा आन्ध्र प्रदेश के तमिल विद्यार्थियों के लिए निर्णायक तिथि 1 अक्टूबर, 1953 होगी—1 नवम्बर, 1956 नहीं ।

13. 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ये निर्णय सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिये गये थे । सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पहले उपलब्ध किसी सुविधा को कम नहीं करना चाहिए और जहां सम्भव हो अधिक सुविधायें दी जानी चाहिएं ।

14. माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कोई संविधानी गारन्टी नहीं है । 1956 के भारत सरकार के ज्ञापन में कहा गया है 'आयोग (माध्यमिक आयोग) की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग और स्थान के बारे में स्पष्ट नीति स्थिर करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने का विचार कर रही है ।' 1949 में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव में परिकल्पित व्यवस्था का उक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है । इस विषय में परवर्ती विशिष्ट निर्णय 1959 में हुए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के मंत्रिवर्गीय समिति की कार्यवाही में समाविष्ट है । यह निर्णय निम्नलिखित हैं :—

"जहां अल्पसंख्यकों की भाषा में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा वर्तमान नहीं है वहां उसे प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की नयी कक्षा (स्टेण्डर्ड) आठ से ग्यारह तक न्यूनतम 60 तथा प्रत्येक ऐसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों का रहना जरूरी होगा । परन्तु इन सुविधाओं के प्रारम्भ होने के प्रथम चार वर्षों में प्रत्येक कक्षा में जहां कि सुविधाएं दी गई हैं 15 की संख्या पर्याप्त होगी । सभी स्टेंडर्डो के लिए 60 की संख्या और प्रत्येक स्टेण्डर्ड के लिए 15 की संख्या नानाविध पाठ्यक्रमों और शक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए अलग से गिनी जायेगी और जहां वैकल्पिक विषयों के विभिन्न वर्गों की शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवस्था है वहां वकल्पिक विषयों के प्रत्येक वर्ग के लिए भी अलग गणना होगी ।"

सन् 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन के सामान्य प्रावधानों को और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के निर्णयों को सिद्धांततः स्वीकार किया । किन्तु 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का सूत्र माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता है । यह अवस्था उच्च शिक्षा से सम्बन्ध रखती है । स्कूल छोड़ने की अवस्था के बाद विद्यार्थियों को वृत्ति अपनाने के योग्य बनाती है तथा विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए भी तैयार करती है । जो भाषा प्रयुक्त की जायेगी वह संविधान की अष्टम अनुसूची में दी गयी भाषाओं में से कोई एक या अंग्रेजी

भी हो सकती है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषाओं के प्रयोग के विषय में इस प्रतिबंध के रहते हुए भी सम्मेलन मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की महत्ता के प्रति सचेत था, फलस्वरूप सरलीकृत त्रिभाषा सूत्र के निर्णय में उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है।

15. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की मंत्रिवर्गीय समिति का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अलग विद्यालयों, कक्षाओं और अध्यापकों के बारे में 1—11—1956 को प्राप्त स्थिति का पता लगाना था और इस स्थिति को किसी प्रकार की कमी किए बिना चालू रखना था और संबंधित राज्य सरकारों के निश्चित आदेश के बिना किसी एक भी मामले में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा ये सिद्धांततः स्वीकार कर लिये गए थे।

16. आगे के परिच्छेदों में राज्यों द्वारा विभिन्न शैक्षिक परित्राणों के कार्यान्वयन की प्रगति की सामान्य समीक्षा की गयी है। 1961 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के भाषावार आंकड़ों के प्राप्त न होने से यह निश्चय करना संभव नहीं हो सका है कि सुविधाओं में हुई वृद्धि भाषाजात अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप हुई है या नहीं।

प्राथमिक शिक्षा

17. प्राथमिक शिक्षा संबंधी संमत परित्राणों के राज्यों द्वारा कार्यान्वियन की प्रगति का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया है। विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्कूलों में मातृ-भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पाने वाले भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या परिशिष्ट VII में दिखलायी गयी है। 1963-64 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों की अवधि में उपलब्ध की गयी एसी सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण भी परिशिष्ट VIII में मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद 350 क के अन्तर्गत सुविधाओं की व्यवस्था

18. मध्य प्रदेश और पंजाब के सिवाय सभी राज्यों ने संविधान के उक्त प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

19. मध्य प्रदेश सरकार का आदेश अनुबंधित करता है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 14 भाषाओं और सिंधी के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी। राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर एकाधिक वार आकृष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 350क में उल्लिखित "मातृभाषा" शब्द का अर्थ संविधान की अष्टम अनुसूची की 14 भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि सिंधी और 14 भाषा-भाषियों की सुविधाओं को सीमित करके वास्तव में राज्य सरकार ने आदिम जाति भाषावार अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

20. इसका भी उल्लेख यहां किया जा सकता है कि सन् 1949 में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन (परिशिष्ट I) के प्रस्ताव में विशिष्ट सिफारिश की गयी थी कि "माता-

पिता या अभिभावक द्वारा घोषित भाषा ही मातृभाषा होगी।" मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध उपयुक्त प्रस्ताव और संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के भी अनरूप नहीं है।

21. सहायक आयुक्त के मध्य प्रदेश के विगत दौरे के समय राज्य सरकार के अधिकारियों से उक्त असंगति पर विचारविमर्श हुआ था, वे वर्तमान स्थिति में उपयुक्त सुधार करने के लिये सहमत हुए थे। इस मामले में राज्य सरकार की अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

22. पंजाब में शिक्षा का माध्यम सच्चर और पेप्सू सूत्रों से नियंत्रित किया जाता है जो चौथी रिपोर्ट के परिशिष्ट VI में उद्धृत किया गया है। इन सूत्रों के अनुसार हिन्दी और पंजाबी भी क्रमशः पंजाबी और हिन्दी क्षत्रों में शिक्षा का माध्यम हैं। किन्तु भूतपूर्व पेप्सू राज्य के हिन्दी क्षेत्र में सिर्फ हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है और पंजाबी क्षेत्र में केवल पंजाबी। सच्चर सूत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले कतिपय क्षेत्रों में उर्दू भी शिक्षा का माध्यम है। सारांश यह है कि अनुच्छद 350 क के प्रावधान राज्य भर में समान रूप से कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। आयुक्त अनभव करते हैं कि इस बात में पंजाब-भाषासूत्र संविधान के उक्त अनुच्छेद के विरुद्ध पड़ता है।

23. पंजाब सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि संविधान का अनुच्छेद 350 क "आदेशात्मक नहीं केवल निदेशात्मक है"। इस कारण आयुक्त ने अपनी छठवीं रिपोर्ट में राष्ट्रपति का निदेश शीघ्र ही जारी करने के लिए सिफारिश की जैसा कि भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन (परिशिष्ट) के परिच्छेद 2 में परिकल्पित किया गया है।

विद्यालयों कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और भाषाजात अल्प-संख्यक छात्रों का अग्रिम पंजीकरण

24. परित्राणों की सर्वसम्मत योजना के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए बशर्ते कि किसी एक भाषा वर्ग के विर्धार्थियों की संख्या कुल स्कूल में कम से कम 40 या एक कक्षा/अनुभाग में 10 हो जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हों।

25. यह देखा गया है कि भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों के माता-पिताओं की ओर से मांग की कमी के तर्क पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षाएं देने की सुविधा बहुत से स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की है कि उन क्षत्रों में भी जहां वे अधिक संख्या में हैं इस संविधानी अधिकार से उनके बच्चों को किसी न किसी वजह से वंचित रखा गया। इसलिए आयुक्त ने अपनी पहली रिपोर्ट (1957-58 की अवधि के लिए) में सुझाव दिया था कि हर स्कूल में एक रजिस्टर रहना चाहिए और स्कलसत्र के प्रारम्भ होने के 3 से 6 माह आगे माता-पिता/अभिभावकों को यह उल्लेख करते हुए आवेदन करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को किस अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ये नाम रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे जिससे शैक्षिक अधिकारियों को अग्रिम उपयुक्त व्यवस्था करने में सुविधा होगी। आयुक्त की इस सिफारिश का आशय यह था कि भाषावार अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी बच्चा किसी खास स्कूल में समुचित व्यवस्था न रहने की वजह से सुविधाओं से वंचित न रखा जाय और जहां कहीं

भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों की न्यूनतम संख्या (सारे स्कूल में 40 या कक्षा में 10) न होने वाली हो तो स्थानीय शैक्षिक प्राधिकारियों के उपक्रम से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण की व्यवस्था हो सके ।

26. आयुक्त की उक्त सिफारिश भारत सरकार तथा अधिकतर राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी । गुजरात ही एकमात्र राज्य था जिसने इसे स्वीकार नहीं किया था । अगस्त 1964 में हुई पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में इस सम्बन्ध में विचारविमर्श हुआ, जिसमें गुजरात के मुख्य मंत्री ने राज्य में चालू व्यवस्था का संशोधन करना स्वीकार किया जिस से कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र, जहां उनकी संख्या में 40 और कक्षा में कम से कम 10 हो और जो मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सकें । राज्य सरकार के आदेश की अभी तक प्रतीक्षा है ।

27. अग्रिम रजिस्टर खोलने की सूचना केवल मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास और केरल से मिली है । इस विषय में बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद, अन्य राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्कूलों में अग्रिम रजिस्टर खोलने की दिशा में हुई प्रगति की सूचना नहीं भजी है ।

28. यदि समूचे स्कूल में छात्रों की संख्या कम से कम 40 या कक्षा में 10 हो तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के उपबन्ध को अधिकतर राज्यों ने मान लिया है । आयुक्त ने अपनी पहली रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आसाम घाटी के स्कूलों में विद्यार्थी के एकबार असमिया को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लेने पर फिर शिक्षा-माध्यम के परिवतन की अनुमति नहीं मिलती, भले ही भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करें। यद्यपि पूर्व क्षेत्रीय परिषद् (नवम्बर, 1963) की आठवीं बठक में आसाम सरकार ने इस मामले पर पुर्नविचार करना स्वीकार किया था, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक इस सम्बन्ध में कोई संशोधित आदेश जारी नहीं किया गया ।

29. आसाम सरकार के आदेशों में है कि किसी स्कूल (आसाम घाटी में स्थित स्कूलों को छोड़ कर) में जहां छात्रों की संख्या 40 से कम न हो, जिनकी मातृभाषा असमिया से भिन्न है, उनकी मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि किसी एक कक्षा में ऐसे 10 विद्यार्थी हैं तो ये सुविधायें उन्हें प्राप्त नहीं होंगी। इसी प्रकार के प्रतिवन्ध उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र के एक इलाके में भी है । सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस मामले को लेकर कई बार आलोचना हुई और उन के द्वारा पूर्व स्वीकृत अखिल भारतीय नीति का अनुसरण करने कां उन्हें सुझाव दिया गया । यह मामला अभी तक उक्त सरकारों के विचाराधीन होने की सूचना मिली है ।

30. इस दृष्टि से कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या साधारणतया केवल 30 से 40 के बीच रहती है, आयुक्त आसाम, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से पुनः अनुरोध करेंगे कि यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 ऐसे विद्यार्थी हों तो मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना एक आवश्यकता है। यदि राज्य सरकारें ऐसे स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों की न्यूनतम 40 की संख्या पर

जोर देगी तो इसका अर्थ होगा जब तक किसी एक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के शत प्रतिशत विद्यार्थी न हों तब तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा से पूर्ण वंचित रखना ।

31. इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि पूर्व क्षेत्रीय परिषद् (1 नवम्बर, 1963) और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् (अगस्त, 1964) की विगत बैठकों में आसाम, उड़ीसा और गुजरात सरकारों ने समत योजना मान लेना स्वीकार किया था। किन्तु इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक इस विषय में इन राज्य सरकारों से कोई संशोधित आदेश नहीं प्राप्त हुए ।

भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अंतर-विद्यालय समंजन का विभागीय प्रबन्ध

32. सभी स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण से कोई लाभ न होगा जब तक शैक्षिक अधिकारियों द्वारा यह निश्चित करने के लिए युगपत् व्यवस्था नहीं की जाती कि किसी खास स्थान या क्षेत्र में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम लाभ प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में कई स्कूल हो सकते हैं और प्रत्येक स्कूल में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या पूरे स्कूल में न्यूनतम निर्धारित संख्या 40 और प्रत्येक कक्षा में 10 की पूर्ति नहीं हो सके। किन्तु एक साथ लेने से सहज ही में वे ऐसे नियमों की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को छोड़ कर जहां केवल एक ही स्कूल हो, स्पष्ट है कि ऐसा 'एकत्रीकरण' आर्थिक दृष्टि से लाभजनक सिद्ध होगा । स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए क्षमता संपन्न योग्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी यह कुछ हद तक कम कर सकेगा।

33. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् (परिशिष्ट III) के निर्णय में विभागीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार के अंतर-विद्यालय समंजन का प्रावधान है जिस से किसी आवेदक को अस्वीकार न किया जाय कि जिस स्कूल में आवेदन किया गया है उस में आवेदन कर्ताओं की संख्या अपर्याप्त है। जहां दक्षिणी क्षेत्र के चारों राज्यों ने उक्त निर्णय के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त आदेश जारी कर दिये हैं, अन्य क्षेत्रों के राज्यों को अभी तक ऐसी कार्यवाही करनी है । शीघ्र ही उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए इन राज्यों सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

बिना कमी किए सुविधाओं का चालू रहना

34. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधा कम न की जावे, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति ने निर्णय किया कि 1-11-1956 को जो स्कूल की सुविधायें तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या की स्थिति थी उसका पता लगाया जायगा ; भले ही छात्रों की संख्या कम हो जावें ; राज्यसरकार द्वारा दिए गए विशेष आदेशों के बिना किसी एक भी मामले में सुविधाएं कम न की जायेंगी और छात्रों की संख्या में वृद्धि के साथ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। अपनी नवम्बर, 1961 की बैठक में क्षेत्रीय परिषदों की समिति ने भी यह इच्छा प्रकट की थी कि विगत 4—5 वर्षों में

जो सुविधाएं प्रत्येक राज्य में वर्तमान थीं उन्हें निश्चित रूप से जान लिया जाय जिस से समिति को स्थिति का सही-सही पता लग सके। आयुक्त को यह जानकर खेद हुआ है कि क्षेत्रीय परिषदों की समिति का उपर्युक्त निर्णय, राज्यों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया। इन आंकड़ों के अभाव में, विभिन्न राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं हुआ।

. . . .

आदिम जातियों की भाषाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा

35. जैसा कि विभिन्न अल्पसंख्यकों की भाषाओं में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के आंकड़ों से स्पष्ट होगा, संविधान के अनुच्छेद 350 क में आदिम जाति भाषाओं के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों के प्रसार में आसाम, बंगाल और बिहार के सिवाय प्रगति अति अल्प हुई है।

36. जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 29 में उल्लेख किया जा चुका है राज्य सरकारें आदिम जातियों की भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने के विषय में इस आधार पर अपनी असमर्थता प्रकट करती है कि अधिकतर आदिम जातियों की भाषाओं की कोई लिपि नहीं है, पाठ्य-पुस्तकों/साहित्य की तो और भी कमी है। सूचना मिली थी कि ऐसी हालत में आदिमजाति भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी उन राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पा रहे थे, जहां वे रहते थे।

. . . .

37. आयुक्त पहले ही अपनी पिछली रिपोर्टों में यह सुझाव दे चुके हैं कि जब तक आदिम जाति की भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं संविधान के अनुच्छेद 350 क का प्रावधान ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है जो प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त पाठ्य-पुस्तकों का उपयोग करते हुए छात्रों को आदिम जाति की बोलियों के माध्यम से पाठ समझा सकें। यहां इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि आदिम जाति वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में कई राज्यों में निवास करते हैं, अपनी मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा की सुविधाओं से उन्हें लगातार वंचित रखना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है।

38. योजना आयोग ने जनवरी, 1964 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रोजगार सम्बन्धी एक सेमिनार का आयोजन किया था। बाद में, शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जो इस प्रकार थी :—

> "आदिम जातियों की भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए देश में कतिपय विशिष्ट-भाषा शिक्षा केन्द्र होने चाहियें। इस के अतिरिक्त आदिम जाति भाषाओं की पढ़ाई के लिए स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है।"

उक्त बैठक में सामान्य विचार यह था कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के निमित्त अध्यापकों की भर्ती आदिम जाति के लोगों में से की जाय। इसलिए उन के प्रशिक्षण का भार राज्य सरकारों पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे ही समस्याओं और उन के समाधानों की व्यवस्था का सही मूल्यांकन करने की स्थिति में हैं।

39. **कोंकणी और सौराष्ट्रम :**—आदिम जातियों की भाषाओं के सिवाय महाराष्ट्र और मैसूर के कोंकणी भाषियों तथा मद्रास के सौराष्ट्रम भाषियों ने उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं के अभाव की शिकायत की है। महाराष्ट्र की सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कोंकणी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की मांग है किन्तु ऐसे स्कूल नही खोले गए हैं। मैसूर सरकार ने भी अपने राज्य में कोंकणी माध्यम के स्कूल खोल कर कोंकणी भाषियों की मांग पूरी नहीं की है। आयुक्त ने इन सरकारों को लिखा है कि कोंकणी में उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों के अभाव का उनका तर्क असंगत है, क्योंकि ओरियंट लांगमैन्स कोंकणी की प्रारम्भिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। आयुक्त अनुभव करते हैं कि महाराष्ट्र और मैसूर सरकारों को अविलम्ब कोंकणी माध्यम के प्राइमरी स्कूल/अनुभाग खोलने चाहिएं।

40. सौराष्ट्रम भाषाजात अल्पसख्यक वर्ग की मांग पर आयुक्त का ध्यान सन् 1957 से रहा है। 1959 में राज्य सरकार ने उन स्कूलों में जहां सौराष्ट्रम भाषी बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, सौराष्ट्रम भाषा द्वारा पढ़ाना स्वीकार कर लिया था। किन्तु पीछे उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षकों के अभाव में, सौराष्ट्रम स्कूल और कक्षाएं खोलने में अपनी असमर्थता प्रकट की। 1961 में मद्रास राज्य के दौरे में आयुक्त ने तत्कालीन वित्त मंत्री से इस सम्बन्ध में आलोचना की, उन्होंने इस मामले का पुन: परीक्षण करवाना स्वीकार किया यदि सौराष्ट्रम भाषी उपयुक्त पाठय-पुस्तकें दे सकें। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तकों को स्वीकृति अभी अनिर्णीत है क्योंकि पाठ्य-पुस्तक समिति सौराष्ट्रम विद्यापीठम द्वारा प्रकाशित पुस्तक को इस कारण स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी कि सौराष्ट्रम भाषा स्कूल के नियमित घण्टों में नहीं पढ़ाई जा रही थी।

41. फरवरी, 1963 में जब सहायक आयुक्त मद्रास गए तब उन्होंने मुख्य सचिव का ध्यान इस असंगत स्थिति की ओर आकृष्ट किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त भाषा की पढ़ाई स्कूल के नियमित घण्टों के बाद होती थी तथा शिक्षक भी उपलब्ध थे, प्रश्न केवल पुस्तक को अनुमोदित करने का था। तदुपरांत, राज्य सरकार ने पुस्तक की जांच करने तथा यह बताने के लिए कि क्या प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए पुस्तक उपयुक्त थी, एक गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति की। उस व्यक्ति से विचार-विमर्श करके राज्य के शिक्षा निदेशक ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी :—

(i) अब सौराष्ट्रम मुख्यत: बोलचाल की भाषा है।

(ii) इसकी कोई स्वीकृत लिपि नहीं है, लिपि विकास की शैशवावस्था में है और यह विवादास्पद है कि हिन्दी लिपि ग्रहण की जायेगी या सौराष्ट्रम।

(iii) साहित्य पर कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं।

(iv) मदुराई जिले के लगभग एक लाख सौराष्ट्रम जाति के लोगों में से केवल 200 व्यक्ति सौराष्ट्रम लिपि को पढ़ लिख सकते हैं; और

(v) सौराष्ट्रम भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के अनुमोदन के प्रश्न पर विचार करना असामयिक होगा, कारण इस भाषा के माध्यम से पढ़ाने के शिक्षकों का पाना कठिन होगा जो वर्तमान समय में सिर्फ एक बोलचाल की भाषा है।

42. यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्तुत की गई पुस्तक की विशेषताओं पर विचार नहीं किया गया। गैर सरकारी व्यक्ति के विचार भी प्रश्नावली के उत्तर के रूप में प्राप्त किए गए और सौराष्ट्रम संगठन से किसी प्रकार की राय नहीं ली गयी।

43. चूंकि भारत सरकार उत्सुक थी कि निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो, आयुक्त ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई पुस्तक की परीक्षा स्कूल में पढ़ाई जाने के लिए उसकी उपयुक्तता के स्पष्ट उद्देश्य से ही की जावे। पीछे सहायक आयुक्त के साथ हुए विचार-विमर्श में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने विचार प्रकट किया कि एक मात्र पुस्तक ही प्रकाशित हुई अतः विशेषताओं पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा।

44. राज्य सरकार के निर्णय से सौराष्ट्रम संगठनों को निराशा हुई, उन्होंने आयुक्त को सूचित किया कि वे और भी पुस्तकें तैयार करने के लिए प्रस्तुत हैं यदि उन्हें आश्वासन दिलाया जाय कि राज्य सरकार स्कूलों/अनुभागों के लिए उनकी भाषा और पुस्तकों को वास्तव में अनुमोदित करना चाहती है।

शैक्षिक आंकड़े—पुनरावलोकन

45. राज्यों के विभिन्न जिलों में, अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं के माध्यम द्वारा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध शिक्षा की सुविधाओं के आंकड़े परिशिष्ट VII में दिखलाए गए हैं।

मध्य क्षेत्र

46. मध्य प्रदेश :—यद्यपि उर्दू भाषी छात्रों की संख्या 1962–63 में 30,467 से बढ़ कर 1963–64 में 33,771 हो गई, स्कूलों की संख्या 1962–63 में 187 से घट कर 1963–64 में 159 रह गई। राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि जगह और शिक्षकों के अभाव के कारण अकेले भोपाल (पश्चिम) ही में 36 उर्दू माध्यम के स्कूलों को अन्य स्कूलों के साथ मिला दिया गया। इसी प्रकार शाजापुर के तीन स्कूलों तथा गुना के एक प्राथमिक बालिका विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण शिक्षा का माध्यम बदल कर हिन्दी कर दी गई। 1962–63 में भी, देवास, भोपाल और बस्तर जिलों में उर्दू माध्यम के स्कूलों की संख्या कम हो गई। राज्य सरकार के अनुसार, देवास में सरकारी मकान में चल रहा एक उर्दू स्कूल सुदूर स्थान में भेज दिया गया, जिसका फल यह हुआ कि बच्चों को यह स्कूल छोड़ कर अन्य समीप के स्कूलों में प्रवेश लेना पड़ा। अन्य स्कूलों की संख्या की कमी का कारण छात्र संख्या कम होने के कारण उनका बन्द होना या अन्य स्कूलों में उनका विलयन कर देना बतलाया गया है।

47. सन् 1961–62 से मराठी भाषी छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। किन्तु सन् 1962–63 की अपेक्षा ऐसे स्कूलों की संख्या सन् 1963–64 में कम थी। राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि जनता की मांग पर छिंदवाड़ा जिले के सात स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मराठी से बदल कर हिन्दी कर दी गई। इस तथ्य की दृष्टि से कि उसी जिले में जहां मराठी भाषियों की आबादी सघन है और 1963–64 में मराठी माध्यम वाले दो नए स्कूल खोले गए 'जनता की मांग पर' शब्द कुछ अस्पष्ट सा है।

48. सन् 1962–63 में सरगुजा जिले में बंगला माध्यम वाले स्कूलों की संख्या 6 थी जिनमें 548 छात्र थे। सन् 1963–64 में ऐसे स्कूलों की संख्या घटकर 3 रह गई, छात्रों की संख्या 288 थी। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार छात्र संख्या कम हो जाने के कारण तीन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम परिवर्तित कर दिया गया।

49. पिछले वर्ष की अपेक्षा सन् 1963–64 में गुजराती माध्यम वाले स्कूलों की संख्या में दो की वृद्धि हुई, यद्यपि सन् 1963–64 में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ी सी कम थी।

50. सिन्धी माध्यम वाले स्कूलों की संख्या में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा सन् 1963–64 में चार की वृद्धि हुई है यद्यपि सिंधी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई।

51. विलासपुर में दो तेलुगु माध्यम के स्कूल में जिनकी गणना स्पष्ट है कि सन् 1962–63 के आंकड़ों में नहीं की गई थी।

52. रायपुर के एकमात्र पंजाबी माध्यम वाले स्कूल की छात्रसंख्या में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

53. विलासपुर में तमिल माध्यम वाले एक स्कूल के चालू रहने का समाचार मिला था।

54. राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में उड़िया भाषियों की संख्या (304, 297) सिंधी भाषियों की संख्या (179, 858) से कहीं अधिक है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उड़िया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देनेवाला एक भी स्कूल नहीं है।

55. राज्य में भीली, गोंडी, हल्वी, कोरकू, ओरांव इत्यादि बोलियां बोलनेवाली कई एक आदिम जातियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बच्चों को मातृभाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देने की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

56. सहायक आयुक्त मध्यप्रदेश के पिछले दौरे के समय, कुछ जिलों के कई स्कूलों में गए। यह पाया गया कि अपनी मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के प्रावधान को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। कुछ स्कूलों में तो ऐसे रजिस्टर ही नहीं थे। कुछ स्कूलों में रजिस्टर रखे गये थे, जिसमें भर्ती हुए विद्यार्थियों की मातृभाषा का उल्लेख किया गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिले के शिक्षाधिकारीगण भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के उद्देश्य तथा स्कूल सत्र के प्रारम्भ होने के काफी पूर्व स्थानीय मांग की संख्या निर्धारण में इसकी उपयोगिता के विषय में निश्चित नहीं थे।

57. उक्त दौरे के समय, छिंदवाड़ा की आदिम जाति शोध संस्था के निदेशक ने सूचित किया कि सिजोरा (मुंडला जिला), अलीरजपुर (झाबुआ जिला), जसपुर (रायगढ़ जिला) और बस्तर में चार पुनरनुस्थापन शिक्षण केन्द्र उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए चल रहे थे जिनकी नियुक्ति आदिम जाति क्षेत्रों के स्कूलों में होनी थी। यह भी सूचना मिली थी कि आदिम जाति वर्ग की भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित करके शीघ्र उपलब्ध की जावेंगी।

58. आयुक्त आशा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 350क के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए तथा आदिम जाति क्षेत्रों में उनके शीघ्र कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार जल्दी ही कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है जिससे भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण सम्बन्धी आयुक्त की सिफारिश यथोचित ढंग से राज्य के सभी स्कूलों में कार्यान्वित हो सके। भर्ती हुए छात्रों की मातृभाषा के उल्लेख मात्र से किसी उद्देश्य के हल होने की संभावना नहीं है।

59. उत्तर प्रदेश :—इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक अलीगढ़, बहराइच, बदायूं और बिजनौर जिलों से संबंध रखने वाले 1963–64 साल का सांख्यिक विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

अवशिष्ट 50 जिलों के उर्दू स्कूलों, अनुभागों और छात्रों को 1962–63 की संख्या निम्न प्रकार थी :—

स्कूलों की संख्या	सिर्फ उर्दू अनुभागों की संख्या	उनमें उर्दू छात्रों की संख्या
1,688	239	1,43,043

सन् 1963–64 के अंकों के साथ इन अंकों की तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि उर्दू–स्कूलों अनुभागों और उर्दू भाषी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या में बहुत कमी हुई। राज्य सरकार ने इस कमी का युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

60. सन् 1962–63 में कानपुर में दो सिन्धी माध्यम के स्कूल थे, जिन में 342 छात्र थे। सन् 1963–64 के आंकड़ों में कोई सिंधी स्कूल नहीं दिखलाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के प्रत्यक्ष बन्द होने का कोई कारण नहीं दिया गया है।

61. बंगला, गुजराती, पंजाबी और मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों को प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

62—नीचे के आंकड़े यह बताते हैं कि राज्य भर में सन् 1963–64 में सन् 1962–63 की अपेक्षा 2,951 अधिक स्कूल और 5,75,000 अधिक छात्र थे।

साल	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या
1962–63	49,511 (अंतःकालीन)	52,81,000 (अन्तःकालीन)
1963–64	52,462 (आगणित)	58,56,000 (आगणित)
वृद्धि	2,951	5,75,000

63. इस तरह जब कि राज्य भर में सन् 1963–64 में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 1962–63 की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक बढ़ी, इस प्रगति में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को हिस्सा नहीं मिला। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, राज्य के अकेले सब से बड़े भाषाजात वर्ग उर्दू में विशेष कमी हुई, और अन्य अधिकांश भाषाजात वर्गों से सम्बन्धित स्थिति में प्रायः कोई अन्तर नहीं हुआ।

64. सन् 1994 में सहायक आयुक्त राज्य के कुछ जिलों में गये और कई स्कूलों का भी निरीक्षण किया। दौरे में नीचे लिखी बातों का पता चला :—

(i) भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामों का पंजीकृत करने के लिए सभी स्कूलों में अग्रिम रजिस्टर नहीं रखे गये थे।

(ii) कुछ स्कूलों में ये रजिस्टर कोरे पाए गए और मांग नहीं होने की सूचना भी इन में दर्ज नहीं की गयी। कुछ स्कूलों में, यद्यपि किसी एक भाषाजात

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 10 या उस से अधिक थी, उनको अपनी मातृ भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी ।

ये बातें, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये, राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थीं।

65. आयुक्त ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि स्कूल प्रवेश-पत्र में छात्र की मातृभाषा का उल्लेख करने के लिए एक स्तंभ बढ़ाना वांछनीय होगा । आगे चलकर, फरवरी, सन् 1961 में आयुक्त ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से बात की, वे आयुक्त के विचारों से सहमत थे। तो भी सिफारिश को अमल में नहीं लाया गया। जब इस विषय में राज्य सरकार के साथ फिर लिखा पढ़ी हुई तो उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि अग्रिम पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र में मातृभाषा के उल्लेख करने का विशिष्ट उपबन्ध है, अतः इससे प्रवेश पत्र में मातृभाषा के स्तम्भ को रखने का उद्देश्य पूरा हो गया ।

66. आयुक्त राज्य सरकार के उक्त के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कारणों से असहमत हैं । कुछ स्कूलों में जाने से पता चला कि अग्रिम पंजीकरण के रजिस्टर कोरे पड़े हुए थे, यद्यपि वहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी थे । यथोचित प्रचार के अभाव अभिभावक अग्रिम पंजीकरण की सुविधाओं से अनभिज्ञ रह सकते हैं, और अभिभावकों की एक बड़ी तादाद हो सकती है जो अपने बच्चों के दाखिल होने के दिन स्कूल आती है ।

67. आयुक्त के विचार से उक्त किसी भी कारण से भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 350 क के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । अपितु, प्रवेश पत्रों में 'मातृभाषा' स्तंभ भरने से शैक्षिक प्राधिकारियों को क्षेत्र-विशेष में भाषाजात अल्पसंख्यकों की संख्या आंकने में तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी । इसलिए आयुक्त अनुभव करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्रवेश पत्र में मातृभाषा के उल्लेख के लिए एक स्तंभ बढ़ाना चाहिए, जिससे कि मुख्य-मंत्री सहमत थे ।

68. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 38 में यह उल्लेख किया गया था कि अलमोड़ा, सहारनपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, जालोन, मैनपूरी, पीलीभीत और गोरखपुर में उर्दु के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं में, पिछले वर्ष की तुलना में सन् 1961–62 में काफी कमी हुई ।

इस मामले में राज्य सरकार से लिखापढ़ी की गई, उसकी सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

अलमोड़ा : शैक्षिक सुविधाओं में कमी नहीं की गयी । ऐसा एक स्कूल नवनिर्मित जिला पिथौरगढ़ में दिखलाया गया था ।

सहारनपुर : उप-निरीक्षक के कार्यालय में हुई लिखने की भूल के कारण एक स्कूल छूट गया था ।

फतहपुर : आठ इस्लामिया स्कूल असावधानी से सूची में शामिल होने से छूट गए । पिछले वर्ष की तुलना में वास्तव में दो स्कूल (मकतब) और बढ़ गए ।

जालोन : कोई कमी नहीं हुई । नगरपालिका द्वारा पोषित एक स्कूल तथा तीन गैर सरकारी मकतब भूल से छूट गए ।

मैनपुरी : दोनों वर्षों में दिए गए आंकड़े, स्कूलों के उप-निरीक्षक द्वारा गलत भेजे गए थे।
पीलीभीत : मैनपुरी में उर्दू माध्यम के नौ स्कूल और पीलीभीत में उर्दू माध्यम के 23 स्कूल थे।

गोरखपुर : कोई कमी नहीं हुई। स्कूलों के उप-निरीक्षक की असावधानी से सारे के सारे 45 इस्लामियां स्कूल और मकतब छूट गए थे।

गाजीपुर में उर्दू माध्यम के 6 स्कूलों के कम होने की परिस्थितियों की राज्य सरकार अभी तक छानबीन कर रही है।

पूर्वी क्षेत्र

69. आसाम :—बार बार स्मरण-पत्र भेजने पर भी, आसाम सरकार ने 1962–63 और 1963–64 की शैक्षिक सुविधाओं के सांख्यिक आंकड़े नहीं दिये हैं। परिशिष्टों में दिये गए आंकड़े वे ही हैं जो छठवीं रिपोर्ट में दिए गए थे। इसलिए संमत परित्राणों के कार्यान्वियन की प्रगति का मूल्यांकन करना संभव नहीं हुआ।

70. राज्य सरकार ने यह भी अभी तक सूचित नहीं किया कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण कहां तक कार्यान्वित किया गया।

71. बिहार :—बिहार सरकार ने भी सन् 1962–63 और 1963–64 की शैक्षिक सुविधाओं के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे हैं, 1961–62 के आंकड़े भी पूरे नहीं भेजे हैं, जिसका कुछ भाग पहले प्राप्त हुआ था। जनवरी में राज्य के दौरे के समय, सहायक आयुक्त ने इन आंकड़ों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से इसे अविलम्ब भेजने के लिए निवेदन किया। राज्य सरकार के अधिकारी इसे भेजने के लिए सहमत हो गए थे तथा सम्बन्धित अधिकारियों को यह कार्य जल्दी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद तथा बार-बार स्मरण-पत्र भेजने पर भी, इस रिपोर्ट के लिखे जाने के समय तक आयुक्त को आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

72. उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण राज्य में संमत परित्राणों के कार्यान्वियन की प्रगति का हिसाब लगाना संभव नहीं हुआ।

73. राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि राज्य के 40,792 प्राथमिक स्कूलों में से 30,819 स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए रजिस्टर खोले गये थे और शेष स्कूलों में रजिस्टर खोलने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निदेश दे दिया गया था।

74. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 57 में उड़िया भाषियों की शिकायत का उल्लेख किया गया था जिसमें आरोप किया गया था कि सिंहभूम जिले में सन् 1961–62 में उड़िया प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भारी कमी हो गयी थी। अब राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि सन् 1960–61 में दिखलाई गई उड़िया स्कूलों की संख्या में "शुद्ध उड़िया" और "मिश्रित उड़िया" स्कूल सम्मिलित थे, जबकि 1961–62 में केवल "शुद्ध उड़िया" स्कूल ही आंकड़ों में सम्मिलित थे। यद्यपि राज्य सरकार ने उल्लेख किया था कि सन् 1960–61 में ऐसे "मिश्रित स्कूल" 57 थे, सन् 1961–62 में उड़िया अनुभागों (शुद्ध उड़िया स्कूलों के सिवाय) की वृद्धि सिर्फ 11 बताई गयी थी। राज्य सरकार ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जिनके कारण एक वर्ष के भीतर उड़िया माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या 10,000

से अधिक कम हो गयी। आयुक्त अनुभव करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले की अविलम्ब अधिक विस्तार से जांच होनी चाहिए।

75. **उड़ीसा** :—राज्य सरकार ने शैक्षिक सुविधाओं के संबंध में केवल सन् 1962–63 तक के ही सांख्यिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस वर्ष हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन् 1961–62 से कहीं अधिक थी। सन् 1962–63 में तेलुगु, उर्दू, बंगला, नेपाली और तमिल भाषाजात वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या घटी और तेलुगु, उर्दू, बंगला और तमिल स्कूलों/अनुभागों की संख्या में भी कमी हो गई। राज्य सरकार ने अबतक इस कमी के कारण नहीं बताए हैं।

76. राज्य सरकार की ओर से उन स्कूलों की संख्या की सूचना के अभाव में जहां भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण किया गया, आयुक्त के लिए यह विश्लेषण करना संभव नहीं हुआ कि सुविधायें मांग की मात्रा में कमी होने के आधार पर कम की गई या नहीं।

77. **पश्चिम बंगाल** :–1963–64 में तेलुगु और संथाली माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हो गई। तेलुगु के मामले में, यद्यपि स्कूल की सुविधाएं एक अनुभाग के द्वारा बढ़ी छात्रों की संख्या विगत वर्ष से थोड़ी कम थी। संथाली के मामले में, स्कूलों की संख्या में 10 की कमी हुई और छात्रों की संख्या में 162 की। राज्य सरकार ने इन कमियों के कारण अभी तक नहीं बताए हैं।

78. राज्य सरकार ने अभी तक उन स्कूलों की संख्या की सूचना नहीं दी है जहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए रजिस्टर खोले गये। जब तक वास्तव में ऐसे रजिस्टर नहीं रखे जायेंगे, भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की मांग की मात्रा का आंकना संभव नहीं होगा। आयुक्त का खयाल है कि राज्य सरकार को अविलम्ब सभी प्राथमिक स्कूलों में अग्रिम पंजीकरण की योजना को कार्यान्वित करना चाहिए।

79. हिन्दी, उर्दू, नेपाली, तिब्बती, गुजराती, उड़िया, तमिल और पंजाबी (गुरुमुखी) के छात्रों की संख्या तथा उनकी शैक्षिक सुविधाओं में साधारणतया वृद्धि हुई है।

80. जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के अनुच्छेद 64 में उल्लेख किया गया था, 1961–62 में पश्चिम दिनाजपुर और हावड़ा जिलों के हिन्दी और उर्दू स्कूलों की कमी की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। इस विषय में राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि हावड़ा जिले में हिन्दी विद्यार्थियों की संख्या में कमी प्रतीत होने का कारण गलत वर्गीकरण था। उसी जिले में उर्दू स्कूलों की संख्या में कमी का कारण तीन सहायता प्राप्त स्कूलों का बंद करना है। मई, 1964 में राज्य सरकार से उन परिस्थितियों को बताने का निवेदन किया गया था जिनके फलस्वरूप वे स्कूल बंद कर दिए गए तथा उन स्कूलों के ब्योरे तथा साथ ही यह सूचना देने के लिए भी निवेदन किया गया था कि इन स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए रजिस्टर मौजूद थे या नहीं। इन बातों का उत्तर राज्य सरकार की ओर से इस रिपोर्ट के लिखने के समय तक नहीं आया था।

81. पश्चिम दिनाजपुर के सम्बन्ध में राज्य सरकार का तर्क था कि बिहार राज्य के एक भाग का पश्चिम दिनाजपुर में विलयन हो जाने के कारण, जनता में बंगला माध्यम से

शिक्षा की मांग बढ़ गयी तथा हिन्दी और उर्दू स्कूलों की संख्या में कमी हो गयी। राज्य सरकार द्वारा दिये गए कारण प्रत्यापक नहीं प्रतीत होते क्योंकि विलयन 1956 में हुआ था और 1960–61 तक हिन्दी और उर्दू स्कूलों की संख्या में कमी नहीं हुई थी। 1961–62 में इस जिले के 50 हिन्दी और 9 उर्दू स्कूलों में शिक्षा के माध्यम में एकाएक हुए परिवर्तन के कारण राज्य सरकार से पूछे गए हैं, उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

दक्षिणी क्षेत्र

82. आन्ध्र प्रदेश :—पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में 1963–64 में उर्दू, तमिल, कन्नड़, हिन्दी और गुजराती भाषी विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी। मगर उड़िया और मराठी भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या उक्त काल में घट गयी।

83. श्रीकाकुलम जिले में उड़िया स्कूलों की संख्या में 13 की कमी हो गयी तथा तदनुसार छात्रों की संख्या में भी 293 की कमी हुई। राज्य सरकार से इस कमी के कारणों को बताने का निवेदन किया गया था। उनकी रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है।

84. अदीलाबाद जिले में मराठी माध्यम के स्कूलों की संख्या में 10 की कमी हुई और तदनुरूप छात्रों की संख्या में 1604 की कमी हुई। राज्य सरकार ने बताया कि यह कमी (i) तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने और (ii) एक हाई स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं को एक अन्य चालू प्राथमिक स्कूल में हटा देने के कारण हुई। निजामाबाद जिले में यद्यपि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले मराठी भाषी छात्रों की संख्या बढ़ी, 9 मराठी स्कूल या तो बन्द कर दिये गये अथवा तेलुगु माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर दिये गये।

85. सन् 1964 में कुछ जिलों का दौरा करते हुए सहायक आयुक्त को ज्ञात हुआ कि स्कूल के अधिकारीगण भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण से अवगत नहीं थे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय के अनुसार भले ही छात्रों की संख्या कम हो जाये, प्रत्येक स्कूल के मामले में राज्य सरकार द्वारा उस मामले से संबंधित दिये गये स्पष्ट आदेशों के आधार पर ही कमी की जा सकेगी। राज्य सरकार से निवेदन किया गया था कि वे आयुक्त को सूचित करें कि क्या शैक्षिक सुविधाओं में उक्त कमी सरकार के विशिष्ट आदेश द्वारा की गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।

86. आयुक्त का विचार है कि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की मांग को निर्धारित किये बिना वर्तमान स्कूलों/अनुभागों को बन्द कर देने से भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग की असुविधाएं और बढ़ जायेंगी, क्योंकि वैसे ही स्कूलों/अनुभागों की संख्या जहां अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सीमित हैं। केवल अग्रिम पंजीकरण के द्वारा ही मांग का प्रभावकारी ढंग से अंकन किया जा सकेगा। आयुक्त को यह जानकर दुःख होता है कि यह आसान सिफारिश भी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गयी।

87. आदिम जाति भाषाजात अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देने की कोई सुविधा राज्य में मौजूद नहीं है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि आदिम जाति भाषाओं की न कोई लिपि है और न शिक्षक जो इन भाषाओं के माध्यम से पढ़ा सकें। आयुक्त अपनी छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 29 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि आदिम जातियों की बोली से परिचित अध्यापक नियुक्त किये जा सकते हैं, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से पाठ समझाए जा सकें।

91. **मद्रास** :—सांख्यिक आंकड़ों की तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि 1963–64 में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिन्दी और मराठी भाषी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई थी।

92. शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारणों की जांच करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। उन्होंने यह सूचित किया था कि यह केवल अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाले तथा अन्य बहुभाषा माध्यम वाले स्कूलों और अनुभागों के पुनर्गठीकरण के कारण हुई। कई एक मामलों में ऐसे स्कूलों/अनुभागों में संख्या की कमी के कई उदाहरण थे।

93. मलयालम भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाओं में बहुत कमी हुई। राज्य सरकार के अनुसार कन्याकुमारी के मद्रास राज्य में विलयन के पूर्व, तमिल भाषी छात्र मलयालम माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ते थे, किन्तु विलयन के बाद, तमिलभाषी छात्र तमिल माध्यम वाले स्कूलों/अनुभागों में दाखिल हो गए, इसलिए तमिल माध्यम वाले छात्रों की संख्या बढ़ गयी और तदनुरूप मलयालम भाषी छात्रों की संख्या कम हो गयी। यह तर्क मानने योग्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिला 1956 में मिलाया गया था, जबकि इस कमी का संबंध 1963–64 से है। अतएव, राज्य सरकार से पूरे मामले की दुबारा जांच करने का निवेदन किया गया था और उन स्कूलों/अनुभागों की सूची भी भेजने के लिए कहा गया था जिनमें मलयालम माध्यम को हटा दिया गया था।

94. राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह इस बात की पुष्टि करे कि क्या भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण का प्रावधान ऐसे सारे स्कूलों में कार्यान्वित किया गया था जहां अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं कम/समाप्त कर दी गयीं। अनेक स्मरण पत्र भेजने पर भी राज्य सरकार ने यह सूचना नहीं भेजी।

95. राज्य सरकार ने स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों के अग्रिमणपंजीकरण की प्रगति की सूचना भी नहीं भेजी है।

96. **मैसूर** :—राज्य सरकार ने 1963–64 के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे हैं।

97. 1961–62 के अंकों की 1962–63 के अंकों से तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, मराठी और हिन्दी माध्यम की शैक्षिक सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ। मगर तेलुगु छात्रों की संख्या में बहुत ही कमी हुई। राज्य सरकार ने इस कमी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

98. स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के अग्रिम पंजीकरण की प्रगति की सूचना राज्य सरकार ने अब तक नहीं भेजी है।

99. आदिम जाति भाषाजात अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तथापि राज्य सरकार ने सूचना भेजी थी कि आदिम जाति की भाषाओं से परिचित शिक्षित व्यक्ति, शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए मिल रहे थे। उपर्युक्त स्थिति में आयुक्त का सुझाव होगा कि अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि यथासंभव उन शिक्षकों द्वारा आदिम जाति के छात्रों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा मिल सके।

पश्चिम क्षेत्र

100. गुजरात :—राज्य सरकार ने किसी भी वर्ष के सांख्यिक आंकड़े अभी तक नहीं भेजे हैं। राज्य के दौरे (दिसम्बर, 1963) के समय, सहायक आयुक्त को राज्य के सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आंकड़े लगभग एक सप्ताह के भीतर ही भेज दिये जावेंगे।

101. स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए रजिस्टर खोलने को आदेश राज्य सरकार ने अभी तक जारी नहीं किये। आयुक्त अनुभव करते हैं कि ऐसे रजिस्टरों के बिना भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की मांग का सही अंदाजा लगाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आयुक्त का खयाल है कि इसे शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति द्वारा परिकल्पित किया गया था।

102. आदिम जाति भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा कि :

(i) ऐसी आदिम जातियां राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में पायी जाती हैं;

(ii) ऐसे स्थानों में नियुक्त शिक्षक यथासंभव स्थानीय हैं;

(iii) शिक्षकों को सुझाव दिया गया है कि वे पाठों को समझाने के लिए स्थानीय बोलियों की सहायता लें;

(iv) जब भी सम्भव हो, शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि कक्षा I और II में आदिम जाति की बोलियों से पाठ समझावें।

103. महाराष्ट्र :—राज्य सरकार ने सिर्फ 1962–63 के सांख्यिक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। ये आंकड़े भी राज्य के छब्बीस जिलों में से केवल सत्रह जिलों के हैं। राज्य में अपने पिछले दौरे के समय, सहायक आयुक्त ने आयुक्त को संविधान के अनुच्छेद 350 ख (2) में परिकल्पित अपने कर्तव्यों को सम्पन्न करने के लिए इन आंकड़ों का अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के महत्व पर राज्य के अधिकारियों के समक्ष बल दिया था। यद्यपि राज्य सरकार के अधिकारियों ने उन्हें "बहुत ही शीघ्र" भेजने का वचन दिया था, किन्तु इस रिपोर्ट लिखे जाने तक उनकी प्रतीक्षा रही।

104. सभी जिलों की पूरी सूचनाओं के अभाव में राज्य में हुई प्रगति का आंकना संभव नहीं हुआ। स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के कार्यान्वयन के प्रसार का ब्यौरा भी राज्य सरकार ने नहीं भेजा है। इस सूचन के प्रेषण के लिए राज्य सरकार को अनेक स्मरण पत्र भेजे गये।

105. आदिम जाति भाषाजात अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देने की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। इस सम्बन्ध में सन् 1962 में जानकारी मांगी गयी थी किन्तु इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक वह प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने पहले सूचित किया था कि गोंडी में प्राइमर छपने के लिये मंजूरी दे दी गई है। यद्यपि गोंडी में पुस्तक प्रकाशन में आगे हुई प्रगति की सूचना नहीं दी गई, इससे आभास मिला कि गोंडी आदिम जाति की ओर से गोंडी के माध्यम से पढ़ाने की मांग थी।

उत्तरी क्षेत्र

106. पंजाब :—बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद, राज्य-सरकार ने सांख्यिक आंकड़े अभी तक नहीं भेजे। इसलिए पिछले वर्ष में हुई प्रगति का आंकना संभव नहीं हुआ।

107. आदिम जाति भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय किया कि सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगी किन्तु कुछ प्राथमिक स्कूलों में भोटी भी पढ़ायी जायेगी ताकि छात्र अपने धर्मग्रन्थ पढ़ सकें।

108. राजस्थान :—आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि हुई। किन्तु सिन्धी के मामले में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1962—63 में स्कूलों और छात्रों की संख्या में एकाएक कमी हुई। राज्य सरकार ने बताया है कि यह कमी प्रधानतः सिन्धी विद्यार्थियों की भर्ती में कमी होने के कारण कुछ सिन्धी स्कूलों/अनुभागों के बन्द करने की वजह से हुई।

109. राज्य सरकार ने अभी तक उन स्कूलों की संख्या नहीं बतलायी जहां भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण कार्यान्वित हुआ।

शिकायतें

110. विभिन्न राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों का सारांश परिशिष्ट IX में दिया गया है।

मध्य क्षेत्र

111. मध्यप्रदेश :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 35 में कहा गया है कि नरसिंहपुर के उर्दू बोलने वालों ने एक उर्दू स्कूल को हिन्दी माध्यम वाले स्कूल में परिवर्तित करने तथा उसके नाम बदल देने के विरुद्ध शिकायत की थी। राज्य सरकार ने बताया है कि यह परिवर्तन उर्दू के माध्यम से पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में किया गया। नगरपालिका परिषद् उर्दू कक्षाएं फिर प्रारम्भ करने के लिए राजी थी और इसके लिए अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पाने के इच्छुक भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए रजिस्टर भी रखा गया था। स्कूल के नाम के परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा गया था कि जिसके नाम के साथ स्कूल का नाम जुड़ा हुआ था, वह अंग्रेज के राज्यकाल में अपने प्रतिक्रियावादी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए नगरपालिका परिषद् को यह पसन्द नहीं आया कि एक शैक्षिक संस्था ऐसे नाम के साथ जुड़ी रहे।

112. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि उर्दू भाषियों ने जिला अंजुमन इस्लामिया स्कूल टीकमगढ़ को सहायतानुदान बन्द करने के विरुद्ध शिकायत की थी। जांच-पड़ताल के बाद राज्य सरकार ने सूचित किया कि व्यवस्थापकगण स्कूल को ईमानदारी और निपुणतापूर्वक चला नहीं सके तथा वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी आदेशों को न मानने के कारण सहायतानुदान स्वीकृत या दिया नहीं जा सका। आगे यह भी कहा गया था कि मामले से संबंधित तथ्यों की जांच से उर्दू भाषियों के प्रति किसी प्रकार के पक्षपात या भेद-भाव का पता नहीं चला और समान परिस्थितियों में भाषाजात बहुमत वर्ग के लिए चलनेवाले स्कूल की भी हूबहू ऐसी ही दशा होती।

113. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित दो दूसरी शिकायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं भेजा है। ये इस सम्बन्ध में हैं :

(i) सिंधी जानने वाले अध्यापकों के सिंधी स्कूलों से अ-सिंधी स्कूलों में स्थानांतरित करने के कारण उन स्कूलों में सिंधी विद्यार्थियों की शिक्षा का बन्द होना; और

(ii) उमरिया (शहडोल) में सिंधी प्राथमिक स्कूल का न खुलना।

114. उत्तर प्रदेश :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यकों की शिकायत कि प्रवेश-पत्रों में मातृभाषा के स्तंभ के अभाव में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कठिनाइयां सहनी पड़ी थीं की आलोचना इस रिपोर्ट के परिच्छेद 65 और 66 में की गई है।

115. छठवीं रिपोर्ट के उसी परिशिष्ट में उल्लिखित दो दूसरी शिकायतों, गोरखपुर नगरपालिका द्वारा संचालित किसी भी प्राथमिक स्कूल में और देवरिया जिले के मदनपुरा गांव में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था का अभाव है—के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

पूर्वी क्षेत्र

116. आसाम :—जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है, आसाम प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि इस अधिनियम ने भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों के प्रबन्ध के अधिकार वस्तुतः छीन लिये। अनेक स्मरण पत्रों के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है।

117. राज्य सरकार ने राज्य विधान सभा के एक सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप—कि भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित 116 स्कूलों को राज्य सरकार का सहायतानुदान नहीं मिल रहा था—का उत्तर नहीं भेजा है। यह शिकायत राज्य सरकार के पास मई, 1963 में भेजी गई थी और छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 49 में भी इसका उल्लेख किया गया था।

118. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उन स्थानों में भी जहां वे बड़ी संख्या में सकेन्द्रित थे, केवल असमिया माध्यम के स्कूल चलाये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप अन्य भाषा-वर्गों के विद्यार्थियों के लिए इन स्कूलों में भर्ती होने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। यह मामला विशिष्ट उदाहरणों के साथ राज्य सरकार के यहां भेजा गया था किन्तु इस रिपोर्ट के तैयार होने तक कोई सूचना नहीं मिली।

119. आयुक्त पुनः सुझाव देना चाहते हैं कि जहां कहीं राज्य सरकार के लिए विष्णुप्रिया मनीपुरी, ह्मार, दिमासा, ताई आदि जैसी भाषाओं/बोलियों में उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रबन्ध करना सम्भव न हो, तो सम्बद्ध स्थान या आदिम जाति समुदाय में से अध्यापक भर्ती किये जा सकते हैं ताकि वे विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पाठ समझा सकें।

120. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है कि गौरीपुर दाजू पाठशाला (बंगला जूनियर बेसिक स्कूल) का प्रबन्ध-भार राज्य सरकार ले ले। इसकी मांग धुवड़ी के बंगला भाषियों ने की थी। बाद में आयुक्त को राज्य सरकार ने सूचित किया कि स्कूल का प्रबन्ध-भार राज्य परिषद् ने ले लिया है।

121. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है, बंगला भाषियों ने शिकायत की थीं कि बंगला भाषी शरणार्थियों के लाभार्थ सहायता एवं पुनर्वास विभाग द्वारा स्थापित किये गये स्कूल भी राज्य सरकार द्वारा असमिया माध्यम वाले स्कूलों में परिवर्तित कर दिये गये। राज्य सरकार ने अभी तक इस शिकायत के सम्बन्ध में अपना उत्तर नहीं भेजा है।

122. बिहार :—सिंहभूम जिले में उड़िया प्राथमिक स्कूलों की सख्या में भारी कमी का उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 57 में किया गया है। इस प्रश्न की आलोचना इस रिपोर्ट के परिच्छेद 74 में की जा चुकी है।

123. सिंहभूम जिले के मोसाबनी खनिज क्षेत्र के बंगला भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने 1963 में उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधायें अपर्याप्त होने की शिकायत की थी। इसका उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में किया गया था। उन्होंने शिकायत की कि कक्षा I से V तक प्रवेश में नियंत्रण था, फलस्वरूप करीब 54 बंगला भाषी विद्यार्थी स्कूल की सुविधायें नहीं पा सके। यह भी सूचना दी गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा समीप ही एक पूर्णांग हिन्दी स्कूल खोलने के बाद यह नियंत्रण थोपा गया था। इस मामले की ओर राज्य सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट किया गया और उन्होंने सूचित किया कि एक-एक अनुभाग कक्षा IV और V में खोले गये तथा जून, 1964 में कक्षा IV में दस और कक्षा 5 में आठ विद्यार्थी भर्ती किये गये।

124. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित उर्दू भाषियों की शिकायतों का राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है।

125. उड़ीसा :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है कि कालाहांडी जिले के 103 ग्रामों के निवासियों ने अपनी मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की मांग करते हुए अलग-अलग मांगें भेजीं। ये मांगें राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गयीं और उन्होंने सूचित किया कि हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा देने की बिलकुल मांग नहीं है, उल्टे लोग उड़िया माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पाना चाहते हैं। आगे यह भी कहा गया है कि लरिया जाति के लोगों ने, जो मुख्यतः इन गांवों के निवासी हैं, इच्छा व्यक्त की है कि वे हिन्दी प्राथमिक स्कूल नहीं चाहते हैं और लरिया उड़िया की एक बोली है।

126. राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया कि इन गांवों के निवासियों ने अपनी मांगों में कहा है कि लरिया छत्तीसगढ़ी से मिलती-जुलती है और हिन्दी का एक प्रभेद है। प्रस्तुत किये गये मांग-पत्रों के आधार पर आयुक्त का विचार है कि इन गांवों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा की बड़ी मांग है। मांगपत्रों में गांवों में हिन्दी भाषी परिवारों और बच्चों की संख्या सम्बन्धी जानकारी भी दी गई थी, इसे भी राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया था।

127. राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया गया था कि आयुक्त ने ऐसे विवादों को निपटाने के लिए सभी स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की

समिति ने भी उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया था। दुर्भाग्य से उड़ीसा सरकार ने अभी तक उन स्कूलों की संख्या नहीं बतलायी जहां वास्तव में रजिस्टर खोले जा चुके हैं।

128. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया था कि यद्यपि उड़ीसा शिक्षा संहिता में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी प्राथमिक स्कूल में 6 ऐसे विद्यार्थी होंगे तो उर्दू के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, किन्तु इसका कार्य रूप में पालन नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार ने सूचित किया कि यदि किसी प्राथमिक स्कूल के 6 विद्यार्थी उर्दू माध्यम से पढ़ने के इच्छुक होंगे तो अस्थायी रूप में एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की जावेगी और यदि 6 लड़के स्कूल में वास्तव में उपस्थित रहे तो तीन महीने के बाद वह नियुक्ति स्थायी कर दी जावगी।

129. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि उर्दू बोलने वालों ने प्रार्थना की थी कि जिला परिषदों द्वारा नये उर्दू प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए उर्दू शिक्षा सम्बन्धी विशेषाधिकारी की सिफारिशों को उचित महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने आयुक्त को सूचित किया कि ऐसी सिफारिशों पर हमेशा उचित ध्यान दिया जाता है।

130. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में निर्देशित तेलुगु बोलने वालों द्वारा उठाये गये आरोपों का भी उल्लेख किया जा सकता है--कि सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ गांवों में तेलुगु के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यद्यपि वहां के निवासी बहुत अधिक संख्या में तेलुगु भाषी थे। राज्य सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

131. पश्चिमी बंगाल :--छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 63 में उल्लेख किया गया था कि मुर्शिदाबाद नगर में उर्दू प्राथमिक स्कूलों के अभाव के बारे में शिकायत मिली थी। राज्य सरकार ने आयुक्त को सूचित किया है कि मुर्शिदाबाद नगर में राज्य सरकार द्वारा परिचालित नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन से संलग्न उर्दू अनुभाग (कक्षा I से IX तक) में उर्दू भाषी बच्चों को उनकी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था उपलब्ध है और उस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त है।

132. पश्चिम बंगाल के कई एक जिलों में हिन्दी और उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों के अपर्याप्त होने की शिकायत पर छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 65 और 66 में आलोचना की गयी थी। इस विषय से सम्बन्धित एक संदर्भ के उत्तर में राज्य सरकार ने विचार व्यक्त किया कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनेवाले स्कूलों की संख्या उस भाषा के बोलने वालों की जनसंख्या के अनुपात में न हो तो उस असमानता की इस तथ्य के आधार पर उचित कही जा सकती है कि उस भाषा के बोलने वाले लोगों ने ऐसे स्कूलों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उर्दू और हिन्दी भाषियों की एक बड़ी संख्या जीविका उपार्जन करने के लिए आती है और उनमें से कुछ सामयिक मजदूर भी हो सकते हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या स्पष्टतः कम होगी, और उनमें से कुछ बच्चों को आर्थिक कठिनाइयों या अन्य कारणों से उनके माता-पिताओं द्वारा सब समय शैक्षिक सुविधाओं से लाभ उठाने की अनुमति नहीं मिलती होगी।

133. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि उर्दभाषियों ने शिकायत की थी कि स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए राज्य सरकार के परिपत्र के बावजूद कई स्कूलों में यह व्यवस्था नहीं की गयी। शिकायत में उनके नाम भी दिये गये हैं। यह मामला राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था, उनका उत्तर अभी तक नहीं मिला।

दक्षिणी क्षेत्र

134. आन्ध्र प्रदेश :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 68 में उल्लेख किया गया है कि उड़िया और तमिल भाषियों ने उड़िया/तमिल अध्यापकों के न नियुक्ति करने और इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाली कक्षाओं के बन्द किये जाने के विरुद्ध शिकायतें की थीं।

135. विशाखापटनम् के उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि गांग्रोग्राम केनेय पंचायत समिति प्राइमरी स्कूल में उड़िया छात्रों की पर्याप्त संख्या के रहते हुए भी उड़िया माध्यम से शिक्षा की सुविधायें नहीं दी जा रही थीं। शिकायत राज्य सरकार के पास भेज दी गयी, उन्होंने सूचित किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहां एक उड़िया शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दे दिया गया है।

136. श्रीकाकुलम जिले के पिछले दौरे के समय सहायक आयुक्त से उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर उड़िया स्कूलों/अनुभागों की संख्या अपर्याप्त थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि अग्रिम पंजीकरण के सिद्धान्त का जिसे कार्यान्वित करना राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था, पालन नहीं किया जा रहा था। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भाषाजात अल्पसंख्यकों का कोई भी प्रतिनिधि (शिक्षक और मुख्य अध्यापक-गण भी) ऐसे प्रावधान से परिचित नहीं था। राज्य सरकार द्वारा पूर्व-सम्मत निर्णयों के सत्वर कार्यान्वयन के लिए श्रीकाकुलम के जिला शैक्षिक अधिकारी और हैदराबाद में राज्य सरकार के अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया।

137. चित्तूर में राजकीय बेसिक स्कूल में तमिल अनुभाग के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत का उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि उक्त बुनियादी शिक्षण स्कूल अलाभकर होने के कारण अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था और जैसे ही पुनः आवश्यकता होगी पुनः प्रारम्भ कर दिया जायगा।

138. केरल :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि तमिल भाषाजात अल्पसंख्यकों ने, ए० ई० ओ० के कार्यालय को स्थान देने के लिए एक तमिल प्राथमिक स्कूल के प्रस्तावित स्थानान्तरण के विरुद्ध प्रतिवाद किया था। राज्य सरकार से इस विषय में लिखा-पढ़ी की गई, उन्होंने आयुक्त को सूचित किया कि ए० ई० ओ० मुन्नार के कार्यालय को उक्त स्कूल भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

139. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतें कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों की ओर से प्राप्त हुई थीं। हाल की स्थिति भी प्रदर्शित की गई है :—

(क) कुछ निश्चित क्षेत्रों में उनके पिछड़ेपन के कारण न्यूनतम संख्या (कक्षा में 10 या कुल मिलाकर 30/40) की छूट के लिए प्रार्थना।

राज्य सरकार ने सूचित किया कि निदेशक, शिक्षा विभाग, उपयुक्त मामलों में ऐसी छूट देने की क्षमता रखते हैं। न्यूनतम संख्या के अभाव में पांच स्कूलों की मान्यता हटा ली गई थी किन्तु बाद में उन्हें फिर चालू कर दिया गया। शिक्षकों तथा प्रबन्धकों को दैनिक उपस्थिति सुधारने का एक और अवसर दिया गया।

(ख) शिक्षा-सत्र के बीच में कुछ स्कूलों में कक्षा V हटा देना।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कक्षा V को जो 1963-64 में लोअर प्राइमरी स्कूलों में चालू था, एक वर्ष अर्थात् 1964-65 के लिए और चालू रखाने का आदेश जारी कर दिया गया था।

(ग) वानपुठाडाका के लोअर प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल के रूप में बढ़ा देने की प्रार्थना, अन्यथा स्थानीय छात्रों को 4 से 5 मील की दूरी तय करनी होगी।

राज्य सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

(घ) शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में न नियुक्त किया जाना और ये नियुक्तियां भी हर वर्ष अस्थायी रूप में की जाती हैं।

राज्य सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

140. मद्रास :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 76 में उल्लिखित सौराष्ट्रम भाषी भाषाजात अल्पसंख्यकों की मांग की चर्चा इस रिपोर्ट में पहले की जा चुकी है।

141. स्थानीय भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित आवडी के तेलुगु माध्यम के स्कूल को मान्यता नहीं दी जाने के बारे में जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 77 और 78 में उल्लेख किया गया था, राज्य के मुख्य सचिव से इस विषय पर और भी आलोचना हुई। उक्त आलोचना से यह बात प्रकट हुई कि स्थानीय अन्य स्कूलों में तेलुगु माध्यम से शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिये मुख्य सचिव सहमत हो गये कि उक्त स्कूल को राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश की प्रतीक्षा है।

142. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों की निम्नलिखित शिकायतों का राज्य सरकार का उत्तर नीचे दिया जा रहा है :—

(क) कलमंगलम् (होसुर तालुक) के निम्न प्राथमिक स्कल से तेलुगु अध्यापकों का स्थानान्तरण तथा उन रिक्त स्थानों की पूर्ति तमिल अध्यापकों द्वारा किया जाना।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वहां अब पर्याप्त शिक्षक हैं।

(ख) होसूर तालुक के तेलुगु अध्यापकों के सामूहिक रूप से स्थानान्तरण का अभियोग। इस कार्य का तेलुगु भाषी विद्यार्थियों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार के अनुसार ये आरोप सामान्य प्रकार के हैं। पंचायत संघ परिषदों के सभापति-गणही जिला विकास परिषदों के सदस्य हैं, और ऊपर उल्लिखित प्रकार के किसी भी मामले को किसी भी सभापति द्वारा परिषद् के सामने नहीं लाया गया।

143. मैसूर :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ठ VIII में उल्लेख किया गया है कि हलियाल (उत्तरी कनारा जिला) के मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि यद्यपि मराठी भाषी जनता का बहुमत था तो भी मराठी माध्यम से शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं था और मराठी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। हलियाल में मराठी माध्यम के स्कूलों/अनुभागों की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विवरण भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा है।

144. सितम्बर, 1963 में जब सहायक आयुक्त बेलारी गये तब उस क्षेत्र के तेलुगु और उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यकों ने, अपनी-अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत की थी। उनकी कुछ शिकायतें छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में दी गई हैं। बार-बार स्मरण पत्र भेजने पर भी राज्य सरकार ने, आयुक्त द्वारा जांच के लिए प्रेषित विविध आवेदन पत्रों का, उत्तर नहीं दिया।

पश्चिमी क्षेत्र

145. गुजरात :—सहायक आयुक्त के पिछले दौरे के समय, जेतपुर (राजकोट जिला) के सिंधी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की कि जिला स्थानीय बोर्ड द्वारा परिचालित सिन्धी प्राथमिक स्कूल जेतपुर में 350 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल पांच सिन्धी अध्यापक नियुक्त किए गए हैं जिससे सिन्धी भाषी विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि उस स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 307 और औसत उपस्थिति 256 थी। यह भी सूचना दी गयी कि स्वीकृत नौ जगहों में से सात पर अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी थी। दूसरे जिले से, एक प्रशिक्षित सिन्धी अध्यापक को स्थानान्तरण द्वारा लाने की चेष्टा की जा रही थी।

146. महाराष्ट्र :—अपनी मातृभाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं के अभाव का आरोप करते हुए कोंकणी भाषाजात अल्पसंख्यकों की शिकायत, जिसका उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 89 में किया है, की आलोचना इस रिपोर्ट के परिच्छेद 39 में हो चुकी है। आयुक्त आशा करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 350-क के प्रावधानों को कोंकणी भाषियों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।

147. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 91 में उल्लेख किया गया है कि विदर्भ क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में कोरकू आदिम जातियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी से मराठी में परिवर्तित की जाने की शिकायत की गयी थी। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मराठी को प्रारम्भ करने का निर्णय उस क्षेत्र के कुछ समाज सेवकों और आदिवासियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के पश्चात् किया गया था। यह जानने के लिए, कि क्या हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वालों की पर्याप्त मांग है या नहीं और भी जांच-पड़ताल की जा रही है।

148. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लिखित कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों की शिकायतें राज्य सरकार को भेज दी गई हैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। ये इन विषयों से सम्बन्धित थीं :—

(i) शोलापुर और उस्मानाबाद जिलों में कन्नड़ माध्यम के प्राथमिक स्कूलों की संख्या का अपर्याप्त होना।

(ii) प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं के लिए कन्नड़ पाठ्यपुस्तकों का अभाव।

(iii) बम्बई नगर निगम के अन्तर्गत कन्नड़ माध्यम के प्राथमिक स्कूलों की अपर्याप्त संख्या।

उत्तरी क्षेत्र

149. पंजाब :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि नेपाली (गोरखाली-खासकुरा) भाषाजात अल्पसंख्यकों ने मातृ भाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं के अभाव के विरुद्ध अभिवेदन किया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि व्यवस्थित रूप में नेपाली की शिक्षा आरम्भ कर देने के लिए धर्मशाला के जिला शैक्षिक अधिकारी को आदेश दिया गया है। जहां यह भाषा पढ़ाई जाती हैं, उन स्कूलों के नाम तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की सूचना की अभी तक प्रतीक्षा है।

150. राजस्थान :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में उल्लेख किया गया है कि राज्य के उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। नवीनतम स्थिति का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

(क) जयपुर के तेलीपाड़ा सरकारी प्राथमिक स्कूल में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हैं। यद्यपि वहां 115 उर्दू भाषी विद्यार्थी थे।

उक्त स्कूल में उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जा चुकी है। उस स्कूल में ऐसे 153 विद्यार्थी थे और तीन शिक्षक नियुक्त हो कर काम कर रहे थे।

(ख) राजकीय मिडिल स्कूल, बड़ी खाटू में उर्दू माध्यम की कक्षाएं आरम्भ करने की प्रार्थना।

यह कहा गया था कि उस स्कूल में उर्दू माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी तथा स्कूल में 52 उर्दू भाषी छात्र थे।

(ग) राजकीय मिडिल स्कूल, खुनखुड (जिला नागौर) में उर्दू माध्यम से पहली से पांचवीं कक्षा तक शैक्षिक सुविधाओं का अभाव।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उर्दू भाषी विद्यार्थियों की संख्या कक्षा I, II, III, IV और V में क्रमशः 3, 5, 5, 13 और 6 थी, चूंकि कक्षा I, II और III में विद्यार्थियों की संख्या प्रति कक्षा में 5 से अधिक नहीं थी, इसलिए स्कूल में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करना कठिन था। राज्य सरकार ने उसके उपरान्त कहा कि प्रथम, तीन कक्षाओं में उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सीधा कक्षा IV में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई आरम्भ करना संभव नहीं था।

(घ) अलीगढ़ की जामिया उर्दू द्वारा परिचालित विभिन्न उर्दू परीक्षाओं को राज्य सरकार द्वारा मान्यता।

राज्य सरकार ने अंजुमन-ए-तरक्की-ए उर्दू को निर्दिष्ट प्रस्ताव भेजने के लिए सुझाव दिया ताकि इस विषय में आगे कार्रवाई की जा सके।

(ङ) झुनझुनू जिले के सिरियासार, नुआ, खिदरसार, ठनुरी, विसाऊ, भल्लीकार, निरयूम, जमात-उदयपुर, गुरा, भूलारा और खेतड़ी की पंचायत समितियों के अन्तर्गत स्कूलों में उर्दू के माध्यम द्वारा शैक्षिक सुविधाओं के लिए प्रार्थना। और ऊ...

इस विषय में राज्य सरकार परिषद् के सामने नहीं लाया गया।

151. नवम्बर, 1964 में जब सहायक आयुक्त राज्य में गये, नागौर के खत्रीपुरा और कुम्हारी गेट के राजकीय जूनियर बेसिक स्कूलों के निरीक्षण के बाद मालूम हुआ कि यद्यपि इन स्कूलों में उर्दू भाषी विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या और कुछ अध्यापक थे तथापि वहाँ उर्दू माध्यम से पढ़ाने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इस तथ्य की ओर नागौर के स्कूलों के निरीक्षक का ध्यान आकृष्ट किया गया, जो इन स्कूलों के निरीक्षण के समय सहायक आयुक्त के साथ थे। बाद में राज्य सरकार को भी इसकी सूचना दी गयी।

माध्यमिक शिक्षा

152. माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सम्मत परित्राणों के कार्यान्वियन की प्रगति का सारांश परिशिष्ट X में दिया गया है। भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या, जो मातृभाषा के माध्यम से और/या भाषा विषय के रूप में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परिशिष्ट XI में दी गई है। 1963-64 में समाप्त पिछले तीन वर्षों की ऐसी सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है।

अल्पसंख्यकों की भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में जब विद्यार्थी अपेक्षित संख्या में हों

153. भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि 1949 में हुए प्रादेशिक शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था परिकल्पित की :—

(क) यदि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न भाषा है, किसी क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोलने के लिए उचित प्रतीत हो तो उस प्रकार के स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संगठित या स्थापित इन स्कूलों को निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जायेगी।

(ख) सरकार उन सभी सरकारी और जिला परिषद् के स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं देगी, जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक-तिहाई छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करेंगे।

(ग) सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों के लिए भी इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार आवश्यक समझेगी यदि एक तिहाई छात्र इसकी मांग करें और उस क्षेत्र में भाषा विशेष में शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था न हो।

(घ) माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा अनिवार्य विषय रहेगी।

154. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति ने यह अनुभव किया कि "एक तिहाई का उल्लेख भाषाजात अल्पसंख्यकों और सरकार दोनों को ही दृष्टियों से असन्तोषजनक था, क्योंकि बड़े स्कूलों में पृथक अनुभाग खोलना आवश्यक और सम्भव हो सकता है, चाहे अनुपात का एक तिहाई से कम भले ही हो, जब कि छोटे स्कूलों में अनुपात एक-तिहाई से भले ही अधिक हो, ऐसे अनुभाग अधिक खर्चीले हो सकते हैं और इस कारण अव्यावहारिक भी। अन्त में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि जहां ये सुविधाएं विद्यमान न हों वहां उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्रम की अन्तिम चार कक्षाओं में कम से कम 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में कम से कम 15 छात्रों का होना आवश्यक समझा

जायेगा परन्तु पहले चार वर्षों में प्रत्येक कक्षा में 15 की संख्या पर्याप्त होगी। 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस निर्णय को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति ने भी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति द्वारा किये गये निर्णयों के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर सभी राज्य सरकारों (दक्षिण क्षेत्र के राज्यों को छोड़ कर) का ध्यान आमन्त्रित किया।

155. मध्य प्रदेश की सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा या सिंधी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं के प्रावधान पर वास्तव में सही आवेदन आने पर विचार किया जायेगा। जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 102 में उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार ने, विद्यार्थियों को न्युनतम संख्या, जिसके आधार पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा, निर्धारित करना जरुरी नहीं समझा।

156. राज्य सरकार का उक्त मत अखिल भारतीय स्तर पर किये गये निर्णय के अनुरूप नहीं है कि प्रत्येक स्कूल में मातृभाषा के माध्यम से जो स्कूल की शिक्षा की सुविधायें दी जायेंगी, जहां उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्रम की अन्तिम चार कक्षाओं में कुल मिलाकर कम से कम 60 छात्र होंगे या प्रत्येक कक्षा में कम से कम 15 छात्र होंगे। जब सहायक आयुक्त ने राज्य की यात्रा के समय इस विषय में राज्य के सरकारी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया तो यह तय हुआ था कि मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा और राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी।

157. उत्तर प्रदेश में कुछ स्कूलों को छोड़कर (जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था है), सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम है, और माध्यमिक स्तर पर किसी भी अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार अभी तक राजी नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से यह जो सूचित किया गया था कि 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने उल्लेख किया था कि "मातृभाषा–सत्र शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता"।

158. 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिये गये वक्तव्य (परिशिष्ट IV) के परिच्छेद 3(ख) में निहित निर्णय में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में (मातृ-भाषा के प्रयोग की कमियों की ओर संकेत करते हुए व्यवस्था की गई है कि (प्रयुक्त भाषायें (माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में) संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी होनी चाहिए।" इसलिए दूसरी भाषाओं का बहिष्कार करके शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूल अपनी मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं कर सकते।

159. 1950 के आसाम सरकार के परिपत्र के अनुसार यदि कुछ स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या एक तिहाई से कम न हो जिनकी मातृभाषा असमिया से भिन्न हो तथा जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा चाहते हों तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् ने, नवम्बर, 1963 की बैठक में, इस बात का ध्यान रखा था कि अखिल भारतीय नीती के अनुसार यदि स्कूलों में जहां कक्षा VIII से लेकर XI तक कुल 60 लड़के हों या प्रारम्भ में सिर्फ 15 लड़के कक्षा VIII में हों तो छात्रों की मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं की संव्यवस्था की जानी चाहिये मालूम हुआ कि बाद में राज्य सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग को शोधित सूत्र अपनाने के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था। किन्तु इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक आयुक्त को इस सम्बन्ध में संशोधित आदेश प्राप्त नहीं हुए।

160. बिहार सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया कि यदि किसी स्कूल में कुछ छात्र संख्या का कम से कम एक तिहाई भाग हिन्दी से भिन्न कोई दूसरी भाषा बोलता है तो शिक्षा का माध्यम उस अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा होगी । नवम्बर, 1963 में हुई पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्रियों ने चालू अनुदेशों में संशोधन करना स्वीकार कर लिया था कि वे 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों (यदि किसी स्कूल में कम से कम 60 छात्र या माध्यमिक स्तर के सबसे निचली कक्षा में 15 छात्र हों तो मातृभाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रावधान) के अनुसार कर दें । जो हो, अभी तक यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने की सूचना है ।

161. जैसा, आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया जा चुका है, उड़ीसा में भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान है, जहां विद्यार्थियों को कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई उड़िया से भिन्न दूसरी भाषा बोलते हैं । 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनके निर्णयों का अनुसरण करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था, जिसके अनुसार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए यदि माध्यमिक स्तर की अन्तिम चार कक्षाओं में 60 विद्यार्थियों या निम्नतम कक्षाओं में प्रारम्भ में 15 विद्यार्थी हों । पूर्व क्षेत्रीय परिषद् ने भी यह अनुभव किया कि उड़ीसा सरकार को उक्त निर्णय कार्यान्वित करना चाहिए ।

162. बाद में, राज्य सरकार ने यह तर्क उपस्थित किया कि "पूर्व क्षेत्रीय परिषद् द्वारा सुझाई गई 15 छात्रों की संख्या हमारे राज्य के किसी एक हाई स्कूल की कक्षा की पूरी संख्या के प्रायः उसी एक तिहाई से बराबर आती है," इसलिए राज्य में वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी व्यवस्था में भले ही माध्यमिक स्तर की निम्नतम कक्षा में अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पाने के इच्छुक 15 से अधिक विद्यार्थी हैं, किन्तु यह संख्या माध्यमिक स्कूल के कुल छात्र संख्या के एक तिहाई से कम है तो अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें नहीं मिल सकेंगी । इसलिये राज्य सरकार से इस विषय में हुए निर्णय को कार्यान्वित करने का पुनः अनुरोध किया गया है जिसे 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया था ।

163. पश्चिम बंगाल में यदि किसी स्कूल की छात्र संख्या का एक तिहाई भाग उस भाषा में पढ़ने की इच्छा व्यक्त करे तो भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं का प्रावधान है । राज्य सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग को संशोधित सूत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कहा है, जिसके अनुसार स्कूल में 60 विद्यार्थी या निम्नतम कक्षा में 15 विद्यार्थी होने पर सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी । इस सम्बन्ध में वास्तविक कार्रवाई के विवरण की अभी तक प्रतीक्षा है ।

164. आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर की सरकारें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के पूर्व उल्लिखित निर्णयों को कार्यान्वित कर चुकी हैं ।

165. जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 110 में उल्लेख किया जा चुका है, महाराष्ट्र और गुजरात में माध्यमिक शिक्षा सामान्यतया गैर-सरकारी व्यवस्था के हाथों में है । भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रावधान इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर है । जहां तक राज्य के अधिकारियों का प्रश्न है, वे केवल सरकारी अनुदान स्वीकृत करते हैं, यदि कक्षा में उपस्थिति (महाराष्ट्र में कम से कम 30 और गुजरात में 15) का नियम पूरा हो जाता है । इन सुविधाओं की अपर्याप्तता की छठवीं रिपोर्ट में आलोचना की जा चुकी तथा दोनों सरकारों से भी कहा गया है । यदि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग अपने निजी स्कूल स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके बच्चों की संख्या भले ही अधिक हो, केवल गैर-सरकारी व्यवस्थापकों

द्वारा संचालित संस्थाओं में उपलब्ध माध्यमों द्वारा ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । अगस्त, 1964 में हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में जो यह प्रसंग उठाया गया था । महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के मुख्य मंत्रियों ने उस बैठक में सभी सरकारी और जिला परिषद के स्कूलों में भाषा जात अल्पसंख्यकों की मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की उपयुक्त व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया था बशर्ते कि विशेष भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के संबंधित विद्यार्थियों की संख्या कक्षा VIII से XI तक में कम से कम 60 या प्रारम्भ में कक्षा VIII में 15 हो । राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया प्रतीत नहीं होता ।

166. पंजाब में, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम सच्चर और पेप्सु भाषा सूत्र द्वारा परिचालित है । स्कूल के एक तिहाई विद्यार्थियों के इच्छा प्रकाश करने पर पंजाबी क्षेत्र में हिन्दी और हिन्दी क्षेत्र में पंजाबी माध्यम से शिक्षा पाने की सुविधा दी जाती है । इसी प्रकार की सुविधा के लिए उर्दू माध्यम के शिक्षा के लिए भी दी जाती है यदि स्कूल के एक तिहाई विद्यार्थी उर्दू पढ़ने की इच्छा प्रकट करते हैं । अक्तूबर, 1963 में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की सातवीं बैठक में पंजाब सरकार ने स्वीकृत सिद्धान्त को कार्यान्वित करना मान लिया था कि यदि कक्षा VIII से XI तक 60 विद्यार्थी हों या प्रारम्भ में कक्षा VIII में 15 विद्यार्थी हों तो सुविधा देनी पड़ेगी । ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

167. राजस्थान सरकार की भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुई । लेकिन सरकार ने अल्पसंख्यकों की भाषाओं में शिक्षा देने वाले गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान देने का निर्णय किया है ।

168. 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान सरकार से, सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में, जहां कक्षा VIII से XI में कुल मिलाकर 60 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हों या प्रारम्भ में कक्षा VIII में 15 हों, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें देनें के लिये अनुरोध किया गया था । नवम्बर, 1964 में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि पहले का निर्णय संशोधित कर दिया गया है और सरकारी स्कूलों में भी जुलाई, 1965 से सुविधा दी जायेगी ।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम-प्रयुक्त की जाने वाली भाषा

169. 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए वक्तव्य के परिच्छेद 3 (ख) में उल्लेख है :—

> "मातृभाषा सूत्र शिक्षा के माध्यम स्तर में पढ़ाई के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए पूर्णतया लागू नहीं हो सकता । इस स्तर पर छात्रों को अधिक उच्चशिक्षा दी जाती है जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें तथा उनको विश्वविद्यालय की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती हैं । अतः प्रयुक्त भाषाएं संविधान के अष्टम अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी होनी चाहिए । आसाम के पहाड़ी जिलों और पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में अपवाद हो सकता है—जहां विशेष प्रबन्ध किया जा सकता है ।"

1.70 शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध स्वीकृत शिक्षा के माध्यम, राज्य-राज्य में भिन्न है । किसी भी राज्य में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

171. मध्य प्रदेश में शिक्षण के स्वीकृत माध्यम हिन्दी, उर्दू, मराठी और अंग्रेजी थीं। अन्य माध्यमों वाले स्कूलों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न अनुदान ही। राज्य सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया कि केवल इस आधार पर शिक्षण का माध्यम माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अमान्य अल्पसंख्यकों की भाषा थी, अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को अनुदान से वंचित रखना, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध जाना प्रतीत होगा। पीछे राज्य सरकार ने सूचित किया कि बाद में शिक्षा परिषद् ने अष्टम अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा सिन्धी को भी मान्यता दे दी और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान से वंचित रखने का प्रश्न भी नहीं उठेगा।

172. आसाम के पहाड़ी जिलों में आदिम जातियों के भाषाओं के माध्यम से शिक्षण केवल मिडिल स्कूल तक ही है, क्योंकि ये उच्चस्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं समझी जाती। असमिया, हिन्दी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी द्वारा माध्यमिक शिक्षा दी जाती है। बिहार में ऐसी सुविधाएं हिन्दी, उर्दू, बंगला, उड़िया और संथाली के लिए उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा बंगला, हिन्दी, उर्दू, नेपाली, तेलुगु, गुजराती और उड़िया के माध्यम से दी जाती है, उड़ीसा में उड़िया, हिन्दी, तेलुगु, उर्दू और बंगला के माध्यम से।

173. दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में, आंध्र प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, उर्दू और हिन्दी के माध्यम से प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था है। केरल में ऐसी सुविधाएं मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी के लिए वर्तमान हैं। मद्रास में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं की व्यवस्था है। जब कि मैसूर में कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।

174. पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में, एस० एस० एस० परीक्षा के माध्यम में गुजराती, मराठी, हिन्दी, उर्दू और सिन्धी हैं। महाराष्ट्र में एस० एस० सी० परीक्षा के माध्यम मराठी, गुजराती, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलगु, बंगला और सिन्धी हैं।

175. पंजाब के कुछ विशेष क्षेत्रों में, माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं हिन्दी, पंजाबी और उर्दू के माध्यम से उपलब्ध हैं। राजस्थान में अभी ये सुविधाएं केवल प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध हैं।

176. सभी राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं में और सुधार करने की काफी गुंजाइश है। देश के बढ़ते हुए औद्योगीकरण और समय-समय पर निर्मित किए जाने वाले अनेक विकास कार्यों को दृष्टि में रखते हुए संचरणशील परिवारों की बड़ी संख्या को आश्रय देने तथा परिणाम स्वरूप भाषाजात अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि के लिए सभी राज्यों को तैयार रहना चाहिए। सारे देश में भाषाजात अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की विवेकपूर्ण तथा एकसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सभी राज्यों को शैक्षिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है।

177. सिन्धी भाषियों ने एकाधिक बार प्रतिवेदन किया है कि 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए वक्तव्य (ऊपर के परिच्छेद 169 में उद्धृत) के परिच्छेद 3(ख) से सिन्धी भाषा को छोड़ देना, सिन्धी भाषा के भविष्य को संकट में डाल देगा। चूंकि सिन्धी एक पर्याप्त विकसित आधुनिक भाषा है, यह अनुरोध किया गया था

कि इसे सभी राज्यों में अन्य भाषाओं के समान ही मान्यता मिलनी चाहिए । चूंकि सिन्धी, किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा नहीं है इसलिए जब तक इसे उन राज्यों में विशेष स्थान नहीं दिया जाता, जहां सिन्धी भाषी संकेन्द्रित हैं, न तो इस भाषा का रक्षण सम्भव होगा और न माध्यमिक स्तर पर सिन्धी के माध्यम से शैक्षिक सुविधा की व्यवस्था करना ही । यहां यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश' गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्राथमिक स्तर की शिक्षा सिन्धी के माध्यम से दी जा रही है । जब तक इस वर्ग के विद्यार्थियों की माध्यमिक स्तर पर सिन्धी के माध्यम से शिक्षा जारी रखने का आश्वासन नहीं दिया जाता, न केवल उनको शिक्षा की हानि होगी बल्कि इसकी पूरी संभावना है कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से आरम्भिक शिक्षा उनके लिए एक भार सिद्ध होगी । आयुक्त का सुझाव है कि शीघ्र भारत सरकार इस समस्या की, इन सभी पहलुओं से परीक्षा करे और इस देश की भाषाओं में सिन्धी को उसका उचित स्थान दे ।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अनुभागों का प्रावधान

178. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णयों (परिशिष्ट III) के परिच्छेद 6 में अंग्रेजी माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता की आलोचना हो चुकी है । 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन भी सम्मत था कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवस्था की जा सकती है । दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने 1–7–1958 को विद्यमान अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों/अनुभागों की स्थिति को निश्चित रूप से जानने के लिए तथा संचरणशील बच्चों की संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त सुविधाओं की निश्चित व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं ।मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उक्त प्रावधान सिद्धान्ततः स्वीकार कर दिया है और स्थिति का निश्चित पता लगाने के लिए आदेश दे दिए हैं । अन्य राज्य सरकारों ने न तो इस विषय में हुए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के नियमों को स्वीकार कर लेने का कोई संकेत दिया है और न उनके राज्यों में वर्तमान स्थिति को निश्चित रूप से जानने के लिए आदेश जारी किये हैं ।

सुविधाओं में कमी किए बिना जारी रखना

179. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विद्यमान सुविधाओं में कमी न होने पावे, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया था कि 1–11–1956 को विद्यमान भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए अलग माध्यमिक स्कूलों/अनुभागों, विशेष रूप से विद्यार्थियों की संख्या, पढ़ाई की सुविधाओं तथा अध्यापकों की संख्या को निश्चित रूप से मालूम करना चाहिए और बिना परिवर्तन किए उसे बनाए रखाना चाहिए, राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों के बिना किसी एक भी सुविधा की कमी नहीं की जानी चाहिए ।और यदि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो तो और सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

180. राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति ने भी अपनी पहली बैठक में इच्छा प्रकट की थी कि उक्त सूचना एकत्रित की जानी चाहिए ताकि समिति परिस्थिति का निरपेक्ष मूल्यांकन कर सके ।

181. आयुक्त को इसका खेद है कि अभी तक बहुत से राज्यों द्वारा अभीष्ट कार्रवाई नहीं की गयी ।

माध्यमिक स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण

182. आयुक्त ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर की भांति माध्यमिक स्कूलों में भी भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था, ऐसी मांगों का तटस्थ भाव से अंदाज लगाने के लिए, की जानी चाहिए । यह मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के वर्तमान प्रावधान की पर्याप्तता या अपर्याप्तता सम्बन्धी विवादों को समाप्त कर देगी ।

183. मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों ने उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करना स्वीकार किया है । आशा की जाती है कि शेष राज्यों की राज्य सरकारें भी ऐसा ही करेंगी ।

त्रिभाषी सूत्र का अंगीकरण

184. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राणों पर दिए 1956 के भारत सरकार के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर तथा इस विषय में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा गृहीत प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ताकि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाई जाने वाली प्रस्तावित तीन भाषाओं में से एक के स्थान पर अपनी मातृभाषा को वैकल्पिक रूप में पढ़ सकें ।

185. 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सरलीकृत त्रिभाषी सूत्र में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इस सूत्र के अन्तर्गत (क) 'छात्र को प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा सीखनी पड़ेगी और यदि मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न हो' ।

186. जब कि 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों ने संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही मातृभाषा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम होने की सीमा रखी है, सरलीकृत त्रिभाषी सूत्रके अन्तर्गत मातृभाषा के भाषा विषय के रूप में अध्ययन पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इस सूत्र में "मातृभाषा" शब्द का अर्थ, अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से अधिक व्यापक है ।

187. सरलीकृत त्रिभाषी सूत्र तथा राज्यों द्वारा अनुसृत भिन्न-भिन्न भाषा-सूत्र परिशिष्ट X में दिए गए हैं ।

188. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, केरल, पंजाब और राजस्थान द्वारा अनुसृत भाषा-सूत्रों में "मातृभाषा" शब्द को स्थान नहीं मिला है ।

189. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है, जब कि मध्यप्रदेश में विद्यार्थी संस्कृत अथवा नौ निर्दिष्ट भाषाओं में से कोई एक तृतीय भाषा के रूप में ले सकता है, उत्तरप्रदेश में ऐसी भाषाएं (केवल कक्षा VI से VIII तक पढ़ाई जाएंगी) संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से कोई भाषा होनी चाहिए । राजस्थान में अष्टम अनुसूची में उल्लिखित किसी दूसरी भाषा के शिक्षण के लिए पूर्व अनुमति जब तक नहीं ली जावे, तीसरी भाषा संस्कृत होगी । इन तीनों राज्यों में प्रथम भाषा प्रादेशिक भाषा (हिन्दी) है ।

190. उड़ीसा, केरल और पंजाब में विद्यार्थी निर्दिष्ट भाषाओं में से एक ले सकते हैं, जो यह आवश्यक नहीं कि उनकी मातृभाषा ही हो। गुजरात और मैसूर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मातृभाषा अंग्रेजी मान ली जाती है, हालांकि वास्तव में इसके विपरीत भी हो सकता है। 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का निर्णय भी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के एक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रावधान करता है और इस तरह भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी ऐसे स्कूलों में पढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं, बिना यह स्वीकृति दिये कि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी मान ली जाय।

191. राज्यों द्वारा भिन्न सूत्रों का अनुसरण किये जाने तथा त्रिभाषी सूत्र की अवहेलना करने से कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिनकी आलोचना विस्तारपूर्वक छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 130 से लेकर 140 में की गई है। 1963 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रिभाषी सूत्र कार्यान्वयन समिति ने विचार प्रकट किया था कि "यह आवश्यक है कि राज्यों में त्रिभाषी सूत्र का कार्यान्वयन इस प्रकार हो जिससे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भाषाओं के स्थान, पाठ्यक्रम में मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा के सिवाय अन्य भाषाओं के चयन और प्रवीणता के स्तर के लक्ष्य के बारे में अधिकाधिक मात्रा में समरूपता प्राप्त की जा सके।"

192. समिति ने आगे कहा है कि त्रिभाषी सूत्र के "हिन्दी भाषी राज्यों में कार्यान्वयन के प्रसंग में यह सोचा गया था कि तीसरी भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक होनी चाहिए। प्राचीन भाषा की शिक्षा किसी आधुनिक भारतीय भाषा के बदले में नहीं होनी चाहिए, किन्तु सम्मिलित पाठ्यक्रम के अंग या ऐच्छिक विषय के रूप में हो सकती है।" इस से यह स्पष्ट है कि त्रिभाषी सूत्र के अन्तर्गत स्वतंत्र विषय के रूप में एक प्राचीन भाषा के अध्यापन की व्यवस्था इस विषय में हुए निर्णय की भावना के अनुरूप नहीं है। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाएंगे जिससे भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृ भाषाओं के बदले प्राचीन भाषाएं न पढ़ाई जायें यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह संकेत करने पर कि राजस्थान में विद्यार्थियों को आधुनिक भारतीय भाषाओं के बदले संस्कृत लेने की अनुमति अभी भी दी जाती है, राजस्थान के मुख्य मंत्री, नवम्बर, 1964 में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य में त्रिभाषी सूत्र को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुए।

193. मातृभाषा को भाषा विषय के रूप में लेने की सुविधाओं का प्रावधान स्पष्टतः उसे पढ़ने वाले छात्रों की निश्चित संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि जब कभी किसी कक्षा में पांच विद्यार्थी होंगे तो तीसरी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था की जायेगी। यह वांछनीय प्रतीत होता है कि सभी राज्यों को कुछ ऐसी संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए जिसकी पूर्ति के बाद मातृभाषा के अध्ययन का प्रावधान किया जा सके।

194. परिशिष्ट X में दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के बाद यह भी अनुभव किया गया कि जिन राज्यों ने मातृभाषा के चयन को अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित रखा है, उन्हें अविलम्ब ये प्रतिबन्ध हटा देने चाहिएं जिससे सिंधी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं भी ली जा सकें।

भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अध्यापक

195. अल्पसंख्यकों की भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव की बात का उल्लेख आयुक्त के सभी रिपोर्टों में किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों से भी यह ज्ञात हुआ है कि इस कमी को भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सुविधायें न देने में एक कारण बताया गया है। जब तक राज्य सरकारों द्वारा कुछ उपायों का अवलम्बन नहीं किया जाता जिससे आवश्यकतानुकूल ऐसे अध्यापकों का पाना निश्चित किया जा सके, ऐसी स्थिति आ सकती है जब अल्पसंख्यक भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलेंगे।

196. इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए आयुक्त ने समय समय पर निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:—

(1) अध्यापक पड़ोस के राज्यों से भर्ती किए जा सकते हैं।

(2) अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग संस्थाएं खोली जायें या वर्तमान संस्थाओं में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जायें।

(3) पड़ोस के राज्यों की सरकारों के साथ आदान-प्रदान के आधार पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा सकती है।

197. अलग अलग राज्यों में विभिन्न वेतन मान तथा सेवा की शर्तों के कारण पहला सुझाव कार्यरूप में व्यावहारिक नहीं साबित हुआ। अन्य दो सुझावों का कुछ राज्यों में अभी भी परीक्षण हो रहा है। आगे के परिच्छेदों में विभिन्न राज्यों की स्थिति का वर्णन है।

मध्य क्षेत्र

198. मध्य प्रदेश :—अल्पसंख्यकों की भाषाओं में सिर्फ उर्दू और मराठी के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है। राज्य सरकार के सबसे अन्तिम सूचना के अनुसार गुजरात सरकार सिंधी अध्यापकों को गुजरात की सिंधी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने के लिए राजी हो गई थी। शर्तें परीक्षाधीन हैं।

199. उत्तर प्रदेश :—आयुक्त के सुझावों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विचार प्रेषित नहीं किये हैं। किन्तु उन्होंने आयुक्त को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भाषा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि उर्दू माध्यम के स्कूलों में किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक उसे उर्दू में उपयुक्त योग्यता और हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान न हो। यदि "उपयुक्त योग्यता' शब्दों का अर्थ प्रशिक्षित शिक्षक भी समझा जाय, राज्य सरकार उर्दू माध्यम से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों को पर्याप्त संख्या में प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के विषय में मौन रही है।

पूर्वी क्षेत्र

200. आसाम :—अलग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गयी हैं एवं ऐसी संस्थाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार दिया गया था :—

भाषा	प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या
बंगला .	4
गारो .	3
खासी .	2
लुशाई .	3

इनके अतिरिक्त बोर्डो और मनीपुरी के लिए भाषा-अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रशिक्षित अध्यापकों के सम्बन्ध में स्थिति संतोषजनक नहीं थी। माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 20 प्रतिशत और प्राथमिक स्कूलों में 30 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थे।

201. बिहार और उड़ीसा :—इन दोनों राज्यों में उर्दु ही एकमात्र अल्पसंख्यकों की भाषा है जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सुविधायें वर्तमान हैं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों वाले स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के समय इस पर ध्यान रखा जाता है कि ऐसे अध्यापक अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम में पढ़ाने के योग्य हों। किन्तु वे विधिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रशिक्षण को सुविधायें देने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षण के मल सिद्धान्त लगभग सबके लिए एक ही है। उड़ीसा के तेलुगु अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आन्ध्र प्रदेश में प्रारम्भिक स्तर के प्रशिक्षण स्कूलों में दस और माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण स्कूलों में तीन जगहें आंध्र प्रदेश के उतनी ही संख्या में उड़िया अध्यापकों के प्रशिक्षण के बदले में प्रशिक्षण के लिए आरक्षित हैं।

202. पश्चिम बंगाल :— हिन्दी और नेपाली भाषाओं के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधायें वर्तमान है। माध्यमिक स्तर के सभी प्रशिक्षण स्कूलों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। किन्तु, जैसे ही और जब भी आवश्यक होगा राज्य सरकार अलग शिक्षक प्रशिक्षण संस्था खोलने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा का माध्यम हों।

दक्षिणी क्षेत्र

203. आन्ध्र प्रदेश :— तमिल, मराठी और उर्दु भाषाजात अल्पसंख्यक अध्यापकों और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भी पृथक प्रशिक्षण संस्थाए हैं। उड़ीसा सरकार के साथ, आदान-प्रदान की व्यवस्था के आधार पर, उड़िया अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात का उल्लेख ऊपर हो चुका है। कन्नड़ अध्यापकों के लिए इसी तरह की व्यवस्था की बात मैसूर सरकार के साथ चल रही है।

204. केरल :—माईपादी बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में 50 प्रतिशत जगहें कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। राज्य सरकार ने, किन्तु, मन्तव्य प्रकट किया है कि इस संस्था में प्रशिक्षण पाने के लिए पर्याप्त संख्या में कन्नड़ विद्यार्थी

नहीं आ रहे हैं, ठीक यही हालत कालीकट नरसरी प्रशिक्षण स्कूल की भी थी। नेय्यटिन्करा और चित्तूर के प्रशिक्षण विद्यालयों में भी, जहां तमिल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, इसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। पड़ोस के राज्यों में अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के प्रश्न पर भी राज्य सरकार विचार कर रही थी।

205. तेलुगु, मलयालय और उर्दु भाषाओं में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं। कन्नड़, गुजराती, हिन्दी और मराठी भाषाओं के अध्यापकों की पृथक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार ने आवश्यक नहीं समझा क्योंकि वहुत कम संख्या में मांग थी।

206. मैसूर :—मैसूर सरकार ने अपने राज्य में वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराया है। राज्य सरकार ने इसका उल्लेख नहीं किया कि अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिलें यह सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त के सुझावों के सम्वन्ध में उन्होंने क्या विचार किया है। जो हो, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि एक अध्यापक को गैर-भाषा विषयों को किसी एक विशेष भाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए योग्य समझना चाहिए यदि उसय कम से कम अपनी एस0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा में उस भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा हो या उसने इस परीक्षा के लिए उस भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो।

पश्चिम क्षेत्र

207. गुजरात :—सिंधी और उर्दू भाषाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सुविधायें उपलब्ध हैं। मराठी के अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र भेजे जाने की सूचना दी गई थी।

208. महाराष्ट्र :—उर्दू, हिन्दी, गुजराती और तेलुगु अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। कन्नड़ और सिंधी अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए क्रमशः मैसूर और गुजरात भेजे जाने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार मे तमिल, मलयालम और बंगला प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पृथक संस्थायें या प्रशिक्षण स्कूल खोलने में अपनी असमर्थता प्रकट की। माध्यमिक स्कूलों के सम्वन्ध में राज्य सरकार ने मन्तव्य किया कि सम्वन्धित प्रवन्धक समितियां अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षण के लिये पड़ोस के राज्यों में भेज सकती हैं या प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति बाहर से कर सकती है।

उत्तरी क्षेत्र

209 पंजाब :—हालांकि राज्य सरकार स्वीकार करती है कि उर्दू जानने वाले अध्यापकों की मांग है, उनका विचार है कि इस भाषा में प्रशिक्षण की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, करण अध्यापकों की बड़ी संख्या उस माध्यम के द्वारा प्रशिक्षित की जा चुकी है। राज्य सरकार ने आगे मंतव्य किया है कि सरकार उर्दू जानने वाली अध्यापिकाओं की प्राप्ति में होने वाली संभावित कठिनाई को दूर करने के लिए कारवाई कर रही है। राज्य सरकार से और जानकारी की प्रतीक्षा है।

210. राजस्थान :—राजस्थान सरकार, अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पृथक सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझती है। उनके कथनानुसार अध्यापक किसी भाषा में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाते हैं बल्कि उन्हें शिक्षण-कला सिखलाई जाती है, जो सभी भाषाओं के लिए समान है। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं हुई है।

अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें

211. देश के विभिन्न भागों की यात्रा के समय सहायक आयुक्तों को जो आम शिकायत मिली वह थी : भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उनकी मातृभाषा में पुस्तकों के उपलब्ध न होने के कारण बड़ी बाधा का शिकार हो रहे थे। 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के वक्तव्य के परिच्छेद 4 में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की महत्ता पर जोर दिया गया था। सम्मेलन ने यह भी सुझाया कि केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करना चाहिए। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हिन्दी (कक्षा IX से XI तक के लिए), इतिहास (कक्षा III से XI तक के लिए), गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी-विज्ञान, भूगोल, वाणिज्य, तकनीकी और कृषि-विज्ञान पर किताबें, भारत सरकार द्वारा तयारी की भिन्न स्थितियों में थीं। जहां तक आयुक्त को ज्ञात है इनमें से कोई भी पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

212. राज्य सरकार ने या तो पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीकरण की योजना बनायी है या कुछ मामलों में अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए उन राज्यों से जहां वे भाषाएं प्रादेशिक भाषाएं हैं, पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त परिवर्तन करके पुस्तकें अपनाना स्वीकार किया है। राष्ट्रीयकरण के मामले में एक दूसरी शिकायत जिसकी ओर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया, वह है कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकें सिर्फ राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में ही प्रकाशित की जा रही थीं।

213. विभिन्न राज्यों में प्राप्त स्थिति नीचे दी जा रही है :—

मध्य क्षेत्र

214. मध्य प्रदेश :—प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। मराठी भाषा की पांच पुस्तकों और तीन मराठी में गणित की तीन किताबों के प्रकाशित होने की सूचना मिली थी। अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए राज्य सरकार राज्य के बाहर से पुस्तकें चुनने का इरादा कर रही है। आगे की प्रगति का पता नहीं है।

215. उत्तर प्रदेश :—बेसिक रीडरें, पांचवी कक्षा तक के उपयोग के लिए गणित और सामान्य विज्ञान की एक पुस्तक, राज्य सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की गई हैं। अन्य किसी अल्पसंख्यक भाषा के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पूर्वी क्षेत्र

216. आसाम :—आसाम सरकार ने पहले सूचना दी थी कि पुस्तकों का विभागीय प्रकाशन क्रमशः हाथ में लिया जा सकता है। प्रचलित पद्धति थी : गैर-सरकारी लेखकों/प्रकाशकों से पुस्तकें मंगवाना और उनको पाठ्य पुस्तक समिति की सिफारिशों पर के आधार निर्धारित करना।

217. विहार:—विहार सरकार का एक पाठ्य पुस्तक निगम गठन करने का विचार है। उर्दू और बंगला में सभी विषयों और सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। उड़ीसा म प्रयुक्त उड़िया किताबों को विहार पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी उपयुक्तता के संबं में राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही थी।

218. उड़ीसा :—जून, 1963 में उड़ीसा सरकार ने सूचना दी कि उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करने का प्रश्न पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या समिति के विचाराधीन था। इस विषय में आगे क्या प्रगति हुई यह मालूम नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित नहीं किया कि विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं की आवश्यक पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में वह क्या कार्रवाई करने जा रही है।

219. पश्चिम बंगाल:—बंगाल सरकार की हाल की सूचना के अनुसार प्राथमिक स्तर की भाषा विषयों की तथा गणित, भूगोल और प्रकृति अध्ययन सम्बन्धी मुख्य पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। यह मालूम नहीं कि नेपाली और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में भी जिनके माध्यम से राज्य में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

दक्षिणी क्षेत्र

220. आन्ध्र प्रदेश :—प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण अपनाया गया है और क्रमशः एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा इस योजना द्वारा पूरी की जा रही थी। वास्तविक प्रगति की जानकारी नहीं दी गई है।

221. केरल :—राज्य सरकार की सूचनानुसार तमिल, कन्नड़, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। इन भाषा सम्बन्धी पुस्तकों के सिवाय तमिल भाषा में वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था की गई है। केरल में कन्नड़ भाषी छात्रों के लिए विशेष रुप से कन्नड़ पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही थीं। विज्ञान विषयों की पाठ्य पुस्तकें कन्नड़ भाषा में अनुदित की जा रही थी। अभी ये विषय अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाये जाते हैं।

222. मद्रास :—राष्ट्रीयकरण नीति के अन्तर्गत मद्रास सरकार ने सिर्फ अंग्रेजी और तमिल की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य ही हाथ में लिया है। स्कूलों की प्रवन्ध-समितियों द्वारा चुनी हुई पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक समिति की स्वीकृति से निर्धारित की जाती हैं।

223. मैसूर :—पाठ्य पुस्तक समिति अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठय पुस्तकें अनुमोदित करने के लिए प्रादेशिक प्रकाशकों/लेखकों से पुस्तकें भेजने के लिए कहती है। जब पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती, पाठ्य पुस्तक समिति के अनुमोदन से पड़ौसी राज्यों से विषयों तथा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं।

पश्चिमी क्षेत्र

224. गुजरात :—गुजरात सरकार ने भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति के बारे में अपनी कार्य-नीति की सूचना नहीं दी; उन्होंने संकेत किया है कि यदि भारत सरकार आदर्श पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत कराती तो वे राज्य में पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत कराने में वड़ी सहायक सिद्ध होतीं।

225. महाराष्ट्र :—गुजराती और कन्नड़ अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठय पुस्तकें पड़ोस के राज्यों में प्रचलित पुस्तकों में से निर्धारित कर दी जाती हैं। राज्य सरकार ने यह भी मन्तव्य किया कि पाठ्यचर्या में अंतर होने के कारण इन पुस्तकों को अपनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार ने अपना यह भी विचार अभिव्यक्त किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करने पर भी यह कठिनाई रहेगी।

उत्तरी क्षेत्र

226. पंजाब :—कक्षा I से VIII तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीकरण हो चुका है। भाषा जात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की पुस्तकों के सम्बन्ध में स्थिति की सूचना नहीं दी गई है।

227. राजस्थान :—अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का भार पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण बोर्ड को सौंप दिया गया है। कक्षा III से V तक के लिए उर्दू और पंजाबी में गणित, सामान्य विज्ञान और समाजशास्त्र-अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गैर-सरकारी प्रकाशकों और अन्य राज्य सरकारों की कुछ पुस्तकें भी निर्धारित की गई हैं। नवम्बर, 1964 में जब सहायक आयुक्त राज्य में गये, सरकारी पदाधिकारियों ने उन्हें सूचना दी कि बोर्ड ने भाषाजात अल्पसंख्यकों के उपयोग के लिए विविध भाषाओं में राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के अनुवाद का कार्य पूरा कर लिया था। उस समय यह भी सूचना मिली कि गुजाराती और सिंधी पुस्तकों को छापने के लिए दिये गये टैंडरों का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अन्त में राज्य सरकार ने आयुक्त से निवेदन किया कि इस कार्य के हेतु वे प्रकाशकों पर अपने प्रभाव का उपयोग करें। टेंडर नोटिसों की नकलें, गुजरात सरकार तथा अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की गयीं।

अन्य शैक्षिक मामले

228. इस अध्याय के पिछले परिच्छेदों में विवेचित समस्याओं के अलावा शैक्षिक कार्यकलापों से संवन्द्ध कुछ और विषय हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं।

229. विभिन्न राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों की एक बहुत ही आम शिकायत यह है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा परिचालित पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों में अल्पसंख्यक भाषाओं में पुस्तकें और पत्रिकाएं प्राय: उपलब्ध नहीं होती। आयुक्त राज्य सरकारों को सुझाव देते हैं कि वे इन स्वायत्त-संगठनों से उनके क्षेत्रों में रहने वाले भाषाजात अल्पसंख्यकों के कल्याण में अधिक दिलचस्पी लेने के लिए अनुरोध करें।

230. केरल के कासरगोड तालुक के कन्नड़ अल्पसंख्यकों ने आयुक्त को सूचित किया कि 500 आवेदकों में से केवल 240 को कासरगोड के राजकीय महाविद्यालय की पी० यू० सी० कक्षा में प्रवेश मिला। शेष प्रार्थियों को अन्य किसी संस्था में प्रवेश नहीं मिल सका क्योंकि उनकी दूसरी भाषा कन्नड़ थी। यह भी सूचित किया था कि मैसूर के कालेजों ने इस आधार पर इन लड़कों को भर्ती करना अस्वीकार कर दिया कि केरल सरकार ने मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा केरल की एस० एस० एल० सी० परीक्षा की मान्यता के लिए अनुरोध नहीं किया। परिस्थिति बिगड़ती गयी और भाषाजात अल्पसंख्यकों ने सत्याग्रह की धमकी दी तथा उन्होंने आयुक्त से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया।

231. आयुक्त ने केरल और मैसूर के मुख्य मंत्रियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से पत्र व्यवहार किया। इसके फलस्वरूप मैसूर विश्वविद्यालय ने राज्य के कालेजों को कासरगोड के छात्रों को पी० यु० सी० पाठ्यक्रम में दाखिल करने के लिए आदेश दिए। केरल सरकार ने भी राजकीय महाविद्यालय कासरगोड में स्थानों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी। तदनन्तर केरल सरकार ने सूचित किया कि प्रत्येक विद्यार्थी को, जिसने कालेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, प्रवेश मिल गया।

शिक्षा–आंकड़े : समीक्षा

232. राज्यों के विभिन्न जिलों में माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध स्तर शैक्षिक सुविधाओं का व्योरा परिशिष्ट XI में दिया गया है। 1963-64 में समाप्त पिछले तीन वर्षों की ऐसी सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है।

मध्य क्षेत्र

233. **मध्य प्रदेश** :–विद्यार्थियों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि के साथ, 1963-64 में उर्दू माध्यम के स्कूलों/अनुभागों की संख्या बढ़ी, किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में अध्यापकों की संख्या घट गयी। कुछ स्कूलों में जहां पिछले वर्षों में उर्दू, एक भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी, मांग की कमी के कारण वे अनुभाग बन्द कर दिये गये।

234. मराठी माध्यम के स्कूलों/अनुभागों की संख्या भी बढ़ी, किन्तु विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या कम हो गई।

235. गुजराती भाषा-विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। अध्यापकों की संख्या में भी अनुपातिक वृद्धि हुई।

236. यद्यपि सिंधी को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों और माध्यम लेने वाले छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ी अधिक थी, सिंधी अध्यापकों की संख्या में कमी हुई। आयुक्त का विचार है कि राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए तथा जरूरत के मुताबिक सिंधी अध्यापकों की बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

237. बंगला और पंजाबी भाषा की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

238. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 147 में उल्लेख किया गया था कि 1962-63 में उर्दू और मराठी माध्यम के स्कूलों और पृथक कक्षाओं की संख्या में कमी हो गई थी। जांच करने के बाद राज्य सरकार ने सूचित किया कि कुछ स्कूल और अनुभाग जहां उर्दू और मराठी भाषाएं केवल भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती थीं भूल से 1961-62 के लिए दी गई संख्याओं में शामिल कर दिए गए। यह भी ज्ञात हुआ कि उर्दू पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों की उपयुक्त संख्या में कमी के कारण, 1962-63 में भाषा विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई भोपाल (पश्चिम) के चार और भोपाल (पूर्व) के दो स्कूलों में बन्द कर दी गई।

इसी तरह, इन्दौर में मराठी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या, 1961-62 में दस से घट कर 1962-63 में आठ कर दी गई क्योंकि दो मिडिल स्कूलों की मराठी कक्षाओं को स्थान की कमी की दृष्टि से अन्य मराठी स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया गया।

239. **उत्तर प्रदेश** :—भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के माध्यम से माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने की सुविधायें राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के आंकड़े नहीं भेजे, अतः स्थिति का सही मूल्यांकन संभव नहीं किया जा सका। किन्तु बंगला, पंजाबी और गुजराती को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

पूर्वी क्षेत्र

240. **आसाम, बिहार और उड़ीसा** :—बार-बार स्मरण पत्र भेजने पर भी इन राज्यों ने 1963-64 साल के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे। 1962-63 साल के आंकड़े भी आसाम और बिहार सरकार से नहीं प्राप्त हुए। इसलिए भाषाजात अल्पसंख्यकों के परित्राणों को सम्मत योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति का अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ।

241. **पश्चिम बंगाल** :—भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्कूलों की (अनुभागों सहित) सुविधाओं में कमी नहीं हुई। इसके विपरीत, 1963-64 में कई स्कूल/अनुभाग और बढ़ाए गए। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में उर्दू विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, परन्तु अध्यापकों की संख्या में काफी कमी हुई है। इस कमी की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा आशा की जाती है कि उर्दू अध्यापकों की संख्या शीघ्र बढ़ा दी जायगी।

242. तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या घटी, साथ ही भाषा अध्यापकों की संख्या भी। आयुक्त आशा करते हैं कि राज्य सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी जिससे अध्यापकों के अभाव में तेलुगु विद्यार्थियों की शिक्षा को हानि न हो।

दक्षिणी क्षेत्र

243. **आन्ध्र प्रदेश** :—पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में, 1963–64 में उर्दू को भाषा-विषय के रूप में पढ़ाने वाले या उसको शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने वाले स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि लिखी। किन्तु शैक्षिक संस्थाओं में जहां उर्दू, भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी या शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहृत होती थी, अनुभागों की संख्या में पर्याप्त कमी दिखलायी पड़ी। उर्दू को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई। इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में तमिल के माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या में थोड़ी सी कमी हुई, यद्यपि इसी अवधि में तमिल को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। कन्नड़ के माध्यम से पढ़ने वाले तथा कन्नड़ को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई। मराठी और हिन्दी, शिक्षा के माध्यम के रूप में कुछ कम जनप्रिय होते प्रतीत हुए किन्तु इन्हें भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेख योग्य वृद्धि हुई। इन विषमताओं को राज्य सरकार के पास जांच के लिए तथा उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है। उसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

244. 1962-63 में उड़िया माध्यम से शिक्षा देने वाले पृथक अनुभाग 17 थे और विद्यार्थियों की संख्या 368 थी। 1963-64 में उनकी संख्या शून्य दिखलायी गई है। जब सहायक आयुक्त श्रीकाकुलम गये, उस जिले के उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की अपर्याप्त सुविधाओं के विरुद्ध शिकायत की। राज्य सरकार ने

भी अपने पहले की स्थिति दोहरायी; शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर किसी कक्षा में यदि कम से कम 15 या 45/60 विद्यार्थी अन्तिम 3/4 कक्षाओं में हों, भाषाजात अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें दी जायेंगी। यहां यह भी उल्लेख करने योग्य है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पाने वाले कुल 6,295 उड़िया विद्यार्थियों में से 5,910 छात्र अकेले श्रीकाकुलम जिले के हैं। इसलिए यह असम्भव सा प्रतीत होता है कि माध्यमिक स्तर पर किसी एक कक्षा में 15 छात्र या पूरे स्कूल में 45/60 छात्र, जिले के एक भी स्कूल में नहीं थे। जिला प्राधिकारियों द्वारा इस मामले की और भी जांच-पड़ताल की आवश्यकता है।

245. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 184 में उल्लेख किया गया था कि सन् 1962–63 में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या कम हो गयी थी, और उनको भी जहां उर्दू, उड़िया, हिन्दी भाषा विषय के रूप में पढ़ायी जाती थी। पृथक कक्षाओं की संख्या में भी कुछ कमी हो गई थी जहां ये भाषायें पढ़ायी जाती थीं। इन विषयों में राज्य सरकार के विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं।

245. केरलः—राज्य सरकार ने 1963–64 के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे। इसलिए इस वर्ष की प्रगति का विश्लेषण करना संभव नहीं था। 1962–63 के आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि 13 स्कूलों में भाषा विषय के रूप में कन्नड़ की पढ़ाई बन्द कर दी गई है। यद्यपि शिक्षा के माध्यम के रूप में सुविधा, और एक स्कूल तथा पांच पृथक अनुभागों में बढ़ी। विगत वर्ष की तुलना में कन्नड़ छात्रों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। अध्यापकों की संख्या में 18 की कमी हो गई थी।

247. मद्रासः—यद्यपि राज्य में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की सामान्य वृद्धि हुई, मलयालम के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या में पांच की कमी हो गई हालांकि ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ी। तेलुगु और कन्नड़ अध्यापकों की संख्या में भी काफी कमी हुई। इन मामलों की जांच हो रही है।

248. मैसूरः—राज्य सरकार ने, 1963–64 के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे हैं। इनके अभाव में, वर्ष में हुई प्रगति का मुल्यांकन करना संभव नहीं था। 1962–63 के आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि दो तमिल माध्यम के स्कूल बन्द कर दिये गये तथा हिन्दी को भाषा विषय के रूप में पढ़ाने वाले 127 स्कूल भी बन्द कर दिये गये। अनुभागों की संख्या में भी जहां सभी अल्पसंख्यक भाषाएं भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती थीं, चतुर्दिक कमी हुई। तमिलमाध्यम से पढ़ने वाले छात्रों और उर्दू, मराठी, हिन्दी को भाषा विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी कमी हुई। किन्तु आंकड़ों की मुख्य विशेषता थी—सभी अल्पसंख्यक भाषाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या में कमी। विभिन्न जिलों में घटित कमी की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। उनके उतर की प्रतीक्षा है।

249. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 199 में उल्लेख किया गया था कि उर्दू और तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि इन भाषाओं के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के अनुभागों में भर्ती होने को बाध्य हुए। शिकायत की गयी थी कि यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा तेलुगु और उर्दू में पाठ्य पुस्तकें नहीं प्रकाशित करने के वजह से उत्पन्न हुई। स्थिति के और भी बिगड़ने की संभावना है, यदि इन भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले योग्य अध्यापकों की संख्या क्रमशः कम होती गई। आयुक्त आशा करते हैं कि राज्य सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी।

पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र

250. गुजरात/महाराष्ट्र/पंजाब:—बार-बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद, इन तीनों राज्य सरकारों ने, 1961–62, 1962–63 और 1963–64 के किसी भी वर्ष के सांख्यिक आंकड़े नहीं भेजे हैं। इन राज्यों में सहायक आयुक्त के दौरे के समय सरकारी अधिकारियों को इन आंकड़ों की महत्ता से अवगत कराया गया था। अतएव, इन राज्यों में निवास करने वाले भाषाजात अल्प-संख्यकों के लिए सम्मत परित्राण योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को आंकना संभव नहीं हुआ। आयुक्त आशा करते कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारें इन आंकड़ों को शीघ्र भेजने के लिए कार्रवाई करेंगी ताकि वे राष्ट्रपति की सेवा में प्रेपित अपनी अगली रिपोर्ट में इसे सम्मिलित कर सकें।

251. राजस्थान:—अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। यद्यपि छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई थी तथापि उन स्कूलों और अनुभागों की संख्या में जहां उर्दू भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी, इस वर्ष में एक-एक की कमी कर दी गयी।

शिकायतें

252. विभिन्न राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों का सार परिशिष्ट XIII में दिया गया है। निम्नलिखित बातें भी उल्लेखयोग्य हैं।

मध्य क्षेत्र

253. मध्य प्रदेश:—जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 149 में उल्लेख किया गया है कि सिंधी भाषियों ने माध्यमिक स्तर पर सिंधी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अस्वीकृत करने के विरोध में आवेदन दिया था। इस रिपोर्ट में इसका पहले उल्लेख किया जा चुका है कि राज्य सरकार से इस प्रसंग पर लिखापढ़ी की गई थी, उन्होंने बताया कि अब इसके लिए सिंधी को मान्यता दे दी गयी है।

254. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 152 में उल्लेख किया गया था कि उर्दू भाषियों ने शिकायत की थी कि उर्दू उन स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती थी जिनमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त थी। सभी माध्यमिक स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजी करने के लिए रजिस्टर खोलने की आयुक्त की सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आशा की जाती है कि जब सभी स्कूलों में अग्रिम रजिस्टर खोल दिये जायेंगे तब यह विवाद कि किसी भाषा विशेष को पढ़ने के लिए पर्याप्त विद्यार्थी आते हैं या नहीं यह समाप्त हो जायेगा।

255. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित निम्न शिकायतों का अभी तक राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया है :—

(i) बैरागढ़ के मिडिल स्कूल में सिंधी छात्राओं को सीमित स्थान, अध्यापक तथा सामान के कारण प्रवेश नहीं देना।

(ii) सिंधियों द्वारा स्थापित तथा 1948 में राज्य सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त मिडिल सिंधी स्कूल, रतलाम को सहायक अनुदान न देना।

(iii) मिडिल सिन्धी स्कूल, रतलाम के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण, जिन्होंने संस्था को आरम्भ किया था तथा उनके स्थान में एक अ-सिन्धी व्यक्ति की नियुक्ति, यद्यपि बहु-संख्यक विद्यार्थी सिन्धी-भाषी थे ।

(iv) यह शिकायत की गयी थी कि अ-सिन्धी भाषी प्रधानाध्यापक ने स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार मिडिल सिंधी स्कूल रतलाम का नाम बदल दिया ।

(v) विगत तीन वर्षों से, 300 सिंधी विद्यार्थियों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बैरागढ़ में, सिंधी को भाषा विषय के रूप में लेकर पढ़ने से वंचित रखना ।

(vi) राजकीय सिंधी हाई स्कूल, इन्दौर में 23 अध्यापकों में से केवल तीन अध्यापक केवल सिन्धी जानने वाले थे । इस स्कूल के सिन्धी जानने वाले प्रधानाध्यापक के स्थान पर एक अ-सिन्धी व्यक्ति को रख दिया गया था ।

(vii) राजकीय हाई स्कूल, इन्दौर में शिक्षा का माध्यम, स्कूल के सिन्धी जानने वाले अध्यापकों का स्कूल से स्थानान्तरण करके, सिन्धी से हिन्दी करना ।

256. उत्तर प्रदेश:—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 154 से 157 में उल्लिखित सिंधी न पढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपने दृष्टिकोण में संशोधन नहीं किया है । वे ये थे (i) त्रिभाषी सूत्र (कक्षा VI से VIII तक) के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं से सिंधी का इस आधार पर बहिष्कार सिंधी संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित नहीं है । (ii) जो "आधुनिक योरोपीय भाषा" के अन्तर्गत अंग्रेजी लेते हैं उनके लिए हाई स्कूल परीक्षा में सिंधी लेने की सुविधा की इस तर्क पर समाप्ति कि सिन्धी "एक आधुनिक विदेशी भाषा" और अंग्रेजी के साथ रख दी गई है ।

257. राज्य सरकार द्वारा विकसित त्रिभाषी सूत्र से उत्पन्न होने वाली बाधाओं की आलोचना छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 132 और 133 में हो चुकी है । इस बीच राज्य सरकार ने इस विषय में अपने पहले के आदेशों में संशोधन कर लिया है । संशोधित आदेशों के अनुसार तृतीय भाषा कक्षा VI से VIII में पढ़ाई जायेगी, जहां-कहीं भी किसी कक्षा में कम से कम पांच विद्यार्थी अष्टम अनुसूची में उल्लिखित कोई एक भाषा पढ़ने के इच्छुक हों ।

258. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित उर्दू भाषियों की शिकायतों के सम्बन्ध में, सबसे हाल की स्थिति इस प्रकार है :—

(i) सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपराइच ; जैपुरिया इन्टर कालेज, गोरखपुर तथा राजकीय माडल स्कूल, आनन्दनगर में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था का न होना ।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि सहकारी इन्टर कालेज, पिपराइच, और आनन्द-नगर राजकीय माडल स्कूल, गोरखपुर में उर्दू की पढ़ाई जुलाई, 1964 से शुरू हो गई थी । एक अतिरिक्त अध्यापक की कमी और अपेक्षित विद्यार्थियों की संख्या के अभाव में जयपुरिया इन्टर कालेज, गोरखपुर उर्दू की पढ़ाई आरम्भ नहीं की जा सकी ।

(ii) "बहुसंख्या" में पसंद किसी तीसरी भाषा का चयन भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संकट डा देगा।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यदि किसी कक्षा में त्रिभाषी सूत्र के अन्तर्गत कम से कम पांच विद्यार्थी तीसरी भाषा पढ़ने के इच्छुक हों तो उर्दू भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था की जायेगी।

पूर्वी क्षेत्र

259. आसाम :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 160 से 166 तथा परिशिष्ट XII में उल्लिखित, जो 1963 में राज्य सरकार के पास भेजी गई थी, शिकायतों में से एक के भी विषय में राज्य सरकार ने विवरण नहीं भेजा है। ये इस सम्बन्ध में थीं :—

(i) भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को असमिया या बंगला के माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य किया जाना तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था का अभाव।

(ii) भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूलों के संचालन में "टाइप प्लान", जिसके अनुसार स्कूल प्रबन्ध समितियों के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का राज्य सरकार द्वारा नामांकन होगा, के लागू होने पर हस्तक्षेप की गुंजाइश।

(iii) नेपाली माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नेपाली भाषी छात्रों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं का अभाव।

(iv) काहिलीपाड़ा शरणार्थी बस्ती, गोहाटी में हाई स्कूल स्तर पर बंगला माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं का अभाव।

(v) निम्नलिखित बंगला माध्यम के हाई स्कूलों का असमिया माध्यम के स्कूलों में अभिकथित परिवर्तन :—

(क) हमीदाबाद हाई स्कूल,
(ख) साउथ सालामारा भवानीप्रिय हाई स्कूल,
(ग) सुखचर हाई स्कूल,
(घ) मानकचर हाई स्कूल,
(ङ) बागरीबाड़ी हाई स्कूल,
(च) गोलकगंज हाई स्कूल,
(छ) आगमणि हाई स्कूल,
(ज) हालकुरा हाई स्कूल,
(झ) रूपशी हाई स्कूल, और
(ट) अब्दुल हसीब हाई स्कूल।

(vi) भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और परिचालित निम्नलिखित स्कूलों को संविधान के अनुच्छेद 30(2) के प्रावधान के अनुसार सहायक अनुदान की व्यवस्था न करने का आरोप :—

(क) बारदोलोई मेमोरियल वास्तुहारा हाई स्कूल, लमडिंग,

(ख) कृष्णनगर हाई स्कूल, होजाई टाउन,

(ग) भालुकमारी हाई स्कूल, भालुकमारी,

(घ) राधानगर एम. ई. स्कूल, राधानगर,

(ङ) प्रणव विद्यापीठ, लमडिंग,

(च) पूर्व-लमडिंग एम. ई. स्कूल, लमडिंग,

(छ) नवासण विद्यापीठ, लमडिंग,

(ज) नेताजी विद्या निकेतन, लंका, और

(झ) हावेरगांव हाई स्कूल, नौगांव ।

(vii) विष्णुप्रिया मनीपुरी में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता की मांग ।

(vii) शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मनीपुरी (मेतेई) को शिक्षा के माध्यम के रूप में अस्वीकृति ।

(ix) मिशनरियों द्वारा मुद्रित हमार पाठ्य पुस्तकों की अस्वीकृति। यह प्रार्थना की गई थी कि राज्य सरकार हमार में पाठ्य पुस्तकें तयार करे तथा उस उस भाषा की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को भी स्वीकृत करे ।

(x) दिमासा जसी आदिम जाति वर्ग के विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर पांच भाषाएं सीखने के लिए वाध्य करना ।

(xi) भाषा सम्बन्धी कारणों के आधार पर हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां/वजीफों से वंचित रखना ।

(xii) पाठय -पुस्तक समिति में हिन्दी तथा खासी भाषी सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अभाव ।

(xiii) खासी विद्यार्थियों पर असमिया लिपी के लादने का आरोप ।

आयुक्त आशा करते हैं कि राज्य सरकार इन अभिवेदनों का उत्तर देगी, जो 1963 से अनिर्णित पड़े हुए हैं ।

260. बिहार :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 169 में यह उल्लेख किया गया था कि अध्यापकों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण मोसावानी माइन्स कम्पनी द्वारा संचालित समीप के एक मात्र स्कूल में; बंगला भाषी छात्रों की बड़ी संख्या को भर्ती नहीं किया गया था । यह कहा गया था कि 1947 के एक "पंच फैसले" के अनुसार प्राथमिक स्तर के बाद हिन्दी शिक्षा का एकमात्र माध्यम होगी। इस बीच में राज्य सरकार ने आयुक्त को सूचित किया है कि अधिकाधिक विद्यार्थियों को जगह देने के लिए कक्षा IV और V में बंगला अनुभाग खोल दिए

गए हैं तथा कक्षा VI और VII में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये हैं।

(क) नियुक्त शिक्षक भाषा के अतिरिक्त विषयों को बंगला में समझाने की योग्यता रखते हों और

(ख) इस कार्य के लिए एक-दो अतिरिक्त बंगला अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं।

261. 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकृत दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के निर्णयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसके अनुसार माध्यमिक स्तर को शिक्षा अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से दी जाने की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, यदि स्कल में 60 या सब से नीचे की कक्षा में कम से कम 15 विद्यार्थी हों। मामले पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। आज की परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में 1947 के 'पंच फैसले," के वैधानिक उलझन की जांच के लिए स्थिति से भारत सरकार को अवगत कर दिया गया है।

262. परिशिष्ट XII में उल्लिखित नीचे दी गई शिकायतों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(क) राज्य के त्रिभाषी सूत्र के अनुसार भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को तीन भाषायें पढ़नी आवश्यक थीं, जब कि हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को केवल दो ही पढ़नी थी।

राज्य सरकार के सब से हाल के आदेशानुसार, हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को मातृभाषा (हिन्दी), अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा लेनी पड़ेगी।

(ख) भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाने के स्तर को ऊंचा करने का आरोप।

राज्य सरकार ने स्थिति की पुष्टि की तथा सूचित किया है कि स्तर को और भी ऊंचा करने का प्रस्ताव था जिसके भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का भी हिन्दी का ज्ञान ऊंचा रहे।

(ग) सहायक अनुदान स्वीकृत करने के मामले में साक्ची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रति भेदभाव बरतने का आरोप।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा परिचालित स्कूलों के प्रति इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह भी उल्लेख किया गया था कि यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जायगा कि साक्ची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान पाने वाले स्कूलों में से मेंसे एक था।

(घ) पाकुड़ में उर्दू शिक्षण की सुविधाओं की अपर्याप्तता।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि पाकुड़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या 767 में से 214 मुसलमान विद्यार्थी की थे। इनमें से केवल 35 विद्यार्थियों ने उर्दू मातृभाषा के रूप में ली और बाकी 179 ने बंगला ली। आगे सूचित किया गया था,

चूंकि स्कूल में केवल 35 उर्दू के छात्र थे, अतः स्कूल में एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था पर्याप्त समझी गयी ।

(ङ) पाकुड़राज उन्नतर माध्यमिक विद्यालय की प्रबन्ध समिति में उर्दू भाषी विद्यार्थियों के अभिभावकों के एक प्रतिनिधि का नहीं लिया जाना ।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के गठन के नये नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था ।

(च) उन सभी 6 उर्दू अध्यापकों को किसी एक विशेष प्रशिक्षण स्कूल में रखकर प्रशिक्षण के लिए उर्दू की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ।

राज्य सरकार केवल उर्दू-भाषी प्रशिक्षार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने को तैयार नहीं है । बदले में उन्होंने प्रत्येक प्रशिक्षण स्कूल में एक उर्दू जानने वाले अध्यापक का प्रावधान किया है ।

(छ) उर्दू स्कूलों में केवल उर्दू जानने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा शुद्ध स्कूल परिचालित नहीं किये जाते । परन्तु किसी भी स्कूल में उर्दू भाषी छात्रों की पर्याप्त संख्या होने पर उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की जाती है ।

263. उड़ीसा :— छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 174 में यह उल्लेख किया गया था कि खुर्दारोड , दक्षिण-पूर्व रेलवे मिक्सड हाई स्कूल के भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थी पांच भाषाएं अर्थात् मातृभाषा, अंग्रेजी, हिन्दी, प्रादेशिक भाषा और संस्कृत पढ़ने के लिए बाध्य किये जा रहे थे । राज्य सरकार (जिसको यह मामला रेलवे प्रशासन द्वारा भेजा गया था) ने सूचित किया कि 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा विकसित त्रिभाषी सूत्र, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विचाराधीन है ।

264. छठवी रिपोर्ट के परिच्छेद 177 में उल्लिखित मौजूदा खरियार रोड के हिन्दी माध्यम स्कूल को मान्यता न देने से संबधित शिकायत के उत्तर में, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उस स्कूल में उड़िया और हिन्दी को अनिवार्य विषय रखकर कक्षा VII और VIII खोलने की अन्तःकालीन मान्यता दी जा चुकी है ।

265. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित अभिवेदन के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(क) सैयद सेमिनरी के लिए सहायक अनुदान में वृद्धि की मांग ।

राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य के समस्त स्कूलों में लागू हो वाले नियमों के अनुसार कुछ स्कूलों को सम्पूर्ण घाटा पूरा करने के लिए अनुदान दिया गया था, सैयद सेमिनरी का मामला उसकी अपनी योग्यता के आधार पर विचाराधीन है, इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उस में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा से भिन्न भाषा थी ।

(ख) उर्दू माध्यम से मैट्रिक पास अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान ।

राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य के माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूलों में से एक में शिक्षण का माध्यम उर्दू, हिन्दी, बंगला और तेलगु हैं । माध्यमिक प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक तथा इण्टरमीडिएट पास

उर्दू अध्यापकों को उर्दू माध्यम के हाई स्कूलों या मिडिल स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। ऐसे अध्यापकों की वार्षिक मांग को देखते हुए एक पृथक् प्रशिक्षण स्कूल खोलना न्याय संगत नहीं होगा। फ़ाजिल या आलिम पास अध्यापक भी उर्दू पढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि शिक्षण-प्रणाली सभी अध्यापकों के लिए एकसी ही है उर्दू अध्यापकों को राज्य की शिक्षण संस्थाओं में प्रतिक्षत कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ग) यदि किसी मिडिल स्कूल में 10 विद्यार्थी हों तो उर्दू में पढ़ाई की जाय।

उड़ीसा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 182 में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार सभी सरकारी, नगरपालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में जहां स्कूल की कुल छात्र संख्या का 1/3 उर्दू माध्यम से शिक्षा पाने के इच्छुक हों, अवश्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी।

(घ) प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिला चुनाव बोर्ड में एक उर्दू जानने वाले विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग।

राज्य सरकार की सूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक भाषा के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। और उर्दू में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति अन्य भाषाजात वर्गों द्वारा ऐसे दावे प्रस्तुत करने का बढ़ावा देगी।

(ङ) उर्दू शिक्षा के विशेषाधिकारी के ओहदे को बढ़ाकर राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड आफिसर) बनाने की मांग।

प्रस्ताव के राज्य सरकार के विचाराधीन होने की सूचना मिली है।

(च) प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार भाषा व्यतिरिक्त विषयों को उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की कमी।

बताया गया कि राज्य सरकार भाषा व्यतिरिक्त विषयों पर पुस्तकें उड़िया में प्रकाशित नहीं कर सकीं। प्रकाशकों द्वारा दाखिल की गई पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा चुनी और निर्धारित की जाती हैं।

(छ) उर्दू, फारसी तथा अरबी में पाठ्यचर्या बनाने एवं परीक्षा के निरीक्षण के लिए एक निगम संस्था का अभाव।

राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि मदरसे बिहार के मदरसा परीक्षा बोर्ड के साथ संबद्ध थे, जो पाठ्यक्रम निर्धारित तथा परीक्षाओं का भी संचालन करता है। फारसी शिक्षण और संस्कृति परिषद् के गठन का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

266. पश्चिम बंगाल :— जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 180 में उल्लेख किया गया था, कलकत्ता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू के माध्यम से माध्यमिक स्तर के शिक्षण की सुविधाओं के अभाव के विरोध में उर्दू भाषियों ने शिकायत की थी। राज्य सरकार ने सूचित किया कि उर्दू भाषी लड़कियों, जो उर्दू माध्यम से कक्षा 6 तक पढ़ रही थीं, कक्षा 7 से उन्हें बदल कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना होगा। उक्त व्यवस्था 1963 में हुई पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में हुए निर्णयों के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार मातृभाषा के माध्यम से शक्षा की सुविधायें देनी पड़ेंगी यदि किसी स्कूल में कम से कम 60 या माध्यमिक स्तर की

सबसे निम्न कक्षा में 15 विद्यार्थी हों। इसलिए आयुक्त ने पश्चिमी बंगाल की सरकार से उक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय किया, जिससे कलकत्ता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की उर्दु भाषी छात्रायें अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का लाभ उठा सकें। राज्य सरकार के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है।

267. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 183 में राज्य सरकार को की गई सिफारिश कि तेलुगु माध्यम के विद्यार्थियों की परीक्षा का माध्यम भी वहीं होना चाहिए जो उन के शिक्षण का माध्यम है, के उत्तर की प्रतीक्षा है।

268. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित निम्नलिखित अभिवेदनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक विवरण नहीं प्राप्त हुए :—

(क) चूंकि उर्दू जानने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, मौजूदा रिक्त स्थान अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरे किए जाने चाहिएं जिन्हें बाद मे प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(ख) कार्पोरेशन ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट के बन्द होने का अर्थ, उर्दू शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ना होगा।

दक्षिणी क्षेत्र

269. **आन्ध्र प्रदेश**—अथनी तालुक के कन्नड़ भाषी भाषाजात अल्पसंख्यकों की बड़े नेहाल के मौजूदा कन्नड़ मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बढ़ा देने की 1963 में की गई प्रार्थना का उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 186में हुआ है। राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर इस पर विचार करना स्वीकार कर लिया था। भाषाजात अल्पसंख्यकों ने उक्त स्कूल को 1964–65 के शिक्षा सत्र में उन्नत करने का राज्य सरकार से आग्रह करते हुए अपनी मांग दोहराई। राज्य सरकार से विवरण की प्रतीक्षा है।

270. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 188 में ई उल्लेख किया गया था, शिकायत की गयी थी कि रेनटीकोटा, राजपुर और करजाला स्कूलों में से प्रत्येक में से सिर्फ एक-एक उड़िया अध्यापक की व्यवस्था की गई थी किन्तु मंजूरी न मिलने की वजह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उक्त स्कूलों के उड़िया अध्यापक अपना वेतन पा रहे हैं। यह भी कहा गया था कि करजाला स्कूल में नियुक्त शिक्षक को हटा दिया गया क्योंकि उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एक अलग उड़िया शिक्षक के लिए यथेष्ट नहीं थी।

271. उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत (छठवीं रिपोर्ट का 189 परिच्छेद) की कि अपर्याप्त सुविधाओं के कारण सीमांत क्षेत्रों में उड़िया विद्यार्थी तेलुगु माध्यम के स्कूलों में भर्ती होने के लिए बाध्य किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसी सुविधायें, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रशिक्षित उड़िया अध्यापकों के मिलने पर ही निर्भर करती है इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया था कि इन जिलों के शिक्षापदाधिकारी इस स्थिति के प्रति भली-भांति सजग हैं।

उर्दू अध्यापकों को उर्दू माध्यम के हाई स्कूलों या मिडिल स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। ऐसे अध्यापकों की वार्षिक मांग को देखते हुए एक पृथक् प्रशिक्षण स्कूल खोलना न्याय संगत नहीं होगा। फ़ाजिल या आलिम पास अध्यापक भी उर्दू पढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि शिक्षण प्रणाली सभी अध्यापकों के लिए एकसी ही है उर्दू अध्यापकों को राज्य की शिक्षण संस्थाओं में प्रतिक्षण कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ग) यदि किसी मिडिल स्कूल में 10 विद्यार्थी हों तो उर्दू में पढ़ाई की जाय।

उड़ीसा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 182 में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार सभी सरकारी, नगरपालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में जहां स्कूल की कुल छात्र संख्या का 1/3 उर्दू माध्यम से शिक्षा पाने के इच्छुक हों, अवश्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी।

(घ) प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिला चुनाव बोर्ड में एक उर्दू जानने वाले विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग।

राज्य सरकार की सूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक भाषा के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। और उर्दू में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति अन्य भाषाजात वर्गों द्वारा ऐसे दावे प्रस्तुत करने का बढ़ावा देगी।

(ङ) उर्दू शिक्षा के विशेषाधिकारी के ओहदे को बढ़ाकर राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड आफिसर) बनाने की मांग।

प्रस्ताव के राज्य सरकार के विचाराधीन होने की सूचना मिली है।

(च) प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार भाषा व्यतिरिक्त विषयों को उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की कमी।

बताया गया कि राज्य सरकार भाषा व्यतिरिक्त विषयों पर पुस्तकें उड़िया में प्रकाशित नहीं कर सकीं। प्रकाशकों द्वारा दाखिल की गई पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा चुनी और निर्धारित की जाती हैं।

(छ) उर्दू, फारसी तथा अरबी में पाठ्यचर्या बनाने एवं परीक्षा के निरीक्षण के लिए एक निगम संस्था का अभाव।

राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि मदरसे बिहार के मदरसा परीक्षा बोर्ड के साथ संबद्ध थे, जो पाठ्यक्रम निर्धारित तथा परीक्षाओं का भी संचालन करता है। फारसी शिक्षण और संस्कृति परिषद् के गठन का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

266. पश्चिम बंगाल :— जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 180 में उल्लेख किया गया था, कलकत्ता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू के माध्यम से माध्यमिक स्तर के शिक्षण की सुविधाओं के अभाव के विरोध में उर्दू भाषियों ने शिकायत की थी। राज्य सरकार ने सूचित किया कि उर्दू भाषी लड़कियों, जो उर्दू माध्यम से कक्षा 6 तक पढ़ रही थीं, कक्षा 7 से उन्हें बदल कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना होगा। उक्त व्यवस्था 1963 में हुई पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में हुए निर्णयों के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें देनी पड़ेंगी यदि किसी स्कूल में कम से कम 60 या माध्यमिक स्तर की

सबसे निम्न कक्षा में 15 विद्यार्थी हों। इसलिए आयुक्त ने पश्चिमी बंगाल की सरकार से उक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय किया, जिससे कलकत्ता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की उर्दु भाषी छात्रायें अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का लाभ उठा सकें । राज्य सरकार के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है ।

267. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 183 में राज्य सरकार को की गई सिफारिश कि तेलुगु माध्यम के विद्यार्थियों की परीक्षा का माध्यम भी वही होना चाहिए जो उन के शिक्षण का माध्यम है, के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

268. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित निम्नलिखित अभिवेदनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक विवरण नहीं प्राप्त हुए :—

(क) चूंकि उर्दू जानने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, मौजूदा रिक्त स्थान अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरे किए जाने चाहिएं जिन्हें बाद मे प्रशिक्षित किया जा सकता है ।

(ख) कार्पोरेशन ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट के बन्द होने का अर्थ, उर्दू शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ना होगा ।

दक्षिणी क्षेत्र

269. **आन्ध्र प्रदेश**—अथनी तालुक के कन्नड़ भाषी भाषाजात अल्पसंख्यकों की बड़े नेहाल के मौजूदा कन्नड़ मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बढ़ा देने की 1963 में की गई प्रार्थना का उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 186में हुआ है । राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर इस पर विचार करना स्वीकार कर लिया था । भाषाजात अल्पसंख्यकों ने उक्त स्कूल को 1964–65 के शिक्षा सत्र में उन्नत करने का राज्य सरकार से आग्रह करते हुए अपनी मांग दोहराई । राज्य सरकार से विवरण की प्रतीक्षा है ।

270. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 188 में ई उल्लेख किया गया था, शिकायत की गयी थी कि रेनटीकोटा, राजपुर और करजाला स्कूलों में से प्रत्येक में से सिर्फ एक-एक उड़िया अध्यापक की व्यवस्था की गई थी किन्तु मंजूरी न मिलने की वजह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उक्त स्कूलों के उड़िया अध्यापक अपना वेतन पा रहे हैं। यह भी कहा गया था कि करजाला स्कूल में नियुक्त शिक्षक को हटा दिया गया क्योंकि उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एक अलग उड़िया शिक्षक के लिए यथेष्ट नहीं थी ।

271. उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत (छठवीं रिपोर्ट का 189 परिच्छेद) की कि अपर्याप्त सुविधाओं के कारण सीमांत क्षेत्रों में उड़िया विद्यार्थी तेलुगु माध्यम के स्कूलों में भर्ती होने के लिए बाध्य किए जा रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसी सुविधायें, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रशिक्षित उड़िया अध्यापकों के मिलने पर ही निर्भर करती है इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया था कि इन जिलों के शिक्षापदाधिकारी इस स्थिति के प्रति भली-भांति सजग हैं।

272. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित विभिन्न शिकायतों के संबंध में स्थिति नीचे दी जा रही है :—

(क) उड़ीया के माध्यम से शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों के लिए प्रश्न-पत्र तेलुगु में तैयार कराना ।

सम्बन्धित स्कूल के प्राधानाध्यापक ने स्वीकार किया कि प्रश्न-पत्रों की कमी पड़ जाने के कारण, कुछ अवसरों पर तेलुगु प्रश्न-पत्रों का उड़िया में अनुवाद करके, परीक्षा के समय से पहले विद्यार्थियों को लिखा दिए गए थे । हैदराबाद में राज्य सरकार के पदाधिकारियों से सहायक आयुक्त ने इस मामले पर विचार-विनिमय किया । राज्य सरकार के पदाधिकारियों को यह भी संकेत किया गया कि सहायक आयुक्त के सामने ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए जब ठीक परीक्षा शुरू होने के पहले भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र लिखवाए गये, क्योंकि छपे हुए अनुवाद पहले से तैयार नहीं करवाये गये थे। जो बोला गया उस के लिखने में गलती हो जाने की सम्भावना और इस असाधारण प्रणाली के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

(ख) सोमपेटा के हाई स्कूल में उड़िया माध्यम के समानान्तर अनुभागों का अभाव ।

राज्य सरकार का वक्तव्य अभी प्रतीक्षित है ।

(ग) राज्य के हाई स्कूलों में भाषा-व्यतिरिक्त विषयों को उड़िया के माध्यम से पढ़ाने के प्रावधान का कार्यान्वयन न किया जाना ।

चालू आदेशों के अनुसार, ऐसी सुविधाएं किसी कक्षा में कम से कम 15 विद्यार्थी या कक्षा VI से VIII तक या कक्षा IX से XI तक 45 विद्यार्थी होने पर दी जाती हैं। उड़िया भाषी विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होते हुए भी जहां ये सुविधायें नहीं दी जा रही थीं, ऐसे कुछ विशेष उदाहरणों के उत्तर में यह कहा गया था कि ऐसे अध्यापकों के अभाव के कारण समानान्तर उड़िया अनुभाग नहीं खोले जा सके ।

(घ) उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रादेशिक भाषा का पढ़ाया जाना ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उड़िया की पढ़ाई, ऐसी शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या और इस कार्य के लिए उपलब्ध उड़िया अध्यापकों की संख्या पर भी निर्भर करती है ।

(ङ) एस. आर. एस. एम. जेड. पी. हाई स्कूल, मंजूषा में उड़िया माध्यम के अनुभाग की व्यवस्था न होना, यद्यपि ऊंची कक्षाओं में 46 उड़िया विद्यार्थी थे ।

जिला परिषद्, श्रीकाकुलम के 9 नवम्बर, 1964 के वक्तव्य से यह प्रमाणित हुआ कि उक्त स्कूल की कक्षा IX, X, और XI में क्रमशः 16, 24 और 17 उड़िया छात्र

थे । यह भी बताया गया था कि कक्षा लेने के लिए उड़िया जानने वाले बी. एड. सहायक न मिलने के कारण समानान्तर अनुभाग खोलना सम्भव नहीं हुआ । यह मामला अभी तक चालू है।

273. केरल :—— छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित निम्नलिखित अभिवेदनों पर राज्य सरकार ने अभी तक वक्तव्य नहीं भेजा है :——

(क) देवीकोलम के तमिल स्कूल में कम जगह, और

(ख) कासरगोड क्षेत्र में नए स्कूल खोलने के लिए किए गए आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

274. मद्रास:—— छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित अभिवेदन के उत्तर में, कि तेलुगु जानने वाले निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति तेलुगु स्कूल, होसूर में, की जानी चाहिए, राज्य सरकार ने बताया है कि उस तालुक में चार द्विभाषा-भाषी क्षेत्र थे और तमिल तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के जानने वाले निरीक्षण अधिकारियों की जरूरत थी । दोनों भाषाओं का ज्ञान अच्छा रखने वाले अधिकारियों की संख्या अत्यन्त सीमित थी । यह कहा गया था कि तेलुगु में भी दक्ष अधिकारियों की नियुक्ति की बात ध्यान में रखी जायेगी ।

275. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XII में उल्लिखित तेलगु भाषी विद्यार्थियों की बहुसंख्या वाले स्कूल में तमिल प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के विरुद्ध एक अन्य शिकायत के उत्तर में राज्य सरकार ने बताया कि ऐसा ग्रामीणों के अभिवेदन के आधार पर किया गया, जिन्होंने इस परिवर्तन का स्वागत किया था ।

276. आयुक्त का विचार है कि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने वाली ऐसी शैक्षिक संस्था के मामले में ऐसी मांग को पूरा करते समय, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए । ऐसी संस्था के प्रधान को अल्पसंख्यक भाषा का ज्ञान होना चाहिए ।

277. राज्य के तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि सरकारी संस्थाओं से तेलुगु अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधायें हटा ली जाने की वजह से हाई स्कूलों की कक्षाओं के लिए तेलुगु बी. टी. उम्मीदवारों का अभाव हो गया है । जब राज्य सरकार को इसका हवाला दिया गया तब उन्होंने बताया कि काटपाडी में पुरुषों के लिए सरकारी प्रशिक्षण कालेज में तथा मद्रास और कोयंबतूर में महिलाओं के लिए दो प्रशिक्षण कालेजों में, मातृभाषा का विचार किए बिना सभी उम्मीदवारों को बी. टी. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए सुविधायें मिल रहीं थीं । राज्य के इन कालेजों में तथा अन्य सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चालू है । राज्य सरकार ने आगे कहा कि राज्य में तेलुगु उम्मीदवारों को बी.टी. पाठ्यक्रम पढ़ने की सुविधाओं की कमी नहीं है ।

278. मद्रास के एक तेलुगु-भाषाजात अल्पसंख्यकों के संगठन ने तेलुगु-प्रशिक्षित अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार इस बात पर जोर देती रही कि ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति उन के एस.एस.एल.सी. स्तर की तमिल परीक्षा पास करने पर ही हो सकेगी । अभिवेदन कर्ताओं का कथन था कि यह भाषा-परीक्षा दूसरे दर्जे के स्तर के समान होनी चाहिए जैसा कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के निर्णयों में पहले तय हुआ था । यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

279. **मैसूर:**—बेल्लारी जिले के तेलुगु और उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत (छठवीं रिपोर्ट का 199 परिच्छेद) की थी कि तेलुगु और उर्दू के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में ऐसे विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के अनुभागों में भर्ती होने को बाध्य होते थे। जब स्थानीय शैक्षिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्था इसलिए की गयी कि अभिभावक अपने बच्चों को मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाना पसंद करते हैं तो भाषाजात अल्पसंख्यकों ने इसका खण्डन किया और निवेदन किया कि यह स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई कि राज्य सरकार ने तेलुगु और उर्दू में कोई भाषा-व्यतिरिक्त पुस्तक प्रकाशित नहीं की। राज्य सरकार ने अभी तक इन शिकायतों का उत्तर नहीं दिया है ।

280. त्रिभाषी सूत्र जैसा कि मैसूर राज्य में कार्यान्वित हुआ है, उसके मौजूदा ढंग के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी मान ली जाती है। इसका उल्लेख पांचवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 346 और छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 201 में हुआ है। इस विषय में चालू आदेशों के अन्तर्गत, ऐसी संस्थाओं में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दूसरी भाषा के रूप में कन्नड़ अनिवार्यत: पढ़नी पड़ती है ।

281. आयुक्त ने मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री से इस असंगत स्थिति पर विचार-विनिमय किया था। 1 फरवरी, 1964 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये संशोधित आदेशों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित भाषा-प्रतिरूप निर्धारित किया गया था :—

पहली भाषा	अंग्रेजी (मातृभाषा स्तर)
दूसरी भाषा	कन्नड़, या संस्कृत, या फारसी या अरबी, या ग्रीक (स्तर अनिवार्य अंग्रेजी के ही बराबर)
तीसरी भाषा	अनिवार्य हिन्दी

282. आयुक्त का ख्याल है कि ये संशोधित आदेश भी समस्या को नहीं सुलझाते इस प्रतिरूप को उचित साबित करने के लिए अभी भी अंग्रेज को विद्यार्थियों की मातृभाषा मान लिया गया। यह मामला दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के पास परीक्षार्थ भेज दिया गया है ।

283. राज्य सरकार ने निम्नलिखित शिकायतों का उत्तर नहीं दिया है, जो उनके पास पहले भेजी गई थी तथा जिनका उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट 12 में भी किया था :—

(क) बेल्लारी नगरपालिका हाई स्कूल में जहां 500 विद्यार्थियों में से 450 उर्दू भाषी थे, उर्दू माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं का अभाव ।

(ख) जी. ओ. जो अभी तक लागू था, के प्रतिकूल बेल्लारी नगरपालिका हाई स्कूल में उर्दू न जानने वाले प्रधानाध्यापक की नियुक्ति ।

(ग) बेल्लारी नगरपालिका हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उर्दू विद्यार्थियों को राज्य सरकार के जी. ओ. के अन्तर्गत व्यवस्थित उच्च उर्दू के स्थान पर कन्नड़ लेने को बाध्य किया ।

(घ) वेल्लारी नगरपालिका हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उर्दू जानने वाले माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को प्राथमिक स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया ।

(ङ) वेल्लारी के एकमात्र उर्दू माध्यम के स्कूल में कन्नड़ तथा तेलुगु माध्यम वाले विद्यार्थियों का प्रवेश ।

(च) राजकीय वालिका हाई स्कूल, वेल्लारी में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति न करना ।

(छ) वेल्लारी नगरपालिका हाई स्कूल की नयी 7 से 10 कक्षाओं तक उर्दू माध्यम के अनुभाग खोलने की प्रार्थना, जिससे निम्न कक्षाओं के उर्दू भाषी जो विद्यार्थी कक्षा 10 तक उर्दू माध्यम से पढ़ाई चालू रख सकें ।

(ज) तेलुगु पाठ्य पुस्तकों के अभाव में, भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थी कन्नड़ पुस्तकें पढ़ने के लिए वाध्य किये गये ।

(झ) पुरुष तथा महिला दोनों तेलुगु अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की प्रार्थना ।

पश्चिमी क्षेत्र

284. गुजरात:—सिन्धी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि जेतपुर के सिन्धी माध्यम हाई स्कूल में कक्षा 7 के बाद सिंधी पढ़ने की सुविधाएं नहीं थीं । उन्होंने निवेदन किया कि शुरू से अखिर तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम सिन्धी होनी चाहिए । शिकायत राज्य सरकार के पास भेज दी गयी थीं, जिसके उत्तर अभी तक प्रतीक्षा है ।

285. महाराष्ट्र—पूना के कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि राजपेठ हाई स्कूल के कन्नड़ माध्यम के अनुभाग को उस स्कूल की प्रवन्ध समिति द्वारा वन्द कर देने के कारण नगर के भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को बहुत ही कठिनाइयां उठानी पड़ रही थीं । वम्बई में, सहायक आयुक्त ने राज्य सरकार के अधिकारियों से इस मामले पर विचार-विमर्श किया । तदनन्तर, राज्य सरकार ने वताया कि पूना के कन्नड़ शिक्षण सेवा संघ को कन्नड़ माध्यम का एक नया हाई स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गयी है और वह स्कूल सहायक अनुदान पाने के लिए उपयुक्त है ।

286. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट 12 में उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतों का उत्तर राज्य सरकारों से अभी तक प्रतीक्षित है :—

(क) प्राथमिक कक्षाओं से लेकर ऊपर तक की कक्षाओं के लिए कन्नड़ में पाठ्य पुस्तकें तथा नक्शों का नहीं दिया जाना ।

(ख) सीनियर पी. टी. ओ. पाठ्यक्रम की परीक्षा के कन्नड़ अभ्यर्थियों को अपनी मातृ भाषा में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने की अनुमति नहीं दी गयी थी जब कि मराठी अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गयी थी ।

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग के सिलाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मराठी, गुजराती और उर्दू के साथ भाषा के रूप में कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया था ।

(घ) बम्बई में विद्यार्थियों को कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा क्योंकि कन्नड़ माध्यम का केवल एक स्कूल था, जिसमें 2500 विद्यार्थी थे। महानगर में पर्याप्त संख्या में कन्नड़ माध्यम के स्कूल खुलने चाहिएं।

(ङ) गोरेगांव में आस-पास के छात्रों के लिए बम्बई नगर-निगम द्वारा एक कन्नड़ माध्यमिक विद्यालय खोलने की प्रार्थना।

(च) पुरुष तथा महिला उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त और संस्थाओं के खोलने की प्रार्थना।

उत्तरी क्षेत्र

287. राजस्थान:—जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट 12 में उल्लेख किया गया है कक्षा 6 से 8 तक अनिवार्यरूप से संस्कृत की शिक्षा के विरुद्ध उर्दू भाषियों ने शिकायत की थी। यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित है।

288. उर्दू भाषियों ने यह भी अनुरोध किया था कि जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा उर्दू हो उन्हें कक्षा 9 से 10 तक मानवशास्त्र वर्ग के अन्तर्गत उर्दू को तीसरी भाषा के रूप में लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त प्रार्थना पर राज्य सरकार के वक्तव्य की प्रतीक्षा ह।

289. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट 12 में उल्लेख हुआ है, उर्दू भाषियों ने शिकायत की थी कि जयपुर महाराजा बालिका बहुधंधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उर्दू का कोई अध्यापक नियुक्त नहीं किया गया, यद्यपि उर्दू को एक विषय के रूप में 1963 में आरम्भ किया गया था। राज्य सरकार को यह मामला भेजा गया था, उन्होंने सूचित किया है कि इस बीच उस स्कूल में एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति कर दी गयी है।

तीसरा अध्याय

सरकारी काम-काज के लिए अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

290. यह मानी हुई बात है कि कोई भी राज्य पूर्णतया एक भाषा-भाषी नहीं है। भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को प्रादेशिक भाषा के अपने अपर्याप्त ज्ञान के कारण असमान्य कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिये राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कुछ सुरक्षणों की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन में निहित निर्णयों, 1959 में हुए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों तथा 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में भाषाजात अल्पसंख्यकों तथा सरकारी काम-काज में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग के लिए भी सुरक्षणों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

291. निम्नलिखित संविधानी प्रावधानों का भी इस विषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है :—

(i) अनुच्छेद 347—"यदि कोई ऐसी मांग की जाये और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वह समस्त राज्य में अथवा उसके किसी भाग में उस भाषा के प्रयोग को सरकारी मान्यता देने के निदेश जारी कर सकता है।"

(ii) अनुच्छेद 350—"किसी कष्ट के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक्क होगा।"

अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत किसी भाषा के सम्बन्ध में अब तक राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है।

292. 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों द्वारा सरकारी काम-काज में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग के लिए मोटे तौर निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं:—

(i) सरकारी भाषा सामान्य तौर पर सरकारी काम-काज के लिए है। किन्तु जनता को अवगत कराने के लिए, उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात उनसे कही जा रही है उसे जनता का बड़ा भाग समझने की स्थिति में हो। अतएव जहाँ-कहीं भी प्रचार की आवश्यकता हो वहाँ सरकारी भाषा के अलावा भी उस क्षेत्र में प्रचलित अन्य भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए।

(ii) जहाँ किसी जिले की आबादी का कम से कम साठ प्रतिशत राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो अल्पसंख्यकों की यह भाषा उस जिले में, राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा समझी जानी चाहिए। किन्तु इस कार्य के लिए मान्यता साधारणतया केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की प्रमुख भाषाओं को ही दी जा सकती है। आसाम के पहाड़ी

जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में अपवाद हो सकता है, जहां आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं :

(iii) जब कभी किसी जिले या म्युनिसिपलिटी या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में भाषाजात अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहाँ महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं और नियमों को अन्य किसी भाषा या भाषाओं के अलावा जिनमें सामान्यतया ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किये जाते हों, अल्पसंख्यकों की भाषा में भी प्रकाशित करना वांछनीय होगा ।

(iv) प्रशासन कार्यों में जनता से अर्जियां, अभिवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी स्वीकार किये जाने चाहिएं, और जहां भी संभव हो, जिस भाषा में जनता से पत्र प्राप्त हुए हों, उसी भाषा में उनका उत्तर भी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यों में या जिलों में या जहां कहीं भी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग आबादी का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहाँ महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, उपनियमों आदि के सारांश के अनुवाद को अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करने का प्रबन्ध होना चाहिए ।

आगे के परिच्छेदों में इन निर्णयों के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया गया है ।

जहां प्रचार की आवश्यकता हो वहाँ सरकारी भाषा के अतिरिक्त उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रयोग किया जाये

293. एक जन कल्याणकारी राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रचार प्रसार के महत्व पर जितना भी जोर दिया जाय कम है । प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त भाषाजात अल्पसंख्यकों की भाषाओं में प्रच सामग्री को प्रकशित करना चाहिए, यदि सरकार इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है ।

जहाँ किसी जिले की आबादी में कम से कम 60 प्रतिशत लोग राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो अल्पसंख्यकों की यह भाषा उस जिले में राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा स्वीकार की जानी चाहिए ।

> जब भी किसी जिले या म्युनिसिपेलिटी या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में भाषाजात अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहां महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं और नियमों को अन्य किसी भाषा या भाषाओं के अलावा जिनमें सामान्यतया ऐसे दस्तावेज प्रकाशित किये जाते हों अल्पसंख्यकों की भाषा में भी प्रकाशित करना वांछनीय होगा।

295. जिला स्तर तथा उसके नीचे के जनसंख्या के भाषावार आंकड़ों की प्रतीक्षा है। आयुक्त आशा करते हैं कि जिला जनगणना-पुस्तिका का प्रकाशन शीघ्र ही पूरा हो जावेगा और राज्य सरकारें जहां-कहीं आंकड़ों में पुष्टि होगी उन क्षेत्रों में उन सुविधाओं को उपलब्ध करेंगी ।

296. उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ शहर के अतिरिक्त जिला स्तर के नीचे इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राजी नहीं हुई । किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, सितम्बर 1964 में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की सातवीं बैठक में, स्थिति पर पुनः विचार करने तथा इस निर्णय के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त कार्रवाई के लिए राजी हो गये ।

297. आसाम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों ने, सिद्धांततः इन निर्णयों से सहमत होते हुए भी, अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। शेष राज्य सरकारों ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं ।

> प्रशासन कार्यों में जनता से अर्जियां, अभिवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी स्वीकार किये जाने चाहिए, और जहां भी संभव हो जिस भाषा में जनता से पत्र प्राप्त हुए हों, उसी भाषा में उनका उत्तर भी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

298. इस विषय पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए अभी तक के निर्णयों में एकमतता नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि शिकायत आदि के निवारणार्थ मराठी, उर्दू और बंगला में लिखे गये आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, किन्तु वह सरकारी भाषा को छोड़कर दूसरी किसी भाषा में उत्तर देने के लिये प्रस्तुत नहीं है। इनके अनुसार, इन भाषाओं में उत्तर देने की व्यवस्था में सदा ही देर होगी, और मामलों को निपटाने में कार्य क्षमता कम हो जायेगी। 1961 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में मराठी, उर्दू, बंगला और सिंधी भाषियों की संख्या क्रमशः 1,259,682 ; 740,098 ; 52,813 ; और 1,81,605 थी । आयुक्त महसूस करते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये निर्णयों की दृष्टि से भाषाजात अल्पसंख्यकों को इस सुविधा से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है ।

299. उत्तर प्रदेश में ऐसे आदेश हैं कि जहां संभव हो फारसी तथा राज्य में प्रचलित अन्य लिपियों में प्राप्त अभिवेदनों के उत्तर उसी लिपि में होने चाहिए ।

300. आसाम सरकार ने कोई आदेश नहीं दिए हैं। निर्णय के कार्यान्वियन के लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं ।

301. उड़ीसा और केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्यों की सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी चल रही है, अतः सभी आवेदनों के उत्तर अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। पश्चिम

बंगाल में यह सुविधा सिर्फ हिन्दी, उर्दू और नेपाली भाषाओं में लिखी हुई अर्जियों तक ही सीमित है। राज्य सरकार ने बताया है कि यह मामला एक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रस्ताव से घनिष्ट रूप से संबद्ध है जो विचाराधीन था।

302. आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्य सरकारों द्वारा जारी किए आदेश हैं : किसी अल्पसंख्यक भाषा में ऐसे क्षेत्रों में जहां उस भाषा के बोलनेवाले उस क्षेत्र का 15 से 20 प्रतिशत हों, प्राप्त अभिवेदनों के उत्तर उसी भाषा में दिए जाने चाहिए। यह क्षेत्रीय और भाषात्मक पाबन्दी, 1961 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों में निहित भावना के विरुद्ध है, जिनमें ऐसी किसी पाबन्दी की कल्पना नहीं थी। आयुक्त आशा करते हैं कि आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर की सरकारें इस मामले में अपने निर्णयों पर पुनः विचार करेंगी।

303. पंजाब और गुजरात की सरकारों ने इस निर्णय के कार्यान्वियन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने निश्चित किया है कि अभिवेदनों के उत्तर या तो मराठी, अंग्रेजी या हिन्दी में दिए जाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अभिवेदनों की भाषा में ही उत्तर दिये जांय।

304. अगस्त, 1964 में हुई, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की पांचवीं बैठक में आयुक्त ने सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार को अभिवेदनों के उत्तर गुजराती और कन्नड़ में देने चाहिए क्योंकि राज्य में उन भाषाओं के बोलने वालों का काफी बड़ा प्रतिशत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस सुझाव से सहमत हो गए थे। राज्य सरकार के आदेशों की अभी तक प्रतीक्षा है।

उन क्षेत्रों में जहां कोई भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग आबादी का 15 से 20 प्रतिशत हो, महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के सार के प्रकाशन की व्यवस्था अल्पसंख्यक भाषाओं में भी की जानी चाहिए।

305. मध्यप्रदेश की सरकार उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने सूचित किया कि अनुवाद की कठिनाई और मूलपाठ की विषय-सामग्री के प्रति ईमानदारी तथा पूर्ण मात्रा में ठीक-ठीक होने की आवश्यकता के कारण, ऐसे प्रकाशन जरूरी नहीं समझे गये। यह मामला मध्य क्षेत्रीय परिषद को भेजा गया, जहां सितम्बर, 1964 में हुई उसकी सातवीं बैठक में मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक भाषाओं में अपने महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों और विनियमों का सारांश प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिए राजी हो गए।

306. उत्तर प्रदेश में, राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू पत्रिका "नया दौर" में सभी महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों विनियमों और अधिसूचनाओं का सारांश छापा जायेगा। उर्दू में कानूनों, नियमों आदि के प्रचार के लिये लखनऊ शहर और रामपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिले निर्दिष्ट किये गए हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार पीलीभीत, मेरठ और लखनऊ जिलों में उर्दू भाषियों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक हो गयी।

307. शिलांग में एक अनुवाद विभाग खोला गया है और आसाम सरकार असमिया, बंगला और हिन्दी में राजकीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि का अनुवाद निकालने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में महत्वपूर्ण कानूनों का सारांश के अनुवाद अल्पसंख्यक भाषाओं में, जहां किसी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग, जनसंख्या का 15 से 20

प्रतिशत है, प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि महत्व-पूर्ण कानूनों, नियमों और विनियमों के सारांश के अनुवाद का अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशन और एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना, मानवीय शक्ति और सरकारी साधनों का परिहार्य अपव्यय होगा ।

308. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी नहीं किया है । किन्तु यह सूचना मिली थी कि उपयुक्त व्यवस्था चालू करने के लिए ब्यौरा परीक्षाधीन था ।

39 . आंध्र प्रदेश की सरकार ने सूचित किया कि महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों और वि-नियमों के सारांश का अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय विचाराधीन था । केरल सरकार ने विभागाध्यक्षों को व्यापक ढंग की बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को तमिल और कन्नड़ में अनुवाद के लिए राजकीय भाषा विभाग को प्रेषित करने का आदेश दिया था । इस दिशा में आगे की प्रगति की अभी तक प्रतीक्षा है । इसी तरह का निर्णय मद्रास सरकार ने भी किया है । मैसूर सरकार ने सूचित किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विभिन्न अल्प-संख्यक भाषाओं में अनुवाद कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका, किन्तु बेलगांव जिले के तीन तालुकों में सरकारी सूचनाएं आदि मराठी भाषा में प्रकाशित की जा रही थी ।

310. महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा ऐसे अनुवादों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

311. पंजाब सरकार ने निर्णय किया कि राज्य की अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के अनुवाद के लिए राज्य की राजधानी में अनुवाद ब्यूरो खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

312. राजस्थान की सरकार ने आयुक्त को सूचित किया कि यद्यपि औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये थे किन्तु यह निश्चय किया गया कि विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं में सभी कानूनों आदि के सारांश अनूदित किये जाने चाहिएं ।

313. इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय अभी तक पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किये गये । भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों की दृष्टि से इसका पूर्ण और तुरन्त कार्यान्वयन होना आवश्यक है ।

मध्य क्षेत्र

शिकायतें

314. **मध्य प्रदेश :**—उर्दू भाषियों ने अभिवेदन किया कि बुरहानपुर और खंडवा नगर पालिका क्षेत्रों में वे कुल आबादी के 15 प्रतिशत से भी अधिक थे, इसलिए नगरपालिका प्राधिकारियों को उर्दू में आवेदन स्वीकार करना चाहिए तथा उत्तर भी उसी भाषा में देने चाहिए । प्रसंग राज्य सरकार को भेजा गया है, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

315. **उत्तर प्रदेश :**—उर्दू भाषियों से प्राप्त निम्नलिखित शिकायतें राज्य सरकार के पास भेज दी गई हैं, जिनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है :—

(क) उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में दिए गए उर्दू भाषण भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे राज्य की उर्दू-भाषी जनता को असुविधा होती है ।

(ख) सरकारी प्रेस द्वारा 31–12–1957 तक सम्मन और सूचनाएं उर्दू और हिन्दी में छापी जा रही थी। 1–1–1958 से लागू नये नियमों के अनुसार, सम्मन और सूचनाएं केवल नागरी अक्षरों में दिए जायेंगे।

पूर्वी क्षेत्र

316. आसाम :—जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 256 में कहा गया है, बंगला भाषियों के अभिवेदन किया कि आयुक्त भारत के राष्ट्रपति की सेवा में सिफारिश करें कि संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत आसाम भर में बंगला को भी सरकारी भाषा घोषित करने के लिए निर्देश दिए जायं। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस संबंध में कछार जिला गण संग्राम परिषद के सभापति द्वारा राष्ट्रपति को एक याचिका पहले ही भेज दी गई है। उक्त मांग से असहमत होते हुए भारत सरकार ने परिषद को सूचित किया :

> "1960 में पारित आसाम राज-भाषा अधिनियम के अनुसार बंगला, कछार जिले में सरकारी काम-काज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा घोषित की जा चुकी है। इस अधिनियम में, जिस रूप में यह प्रारम्भ में पारित हुआ था, एक प्रावधान था, जिसके द्वारा कछार जिले के महकमा परिषद और नगरपालिका बोर्ड पूर्व निर्दिष्ट रीति से गृहीत प्रस्ताव के द्वारा असमिया भाषा के प्रयोग की व्यवस्था कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, इन संस्थाओं द्वारा इस आशय के प्रस्ताव द्वारा बंगला भाषा के प्रयोग को सीमित करना सम्भव था। बाद में इस जिले के लोगों के बहुमत की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आसाम सरकार ने इस प्रावधान को निकालकर तथा एक नया अनुभाग जोड़कर, अधिनियम में संशोधन कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि असमिया के राज्य की सरकारी भाषा होने को क्षति पहुंचाए बिना बंगला भाषा भी जिला स्तर को शामिल करके जिला स्तर तक के प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी काम-काज के लिए कछार जिले में प्रयुक्त की जा सकती है। इस तरह आसाम राज्य में बंगला भाषी जनता के अधिकार और हित पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिए गए हैं।
>
> तथापि, राज्य में यदि बंगला भाषी आबादी के खिलाफ किसी प्रकार के भेद-भाव का कोई स्पष्ट उदाहरण हो तो उनकी ओर भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अन्तर्गत भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में उपबन्धित परित्राणों से सम्बन्धित सब विषयों की जांच-पड़ताल करने के लिए की गयी है। ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति यह नहीं समझते कि संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत बंगला को राज्य की एक सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए निदेश जारी करने के लिए पर्याप्त औचित्य है।"

317. छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 256 में यह भी उल्लेख किया गया था कि बंगला भाषाजात अल्पसंख्यकों ने सुझाया था कि भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल के लिए आसाम में एक स्थायी समिति होनी चाहिए जिससे विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं

के लिये धन निश्चित करते समय, राज्य का कोई भाग जहां भाषाजात अल्पसंख्यक बहुसंख्या में हों, उपेक्षित न रह जाय। आयुक्त के विचार से यह प्रस्ताव भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विचारणीय प्रतीत होता है और वास्तव में उन्होंने छठवीं रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश भी की थी।

318. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लेख है, बंगला-भाषियों ने शिकायत की थी कि आकाशवाणी के गौहाटी केन्द्र ने बंगला में वार्ता कार्यक्रम नहीं प्रसारित किए। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस नीति के कारण जनता का बहुत बड़ा भाग राज्य के विकास कार्यक्रमों, सुरक्षा प्रयत्नों तथा स्थानीय समाचारों को जानने से वंचित रखे गए। इस प्रकार की शिकायतें मनीपुरी (मघेई) और विष्णुपुरिया मनीपुरी भाषियों ने भी की थीं।

319. आयुक्त का विचार है, चूंकि रेडियो-प्रसारण मनोरंजन मात्र के लिये ही नहीं है किन्तु विकास के कार्यक्रमों, जो देश के चेहरे को बदल रहे हैं, के संदेश को पहुंचाने तथा सामान्य शिक्षा के लिए शक्तिशाली माध्यम है, किसी क्षेत्र को सभी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक भाषाओं में कार्यक्रम आयोजित करने की हर कोशिश की जानी चाहिए। 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों में एक यह भी था कि जहां भी प्रचार की आवश्यकता हो वहां सरकारी भाषा के अलावा भी उस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए आयुक्त ने सिलचर में एक प्रसारण (ट्रांसमीटर) होने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कथित बंगला कार्यक्रमों को प्रसारित कर सके, जिसके उत्तर में सूचना और प्रसार मंत्रालय इस प्रस्ताव की शीघ्र जांच के लिए सम्मत हो गया तथा आशा प्रकट की कि "उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अंतर्भुक्त कर लिया जायेगा।"

320. 1963 में भेजी गई तथा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में भी उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतों के उत्तर, राज्य सरकार से अभी तक प्रतीक्षित हैं :

(क) विष्णुपुरिया मनीपुरी को मनीपुरी (मघेई) से भिन्न रूप में मान्यता देने की मांग।

(ख) खासी क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रकाशन बहुधा असमिया में थे, जिनसे खासी भाषियों को बहुत कम लाभ हुआ।

321. सिंहभूम जिले के धालभूम उपमंडल के उड़िया भाषियों ने शिकायत की, कि यद्यपि हो (आदिम जातियों की एक बोली) के बाद ही उस क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा भाषाजात वर्ग था, तथापि मतदाता सूचियों, पंजीकरण कार्यालयों आदि में उड़िया का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि कचहरियों और उपपंजियक के कार्यालय में उड़िया को स्थान मिलना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित आरंभिक पर्चे हिन्दी के बदले उड़िया में होने चाहिए। यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसके विचाराधीन होने की सूचना है।

322. "सरायकेला और खरसवां के अधिवासियों की ओर से" राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के सभापति और सदस्यों को संबोधित छपे हुए ज्ञापन की एक प्रति आयुक्त को भी भेजी गयी थी। इसमें उड़िया भाषियों के विरुद्ध आरोपित भेदभाव बरतने के उदाहरण थे। जांच से पता चला कि इस मामले पर भारत सरकार और राज्य सरकार से अभी भी लिखा पढ़ी चल रही थी।

323. राज्य विधान मंडल के एक सदस्य द्वारा उठाए गए एक प्रसंग के उत्तर मे कि मतदाताओं की सूचियां उड़िया में भी प्रकाशित होनी चाहिए, जहां उड़िया भाषियों की घनी आबादी थी, जैसा कि दूसरे आम चुनाव तक तथा उसके पहले तक किया गया था, राज्य सरकार ने कहा कि भारत के निर्वाचन-आयुक्त ने निदेश दिया था कि जब तक 1961 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हों और मामले की जांच न हो जाय तब तक विहार राज्य में मतदाता-सूचियां हिन्दी में ही छपती रहनी चाहिए ।

324. आयुक्त यहां यह उल्लेख करना चाहते हैं कि मतदाता सूचियों के अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशन का प्रश्न, समय-समय पर कई राज्यों में उठाया गया है । 1961 की जन-गणना के भाषावार आंकड़ों के आधार पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अविलम्ब कार्रवाई, परिस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होगी ।

325. सिंहभूम जिले के वंगला भाषियों ने निम्नलिखित शिकायतें प्रस्तुत कीं :

(क) 1948–49 तक धालभूम उपमंडल की कचहरी की मुख्य भाषाएं वंगला और अंग्रेजी थीं, फिर वदलकर हिन्दी और अंग्रेजी हो गई । उसके वाद वंगला, कचहरी की अतिरिक्त भाषा के रूप में जारी रही । 1950 से इसको हटा दिया गया ।

(ख) खेती की जमीन की मालगुजारी की रसीदें, जो रेयतों को पहले वंगला में दी जाती थी, 1956 से हिन्दी में दी जा रही हैं ।

(ग) जनता द्वारा व्यवहृत प्रपत्र (फार्म) वंगला में नहीं दिए गए । ये सभी शिकायतें राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

326. सिंहभूम जिले के कई ग्राम पंचायतों के मुखियों ने फिर शिकायत की, कि [illegible] निवासियों को दिए गए अन्तिम पर्चे हिन्दी में थे और अक्सर उनमें गलत सूचनाएं थी । राज्य सरकार ने उसकी इस प्रकार सफाई दी :—

"खतियान हिन्दी में तैयार किये जाते हैं और प्रामाणिक हिन्दी प्रतिलिपि प्रत्येक रेयत को दी जाती है । इसके सिवाय उनकी सुविधा के लिए वंगला और उड़िया में तैयार अतिरिक्त पर्चे भी उन्हें वितरित किये जाते हैं । यह पर्चा प्रतिलिपि नहीं है, किन्तु खतियान का उड़िया या वंगला अनुवाद मात्र है और रवड़ की मोहर, जिस पर लिखा रहता है "अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख का उड़िया अनुवाद" या "अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार-अभिलेख का वंगला अनुवाद" के साथ वितरण किए जाने के पूर्व इन पर्चों पर सिंहभूम जिले के वन्दोवस्त अधिकारी की मुहर लगाई जाती है । हिन्दी और उड़िया या वंगला प्रति में अन्तर यह है कि चूंकि खतियान हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता है, जो विधिवत प्रमाणीकृत प्राथमिक साक्ष्य है, वंगला या उड़िया प्रति केवल गोण साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है ।"

327. तथापि, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ प्रतिलिपियों में कुछ गलतियां थीं, जो "असाधारण नहीं थी, क्योंकि हिन्दी प्रतियों में भी गलतियों हो ही जाती हैं ।" इस पर

भी उन्होंने कहा कि बन्दोबस्त अधिकारी ने हिदायतें दे रखी थी कि भविष्य में यदि किसी गलती की ओर अन्तिम प्रकाशन के कार्यभारी सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया तो, गलती सुधार दी जानी चाहिए।

328. जनवरी, 1964 में जब सहायक आयुक्त बिहार राज्य के दौरे पर गये, उर्दू भाषियों ने बिहार औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1947 के 16 और 17 नियमों के प्रस्तावित संशोधन के विरुद्ध शिकायत की, जिसके अनुसार स्थायी आदेश सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी में ही प्रकाशित किये जायेंगे, उर्दू में नहीं। मामले के संबंध में राज्य सरकार को लिखा गया है, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

दक्षिणी क्षेत्र

329. आंध्रप्रदेश :— सहायक आयुक्त के राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे के समय, भाषाजात अल्पसंख्यकों ने निम्नलिखित शिकायतों से उन्हें अवगत कराया :—

(क) श्रीकाकुलम जिले के उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की कि ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति उन इलाकों में होती है, जहां भाषाजात अल्पसंख्यक बहुसंख्या में थे और वे अक्सर स्थानीय भाषाएं नहीं जानते हैं।

उनके कार्य का स्वरूप ही ऐसा है कि जब तक वे उनके अंचल में रहने वाले प्रायः प्रत्येक व्यक्ति से निकट सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम न हों, वे अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। स्थानीय भाषा से अनभिज्ञता प्रायः एक दुस्तर बाधा होगी। बाद में इस मामले पर जिला आयोजना अधिकारी से विचार-विमर्श हुआ, जो आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राजी हो गए, यदि कभी कोई निश्चित मामला उनके समक्ष लाया गया।

(ख) यद्यपि सोमपेटा, तेक्काली और पाठ-पटनम तालुकों में से प्रत्येक में उड़िया भाषी जनसंख्या का 40 प्रतिशत से भी अधिक है, मतदाता सूची और मत-पत्र उड़िया में नहीं छापे गए हैं।

यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिनके पास शिकायत भेज दी गयी थी।

(ग) सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालय में संपत्ति अधिकार हस्तान्तरित करने का कोई दस्तावेज उड़िया में लिखे जाने की अनुमति नहीं थी।

सहायक आयुक्त ने भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को समझाया कि वर्तमान आदेशों के अनुसार इच्छापुरम, सोमपेटा, पाठपटनम, मन्डासा, कासीबुग्गा और तेक्काली उपजिलों में और विशाखापटनम जिला रजिस्ट्रेशन के कुरुपम और सुरंडवरंपुकट उपजिलों में उड़िया को दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए आमतौर से प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था।

(घ) महबूबनगर के उर्दू भाषियों ने शिकायत की, कि कचहरियों में वाद-पत्रों के अंग्रेजी अनुवाद अभी तक मांगे जाते हैं और उर्दू में बहस करने की अनुमति नहीं दी जाती।

शिकायत की और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ङ) महबूबनगर के उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यकों ने यह भी शिकायत की कि स्थानीय राजकोष (ट्रेजरी) कार्यालय में उर्दू प्रपत्र (फार्म) उपलब्ध नहीं थे।

जिले के कलेक्टर ने, जो बैठक में उपस्थित थे, आश्वासन दिया कि ऐसे प्रपत्रों को उर्दू में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

(च) चित्तूर जिले के तमिल अल्पसंख्यकों ने शिकायत की, कि सभी सरकारी कार्यालयों में वर्तमान तमिल के संकेत पट्टों के बदले व्यवस्थितता से तेलुगु पट्ट लगाए जा रहे थे। वे चाहते थे कि तमिल में लिखे हुए संकेत पट्टों को हटाए विना तेलुगु पट्ट लगाए जांय।

यह शिकायत राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी है।

(छ) चित्तूर तमिल भाषाजात अल्पसंख्यकों ने यह प्रार्थना भी कि की तमिल में लिखे हुए आवेदन-पत्र/अर्जियां, कचहरियों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा ग्रहण की जांय।

सहायक आयुक्त ने प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत अभिवेदनों के उत्तर उसी भाषा में जिसमें वे लिखे गए थे देने का निर्दिष्ट प्राव धान किया गया था और चित्तूर जिले में तमिल अतिरिक्त कचहरी की भाषा के रूप में स्वीकृत थी।

330 केरल : जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 261 में उल्लेख किया गया है, तमिल भाषाजात अल्पसख्यकों ने पहले शिकायत की थी कि 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए 'वक्तव्य' के परिच्छेद 13 और 14 में निर्दिष्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और कचहरियों, पंचायतों, ब्लाको, आदि में, जहां अधिकारी तमिल भाषा से अनभिज्ञ थे, कठिनाईयों का अनुभव करना पड़ रहा था। राज्य सरकार ने कहा है कि उक्त वक्तव्य में उल्लिखित सुविधायें प्रदान करने के लिए आदेश ज़ारी किए जा चुके थे। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यह निश्चित बनाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारी का, जहां किसी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या ऐसे क्षेत्र की आबादी का 15 प्रतिशत से अधिक हो, ऐसी भाषा/भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान रहना चाहिए।

331. छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतों का उत्तर राज्य सरकार ने नहीं दिया :—

(क) मुन्नार क्षेत्रों में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अपर्याप्त संख्या।

(ख) सरकारी गजट का तमिल में प्रकाशित न होना।

(ग) कासरगोड तालुक में लोगों की बहुसंख्या कन्नड़ भाषी है, कन्नड़ जानने वाले पंचायत कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति न करना।

332. एक दूसरी शिकायत के उत्तर में कि, कुछ सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में कन्नड़ भाषा जानने वाले कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण कन्नड़ में दस्तावेजों की प्रतियां समय नहीं प्राप्त हुई, राज्य सरकार ने कहा है कि उन सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के अधिकारियों

और लिपिकों के लिए कन्नड़ और मलयालम, दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। द्विभाषिक कार्यालयों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य लोकसेवा आयोग से अनुरोध किया गया है।

333. कासरगोड के कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि उस तालुक के अदालतों में पक्षों के अंग्रेजी में दिए बयानों का अभिलेखन बन्द कर दिया गया था, क्योंकि अध्यक्षासीन प्राधिकारियों को अंग्रेजी में मौखिक गवाही लेने की क्षमता नहीं दी गयी थी। यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया, उन्होंने मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किए कि गवाहों का साक्ष्य वे अपनी हाथों से अंग्रेजी में लिखें।

334. यह आरोप करते हुए शिकायत प्राप्त हुई कि कासरगोड तालुक के चार पी० डब्ल्यू० डी० सहायक अभियन्ताओं में से तीन कन्नड़ भाषा से अनभिज्ञ थे। राज्य सरकार ने बताया कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार कन्नड़ भाषा की योग्यता रखने वाले तीन अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता के अनुसार सहायक अभियन्ता के संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया था।

335. कासरगोड क्षेत्र के कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों ने प्रार्थना की कि निम्नलिखित स्थानीय जगहें, कन्नड़ का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जांय :- चिकित्सा अधिकारी, फाइलेरिया निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, विस्तार (परिवार नियोजन) शिक्षक, निरीक्षिकाएं और मात्र सहायिकाएं।

336. एक दूसरी शिकायत में कासरगौड़ क्षेत्र के कन्नड़भाषी अल्पसंख्यकों ने असंतोष प्रकट किया कि राज्य सरकार के अनेक अश्वासनों, कि कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों की ही वहां नियुक्ति होगी, के विपरीत ग्राम सहायकों और ग्राम सेवकों को बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा रही थी, जो कन्नड़ भाषा से अनभिज्ञ थे। शिकायत राज्य सरकार के यहां भेज दी गई है, जिनका उत्तर प्रतीक्षित है।

337. मई, 1964 में कर्नाटक प्रान्तीकरण समिति द्वारा पारित निम्नलिखित प्रस्तावों को ओर आयुक्त का ध्यान आमन्त्रित किया गया था :—

प्रस्ताव VIII—इस क्षेत्र की पंचायतों के सभी प्रस्तावों का मलयालम में की अनुवाद मांगे जाने के सरकारी आदेश के विरुद्ध सम्मेलन तीव्र विरोध करता है।

प्रस्ताव IX—कासरगौड़ तालुक की पंचायतों की अपने रेडियो पर केवल त्रिवेन्द्रम और कालीकट स्टेशनों की अनिवार्य रूप से सुनने के सरकारी आदेशों के विरुद्ध यह सम्मेलन तीव्र विरोध प्रकट करता हैं।

प्रस्ताव X—पंचायतों, स्कूलों, ग्रामीण कार्यालयों और अन्य सरकारी विभागों में कन्नड़ प्रपत्र देने को कर्नाटक समिति द्वारा बारम्बार की गई मांग को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता को देख कर सम्मेलन खेद प्रकट करता हैं तथा इसे तुरन्त कार्यान्वित करने का सरकार से अनुरोध करता है'। राज्य सरकार के विवरण की प्रतीक्षा है, जिनको यह मामला भेजा गया था।

338. राज्य के तामिल भाषाजात अल्पसंख्यकों ने, संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत आम जनता के दस्तावेज और सरकारी काम-काज में प्रयोग के लिए तमिल को मान्यता देने का आग्रह किया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अनुवाद विभाग में उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, जो तमिल और कन्नड़ अनुभागों में काम

करते थे। सहायक तमिल नुवादकों का वेतन-मान भी प्रथम श्रेणी के मलयालम अनुवादकों के समान होना चाहिये। इनकी जांच चालू है।

339. तमिल भाषाजात, अल्पसंख्यक ने शिकायत की, कि केरल राज्य के एकमात्र साप्तहिक "वाचिनाड" में राज्य के सरकारी विज्ञापन प्रकाशनार्थ नहीं दिये जाते थे। राज्य सरकार से उसकी चर्चा की गई है।

340. एक दूसरी शिकायत में, तमिल भाषाजात अल्पसंख्यकों ने आरोप लगाया कि देविकोलम तालुक में, जहां की उनकी घनी आबादी है, एक भी तमिल, आर० डी० ओ० सेल्स टैक्स के कार्यालय, रजिस्ट्रेसन कार्यालय, तालुक कार्यालय आदि में काम नहीं कर रहा था यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

341. **मद्रास:**—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(क) मद्रास शहर की मतदाता-सूचियां तेलगू में भी छापी जानी चाहिये। राज्य सरकार ने बताया कि 1961 की जनगणना के आंकड़ों की प्राप्ति होने पर तथा निर्वाचन आयोग के निदेश मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा।

(ख) होसुर तालुक में तेलुगु के दस्तावेजों का पंजीकरण कराना सब समय संभव नहीं था।

(ग) राज्य सरकार के जी० ओ० दिनांक 14–3–1961 के अन्तर्गत उपबन्धित विभिन्न परित्राणों को अमल में न लाना।

इन पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) सलेम जिले की अदालतों में तेलुगु के प्रयोग के लिए आनरेबुल हाई कोर्ट के आदेश का अमल में न लाया जाना।

राज्य सरकार ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने दिनांक 17–2–1964 में एक परिपत्र जारी किया था कि उसके परिपत्र दिनांक 11–11–1961 का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिये। मद्रास उच्च न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश में अपने प्रतिरूप की भी तेलुगु प्रपत्र के लिए लिखा है।

(ङ) होसुर और दनकानीकोला के पंजीकरण कार्यालय में व्यवस्था का पुनः स्थापन। जहां 1960 के पहले, प्रातगिर अभिलेख तेलुगु में लिखे जाते हैं।

(च) कृष्णगिरि सब-रजिस्ट्री में तमिल जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति जहां जनता की बहुसंख्या तेलुगू भाषी हैं।

(छ) राज्य सरकार के जी० ओ० नं० 455, दिनांक 14–3–1961 में परिकल्पित सुविधाओं का राजस्व मंडल द्वारा कार्यान्वित न करना।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के विवरण की प्रतीक्षा है :

(ज) होसुर तालुक में तेलुगू मनीआर्डर फार्म का सुलभ करना और तेलुगू साइन बोर्ड बनाये रखने की मांग।

डाक और तार विभाग ने आयुक्त को सूचित किया है कि अभी मनीआर्डर फार्म सिर्फ अंग्रेज़ी या दो भाषाओं (अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा) में छापे जाते हैं। डाकखानों के संकेत फलकों के सम्बन्ध में पोस्ट मास्टर जनरल, डाकतार विभाग मद्रास, विचार करने तथा यथासंभव जनता की मांग पूरी करने के लिए, अनुरोध करने पर राजी हो गया।

(झ) जी० ओ० दिनांक 14–3–1961 में तेलुगू भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परिकल्पिक विभिन्न परित्राणों का कार्यान्वित न किया जाना।

राज्य सरकार ने बताया कि उक्त जी० ओ० की विषयवस्तु हौसुर तालुक से सभी सरकारी कार्यालयों में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में प्रकाशित कर दी गई थी। तेलुगू का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का तर्क है कि होसुर तालुक बहुभाषी क्षेत्र घोषित किया गया था, तेलुग और कन्नड़ दोनों इस कार्य के हेतु अल्पसंख्यक भाषाएँ घोषित की गई हैं। इसीलिये तेलुगू और कन्नड़ दोनों भाषाओं के बोलने वालों को सब समय संतुष्ट करना सम्भव नहीं होगा। जहां तक तेलुगू में राजस्व रसीदों के मामले का सम्बन्ध है, राज्य सरकार की साथ में तेलुगू, कन्नड़ और तामिल में "किस्त" रसीदें देना प्रशासन की दृष्टि से बोझिल और भ्रान्तिपूर्ण होगा। बहुत पहले रजिस्टर तमिल में रखे जा रहे थे और अधिकांश लोगों को तमिल का काम-चलाऊ ज्ञान है, वास्तव में कोई कठिनाई ही नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि जमाबन्दी का कार्य कभी तेलुगू में नहीं हुआ तथा हिसाब भी तेलुगू में न रखे गये।

(ट) हौसुर तालुक की कचहरियों में तेलुगू में लिखे दस्तावेज, बिना उनके तमिल अनुवाद के स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

राज्य सरकार ने उक्त आरोप के सही होने की पुष्टि की। किन्तु उन्होंने कहा कि कचहरी, ऐसे अनुवाद पर जोर देती है, क्योंकि कर्मचारीबृन्द में बहुत कम ही तेलुगू अच्छी तरह जानते हैं। यह भी सूचना मिली कि इस मामले के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय के साथ पत्राचार चल रहा था।

(ठ) हौसुर तालुक में तमिल भाषी ग्राम सेवकों की तैनाती, जबकि वहां कन्नड़ भाषी बड़ी संख्या में रहते हैं।

राज्य सरकार के विवरण की प्रतीक्षा है।

342. होसुर में तेलुगू भाषाजात अल्पसंख्यकों की एक दूसरी शिकायत थी कि हौसुर तालुक के पंचायत संघों द्वारा पत्र-व्यवहार में तेलुगू का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। यह भी आरोप लगाया गया कि तेलुगू में परिपत्र आदि जारी करने की पंचायतों के सभापतियों की प्रार्थना पंचायत संघों के आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं की गई। यह मामला राज्य सरकार के यहां भेजा गया था, जिन्होंने भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सूचित किया कि पंचायतों के संघटन के समय से सभी पत्राचार या तो अंग्रेज़ी में या तमिल में हुआ था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि 1961 की जनगणना के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के बाद ही जी० ओ० नं० 455 दिनांक 14–3–1961 में स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अनुबन्धित परित्राणों के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस जी० ओ० के अनुसार जहां-कहीं जनसंख्या के 20 प्रतिशत या इससे अधिक लोग राज्य की

बहुमत भाषा अर्थात् तमिल से निम्न भाषा बोलते हों तो, निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगी :—

(i) सभी महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम, मतदाता सूचियों आदि अल्पसंख्यक भाषा या भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिएं ।

(ii) जनता के उपयोग में आने वाले प्रपत्र आदि प्रादेशिक और अल्पसंख्यक भाषाओं में छपने चाहिये ।

(iii) अल्पसंख्यक भाषाओं में दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधायें दी जानी चाहिए ।

(iv) सरकारी कार्यालयों के साथ अल्पसंख्यक भाषा में लिखा-पढ़ी करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

343. होसुर में तेलुगू भाषाजात अल्पसंख्यकों ने यह भी शिकायत की, कि पंचायत निकायों को पंचायत संघ परिषदों द्वारा जारी किये गये सभी आदेश और सूचनायें तमिल में थीं, जिससे पंचायत के सदस्यों को असुविधा हुई । यह भी उल्लेख किया गया था कि यद्यपि उस क्षेत्र के स्कूलों में से 95 प्रतिशत तेलुगू स्कूल हैं, शिक्षा अधिकारीगण अपनी सूचनाएं न केवल तमिल में भेजते थे; वरन् ऐसे स्कूलों के तेलुगू अध्यापकों को स्कूलों के ब्योरे आदि तमिल में दाखिल करने के लिए कहा गया था । राज्य सरकार ने उत्तर में कहा कि पंचायत के सभापतियों को तमिल में पत्र-व्यवहार करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा था । चूंकि पंचायत के कर्मचारी सभी अल्पसंख्यक भाषाओं को भली-भांति नहीं जानते; अतः जिला कलेक्टर ने हिदायतें जारी कीं कि महत्वपूर्ण परिपत्र और पत्र-व्यवहार में अंग्रेज़ी प्रयुक्त की जाय जिससे विभिन्न भाषाजात वर्गों को शिकायत न हो । राज्य सरकार ने इस आरोप को भी अस्वीकार किया कि तेलुगू अध्यापकों को स्कूलों के ब्योरे तमिल में भेजने के लिए बाध्य किया गया और उन्होंने बताया कि सरकारी आदेश और महत्वपूर्ण ज्ञापन या तो अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी और तेलुगू में जारी किए गए ।

344. होसुर तालुक की पंचायतों से समय-समय पर, तमिल के प्रयोग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है :—

"सरकारी ज्ञापन 52210—सी 2/63—7 दिनांक 24—12—1963 (आर० डी० और एल० ए०) द्वारा तामिल को ब्लाक स्तर पर सरकारी भाषा के रूप में प्रवेश मिला, परिणामतः होसुर के पंचायत संघ परिषद् अपनी ओर से अंगीभूत पंचायतों से अनुरोध किया कि वे अपने काम-काज के लिए तमिल की सरकारी भाषा के रूप में ग्रहण करने का प्रस्ताव पारित करें । यद्यपि पंचायतों को तदनुसार अनुरोध किया गया था फिर भी वे तेलुगू का सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं । उन पंचायतों में जहां तेलगू अधिकतर बोली जाती है, वहां आज भी हिसाब और कार्यवाही तेलुगू में लिखी जाती है, जो स्वयं एक स्पष्ट प्रमाण है कि किसी प्रकार का किसी ओर से कोई तनाव नहीं है : ग्रामीण अधिकारियों तथा पंचायतों की ओर से अभी भी पत्र तो तामिल में या अंग्रेज़ी में मिलते हैं तथा जिस भाषा में पत्र मिलते हैं उसी भाषा में उत्तर दिया जाता है ।"

345. मैसूर:—जब आयुक्त मैसूर गए तब मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने कई एक शिकायतें पेश करते हुए सारे राज्य में सामान्यरूप से और बेलगांव में विशेष रूप से मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विभेदीकरण की नीति बरतने का आरोप लगाया इन शिकायतों पर राज्य सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की गई। नीचे के परिच्छेदों में शिकायतों और राज्य सरकार के उत्तरों की आलोचना की गई है।

(i) आरोप किया गया था कि सम्मन, ट्रेजरी चालान, बिक्री-कर और आयकर के प्रपत्र, सूचनायें, बिल और रसीदें अंग्रेज़ी और कन्नड़ दोनों में छापी जाती थीं किन्तु मराठी में नहीं। राज्य सरकार ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा प्रयुक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त, जो मराठी में भी छापे जाते थे, दूसरे सारे प्रपत्र या तो अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी और कन्नड़, दोनों में रहते थे। इसलिये राज्य सरकार का ध्यान दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय और राज्य सरकार के आदेश की ओर आकृष्ट किया गया, जिसमें कहा गया था कि जनता द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र आदि दोनों—प्रादेशिक भाषा और अल्पसंख्यक भाषा में छपने चाहिये। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि बेलगांव जिले में इस निर्णय को कार्यान्वित करे, जिससे सरकार ने इसके लिए द्विभाषी क्षेत्र घोषित किया था।

(ii) नगरपालिका के चुनाव के ठीक पहले, वार्ड्स बदल दिए गए, जिससे मराठी जनसंख्या इस तरह विभाजित कर दी गई कि सिर्फ कन्नड़ी लोग चुने जा सकते और लोक सभा के लिए भी निर्वाचन क्षेत्रों को इसी तरह बदलने की कोशिश की जा रही थी। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(iii) राज्य विधान मंडल में मराठी प्रतिवेदकों के अभाव के कारण मराठी भाषी सदस्यों की वक्तृतायें सरकारी कार्यवाहियों में दर्ज नहीं किए गए। आयुक्त महसूस करते हैं कि विधान मंडल की कार्यवाही के स्थायी अभिलेख होने की वजह से किसी सदस्य का क्लेश का अनुभव करना उचित होगा यदि वक्तृताए दर्ज न की जाय केवल इसलिये कि वह मराठी में बोला। हालांकि राज्य सरकार ने सफाई दी है कि पूर्ण प्रयत्न करने पर भी उपयुक्त योग्यता प्राप्त मराठी आशुलिपिक नहीं प्राप्त हो सका। किन्तु उन्होंने आयुक्त को विश्वास दिलाया कि ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति के लिए और कोशिश की जा रही थी।

(iv) नये अधिनियम के अन्तर्गत बेलगांव नगरपालिका को अभिलेख कन्नड़ या अंग्रेज़ी में रखने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किन्तु मराठी में नहीं, जो उस शताब्दी पुरानी संस्था में प्रचलित थी। राज्य सरकार के उत्तर के अनुसार नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत, नगरपालिकाओं को अपनी कार्यवाही के विवरण को मराठी में रखने का अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं था। बेलगांव के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण

—6.

इस प्रकार किया गया है :

"वेलगांव नगरपालिका, उसके द्वारा 1926 में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार अपने अभिलेख अंग्रेज़ी और मराठी में रही है । 1952 में तत्कालीन वेलगांव के स्थानीय प्राधिकारियों के निदेशक ने नगरपालिका को सूचित किया कि सरकारी प्रस्ताव, राजनीति और सेवा विभाग, दिनांक 15–5–1950 के अनुसार बम्बई सरकार ने कन्नड़ को, शाहपुर (अब छन्दगढ़) तालुक को छोड़ कर वेलगांव जिले की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी थी, इसलिये वेलगांव के निवासी नगरपालिका से बिल, रसीदे, उत्तर आदि कन्नड़ मे पाने के हकदार थे और नगरपालिका को इसका पालन करने के लिए आदेश दे दिया गया था । 1953 में वेलगांव के स्थानीय प्राधिकारियों के निदेशक ने नगरपालिका को पुन: सूचित किया कि वेलगांव नगरपालिका स्वायत्त शासन की द्विभाषी माना गया था और चूंकि नगरपालिका क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी मराठी भाषी है । नगरपालिका कार्यवाही का अभिलेख रखने में उस भाषा का प्रयोग कर सकती है किन्तु कन्नड़ में प्राप्त पत्रों का उत्तर भेजने मे तथा उस भाषा के बोलने वाले लोगों को बिल, सुचनायें आदि जारी करने में उसे कन्नड़ का प्रयोग करना चाहिये । चूकि नगरपालिका ने इस आदेश का पालन नही किया, स्थानीय प्राधिकारियो के निदेशक ने अपने आदेश दिनांक 30–8–1955 के द्वारा नगरपालिका को कन्नड़ में प्राप्त पत्रों के उसके उत्तरों तथा कन्नड़ भाषियों को जारी किए बिल, सूचनाओं आदि में मराठी के प्रयोग का निषेध कर दिया। इसके पश्चात् नगरपालिका ने कन्नड़ भाषा में प्राप्त पत्रादि का उत्तर उसी भाषा में देना आरम्भ किया। किन्तु बिल और सूचनाओं में कन्नड़ का प्रयोग करने के लिए वे राजी नही हुए और अन्ततोगत्वा अगस्त, 1961 मे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि बिल, रसीदों आदि में मराठी के व्यवहार की परम्परा नही बदली जानी चाहिये । इस तरह आज भी नगरपालिका की कार्यवाही और अभिलेख तथा बिल, रसीदें और सूचनाएं सिर्फ मराठी में ही रखे जाते है। केवल कन्नड़ में पत्रों के उत्तर देने के सम्बन्ध में कन्नड़ के प्रयोग की सूचना प्राप्त है।"

346. यह प्रतिवेदन किया गया कि पहले के बम्बई राज्य में वेलगांव जिला द्विभाषी क्षेत्र के रूप में स्वीकृत था, किन्तु पुनर्गठन के बाद मराठी के महत्व को भुला दिया गया। राज्य सरकार द्वारा यह तर्क स्वीकार नही किया गया । उन्होने कहा है कि अंग्रेजों के शासन के आरम्भ काल से वेलगांव और कारवार जिलो की सरकारी भाषा कन्नड़ थी। यद्यपि वेलगांव में गत शताब्दी के मध्य के कुछ बहुत पुराने सर्वेक्षण अभिलेख मोडी लिपि में है, पीछे के सर्वेक्षण अभिलेख सभी कन्नड़ मे हैं। सन् 1888–89 का कमल-पत्रक कन्नड़ मे है। गांव तथा अन्य राजस्व अभिलेख बराबर कन्नड़ में मिलते है, दो चार गाँवों को छोड़

कर, जो मूलतः सांगलों, कुरुन्दवाड, मुधोल, रामदुर्ग आदि जैसे देशी राज्यों के अंग थे और जिनके शासक महाराष्ट्र या पेशवाओं के दानग्रहोता था। बैलगांव में पुलिस अभिलेख सदा कन्नड़ में रखे गये हैं। इस जिले की सभी दीवानों कचहरियों की भाषा सब समय कन्नड़ थी। किन्तु सन् 1927 में बैलगांव और चिकोडी की दीवानी कचहरियों में मराठी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में प्रवेश मिला (देखिये सरकारी अधिसूचना सं० 2433/2 दिनांक 21, सितम्बर, 1927)। राजस्व विभाग तथा अन्य कार्यालयों में सरकारी भाषा के सम्बन्ध में पहले की बम्बई सरकार ने शाहपुर को छोड़ कर बैलगांव जिले के सभी तालुकों और महालों में कन्नड़ भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी थी (देखिए सरकारी प्रस्ताव सं० 2026/46 दिनांक 17-5-1950)। सिर्फ शाहपुर तालुक के लिए उन्होंने मराठी और कन्नड़ दोनों की मान्यता दी थी। अतः इस तालुक का क्षेत्र वर्तमान बैलगांव और छान्दगढ़ तालुक में अन्तर्मुक्त कर लिया गया, छान्दगढ़ अब बम्बई राज्य में है। राज्य पुनर्गठन के बाद भी यह स्थिति जारी है।

347. राज्य सरकार ने यह भी बताया कि मराठी भाषा का स्थान कन्नड़ को नहीं लिया जा रहा था, जैसा कि कहा गया था। चिकोड़ी, बैलगांव और खानपुर तालुक द्विभाषी क्षेत्र हैं और तीनों भाषाएँ, यथा—मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी साइनबोर्ड, साइनपोस्ट और मील-पत्थरों आदि के लिखने में प्रयक्त होती हैं। अभी तक पी० डब्ल्यू० डी० प्राधिकारियों से किसी प्रकार की आलोचना या कथन नहीं प्राप्त हुए हैं। यह कहा गया है कि द्विभाषिक क्षेत्र में नीलामी बिक्री की सूचनाएं मराठी और कन्नड़ में जारी की गई थीं। मराठी और कन्नड़ में प्राप्त आवेदनों के उत्तर या तो सम्बन्धित भाषाओं में या अंग्रेजी में दिये जा रहे थे। सरकारी पत्र जो डी 25 जे एम आर 62 दिनांक 21-2-1962 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार सूचनाएं और यातायात संकेत, मैसूर यातायात नियंत्रण, 1961 के अन्तर्गत अंग्रेज़ी और कन्नड़ के अतिरिक्त मराठी में भी दिखलाये जाते हैं, जहां मराठी भाषी लोग बड़ी तादाद में हैं (15 प्रतिशत या उससे अधिक)। ऐसे पां गांवों की सूचियां तैयार की गई हैं तथा प्रभाग के सहायक अभियन्ताओं को सरकारी आदेशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया जा चुका है।

348. एक दूसरी शिकायत में, समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत कहा गया था कि कन्नड़ में अधिसूचनाएं जारी करना अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार के कथनानुसार उस अधिनियम में केवल कन्नड़ में अधिसूचनाएं जारी करने के लिए कोई निर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।

349. यह अभिवेदन किया गया कि जजी अदालतों में मराठी का बहिष्कार करके कन्नड़ का निरंतर प्रयोग किया जाता था और मराठी में दिए गए वक्तव्य बयान पंचनामा आदि कन्नड़ में लिखे जाते थे। शिकायत राज्य सरकार के पास भेजी गई, उन्होंने बताया कि कथन तथ्यों पर आधारित नहीं था। कहा गया था कि मराठी में दिए गए क्तव्य, बयान, पंचनामा आदि मराठी में ही लिखे जाते थे तथा प्रत्येक अदालत में मराठी और कन्नड़ दोनों भाषाएं जानने वाला एक लिपिक था, जो इनका अनुवाद कर सके।

350. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लेख किया गया था कि दान्डली अधि-सूचित इलाके (उत्तरी कनारा जिला) में अधिसूचनाएं, नियमावली आदि तेलुगु में उपलब्ध

नहीं थे। राज्य सरकार ने बताया कि प्रार्थना इसलिये स्वीकृत नहीं हो सकी कि क्षेत्र की तेलुगु भाषी आबादी कुल जनसंख्या का केवल 6 से 7 प्रतिशत था। तथापि वे 1961 की जनगणना के आकड़े प्राप्त होने पर पुनः मामले पर विचार करने के लिए राजी हो गये।

351. निपाली नगरपालिका स्वायत्त शासन के मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने निम्नलिखित शिकायतों पर एक ज्ञापन पेश किया। राज्य सरकार के साथ इन पर लिखा-पढ़ी हुई, उनके उत्तर का भी संकेत किया जा रहा है :

(क) सन् 1956 तक सरकारी पत्र-व्यवहार सिर्फ मराठी मे ही होता था और मराठी भाषी प्रचुर बहुसंख्या मे थे।

राज्य सरकार ने बताया कि अंग्रेजों के शासन काल के आरंभ से बैलगांव और कारवार जिलों मे कन्नड़ ही सरकारी भाषा चली आ रही थी। निपानी की मराठी भाषी जनसंख्या की साख्यिक स्थिति ज्ञात नही थी, किन्तु निपानी नगरपालिका स्वायत्त शासन को मिलाकर, चिकोड़ी तालुक के मराठी भाषियों का प्रतिशत 1961 की जनगणना के अनुसार, 42.1 था।

(ख) दिवानी अदालतों की सारी कार्रवाई कन्नड़ मे सम्पन्न होती थी, यद्यपि लोग उसे नही समझते थे।

राज्य सरकार के कथनानुसार मराठी मे लिखे हुए अभियोगपत्र तथा अन्य दस्तावेज बिना आपत्ति के स्वीकार किए जाते थे। मराठी मे दिये गए वक्तव्य, बयान आदि मराठी मे ही लिखे जाते थे। बहुत से जज मराठी जानते थे और मराठी के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से युक्त मामलो का बिना किसी कठिनाई के निर्णय कर सकते थे। कर्म-चारीवृन्द की भर्ती भी प्रत्येक अदालत की अनुकलता को ध्यान मे रख कर की जाती थी।

(ग) तहसीलदार के कार्यालय में कार्यवाही केवल कन्नड़ में की जाती है। तलाती और पाटिल के हिसाब और ब्योरे पहले मराठी मे रखे जाते थे जो कन्नड़ मे बदल दिए गए।

राज्य सरकार ने सूचना दी कि तालुक कार्यालय की कार्यवाही कन्नड़ और मराठी दोनों मे की जाती है और तालुक के किसी गांव मे अभिलेख मराठी से कन्नड़ में नही बदले गए थे।

(घ) मराठी स्कूलों की उपेक्षा और मराठी भाषी उम्मीदवारों को नियुक्त न किया जाना यदि वे कन्नड़ न जानते हों।

राज्य सरकार के अनुसार सभी स्कूलों के साथ समान बर्ताव किया गया था। जिला स्कूल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर की गई। कन्नड़, मराठी और उर्दू स्कूलो के चयन का आधार एक, और समान था, इसलिए उम्मीदवारों को, इस आधार पर कि वे कन्नड़ नही जानते, न लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नगरपालिकाएं सारी कार्यवाही कन्नड़ मे चलाने के लिए बाध्य की जा रही हैं।

इस प्रकार की आशंका 1964 के नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान के कारण है, जो आदेश देता है कि कार्यवाही कन्नड़ में रखी जानी चाहिए। राज्य सरकार के अनुसार अंग्रेजी के स्थान पर कन्नड़ मे अभिलेख रखने के लिए अधिनियम में प्रावधान रखा गया था।

(च) मराठी भाषियो के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप।

राज्य सरकार ने बताया कि ये आरोप अस्पष्ट थे, और यदि दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के निर्दिष्ट उदाहरण राज्य सरकार के सामने रखे जायेंगे तो उनकी जाच की जायेगी।

352. आयुक्त का ध्यान एक शिकायत की ओर आकृष्ट किया गया कि हुबली के हिन्दी भाषाजात अल्पसंख्यक राज्य सरकार के महकमों को अर्जिया आदि ही भेज सकते थे, और जहां अर्जीदार केवल हिन्दी ही जानते थे, प्रत्येक बार 10 रु० अनुवाद शुल्क मांगा जाता था। इस मामले को राज्य सरकार से अवगत कराया गया जिन्होने एक परिपत्र जारी कर निदेश दिया कि हिन्दी में प्राप्त अर्जिया बिना अनुवाद शुल्क मांगे स्वीकार की जांय।

353. जब सहायक आयुक्त वेल्लारी गए, तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की, कि यद्यपि वेल्लारी नगरपालिका परिषद में तेलुगु भाषी सभासद ही सबसे वड़ी संख्या मे थे, परिषद की कार्यसूची तेलुगु मे छापने पर राज्य सरकार ने आपत्ति की थी। राज्य सरकार की नीति के अनुसार कार्यसूची सिर्फ अंग्रेजी और कन्नड़ में छापी जा सकती थी, दोनो मे से वहुसंख्यक सभासद एक को भी नहीं समझते। यह भी आरोप किया गया था कि कार्यसूची तेलुगु मे छापने के लिए बिल को पारित करना राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।

354. यह मामला राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है, जिनका वक्तव्य अभी भी प्रतीक्षित है।

355. राज्य के तेलुगु और मराठी भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा की गई तथा छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतों पर राज्य सरकार के कथन अभी प्रतीक्षित हैं :—

(क) तेलुगु में प्रकाशित मतदाता सूचियों में असंगतियां हैं।

(ख) महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं आदि के तेलुगु में प्रकाशन के लिए वेल्लारी जिले को द्विभाषिक घोषित करना।

(ग) जहा तेलुगु भाषी वहुसंख्या में है, वहां सूचना तथा चिन्हपट्ट दोनों भाषा मे हों।

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि बन्दोवस्त कागजात (जमावन्दी आदि) में तेलुगु व्यवहृत नही की जा रही थी।

(ङ) वेल्लारी के सरकारी कार्यालयो द्वारा तेलुगु फार्म नही दिए जा रहे थे।

(च) वेलगांव के आवकारी विभाग के अधिकारी मराठी नही जानते थे।

पश्चिमी क्षेत्र

356. गुजरात :—जब सहायक आयुक्त गुजरात गए, सिंधी भाषाजात अल्पसंख्यकों ने अभिवेदन किया कि वे जेटपुर नगरपालिका में कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत से भी अधिक थे और इसलिए परिपत्र सूचनाएं आदि सिंधी में भी प्रकाशित होनी चाहिए। मामले पर अभी राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

357. महाराष्ट्र :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में उल्लिखित निम्नलिखित शिकायतों पर राज्य सरकार का वक्तव्य प्रतीक्षित है :

(क) कन्नड़ प्रार्थनापत्रों तथा गवाहियों का न्याय प्रशासन विभागों द्वारा न लिया जाना ।

(ख) सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञप्तियों का उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित न होना,

(ग) किसी भी अल्पसंख्यक भाषा में राज्य सरकार की सूचनाओं आदि का जारी न किया जाना ।

358. राज्य के उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यकों ने यह भी प्रतिवेदन किया कि मतदाता सूचियां उन सभी क्षेत्रों में उर्दू में प्रकाशित होनी चाहिए जहां उर्दू भाषी जनता कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। सभी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण सूचनाएं आदि उर्दू में भी प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाय । अभिवेदन राज्य सरकार के यहां भेज दिया गया था, जिनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

उत्तरी क्षेत्र

359. पंजाब :—इस शिकायत पर कि जालंधर के एक सब-जज ने अर्जी को इस आधार पर कि वह हिन्दी में लिखी थी, लेने से इन्कार कर दिया, राज्य सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है । इस शिकायत का उल्लेख छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XV में किया गया था ।

360. राजस्थान :—छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 267 में उल्लिखित शिकायत, कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा पहला इत्तलानामा इस कारण स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह उर्दू में लिखा हुआ था, के उत्तर में राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित सब-इन्सपेक्टर ने इसे प्रार्थी द्वारा हिन्दी में अनुवाद करवा लेने की इच्छा इसलिए प्रकट की थी कि उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। प्रार्थी ने ऐसा करना अस्वीकार किया, उर्दू अर्जी स्वीकृत कर ली गई और अविलंम्य उसे पंजीकृत कर लिया गया ।

361. नवम्बर, 1964 में सहायक आयुक्त के राजस्थान दौरे के समय, सिंधी भाषियों द्वारा निम्नलिखित अभिवेदन प्रस्तुत किए गए ।

(i) सभी महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और मतदाता सूचियां, उन क्षेत्रों में सिंधी में प्रकाशित होनी चाहिए, जहां सिंधी जनसंख्या के प्रतिशत से इसका समर्थन होता हो ।

(ii) यद्यपि अखिल भारतीय साहित्य अकादमी के कार्यकलापों में सिंधी शामिल कर ली गई थी, इस तरह की रियायत राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सिंधी को नहीं दी गई है ।

(iii) राजस्थान में करीब एक दर्जन सिंधी समाचार पत्र थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्तियां सिंधी में जारी नहीं की गईं। वस्तुतः कोई सरकारी विज्ञापन सिंधी समाचार पत्रों में नहीं दिए गए ।

(iv) अजमेर में 50,000 से अधिक सिंधी भाषी होते हुए भी नगरपालिका परिषद् में सिंधी में सूचनायें आदि प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

इनको राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

चौथा अध्याय

सरकारी नौकरियों में भाषाजात अल्पसंख्यकों की भर्ती

362. भूतकाल में राज्य सरकारों की नौकरियों में भर्ती होने में असन्तोष के दो मुख्य कारण थे (i) अधिवास सम्बन्धी बाधायें और (ii) कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता की उच्च परीक्षा निर्धारित करके या उस भाषा को कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम बनाकर अपनी नौकरियों को प्रधान भाषा वर्ग के लिए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति। कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य प्रश्नपत्र है। 1957 के जनता रोजगार (निवास की अपेक्षा) अधिनियम 44 द्वारा अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिए गए। किन्तु विभेद का दूसरा प्रकार, भाषाजात अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अप्रत्यक्ष अधिवास विषयक प्रतिबन्धों के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के परिच्छद 789 और 790 में, विषय के इस पहलू की आलोचना की गई है।

363. इस पर विवाद नहीं हो सकता कि जनता के सभी नौकरों को राज्य की सरकारी भाषा या भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तथापि, विचारणीय यह है, कि किस स्तर पर उन्हें यह परीक्षा देनी चाहिए। क्या एक भाषा वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे भाषावर्ग के उम्मीदवारों से आरम्भिक सुविधाएं अधिक मिलनी चाहिए? यदि क्षेत्रीय या सरकारी भाषा में दक्षता की उच्च परीक्षा पर राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए प्राथमिक आवश्यकता के रूप में ज़ोर दिया जाता है तो यह स्थिति स्वतः उत्पन्न होगी। इस सम्बन्ध में भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के प्रश्न पर विभिन्न अवसरों पर विचार किया गया है।

364. भारत सरकार का सन् 1956 का ज्ञापन निम्नलिखित व्यवस्था देता है :

(i) राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए ली जानेवाली किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिन्दी या राज्य की आबादी का 15 से 20 प्रतिशत या अधिक भाग वाले भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।

(ii) ऐसा होने पर राज्य की भाषा में योग्यता की परीक्षा चुने जाने के बाद तथा परीक्षणकाल समाप्त होने के पहले ली जा सकती है।

(iii) जहां अवर सेवाओं में सम्मिलित कोई संवर्ग (केडर) जिला संवर्ग के रूप में मान्य हो वहां जो भाषा जिले में सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है, वह भी जिले में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए माध्यम के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए।

366. सन् 1959 में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की मंत्रिवर्गीय समिति निम्नलिखित निर्णयों पर पहुंची :—

(i) भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के किसी उम्मीदवार को पदों के लिए आवेदन की छूट रहनी चाहिए, भले ही आवेदन करने के समय उसे क्षेत्रीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार इस शर्त पर चुने जायेंगे कि वे परिवीक्षा अवधि के भीतर क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा पास कर लें।

(iii) जहां भर्ती करने की परीक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग का उम्मीदवार तामिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी में से एक भाषा ले सकता है ।

ये निर्णय भारत सरकार के ज्ञापन में प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित होते हुए भी मुख्यतः दक्षिणी क्षेत्र के चार राज्यों से सम्बन्धित थे । 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भी विषय पर विचार किया और निम्नलिखित सामान्य निर्णयों पर पहुंचा :—

"राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए भाषा बाधक नहीं होनी चाहिए । इसलिए राज्य की सरकारी भाषा के अतिरिक्त परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने का विकल्प रहना चाहिए । राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चुनाव के बाद और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए ।"

अतिरिक्त माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी का प्रावधान कदाचित पर्याप्त सुरक्षण समझा गया, कारण भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को भी ये भाषाएं माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषी सूत्र के अन्तर्गत पढ़नी पड़ती है । इस तरह वे उन उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता कर सकेंगे जो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं तथा राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षा में अनेक भाषाओं के प्रश्न-पत्रों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी ।

366. विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण आगे के परिच्छेदों में किया गया है ।

मध्य क्षेत्र

367. **मध्य प्रदेश :—**राज्य सिविल सर्विस (उप-समाहर्ता), राज्य पुलिस सर्विस (उप-अधीक्षक, पुलिस) और राज्य अधीनस्थ सेवा (नायब तहसीलदार) में भर्ती करने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के नियमों के अन्तर्गत उम्मीदवार को परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने का विकल्प प्राप्त है । राज्य सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में भर्ती होने के लिए भी भाषा बाधक नहीं है । परन्तु राज्य सरकार ने महसूस किया कि अधीन सेवाओं में कार्य-क्षमता को क्षति बिना पहुंचाए भाषा की योग्यता से छूट देना संभव नहीं होगा । सितम्बर, 1964 में मध्य क्षेत्रीय परिषद् की सातवीं बैठक में इस विषय पर आलोचना हुई, जसमें मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि अधीन सेवाओं से भाषा सम्बन्धी योग्यता को छोड़ देने के लिए राजी हो गए ।

368. जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 290 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की शिक्षा-सेवाओं में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अपनी अन्तिम योग्यता सूचक परीक्षा राज्य की किसी शैक्षिक संस्था से पास करनी चाहिए । दिसम्बर, 1964 में राज्य के दौरे के समय सहायक आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इस मामले पर पुनः विचार-विमर्श किया गया ; जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस शर्त को हटा देने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राजी हो गए, जो राज्य की शिक्षा सेवाओं में भर्ती होने में अप्रत्यक्ष अधिवास विषयक रुकावट की तरह कार्य कर रही थी ।

369. **उत्तर प्रदेश :—**उत्तर प्रदेश में राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा-प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने का माध्यम भाषा विषयों के अतिरिक्त हिन्दी अथवा अंग्रेजी है । जैसा पूर्व प्रतिवेदनों

में उल्लेख किया जा चुका है, भर्ती के लिए इन परीक्षाओं में हिन्दी का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र रहता है ।

370 मध्य क्षेत्रीय परिषद की सितम्बर, 1964 में हुई सातवी बैठक में इस प्रश्न पर भी आलोचना की गयी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि राज्य सिविल सेवाओं मे भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं मे से अनिवार्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र निकाल देने की दृष्टि से प्रश्न पर पुन. विचार करने के लिए राजी हो गया था । अनिवार्य हिन्दी प्रश्न-पत्र को वनाये रखना, अधिवास सम्बन्धी प्रतिवन्धों का अप्रत्यक्ष रूप से आरोपित करने जैसा है, इसलिए राष्ट्रीय एकता को बढाने के लिए स्वीकृत सिद्धान्तों तथा भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सम्मत परित्राणो के अनुरूप नही है ।

पूर्वी क्षेत्र

371. आसाम:—आसाम मे राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी ही जारी है । कुछ समय पहले तक ऐसा नियम था कि कुछ पदो के लिए उम्मीदवारो की असमिया या बंगला या आसाम की आदिम जातियो की भाषाओ में से एक का पर्याप्त ज्ञान रखना आवश्यक था । इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया, उनका विचार था कि यद्यपि भाषा की शर्त में राज्य की अधिकांश भाषाएं आ जाती थीं, तथापि वे सहमत थे कि यह शर्त उन भाषाजात अल्पसंख्यकों की अहितकर स्थिति में डाल देगी, जिनकी मातृभाषा निर्दिष्ट भाषाओं से भिन्न है । इसलिए राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यताओं मे से भाषा प्रनियम को निकाल दिया । वहुत से विभागो में नियम है कि किसी अधिकारी को, उसके असमिया और कोई दूसरी भाषा, जो या तो बंगला या पहाड़ी भाषा हो सकती है, की परीक्षा पास कर लेने पर ही स्थायी किया जावेगा । जहां ऐसा प्रावधान नही है, राज्य सरकार ने नियम कर दिया है कि प्रारम्भिक नियुक्ति के बाद अधिकारी को उस क्षेत्र की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, जहां उसकी वहाली हुई है ।

372. बिहार :— विहार में राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओ मे अभ्यर्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध है । राज्य सेवाओ मे भर्ती के लिए भाषा बाधक नहीं है, और चुने हुए अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि में क्षेत्रीय भाषा की एक परीक्षा पास करनी होती है ।

373. उड़ीसा :—उड़ीसा में राज्य सेवाओं मे भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही जारी है । राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी राज्य सेवा मे प्रवेश के लिए भाषा वाधक नही है और चुने हुए अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के अन्दर उड़िया मे एक परीक्षा पास करनी होती है । तकनोकी पदों के मामलों में, जिसमें विशिष्ट योग्यता की अपेक्षा होती है, ऐसे परीक्षाओ पर वल नही दिया जाता ।

374. पश्चिम बंगाल :—पश्चिम बंगाल में राज्य सेवाओ मे भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी है । जैसा छठवी रिपोर्ट के परिच्छेद 278 मे उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ परीक्षाओ में कुछ निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं मे रचना तथा अनुवाद का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र भी हुआ करता था । चूकि यह उन भाषाजात अल्पसंख्यक अभ्यर्थियो के लिए जिनकी मातृभाषाएं निर्दिष्ट भाषाओं से भिन्न थी, एक वाधा थी, राज्य सरकार से इन प्रश्न-पत्रों को हटा देने के लिए अनुरोध किया गया था । वहुत ही हाल के एक पत्र मे राज्य सरकार ने

आयुक्त को सूचित किया कि उन्होंने निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (एक्सक्यूटिव), अवर सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सेवा (न्यायिक), श्रम सेवा, सहकारी सेवा, आबकारी सेवा, अवर आबकारी सेवा, वाणिज्य कर सेवा, और कृषि आय-कर सेवाओं में भर्ती के समय भाषापरीक्षा को हटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में लिपिक वर्गीय और अन्य राज्य अधीन सेवाओं में भर्ती के समय भाषा-परीक्षा रखी जानी चाहिए। इस विषय में दिए गए आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, जिसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है, इस मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा।

दक्षिणी क्षेत्र

375. **आन्ध्र प्रदेश** :—राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी है। भर्ती के लिए होने वाली कुछ परीक्षाओं में अनुवाद के प्रश्न-पत्र रहते हैं, जिनका उत्तर अभ्यर्थी अभीष्ट भाषाओं में दे सकते हैं। राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूर्वपेक्षित नहीं है। चुने हुए अभ्यर्थियों को, नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हासिल करना पड़ता है।

376. **केरल** :—अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम के रूप में जारी है, और राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए क्षेत्रीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान पूर्वपेक्षित नहीं है और न कोई भाषा परीक्षा होती है। राज्य सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि जब कभी लोक-सेवा आयोग द्वारा मलयालम में भर्ती की परीक्षा संचालित की जायेगी, तमिल और कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प दिया जावेगा। चुने हुए अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा में भाषा परीक्षा पास करने के बाद ही अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करने की अनुमति दी जाती है।

377. **मद्रास** :—भर्ती की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही जारी है। चुने जाने के समर क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूर्वपेक्षित नहीं है। चुने हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि के भीतर ही क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा पास करनी आवश्यक है।

378. पहले भाषाजात अल्पसंख्यकों के अभ्यर्थी मद्रास राज्य द्वारा ली जाने वाली भर्ती की परीक्षाओं में बैठ सकते थे। भले ही भर्ती के समय तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो। इन अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि के अन्दर तमिल में एक परीक्षा पास करना आवश्यक था। लेकिन यह सुविधा केवल ऐसे लोगों को प्राप्त थी जिन्होंने अपनी अर्हक डिग्रियां राज्य के ही शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त की थी। दिसम्बर, 1962 में हुई दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया तथा आयुक्त ने भी उस पर लिखापढ़ी की इसके फलस्वरूप, मद्रास राज्य सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर हुए निर्णयों को कार्यान्वित करना स्वीकार किया और तदनुसार आदेश जारी किए। किन्तु उन्होंने अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए इन प्रतिबन्धों को फिर से लगा दिया। पीछे क्षेत्रीय परिषद् में फिर हवाला देने पर उन्होंने मामले पर पुनर्विचार किया, अब राज्य में किसी भी श्रेणी की सेवा में प्रवेश करने के लिए कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगा।

379. **मैसूर** :—राज्य सेवाओं की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। भर्ती के समय कन्नड़ का ज्ञान पूर्वपेक्षित नहीं है। चुने हुए अभ्यर्थियों को कन्नड़ की परीक्षा परिवीक्षा अवधि के अन्दर पास करना आवश्यक है।

पश्चिमी क्षेत्र

380. गुजरात :—यद्यपि राज्य सेवाओं में भर्ती की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, कुछ पदों के लिए अंग्रेजी से गुजराती में या गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद के प्रश्न-पत्र हैं। किन्तु भाषाजात अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अनुवाद के इस प्रश्न-पत्र में मराठी या हिन्दी लेने का विकल्प दिया जाता है। जैसा छठवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 283 में उल्लेख किया गया है, आयुक्त महसूस करते हैं कि भाषाजात अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, होने वाली असुविधा का निरसन करने के लिए या तो अनुवाद के प्रश्न-पत्र को निकाल दिया जाय या इसका विस्तार सब अभ्यर्थियों की, मातृभाषाओं तक कर दिया जाय।

381. अगस्त, 1964 में हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में इस विषय पर आलोचना हुई, जिसमें गुजरात के मुख्य मंत्री राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए भाषा-योग्यता की पूर्व शर्त को निकाल देने के लिए और भर्ती के बाद क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए राजी हो गए। मगर, इस विषय में राज्य सरकार के आदेश की अभी तक प्रतीक्षा है।

382. महाराष्ट्र :—भर्ती के लिए होने वाली सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम के रूप में जारी है। चुने हुए अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषा में निर्दिष्ट समय के भीतर एक परीक्षा पास करना आवश्यक है। आयुक्त के साथ लम्बे समय तक हुए पत्र-व्यवहार के बाद यद्यपि महाराष्ट्र सरकार अपने निर्णय सं० 3 एक्स एम—1260/6550—जे दिनांक 26 जनवरी, 1962 द्वारा उपसमाहर्ता, मामलातदार, पुलिस उप-अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वहत्तर बम्बई सहित कुछ निश्चित श्रेणियों की जगहों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रम से अनुवाद के इस पत्र को निकाल देने के लिए राजी हो गई थी, किन्तु प्रतीत होता है, उसे व्यवहार में नहीं लाया गया। अगस्त, 1964 में हुई पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में फिर इस प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री राज्य सेवाओं में उप-समाहर्ता, मामलातदार आदि पदों की भर्ती के लिए भाषा-योग्यता को पूर्व-प्रतिबंध के रूप में समाप्त कर देने के लिए सम्मत हुए। किन्तु, जनवरी, 1965 में राज्य सरकार से प्राप्त संवाद में यह उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने आग्रह किया है कि राज्य राजस्व सेवाओं अर्थात उप समाहर्ता और मामलातदार के पद की भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा का काफी ऊंचे स्तर पर ज्ञान आवश्यक है, इसलिए यह शर्त, कि इन पदों के अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, रखी जाये। स्थिति स्पष्ट नहीं है और आयुक्त द्वारा अभी तक मामले का पीछा किया जा रहा है।

उत्तरी क्षेत्र

383. पंजाब :—राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है। भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूर्वपेक्षित है। सरकार ने इस शर्त को शिथिल नहीं किया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध का कार्य कर रहा है। अक्टूबर, 1963 में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की सातवीं बैठक में पंजाब के मुख्य मंत्री ने राज्य सेवाओं में प्रवेश करने के लिए भाषा सम्बन्धी योग्यता के पूर्व शर्त को समाप्त करना स्वीकार

किया था। तथापि, प्रतीत होता है, कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आयुक्त के सुझाव पर, नवम्बर, 1964 में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की आठवी बैठक में स्थिति पर पुनर्विचार किया गया। यद्यपि क्षेत्रीय सूत्र ने पजाब राज्य को राज्य स्तर पर द्विभाषिक के रूप में मान्यता दी थी, तथापि उसमे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंजाब की राज्य सेवाओं के लिए किसी अभ्यर्थी का भर्ती होने के पूर्व दोनों क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवीण होना चाहिए। फलस्वरूप, राज्य सेवाओ की भर्ती में भाषा की योग्यता को हटाने के सम्बन्ध मे स्वीकृत क्षेत्रीय सूत्र और 1961 के मुख्य मंत्रियो के सम्मेलन द्वारा किये गए निर्णयों के बीच कोई विरोध नहीं है। जबकि दूसरे राज्यों में राज्य सेवाओं की भर्ती के अभ्यर्थियों को एक भाषा मे परीक्षा पास करनी पड़ती है, पंजाब मे उन्हें दो भाषाओं मे अर्थात् हिन्दी और पंजाबी में पास करनी पड़ती हैं। आठवीं बैठक मे, भारत सरकार इस मामले पर पंजाब सरकार के साथ और विचार-विमर्श करने क लिए राजी हुई।

384. **राजस्थान :**—राजस्थान की राज्य सेवाओ की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओ में अभ्यर्थियों को हिन्दी या अंग्रजी में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने का विकल्प है। ऐसी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का कोई अनिवार्य प्रश्न-पत्र नहीं होता। परिवीक्षा अवधि मे क्षेत्रीय भाषा में योग्यता की परीक्षा होती है।

शिकायते

385. राज्य सेवाओं में भर्ती के सम्बन्ध में आयुक्त के ध्यान में लाये गए महत्वपूर्ण विषय, इस शीर्षक के अन्तर्गत विवेचित हुए है।

पूर्वी क्षेत्र

386. **आसाम :**—जैसा आठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट 19 में उल्लेख था, यह शिकायत की गयी थी कि रेशम उत्पादन के अधीक्षक, आसाम के कार्यालय में पदों की भर्ती के लिए दिये एक विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता की शर्तो मे से एक थी कि उन्हें या तो जन्म से ही राज्य का निवासी अथवा अधिवासी होना चाहिए। राज्य सरकार का ध्यान जनता-रोजगार (निवास की अपेक्षा) अधिनियम, 1957 की ओर आमन्त्रित किया गया, जिसके द्वारा अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है तथा राज्य सरकार से विज्ञापन मे समुचित संशोधन करने का अनुरोध किया गया। इस मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार के वक्तव्य की अभी तक प्रतीक्षा है।

387. नेपाली भाषियो ने शिकायत की थी कि आसाम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओ में बैठने वाले अभ्यर्थियों को असमिया या बगला या आसाम को आदिम जातियों की भाषाओं में से एक का लेना आवश्यक था तथा नेपाली भाषा के लिए कोई प्रावधान नही किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार ने इस शिकायत का उत्तर अभी तक नही दिया है, एक दूसरे मामले के सम्बन्ध में आयुक्त को एक निर्णय की सूचना दी गई थी कि भविष्य में निकाले जाने वाले विज्ञापनों में असमिया या बंगला या आदिम जातियो की भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में निश्चित नहीं रहना चाहिए। उक्त संवाद मे यह भी उल्लेख किया गया था कि चुने हुए व्यक्ति असमिया या दूसरी भाषा, जो या तो बंगला या आदिम जातियों की एक भाषा हो सकती है, में परीक्षा पास करने के बाद ही स्थायी किये जाएंगे।

388. मनीपुरी भाषियों ने भी आसाम लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं मे मनीपुरी भाषा को शामिल करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है, जिनके पास यह मामला 1963 में भेजा गया था।

389. **बिहार :**—भूतपूर्व रजवाड़ो—सरायकेला और खरसवां के उड़िया भाषियो ने शिकायत की, कि उन्हे बिहार में निवास के अधिवास-प्रमाणपत्र देने पड़ते है, जिसके अभाव मे उन्हे नौकरी नही दी जाती है। मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा हैं। उडिया भाषियो ने यह भी प्रार्थना की थी कि सिंहभम जिले मे स्थित कार्यालयों और कारखानो की खाली जगहों के भरने में सिहभम के उम्मीदवारों को तरजीह दी जा सकती है। राज्य सरकार ने जिन्हे इस मामले का हवाला दिया गया था, उत्तर दिया कि प्रश्न सिर्फ भाषाजात अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नही था, अतएव वे कोई वक्तव्य नही देगे।

390. धालभूम के बंगला भाषियो ने शिकायत की, कि कारखानो और औद्योगिक सस्थानो में रोजगार पाने के लिए उन्हें अधिवास संम्बन्धी प्रमाण-पत्र यह साबित करने के लिए, कि वे "भूमि पुत्र है"; प्राप्त करना पड़ता था। उन्होने यह भी कहा कि हिन्दी भाषियो को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई है, जिनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

391. **पश्चिम बंगाल :**—राज्य सरकार का ध्यान रोजगार के विज्ञापनों की ओर आमन्त्रित किया गया था:—जिनमें ऐसे पदों के लिए अभीष्ट योग्यताओं में बंगला के ज्ञान को एक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था। चूंकि, इस प्रकार के प्रतिबंध के कारण भाषाजात अल्पसंख्यक असुविधाजनक स्थिति मे पड़ जाते हैं, राज्य सरकार से उक्त विज्ञापन में समुचित संशोधन करने का अनुरोध किया था। किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नही होती।

दक्षिणी क्षेत्र

392. **आंध्र प्रदेश :**—उडिया भाषाजात अल्पसंख्यको ने, नियुक्ति की प्रारम्भिक अवस्था के समय, भाषा का विचार करते हुए, कुछ रियायतों के लिए निवेदन किया था। राज्य सरकार ने बताया कि नियुक्तियां लागू नियमों के अनुसार की जाती थी तथा अभ्यर्थियो की मातृभाषा का विचार करके नियुक्ति के समय कोई रियायत नही दी जाती थी।

393. श्रीकाकुलम जिले के उड़िया भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी कि श्रीकाकुलम के समिति कार्यालयो में उड़िया लिपिको के नियुक्त न किये जाने के कारण उड़िया भाषा मे प्राप्त अर्जियां निपटाने में देरी हुई। यह शिकायत राज्य सरकार के पास भेज दी गयी थी। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

394. अगस्त, 1964 मे जब सहायक आयुक्त राज्य में गए, उर्दू भाषियो ने शिकायत की, कि तेलुगु-भाषी सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष की उम्र तक हिन्दी या उर्दू की परीक्षा पास करना आवश्यक था, उर्दू भाषी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनकी उम्र 45 वर्ष से नीचे है, तेलुगु परीक्षा पास करना आवश्यक था। वे चाहते थे कि यह आयु-सीमा तेलुगु

भाषी कर्मचारियों के समान ही 40 कर दी जाये। राज्य सरकार के अधिकारियों के सा विचार-विमर्श के दौरान यह पता चला कि प्रशासन के चलाने के लिए क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य था, जबकि हिन्दी या उर्दू का ज्ञान वास्तव में आवश्यक नहीं था। अतएव, उनके लिए आयु-सीमा घटाने का प्रश्न नहीं उठा, जिनके लिए राज्य की क्षेत्रीय भाषा सीखना आवश्यक था।

395. **केरल** :—छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XIX में उल्लिखित निवेदन के उत्तर में, कि मुन्नार के तमिल-भाषी उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में नौकरी का अवसर देना चाहिए, राज्य सरकार ने बताया कि भर्ती के वर्तमान नियम तमिल या अन्य किसी भाषाजात अल्पसंख्यक को राज्य में दूसरों के साथ बराबरी में प्रतियोगिता में भाग लेने से नहीं रोकते। यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार की प्रशास्त नीति रही है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में कुल आबादी का 15 प्रतिशत या उससे अधिक इन अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलता हो, वहां यथासम्भव नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा तमिल और कन्नड़ भाषियों की बहाली की जाय।

396. कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की, कि यद्यपि कासरगोड के सभी कार्यालयों में कन्नड़ जानने वाले कर्मचारियों का अभाव था, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये 27 कन्नड़ जानने वाले उम्मीदवारों को किसी विभाग में नहीं खपाया गया। शिकायत की जांच हो रही है।

397. तमिल भाषाजात अल्पसंख्यकों ने शिकायत की थी, कि दिनांक 3 अक्टूबर, 1962 के जी० ओ० में प्रावधान रहते हुए भी तमिल के अपेक्षित ज्ञान से संपन्न अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा रहा था। मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है, जिनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

398. **मद्रास** :—जैसा कि छठवीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XIX में उल्लेख था कि मद्रास के तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों ने अभिवेदन किया था कि राज्य सरकार द्वारा परिचालित तमिल की परीक्षाओं की सुविधा नौकरी नहीं करने वालों को भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के पूर्व ही तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लें। राज्य सरकार के साथ इस मामले पर विचार विनिमय हुआ, उन्होंने आयुक्त को सूचित किया कि वे तमिल में अपर्याप्त ज्ञान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिल शिक्षा की कक्षाएं चला रहे थे और इस योजना का क्षेत्र सीमित है, यह सुविधा उन सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम थी तथा तमिल के पर्याप्त ज्ञान के बिना जिनकी भर्ती 30-11-1957 के पहले हुई थी। ये सुविधायें सब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सुलभ नहीं थीं, और इसलिए सामान्य जनता के लिए इसके विस्तार का प्रश्न ही नही उठता।

399. यह आरोप करते हुए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि भर्ती के समय स्थानीय अधिकारी जोर दे रहे थे कि उम्मीदवारों के लिए तमिल का पूर्व ज्ञान आवश्यक था। जांच करने पर पता चला कि ये मामले प्रायः अधीन सेवाओं से सम्बन्धित थे, जिनके लिए राज्य सरकार का पूर्व आदेश था कि भर्ती के समय उम्मीदवारों को तमिल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह मामला सामान्य प्रकार का था और क्षेत्रीय परिषद् स्तर पर उस पर विचार हुआ। बाद में राज्य सरकार ने सितम्बर, 1964 में अपने पहले के आदेश में संशोधन कर

दिया कि राज्य सेवाओं या अधीन सेवाओं, किसी में भी भर्ती के लिए, भर्ती के समय तमिल के पर्याप्त ज्ञान होने पर जोर नही देना चाहिए। आयुक्त आशा करते हैं कि अधीन सेवाओं के लिए भाषाजात अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा न जानने के कारण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

400. **मैसूर** :—जैसा छठवी रिपोर्ट के परिशिष्ट XIX में उल्लेख किया जा चुका है, मैसूर के तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यको ने शिकायत की थी कि स्थानीय नौकरियो के लिए भी भर्ती के समय कन्नड़ के ज्ञान पर बल दिया जाता था तथा विभागीय अध्यक्षो द्वारा भाषा की योग्यता की छूट से संबधित आदेश का पालन नही किया जा रहा था। अतः वे चाहते थे कि तेलुगु जानने वाले अभ्यर्थियों को, जिन्हे कन्नड़ का कामचलाऊ ज्ञान था, सरकारी विभागो मे नौकरियो से वचित नही किया जाना चाहिए और रोजगार कार्यालयो को निर्देश दिया जाय कि भर्ती करने वाले विभागों को सूचियां भेजते समय तेलुगु उम्मीदवारों के नाम इस तर्क पर न रोके कि उन्हे कन्नड़ का ज्ञान नही था। 1963 में ये शिकायते राज्य सरकार के यहां भेजी गयी थी, इनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

401. छठवी रिपोर्ट के परिशिष्ट XIX मे उल्लिखित, एक दूसरी शिकायत मे आरोपित किया गया था कि राज्य सरकार के अन्तर्गत ऊंचे पदों की नियुक्तियो में कन्नड़ के ज्ञान की अनिवार्य योग्यता कर दिया गया था। इसका हवाला राज्य सरकार को दिया गया था, उन्होंने उत्तर दिया कि राज्य सिविल सेवाओं में भाषाजात अल्पसंख्यक उम्मीदवारो को नियुक्त होने के अयोग्य ठहराने के लिए कोई रुकावट नही थी, और शुरू में भर्ती के लिए कन्नड़ भाषा में परीक्षा पास करना भी निर्धारित नही था।

402. भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के सरकारी कर्मचारियो की एक आम शिकायत थी—पदोन्नति के लिए अनिवार्य भाषा-परीक्षा के सम्बन्ध मे। ये सरकारी कर्मचारी प्रारम्भ मे विभिन्न राज्यों में भर्ती किये गए थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप ये मैसूर मे नियुक्त किये गए। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध मे अपने सर्विस नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के अनसार मैसूर राज्य के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी "1956 के नवम्बर की पहली तारीख को उनके द्वारा अधिकृत पद पर तथा अगले पद पर उन्नति पाने के लिए भी, यदि ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व राज्यों में पदोन्नति के योग्य थे," नये मैसूर राज्य द्वारा निर्धारित की गई कन्नड़ भाषा-परीक्षा पास किये बिना, बने रह सकते हैं।

403. एक सामान्य शिकायत थी कि ग्राम सेवक आदि जैसे स्थानीय कर्मचारी, अल्पसंख्यकों की भाषा, यथा—तेलगु, मराठी, उर्दू इत्यादि नही जानते थे। उक्त शिकायत राज्य सरकार के पास भेज दी गई है, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

पांचवा अध्याय

समापन टिप्पणी

राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यकों के परित्राणों के परिपालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था

404. राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषद् की समिति की 1961 में हुई बैठक ने भाषाजत अल्पसंख्यको के लिए परित्राणों की व्यवस्था को क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निश्चित रूप दिया। इस निर्णय के अनुसार सभी राज्यों में व्यवस्था की गई। आयुक्त ने

अपनी पांचवीं रिपोर्ट (परिच्छेद 697) और छठवीं रिपोर्ट (परिच्छेद 299) में सिफारिश की थी कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उन व्यक्तियों को जिनकी सुविधा के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, जानना चाहिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें किसके पास जाना चाहिए तथा किस प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए, राज्य सरकारों को समय-समय पर इन बातों की सूचना देते हुए एक पुस्तिका निकालनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी पुस्तिका प्रस्तुत की है तथा बहुत सी अन्य राज्य सरकारों ने इसकी प्रतिलिपियां मांगी हैं। यह आशा की जाती है कि अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई उन कठिनाइयों को दूर करेगी जिनका भाषाजात अल्पसंख्यक इस समय इस संबंध में सामना कर रहे हैं। यह पुस्तिका, उन अधिकारियों के लिए भी पथ-प्रदर्शन का कार्य करेगी, जिनको परित्राणों के कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है।

405. मगर, कुछ राज्य सरकारों ने आयुक्त की इस सिफारिश को अनकूल दृष्टि से नहीं देखा है। फिर भी, आयुक्त सुझाव देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता के हित की दृष्टि से भाषाजात अल्पसंख्यकों के परित्राणों को न केवल कार्यान्वित ही किया जाना चाहिए प्रत्युत् व्यवस्था के अतिस्त्व का भी प्रचार करना होगा। यह प्रतिकूल अनुमान की सम्भावना को भी दूर कर देगी कि ऐसी पुस्तिकाएं इसलिए नहीं निकाली जा रही थीं कि उनका प्रकाशन, भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुविधायों की व्यवस्था करने के लिए, अभी तक जो उपलब्ध नहीं हो सके, प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वचनबद्ध कर देगी।

406. राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति के निर्णय के अनुसार, प्रत्येक राज्य में विशेषाधिकारी, भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षणों के कार्यान्वियन की प्रगति, भारत सरकार, भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ भाषाजात अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में अनिर्णीत पत्रव्यवहार यदि कोई हो, भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के मुआइने, यदि कोई हो, तथा राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित अन्य बातों की समीक्षा करते हुए सामयिक ब्यौरा प्रस्तुत करे।

407. परित्राणों के कार्यान्वियन सम्बन्धी सूचनाएं भेजने में विलम्ब के उदाहरणों का उल्लेख पूर्ववर्ती अध्यायों में हो चुका है। इन विषयों से संबंधित शिकायतों की जांच में सामान्यतया देर की गई है। जांच में और यथार्थ कष्टों के निवारण में विलम्ब की, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा गलत समझे जाने की सम्भावना है। विलम्बों के इस प्रसंग में आयुक्त यह संकेत भी करना चाहेंगे कि सांख्यिक आंकड़ों की बड़ी मात्रा, जो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक होती है, समय पर नहीं सुलभ होती। चूंकि प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र बहुधा मई या जून में समाप्त हो जाते हैं, राज्य सरकारें शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े आयक्त के यहां सितम्बर तक प्रतिवर्ष भेज सकती हैं। यह प्रति कैलेण्डर वर्ष में प्राप्त अंतिम स्थिति की परीक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करने में आयुक्त की सहायता करेगा।

408. राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की एकता समति की 1961 की बैठक में यह भी निश्चय किया गया था कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् को उस क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति, 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अपनाए विभिन्न नीति विषयक निर्णयों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए नियुक्त कर देनी चाहिए। अभी तक केवल पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों ने ऐसी स्थायी समितियों का गठन किया है।

शैक्षिक सुविधाओं का सर्वेक्षण

409. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति के निर्णयों को 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सिद्धान्ततः स्वीकार किया। उन्होने यह भी अनुभव किया कि "पहले से उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए और जहां सम्भव हो, और सुविधाएं दी जानी चाहिए। 1 नवम्बर, 1956 (आंध्र प्रदेश के लिए 1–10–1955) को अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् स्कूलों और अनुभागों, छात्र-संख्या और अल्पसख्यक भाषाओं में पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापकों समेत स्कूल की सुविधाओं का विशेष उल्लेख करते हुए वर्तमान स्थिति का लेखा-जोखा सुनिश्चित करना आवश्यक है और उसे बिना परिवर्तन के चालू रखना चाहिए।" मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओ की आरोपित कमी की कई शिकायतें तथा माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं की भी कमी की अनेक शिकायतों को तथ्यों की पृष्ठभूमि में परीक्षण करना राज्य सरकार और आयुक्त के लिए सम्भव होता। निरर्थक शिकायतों का न केवल शीघ्र ही निपटारा कर दिया जाता वरन् सच्चे कष्ट का शीघ्र निवारण संभव होता।

410. उस स्थिति में किसी विशेष क्षेत्र में भाषाजात अल्पसंख्यकों की आवादी में वृद्धि के आधार पर सुविधाओं का बढाना भी अधिक आसानी से निर्धारित की जा सकती है। राज्य सरकार भी जनसंख्या की घटी-बढ़ी के कारण मांग में कमी होने पर वर्तमान सुविधाओं को कम या समाप्त करने की स्थिति में रहेगी। परिशिष्ट ix और xiii में दर्शित शैक्षिक मामलों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच से प्रकट होगा कि साधारणतया ये या तो अतिरिक्त सुविधाओं से वंचित रखने या अनुचित कमी करने से सम्बन्धित हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर उनकी परीक्षा और निपटारा आसान हो जायेगा यदि इस प्रकार का पर्यालोकन पूरा कर लिया जायेगा।

411. ऐसे पर्यालोकन की आवश्यकता तत्काल है और इसके महत्व को आंका नहीं जा सकता।

शिक्षा—सामान्य आलोचना

412. अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों/अनुभागों में शिक्षकों के प्रावधान में प्रगति, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई। हालांकि इस विषय में राज्य सरकारों की उनकी अपनी कठिनाइयां हैं, जब तक वे उन बाधाओं को जिनको भाषाजात अल्पसंख्यकों को अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पक्ष में झेलना पड़ता है, दूर करने के लिए निश्चित कदम नही उठाते, भेदभाव के आरोप बने रहेंगे।

413. प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायतों आदि स्थानीय अधिकारियों के बीच बांट दिया गया है। इन स्थानीय संगठनों की स्वायत्त सत्ता को अनुच्छेद 350क में निहित संवैधानिक प्रत्याभूति (गारंटी) या अखिल भारतीय स्तर पर किये गये नीति विषयक निर्णयों के कार्यान्वियन के मार्ग में रोड़ा नही बनना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति ने 1961 में तय किया कि इससे आश्वस्त होने के लिए कि इन स्थानीय संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय कार्यान्वित हों, राज्य सरकारें कानूनों

में संशोधन के सलाह पर विचार कर सकती है। भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित तथा संचालित शिक्षा संस्थाओं के प्रति भेद भाव के उदाहरण भी आयुक्त के देखने में आये हैं। सहायता अनुदान मितव्ययिता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया या इस कारण कि शिक्षण संस्थाओं का प्रवन्ध स्थानीय संगठनों को हस्तांतरित नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद 30 भाषाजात अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन के अधिकार की गारण्टी देता है तथा राज्य को किसी भी शैक्षिक संस्था के विरुद्ध धर्म या भाषा के आधार पर उनको सहायता अनुदान स्वीकृत करने के सम्वन्ध में भेदभाव करने से रोकता है। सन् 1963 में आसाम विधान-सभा के एक सदस्य द्वारा की गई शिकायत कि राज्य में भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित 116 स्कूल सहायता अनुदान नहीं पा रहे थे। यह शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई थी, किन्तु वार-वार स्मरणपत्र भेजने पर भी अभी तक उत्तर नहीं मिला है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में माध्यमिक शिक्षा प्राय: पूर्ण रूप से गैर-सरकारी प्रवन्ध के हाथों चला गया है। जैसा आयुक्त ने अपनी छठवीं रिपोर्ट (अध्याय 3) में संकेत किया था कि राज्य सरकार केवल सहायता अनुदान के भुगतान से ही सम्वन्धित नहीं है, परन्तु उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हुए नीति विषयक निर्णय कार्यान्वित हों। शैक्षिक सुविधाएं प्रवन्ध निकायों की सनक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल स्थापित करना और अपनी स्वयं की शैक्षिक संस्थाएं चलाना सव समय सम्भव नहीं हो सकता है। यदि वर्तमान संस्थाओं में उन्हें इन सुविधाओं से वंचित किया जाता है तो राज्य सरकार उनके प्रति अपने कर्त्तव्य पालन में असफल कही जायेगी।

414. इस सम्वन्ध में मद्रास सरकार द्वारा की गई अत्यन्त प्रशंसनीय कार्यवाही का आयुक्त उल्लेख करना चाहते हैं। उन्होंने आदेश जारी किया है कि गैर-सरकारी प्रवन्ध के अन्तर्गत स्कूलों को भी अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं देनी पड़ेंगी यदि विद्यार्थियों की निर्दिष्ट संख्या हो तथा स्थानीय शैक्षिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। (मद्रास सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि, परिशिष्ट xiv में दी गई है)।

415. प्रारम्भिक शिक्षा:—पंजाव राज्य के सिवा सभी राज्यों ने, संविधान के अनुच्छेद 350क में निहित प्रावधान और प्राथमिक स्तर की शिक्षा में भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की सुविधाएं सम्वन्धी सर्वसम्मत परित्राण योजना को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है। पंजाव सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि संविधान का अनुच्छेद 350क "प्रादेशात्मक" नहीं वरन् केवल "निदेशात्मक" है। इस कारण राज्य के कुछ भागों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग संविधान के उपवन्ध का पूरा लाभ नहीं उठा सके। यह भी सम्भव है कि इस दृष्टिकोण के अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप समस्त देश में परित्राण के कार्यान्वयन की प्रगति रुक जाय। आयुक्त भारत सरकार को सुझाव दे चुके हैं कि इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए अथवा राष्ट्रपति का निदेश जारी किया जाय।

416. प्राथमिक स्कलों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के लिए रजिस्टर खोलने के कार्य की प्रगति एक समान नहीं रही यद्यपि गुजरात के सिवा सभी राज्य सरकारों ने इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है। गुजरात

सरकार ने कहा कि रजिस्टर बहुत "सहायक" सिद्ध नहीं होंगे। इस सिफारिश का उद्देश्य तेहरा रहा है। इससे नये शिक्षा-सत्र के आरम्भ होने के बहुत पहले किसी विशेष अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की मांग की प्रमात्रा आंकने में शिक्षा अधिकारी समर्थ होंगे। दूसरे, वे पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का प्रावधान कर सकेंगे, तीसरे, सुविधा देने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, अन्तर्विद्यालयी व्यवस्था करना भी उनके लिये सम्भव होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति ने 1962 में निर्णय किया कि इन रजिस्टरों को रखवाने के लिए, राज्य सरकारों को शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाय जिससे विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की मांग के हिसाब से उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान की अपर्याप्तता या पर्याप्तता का अनुमान लगाया जा सके। आयुक्त सुझाव देंगे कि गुजरात सरकार को अपने निर्णय को बदलना चाहिए और जैसा अन्य राज्यों में पहले ही ठीक किया जा चुका है, स्कूलों में अग्रिम पंजीकरण के रजिस्टरों का प्रचलन करना चाहिए।

417. राज्य सरकारों की तरफ से भी प्रभावकारी कार्यवाही की आवश्यकता है। आदेशों के रहते हुए भी आंध्र प्रदेश के उड़िया भाषी क्षेत्रों में ऐसे रजिस्टर नहीं खोले गये। आयुक्त के समक्ष ऐसे उदाहरण भी आये हैं जहां रजिस्टर तो थे किन्तु उनमें कुछ दर्ज नहीं किया गया था।

418. आदिम जाति के बड़े वर्गों की भाषाओं/बोलियों में, जिनमें कार्य चलाने के लिए काफी समृद्ध शब्द भंडार है, पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जानी चाहिएं। उन छोटे आदिम जाति वर्गो के प्रसंग में कदाचित यह सम्भव नहीं हो सके, जिनकी बोलियों में आवश्यक शब्द-भंडार का अभाव है, किन्तु प्रत्येक मामल में यह सर्वथा आवश्यक है कि आदिम जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों को उनकी भाषाओं/बोलियों को अच्छी तरह जानना चाहिए। आयुक्त को, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की हैसियत से अपने कर्त्तव्य पालन के दौरान में ऐसे असंख्य उदाहरण मिले जहां आदिम जाति-स्कूलों में आदिम जाति की भाषाओं/बोलियों से अपरिचित अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी।

419. **माध्यमिक शिक्षा** :—1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने निर्णय किया था कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा, संविधान की अष्टम अनुसूची में दी गई आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के माध्यम से दी जानी चाहिए तथापि उत्तर प्रदेश सरकार जोर देती रही है कि उनके राज्य में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर हिन्दी को ही एकमात्र शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बिहार में सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर किसी भी अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं भी नहीं हैं, जहां इनके प्रावधान को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मांग है। दूसरी ओर बिहार सरकार आग्रह करती है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाली संस्था को, यदि मांग न्यायसंगत हो तो हिन्दी अनुभाग खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने विचार व्यक्त किया है कि उनके राज्यों के भीतर माध्यमिक शिक्षा अधिकतर गैर-सरकारी प्रबन्धों के हाथों है और राज्य सरकारों का सम्बन्ध केवल सहायता अनुदान स्वीकृत करने तक ही हैं, माध्यम का चुनावज, जिसके द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रबन्धकों पर निर्भर करता है।

420. आयुक्त ने अपनी पांचवीं और छठवी रिपोर्टों में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा के प्रयोग के प्रश्न पर तथा त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन पर आलोचना की थी। 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के वक्तव्य, जिसने संविधान की अष्टम अनुसूची में दी

गयीं आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रयोग की सिफ़ारिश की थीं, के परिच्छेद 3(ख) में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख हुआ है। पांचवीं रिपोर्ट के परिच्छेद 705 में यह कहा गया था कि त्रिभाषी सूत्र वास्तव में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जिनको मातृभाषा हिन्दी नहीं है, चार-भाषी सूत्र हो जाता है। जब कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भाषाजात अल्पसंख्यक लोगों को आगे चल कर अपने हित के लिए राज्य की भाषा सीखनी पड़ती है, जहां वे रहते है; इस विषय में बाध्यता से वांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत ऐसा अनिवार्य आवश्यकता भाषाजात विरोधों की कटुता को और बढ़ा सकती है।

421. इससे न केवल अल्पसंख्यक भाषा भाषियों को चार भाषायें सीखने के विषय-गार से मुक्ति मिलेगी, अवरन उन विद्यार्थियों को अनुचित प्रतियोगिता का सामना करने के रक्षक होगा जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक भाषा है। इससे अनिवार्य यातना का मनोवैज्ञानिक क्षोभ भी मिट जायेगा। आयुक्त ने पहले ही सिफारिश की थी कि केवल ऊपर उल्लेख की गई कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से नहीं किन्तु प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को, उनमें से किसी एक को भी पांचवे भाषा-विषय के रूप में शामिल किये विना, समाविष्ट करने की सम्भावना पर जांच करने के लिए भी त्रिभाषी सूत्र पर फिर से विचार होना चाहिए। त्रिभाषी सूत्र केवल भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही नहीं है, बल्कि आशा की जाती है कि सारे देश में माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्यापन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। यह सभी वर्ग के छात्रों के लिये समान रूप से लागू होता है। अतएव, देश भर में इसका समान रूप से कार्यान्वियन आवश्यक है। विना इस समानता के प्रवासी व्यक्तियों के बच्चों को विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है तथा उनके अध्ययन क्रम भंग होने जैसी क्षति की सम्भावना रहेगी। यदि शिक्षा का आदर्श इस प्रकार परिकल्पिक किया जाय कि उनके लिए भी प्रावधान रखा जा सके जो प्रादेशिक भाषा नहीं बोलते हैं, तो यह एक व्यापक प्रणाली की सृष्टि कर सकेगा, जिसमे भारत का प्रत्येक नागरिक स्थान पा सकेगा।

422. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषात्मक आदर्श के इस प्रश्न पर विचार करते समय छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करने के दीर्घकालिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होगा। विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम कर देने के सम्भावित परिणामों की ओर आयुक्त ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट परिच्छेद (716–719) में संकेत किया है।

423. जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल उन्ही संस्थाओं में चालू है, जो पहले एंग्लोइंडियन स्कूल कहे जाते थे। किन्तु माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजों के शिक्षा के माध्यम के प्रावधान ने कुछ समस्याएं उत्पन्न की हैं, जैसे, त्रिभाषी सूत्र को मैसूर के ऐसे स्कूलों में कार्यान्वित करते समय, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मातृ-भाषा अंग्रेजी ही मान ली गई है। जहां तक परिस्थितियों का प्रश्न है, जिनमें अंग्रेजी के माध्यम ने शिक्षा का प्रावधान रहेगा तथा शैक्षिक संस्थाओं को श्रेणी, जहां यह उपबन्ध होगा, इस विषय के पुनःपरीक्षण की आवश्यकता है।

424. अध्यापक:—आयुक्त की पिछली रिपोर्ट दाखिल करने के समय से, स्थिति में सुधार हुआ प्रतीत नही होता। परिशिष्ट VIII और XII में दिये गये आंकड़ों के परीक्षण से

स्पष्ट हो जायेगा कि कई मामलों में भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या के अनुपात में न केवल अध्यापकों की संख्या अपर्याप्त है वरन् कुछ मामलों में वह वास्तव में कम हुई है, यद्य पि छात्रों की सख्या बढ़ गई ह । अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने में सक्षम अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं । आयुक्त ने अपनी पिछली रिपोर्टों में अल्प-संख्यक भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है । शायद अलग संस्थाएं खोलना, राज्य सरकार के लिए सम्भव न हो सके, इस माग की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ आदान-प्रदान की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है । मगर, यह अच्छी तरह तय कर लेना चाहिए कि ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए राज्य में वापस चले जायेंगे। प्रत्यक्षत. कुछ घटनाए घटी है, जिनमें ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षित भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यापक, नौकरी के अधिक आकर्षक भविष्य की वजह से दूसरे राज्यों में रह गये हैं अध्यापकों के अभाव में शिक्षा की क्षति नहीं होनी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो राज्यों को इस समस्या का समाधान करने के लिए सम्मिलित शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसी सहायता के लिए जो अपेक्षित हो, भारत सरकार से मांग करनी चाहिए ।

425. **पाठ्य पुस्तकें** :—आयुक्त की पिछली सिफारिश का, कि अन्य राज्यों की पाठ्य पुस्तकें आवश्यक परिवर्तनो के बाद भाषाजात अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अपनायी जाये, अभी तक केवल कुछ राज्यों में प्रयोग किया गया है । कितनी सफलता मिली, यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ ।

426. भारत सरकार द्वारा तैयार हो रही आदर्श पाठ्य पुस्तकें अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । कुछ राज्यों ने यह भी कहा है कि अपनी स्वयं की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के पूर्व वे इन प्रकाशनों की राह देख रहे है । जैसा कि ज्ञात है कि कुछ राज्य अपने स्वयं के शिक्षा विभाग की देख-रेख में पाठ्य पुस्तकें निकाल रहे है । ऐसे राज्यों को राज्य में खासी बड़ी संख्या में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार कर प्रकाशित करनी चाहिए ।

427. **सम्बद्धता** :—कुछ राज्यों ने, कुछ अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा/परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है । यदि राज्य में इन अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाली संस्थाओं की सम्बद्धता के लिए व्यवस्था करने में दुस्तर कठिनाइयां हों तो, 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा दिये गये वक्तव्य के परिच्छेद 10 के अनुसार वे राज्य के बाहर के विश्व-विद्यालय या बोर्ड से सम्बद्ध करायी जा सकती हैं ।

428. **सिन्धी भाषा**:—सिन्धी भाषी भाषाजात अल्पसंख्यकों की समस्या पर अपनी पिछली रिपोर्टों में आयुक्त द्वारा विचार किया गया है न तो देश के किसी भी भाग को प्रादेशिक भाषा होने और न संविधान के अष्टम अनुसूची की भाषाओं में स्थान मिलने के कारण, इस भाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त रही हैं । आयुक्त का ख्याल ह कि सिंधी के समान सुविकसित और समृद्ध भाषा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए । सिन्धी-भाषी जनता अपनी भाषा में शिक्षा की सुविधाएं पाने के लिए उत्सुक है । सिद्धान्त की दृष्टि से वर्तमान सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस भाषाजात

अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति और भी उदार होना चाहिए। जहां-कहीं भी निर्दिष्ट संख्या में विद्यार्थी हों, सिंधी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। आयुक्त के सामने यह बात आई है कि अजमेर के कुछ स्कूलों में सिन्धी के माध्यम से शिक्षा पाने के लिए उत्सुक विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। किन्तु उक्त स्कूलों में इसकी कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है, कारण वर्तमान नियमों के अनुसार वहां सिंधी को शिक्षा का माध्यम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

429. **सरकारी काम-काज के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग :—** सरकारी कामकाज के लिए अल्पसंख्यक भाषा के प्रयोग की सुविधाओं की व्याख्या, 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के वक्तव्य के परिच्छेद 11 से 14 में, की गई है। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा 1961 की जनगणना के अनुसार उन क्षेत्रों की सूचियां, जहां भाषाजात अल्पसंख्यक लोग कुल जनसंख्या के 15 से 20 प्रतिशत हैं, अभी तक तैयार नहीं की गई, अतः न तो विशेष क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए सिफारिश करना और यह कहना कि वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं, सम्भव नहीं हो सका। जब कि अब जिला स्तर तक 1961 की जनगणना के भाषावार विभाजन के आंकड़े उपलब्ध हो गये हैं तथा जिला जनगणना की पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं, राज्य सरकारों को इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

430. उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक भाषाओं का भाग 15 से 30 प्रतिशत है, मतदाता सूचियों के अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशन की मांग की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने मत प्रकट किया है कि ऐसी मांग को स्वीकार करने में वे असमर्थ हैं क्योंकि मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग के निर्देश में प्रकाशित होती हैं। यह वांछनीय होगा कि भारत सरकार इस मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ विचार करे।

431. कुछ राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां माल की रसीदें, जमाबन्दी, भूमि बन्दोबस्त के कागजात आदि केवल प्रादेशिक भाषाओं में तैयार तथा प्रकाशित किये जाते हैं, भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के बारे में शिकायतें आ रही हैं। यद्यपि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मांग की जाने पर पर्चे और खतियान बंगला और उड़िया में मिल सकते हैं, उनका सिर्फ गौण साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, प्रादेशिक भाषा के दस्तावेज ही प्रधान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे दस्तावेजों के अल्पसंख्यक भाषाओं में जारी करने की आवश्यकता पर आयुक्त बल देना चाहते हैं तथा सम्बन्धित सरकारों को आदेश भी देना चाहिए कि जब ये दस्तावेज अल्पसंख्यक भाषाओं में जारी किये जांय तो ये प्रधान साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्य हों। अल्पसंख्यक भाषाओं में मनीआर्डर फार्म के प्रदाय के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की मांग की गई थी। वर्तमान मनीआर्डर फार्म द्विभाषिक (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) हैं। चूंकि अल्पसंख्यक भाषाओं में से अनेक दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय भाषायें हैं, किसी विशेष भाषा में अपेक्षित संख्या में मनीआर्डर फार्म ऐसे क्षेत्रों में भेजे जा सकते हैं, जहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लोग संकेन्द्रित हैं। यह कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता बल्कि डाक और तार विभाग के प्राधिकारियों द्वारा व्यवस्थित योजना की अपेक्षा रखता है।

432. कल्याणकारी राज्य में विभिन्न योजनाएं व्यापक रूप से प्रचारित होनी चाहिएं। ऐसी सभी विवरण पत्रिकाएं तथा पुस्तिकाएं उस क्षेत्र में संकेन्द्रित अल्पसंख्यकों की भाषाओं में वितरित की जानी चाहिएं ताकि भाषाजात अल्पसंख्यक इस प्रचार सामग्री का पूरा लाभ

उठा सकें । चूंकि ऐसी सामग्री काफी मात्रा में भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, इसलिए यह वांछनीय होगा कि इसके वितरण के लिए उत्तरदायी अधिकारी विभिन्न राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त प्रचार सामग्री की अपेक्षित मात्रा अल्पसंख्यक भाषाओं में भी भेजें ।

433. संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत किसी शिकायत के निवारण के लिए राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को अल्पसंख्यक भाषा में अभिवेदन दिया जा सकता है । यह अधिकार निर्बाध है और भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जहां वह किसी स्थानीय क्षेत्र में जनसंख्या का 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाग हो, प्राप्त सुविधाओं का अंगमात्र नहीं है । 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के वक्तव्य के परिच्छेद 14 में निहित निर्णय के अनुसार जहां भी सम्भव हो, ऐसे अभिवेदनों का उत्तर उसी भाषा में भेजना चाहिए । कुछ राज्य सरकारें पहले से ही ऐसा कर रही हैं । इस निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन का स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा ।

434. **राज्य सेवाओं में भर्ती :—** अधिकतर राज्यों में भर्ती के समय प्रादेशिक भाषा के ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाता है, चुने हुए उम्मीदवारों को स्थायीकरण के पहले राज्य की सरकारी भाषा की एक परीक्षा पास करनी पड़ती है । किन्तु, आयुक्त और भारत सरकार के द्वारा भरसक प्रयत्न करने पर भी, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं से प्रादेशिक भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को हटाने के लिए अभी तक राजी नहीं हुई है। प्रादेशिक भाषा के ज्ञान का यह आग्रह अप्रत्यक्ष निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध बन जाता है। पंजाब में दोनों भाषाओं (हिन्दी और पंजाबी) का ज्ञान राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित है । आयुक्त दोनों राज्य सरकारों से सिफारिश करते हैं कि वे भर्ती के समय प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञान का आग्रह न करें तथा 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए निर्णयों को पूरी तरह से कार्यान्वित करें ।

435. इसी तरह का निवास सम्बन्धी अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध मध्य प्रदेश में भी है, जहां शिक्षा-सेवाओं में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए अन्तिम अर्हक परीक्षा राज्य की ही किसी शैक्षिक संस्था से पास करना आवश्यक है ।

436. जबकि इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों के उदाहरण अधिक नहीं मिले, निवास सम्बन्धी पाबन्दी के प्रत्यक्ष आरोपण का एक आश्चर्यजनक मामला आयुक्त के सामने आया जब आसाम की सरकार द्वारा जारी किये गए विज्ञापन (जो आसाम ट्रिब्यून में 1-12-1963 में प्रकाशित हुआ था) की एक कतरन के साथ दो शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें होली रेशम उत्पादन फार्म पर "पोषक" के कुछ स्थानों के लिए "जन्म से ही राज्य के निवासी तथा अधिवासी" अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गए थे । विज्ञापन में निरूपित अधिवास सम्बन्धी शर्त, 1957 के जनता रोजगार (निवास से सम्बन्धित आवश्यकता) अधिनियम 44 के सांविधिक प्रावधान, जिसके द्वारा अधिवास सम्बन्धी सब पाबन्दियां हटा दी गई हैं, का उल्लंघन करती है । जनवरी, 1964 में आयुक्त द्वारा दिये गए हवाले पर राज्य सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है ।

437. सारे देश में एक आम शिकायत थी कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग संकेन्द्रित क्षेत्रों में नियुक्त ग्रामसेवक तथा ग्रामसेविकायें स्थानीय भाषाएं/बोलियां कभी-कभी नहीं बोल

सकतीं। इस श्रेणी के लोकसेवकों को अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पालन करने के लिए जनसाधारण के घनिष्ठ सम्पर्क में रहना पड़ता है, अतः अपने क्षेत्रों में प्रचलित भाषा/बोली का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। आदिमजाति क्षेत्रों में यह और भी आवश्यक है, जहां लोग भौगोलिक बाधाओं के कारण राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा और अर्थव्यवस्था से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं।

438. भाषाजात अल्पसंख्यकों की समस्याओं का तभी समाधान हो सकता है, जब प्रमुख भाषाजात वर्ग उनके प्रति उदार मन और विशाल हृदय का रुख रखें। राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य केवल तभी सिद्ध हुआ कहा जा सकता है, जब कोई नागरिक सिर्फ भाषात्मक बाधा के कारण अपने आपको असुविधाग्रस्त न पाये। भाषाजात अल्पसंख्यकों को सुरक्षण प्रदान करने का लक्ष्य लोगों की एक श्रेणी को जन्म देना नहीं है जिनके साथ पृथक प्रकार का बर्ताव किया जाये बल्कि ऐसी परिस्थितियों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जिनमें वे लोग जिन मातृभाषा भिन्न हैं, प्रादेशिक भाषा बोलने वालों से विच्छिन्न होने का अनुभव न करें। जब यह पृथकता का भाव दूर हो जायेगा, केवल तभी इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल हुए समझे जायेंगे।

439. त्रिभाषी सूत्र के सम्यक् कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख प्रस्तुत रिपोर्ट में तथा पिछली रिपोर्टों में हो चुका है। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न से भिन्न, इस समस्या का शैक्षिक पहलू भी है। देश में शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न शिक्षा आयोग का गठन किया गया है और यह आशा की जाती है कि आयोग इस विषय पर भी विचार करेगा तथा सरकार इसके विचारों और सिफारिशों से लाभान्वित होगी।

440. भाषाजात अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र कार्रवाई भी बहुत सी गलतफहमियों को दूर कर देगी। इस कार्य के लिए की गयी व्यवस्था का सुचारु रूप से कार्य करना आवश्यक है।

441. इस अत्यन्त जटिल और नाजुक क्षेत्र में अपने विशेष दायित्व के प्रति राज्य प्रशासनों की ओर से उत्तरोत्तर बढ़ती सजगता दिखी है और गृह मंत्री वर्ष में हुई विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकारों को भाषाजात अल्पसंख्यकों की वास्तविक कठिनाइयों को हल करने की अवहेलना के खतरों से अवगत कराने में रुचि लेते रहे हैं।

दिनांक 30 अप्रैल, 1965

(ह०) अनिल के० चन्दा

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

परिशिष्ट 1

प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अगस्त, 1949 में स्वीकृत तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संकल्प

"अवर बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्तर पर बच्चे की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, और जहां मातृभाषा प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से भिन्न हो वहां बालक की मातृभाषा में शिक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पर शर्त यह है कि इस भाषा को बोलने वाले बालकों की संख्या सारे स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। बालक की मातृभाषा वही मानी जाएगी जिसकी घोषणा उसके माता पिता या अभिभावक करेंगे। प्रादेशिक या राज्य भाषा मातृभाषा से भिन्न हो तो उसकी शिक्षा तीसरी कक्षा से पहले प्रारम्भ नहीं की जानी चाहिए परन्तु अवर बुनियादी स्तर की समाप्ति से पहले उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में आसानी हो इसके लिए बालकों को अवर बुनियादी स्तर के बाद दो वर्षों तक प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त मातृभाषा में भी प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जानी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर यदि किसी क्षेत्र में ऐसे बच्चों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न कोई और भाषा है, इतनी हो कि उनके लिए उस क्षेत्र में एक अलग स्कल खोल देना न्यायानुकूल हो तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। अगर इस प्रकार के स्कूलों की स्थापना और संगठन गैर सरकारी संस्थाओं आदि द्वारा किया गया हो तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से सहायता अनुदान और मान्यता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सरकार उन सभी सरकारी, नगरपालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में भी इसी प्रकार की सुविधाएं देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करेंगे। यदि सरकार से सहायता प्राप्त किसी स्कूल के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों, तो सरकार उस स्कूल से उन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध करने के लिए कहेगी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान प्रादेशिक भाषा एक अनिवार्य विषय रहेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था, विशेष रूप से राजधानियों या उन स्थानों के लिए आवश्यक होगी जहां विभिन्न भाषा-भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों में आवश्यक होगी जहां विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों की आबादी बदलती रहती है।"

परिशिष्ट 2

गृह-मंत्रालय

भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षण

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के चौथे भाग में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए जिन सुरक्षणों का सुझाव रखा गया है उनको राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है, तथा भारत सरकार का इरादा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मान लेने का है। जो कार्रवाई अब तक की जा चुकी है, या जिसे करने का विचार है उसका निदेश निम्नलिखित पैरांग्राफों में किया गया है।

2. **प्राथमिक शिक्षाः**—इस सम्बन्ध में संविधान (नवम संशोधन) विधेयक के खण्ड 21 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृ-भाषा में शिक्षा देने की सुविधाओं के विषय में संविधान में एक नया अनुच्छेद, अर्थात् 350-क जोड़ने की व्यवस्था की गई है। संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद, 350-क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो निदेश जारी किए जाएंगे वे सम्भवतः अगस्त, में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के आधार पर होंगे। अभिप्राय यह है कि जिन उपबन्धों को इस सम्मेलन में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है उन्हें उन राज्यों और क्षेत्रों में भी लाग कर दिया जाए जहां उन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

3. **माध्यमिक शिक्षाः**—आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के विषय में एक स्पष्टर नीति निर्धारित करनी चाहिएं और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। आयोग ने मत प्रकट किया है कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्वन्ध है इसकी ओर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है, और इसी लिए आयोग ने माध्यमिक स्कूल स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार को सांवधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की।

4. अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित व्यवस्थाय करने का विचार था :—

(क) यदि ऐसे बच्चों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न है, इतनी हो कि उनके लिए उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोल देना न्यायानुकूल हो, तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। यदि इस प्रकार के स्कूलों की स्थापना और संगठन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया हो तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाएगी।

(ख) सरकार उन सभी सरकारी और जिला बोर्ड के स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करेंगे ।

(ग) यदि सरकार से सहायता प्राप्त किसी स्कूल के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृ-भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों तो सरकार उस स्कूल से, इन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध करने के लिए कहेगी ।

(घ) माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान प्रादेशिक भाषा एक अनिवार्य विषय रहेगी ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा उसी विषय पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकार किए गए संकल्प पर विचार कर लेने के उपरान्त माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया ताकि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर के लिए प्रस्तावित तीन भाषाओं में से अपनी मातृ-भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ सकें । आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा के प्रयोग और उसके स्थान के विषय में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का विचार कर रही है।

5. अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालिजों को सम्बद्ध करना :—पिछले पैराग्राफों में दिए गए प्रस्तावों में से सम्बन्धित एक प्रश्न नए अथवा पुनर्गठित राज्यों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को समुचित विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध करने का भी है । अभीष्ट तो यही है कि इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाए कि जहां तक मातृभाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों का प्रश्न है स्कूलों और कालिजों जैसी शिक्षा संस्थाएं उसी राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध हो जाएं, परन्तु सबके लिए शायद ऐसा प्रबन्ध करना संभव न हो सके और इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी विश्वविद्यालयों या सम्बन्धित शिक्षा-प्राधिकरणों और स्वयं शिक्षा संस्थाओं के हित की दृष्टि से भी उन्हें राज्य के बाहर स्थित उपर्युक्त शिक्षा निकायों से सम्बद्ध होने की स्वीकृति देने में अधिक सुविधा होगी । वस्तुतः इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों के अनुरूप समझना चाहिए जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया है ।

6. इसलिए राज्य सरकारों को यह परामर्श देने का विचार किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों में राज्य से बाहर के निकायों से सम्बद्ध होने की अनुमति दे दी जाए । यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार से सम्बद्ध किसी भी संस्था को सहायता-अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में केवल इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए कि वह शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों की दृष्टि से राज्य के शैक्षणिक प्रशासन के ढांचे के अनुरूप नहीं है । इसलिए प्रस्ताव यह है कि सभी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य के अन्दर शिक्षा निकायों से सम्बद्ध हो या राज्य के बाहर के निकायों से, जिन राज्यों में वे स्थित हों वहां से सहायता

मिलती रहनी चाहिए। जहां आवश्यक हो विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से सम्बन्धित विधान पर इस दृष्टि से पुनर्विचार कर लिया जाए।

7. **अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने के विषय में अनुच्छेद 347 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निदेश जारी करना :—** इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 347 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई ऐसी मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है तो वह समस्त राज्य में अथवा उसके किसी भाग में उस भाषा के प्रयोग को सरकारी मान्यता देने के निदेश जारी कर सकता है। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट नियमावली निर्धारित करे और उसके सुनिश्चित अनुपालन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन उचित कार्रवाई करे।

8. आयोग ने सुझाव रखा है कि किसी राज्य को तभी एक-भाषी समझा जाना चाहिए जब उसके एक भाषी वर्ग की संख्या उसकी कुल आबादी का 70 प्रतिशत या अधिक हो, तथा जहां एक खासा बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो जिसकी संख्या कुल आबादी का 30 प्रतिशत या अधिक हो उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी समझा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जिला स्तर पर भी यह सिद्धान्त अपनाया जाए। यदि जिले की कुल जन-संख्या की 70 प्रतिशत या अधिक आबादी ऐसे लोगों की है जो समस्त राज्य की दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की भाषा न हो कर उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी।

9. भारत सरकार इन सुझावों से सहमत है और राज्य सरकारों को भी इन सुझावों को अपनाने का परामर्श देने का विचार रखती है।

10. द्विभाषी माने जाने वाले राज्य या जिले में दो या अधिक भाषाओं को सरकारी मान्यता प्रदान करने के लिए जो प्रबन्ध किए जाएंगे उन से राज्य के किसी भी निवासी के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो उसे संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार मिला है और जिसके अनुसार वह अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

11. आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जिलों अथवा नगरपालिकाओं और तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों में जहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग उस क्षेत्र की कुल आबादी का 15 से 20 प्रतिशत तक हो, महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तथा नियमों को उन भाषाओं में प्रकाशित करवा लेना सम्भवतः लाभप्रद होगा जिनमें इस प्रकार के कागज वैसे भी सामान्यतया प्रकाशित किये जाते ही हों।

12. भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने का है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से वे इस प्रस्तावित कार्यविधि को स्वीकार कर लें।

13. **राज्य सेवाओं में भरती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को माध्यम के रूप में मान्यता :—** इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश है कि

अवर सेवाओं के अतिरिक्त अन्य राज्य सेवाओं में भरती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वे अंग्रेजी, हिन्दी या राज्य की 15 से 20 प्रतिशत या अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकें और जो उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा के माध्यम से परीक्षा दें चुनाव हो जाने के बाद परन्तु परिवीक्षाधीन रहने की अवधि के समाप्त होने से पहले उनकी राज्य की भाषा में योग्यता की परीक्षा ली जाएं । भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सलाह देने का है कि वे यथासंभव इन सुझावों को स्वीकार कर लें । राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करने का विचार है कि जहां अवर सेवाओं में सम्मिलित किसी संवर्ग (काडर), [illegible] प में मान्यता प्राप्त हो वहां जिलों में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जो भाषा जिले की सरकारी भाषा हो उसे भी परीक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए । इस टिप्पण (नोट) के आठवें पैरा में निर्दिष्ट आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप यह अन्तिम सुझाव स्वतः स्वीकार हो जाएगा ।

14. **निवास सम्बन्धी नियमों और शर्तों पर पुनर्विचार:**—आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ राज्यों में लोग अधिवास (डामिसाइल) की शर्तों से अल्पसंख्यक वर्गों को नुकसान हो रहा है, और यह सिफारिश की है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अनुसार निवास की शर्तों को अधिक उदार बनाने के लिए उचित कानून बनाए । अनुच्छेद 16(3) के अधीन संसद् द्वारा बनाए जाने वाले कानून का रूप क्या हो, इस विषय में समय-समय पर दिए गए विभिन्न सुझावों पर भारत सरकार ने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है । वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सारी परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए राज्य सेवाओं की किसी भी शाखा या किसी भी मामले में फिलहाल किसी भी प्रकार का निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है ।

15. तेलंगाना क्षेत्र में इस सामान्य नियम में कुछ अपवादों की आवश्यकता हो सकती है और कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों के विषय में विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ सकता है परन्तु आशा की जाती है कि इस प्रकार के अन्तरिम प्रबन्ध को संक्रमण काल के बाद जारी रखने की आवश्यकता न होगी ।

16. उपर्युक्त बातों के अनुसार स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार यथाशीघ्र कानून बनाने का विचार कर रही है । इस बीच में राज्य सरकारों को कहा जाएगा कि वे पैरा 14 में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं के लिए भरती के नियमों पर फिर से विचार करें ।

17. **ठेकों, मत्स्य क्षेत्रों, इत्यादि के विषय में निजी अधिकारों पर पाबन्दी :**—राज्य सरकारों का ध्यान व्यापार, वाणिज्य तथा सम्पर्क की स्वतन्त्रता, और अवसरों की समानता के बारे में संविधान के उपबन्धों की ओर दिलाया जा रहा है, और यह सुझाव दिया जा रहा है कि मौजूदा पाबन्दियों पर इस दृष्टि से फिर से विचार किया जाए ।

18. **अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश करने वालों में से कम से कम 50 प्रतिशत की राज्य के बाहर से भरती :**—इस प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई है । इस विषय में कोई कठोर नियम बनाना आवश्यक नहीं समझा गया, परन्तु भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं का बंटन करते समय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

19. एक-तिहाई न्यायाधीशों की राज्य के बाहर से भरती :—आयोग की सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधिपति के ध्यान में लाई जा रही हैं । कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु अभिप्राय यह है कि जहां तक संभव हो भविष्य में नियुक्तियां करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए ।

20. दो या अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण :—राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के प्रस्ताव का राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया, इसलिए इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है । दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग के निर्माण के सम्बन्ध में संविधान में व्यवस्था विद्यमान है (देखिए अनुच्छेद 315) । यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण आवश्यक अथवा अभीष्ट हो तो आगे चल कर इस अनुच्छेद में दी गई कार्य विधि का अनुसरण किया जा सकता है ।

21. संरक्षणों को लागू करने के लिए अभिकरण :—राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि भाषाजात अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को लागू करने के लिए राज्यों के राज्यपालों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए । आयोग का राज्यपालों को विवेकाधीन अधिकार देने का कोई विचार नहीं था । उसने एक ऐसी सरल कार्य प्रणाली की सिफारिश की जिसे वर्तमान सांविधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपनाया जा सकता था । परन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवम संशोधन) विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति तथा संसद् दोनों में प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कमिश्नर की तरह केन्द्र में एक अल्पसंख्यक वर्ग का कमिश्नर नियुक्त करने का विचार कर रही है । यह अधिकारी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के सुरक्षणों की कार्यान्विति के विषय में राष्ट्रपति के निदेशानुसार समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहेगा । उसकी यह रिपोर्ट संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

22. उप-संहार के पूर्व, भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के निम्नलिखित अंश में अभिव्यक्त विचार का समर्थन करना चाहती है :—

> "हम इस बात को बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि गारण्टियों के द्वारा राज्य सरकार की प्रत्येक प्रकार के भेद-भाव की नीति से अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा नहीं की जा सकती । राज्य स्तर पर सरकार की गतिविधि व्यक्ति के जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर प्रभाव डालती है इसलिए प्रजातन्त्रीय शासन में जनता का नैतिक एवं राजनीतिक चरित्र प्रतिलक्षित होना चाहिए । इसलिए यदि बहु-संख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति वैमनस्यपूर्ण हो तो अल्पसंख्यकों की स्थिति अनिवार्य रूप से शोचनीय हो जाएगी । बहुसंख्यक वर्ग में न्याय की भावना होनी चाहिए तथा उसी के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने आपको राज्य की समन्वित एवं सुव्यवस्थित उन्नति के लिए महत्वपूर्ण अंग बनाए । इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है ।"

परिशिष्ट III

भाषाजात अल्प संख्यकों के लिए संरक्षणों (सेफगार्ड्स) के सम्बन्ध में विचार करने के लिए दक्षिण-क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति की उटकमंड में हुई बैठक में किये गये निर्णय

भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षणों पर विचार करने के लिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की मंत्रिवर्गीय समिति की शनिवार, 16 मई, और रविवार, 17 मई, को उटकमंड में बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हुए :—

1. श्री सी० सुब्रमन्यम्, वित्त मंत्री, मद्रास सरकार, (संयोजक)।
2. श्री ई० एम० एस० नम्बुदिरिपाद, मुख्य मंत्री, केरल।
3. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव, शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश।
4. श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश।
5. श्री अन्ना राव गणमुखी, शिक्षा मंत्री, मैसूर।

मद्रास राज्य से श्री आर० ए० गोपालस्वामी, आई० सी० एस०, द्वितीय सदस्य, राजस्व बोर्ड, मद्रास, श्री के० वी० रामनाथन्, आई० ए० एस०, उपसचिव, मद्रास सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन विभाग, तथा श्री एन० जयरामन, उपसचिव, मद्रास सरकार, लोक (विभाजन) विभाग, केरल राज्य से श्री वी० रामचन्द्रन, आई० ए० एस०, उपसचिव, केरल सरकार, तथा मैसूर राज्य से श्री सिद्ध पुरनायक, अवर सचिव, मैसूर सरकार और शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, भी बैठक में उपस्थित थे।

2. **कार्यसूची का विचारणीय विषय : शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों को मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना :—** समिति ने भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को सभी राज्यों के प्राथमिक और प्रारम्भिक स्कूलों में उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकार किए गए प्रस्ताव की दृष्टि से विचार किया। भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा प्राथमिक तथा उसके बाद के स्तर पर प्रादेशिक भाषा अध्ययन के प्रश्न पर भी विचार किया गया। अन्त में निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

(i) चारों राज्यों में से प्रत्येक में 1-11-56 को भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक स्कूलों और पृथक अनुभागों तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापक एवं स्कूल सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के विषय में स्थिति मालूम की जाएगी और कोई कमी किए बिना उन्हें उसी तरह जारी रखा जाएगा परन्तु मद्रास में तेलुगु छात्रों तथा आंध्र प्रदेश में तमिल छात्रों के सम्बन्ध में

उपर्युक्त तिथि 1-11-1956 न होकर 1-10-53 होगी। यदि छात्रों की संख्या कम हो जाए तो उसके अनुरूप ही अध्यापकों और स्कूल सम्बन्धी अन्य सुविधाओं में कमी की जा सकती है, परन्तु किसी भी विशिष्ट मामले में सरकार से उस मामले के बारे में विशेष आदेश प्राप्त किए बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। अगर छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में पढ़ाने की अतिरिक्त सुविधाएं, जिनमें अध्यापक भी शामिल होंगे, एक ऐसे पैमाने पर दी जायेंगी जो भाषाजात बहुसंख्यकों के लिए लागू मानों से कम उदार नहीं होगा। यदि कोई राज्य इस विषय में और अधिक उदारता दिखाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और, विशेष मामलों में, जहां अधिक सुविधाओं की मांग की गई हो, सम्बन्धित राज्य सरकार को आदेश देते समय, इस प्रकार के प्रत्येक मामले की विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए।

(ii) ऊपर दिए गए सुरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रबन्ध होगा कि सारे प्राथमिक स्कूल अपना वार्षिक सत्र प्रारम्भ होने से 15 दिन पहले 3 महीने तक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के माता पिता से बच्चों के प्रवेश और मातृभाषा में शिक्षा के लिए आवेदन पत्र लेते रहें। इन आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा। विभाग की ओर से इस बात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि प्रवेश से केवल इसलिए इंकार न किया जाए कि जिस स्कूल में अर्जी दी गई है उस स्कूल में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या बहुत कम है। जहां कहीं आवश्यक हो वहां अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश की समस्या स्कूलों की परस्पर व्यवस्था द्वारा हल की जाए।

(iii) इन चारों राज्यों में से प्रत्येक में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को चौथी कक्षा से लेकर अतिरिक्त भाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा पढ़ने की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि यदि इन वर्गों के छात्र माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा पढ़ना चाहें तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो इन सुविधाओं के लिए खर्च सरकार करेगी, अर्थात् सब सार्वजनिक यानी सरकारी अथवा नगरपालिकाओं के स्कूलों में यह सुविधा निर्बाध रूप से दी जाएगी तथा सरकार से सहायता-प्राप्त स्कूलों को इस प्रकार की सुविधाओं के लिए सरकार से अनुदान मिल सकेगा।

3. **विचारणीय विषय 2 : शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन** :—तीन भाषा सूत्रों के अनुरूप तथा दक्षिण क्षेत्र के सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए उनको मातृ भाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह देखा गया कि चारों में से प्रत्येक राज्य में, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मातृ भाषा के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है अथवा की जाएगी। मद्रास में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग का छात्र प्रादेशिक भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग I), अथवा

हिन्दी या भाग I में न शामिल की गई किसी अन्य भारतीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग II) के स्थान पर अपनी मातृ भाषा पढ़ सकता है। केरल में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग का छात्र व्यवहार में, केवल प्रादेशिक भाषा के विकल्प के रूप में ही अपनी मातृ भाषा पढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश और मैसूर में वह मातृ भाषा को पहली भाषा के तौर पर या तो प्रादेशिक भाषा के पूर्ण विकल्प के रूप में पढ़ सकता है अथवा एक अधिक भाषा के मिले जुले पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में। जहां तक राज्यों में प्रादेशिक भाषा के विकल्प के रूप में मातृ भाषा ली जा सकती है, प्रादेशिक भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यह निर्णय किया गया कि यह स्थिति संतोषजनक है और इसको जारी रखना चाहिए। भारत सरकार की इस सिफारिश पर विचार किया गया कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृ भाषा के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषा पढ़ने की भी अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए और पढ़ाई जाने वाली सम्बन्धित भाषाओं की संख्या दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस प्रकार की अनिवार्यता आवश्यक और वांछनीय नहीं है और साथ ही ऐसा करना सम्भव भी नहीं है।

48. लोक सेवाओं में भरती के लिए प्रादेशिक भाषाओं में दक्षता के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है उससे प्रादेशिक भाषा के स्थान पर मातृ भाषा का अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कोई छूट दी जानी चाहिए या नहीं इस प्रश्न पर लोक सेवाओं में भरती के विषय में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सुरक्षणों के प्रश्न के अंश के रूप में (नीचे विचारणीय विषय 9 में) विचार किया गया।

5. विचारणीय विषय 3 : भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए माध्यमिक स्तर पर मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना :—समिति ने भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए माध्यमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया। अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकृत प्रस्ताव पर समिति ने ध्यान दिया जिसमें सरकार से अपेक्षा की गई थी कि (i) वह उन क्षेत्रों में जहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या इतनी है कि उनके लिये अलग स्कूल खोलना उचित हो, ऐसे पृथक स्कूल खोले या उन स्कूलों को मान्यता प्रदान करे जिनमें मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती हो, (ii) वह उन सभी सरकारी या नगरपालिकाओं के स्कूलों में, जिनमें छात्रों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करें अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें, तथा (iii) वह देखे कि सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल भी समान परिस्थितियों में उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, शास्त्रीय, और विधि पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों की शिक्षा अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं के माध्यम से देने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर भी समिति ने विचार किया। मद्रास ने यह विचार रखा है कि प्रान्तीय मंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प में एक तिहाई की बात भाषाजात अल्पसंख्यकों और सरकार दोनों के लिहाज से असंतोषप्रद है क्योंकि बड़े स्कूलों में चाहे अनुपात एक तिहाई से कम भी हो पर वहां पृथक् अनुभाग खोलना आवश्यक और सम्भव हो सकता है जबकि छोटे स्कूलों में अनुपात एक तिहाई से अधिक भी हो तो भी पृथक् अनुभाग खोलने में खर्च अधिक होगा और वैसा करना अव्यवहारिक भी होगा। इस विचार को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया परन्तु इस बात पर काफी बहस हुई कि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक कक्षा में तथा

सारे स्कूल में कुल मिला कर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए । अंत में सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

(i) 1-11-1956 को भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक् माध्यमिक स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में उनके लिए पृथक् अनुभागों की स्थिति मालूम की जाये । इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या और अल्प-वर्गीय भाषा में अध्यापन की क्षमता रखने वाले अध्यापकों और स्कूल सम्बन्धी अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और स्थिति को बिना परिवर्तन के जारी रखा जाना चाहिए ।

(ii) किसी स्थानीय विशेष क्षेत्र में यदि छात्रों की संख्या इतनी कम हो जाए कि वहां सुविधाओं को कम कर देना न्यायसंगत हो तो वह कमी की जा सकती है, परन्तु किसी भी मामले में सरकार से विशेष रूप से आदेश प्राप्त किए बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिए ।

(iii) यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो जिन नियमों के अनुसार और जिस हिसाब से अन्य स्कूलों में छात्र संख्या के बढ़ने के साथ-साथ अध्यापकों में वृद्धि की जाती है उसी हिसाब से इनमें भी अध्यापक बढ़ा देने चाहिएं ।

(iv) जहां अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की सुविधाएं विद्यमान न हों वहां ये सुविधाएं देने के लिए आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क्रम की नई VIII से XIवीं तक की कक्षाओं में कुल मिला कर कम से कम 60 छात्र होने चाहिए और प्रत्येक कक्षा में कम से कम छात्र होने चाहिएं, परन्तु इन सुविधाओं को प्रारम्भ करने के पहले चार वर्ष तक उस प्रत्येक कक्षा में जिनमें ये सुविधायें दी गई हों 15 की संख्या भी पर्याप्त होगी । कुल कक्षाओं में मिला कर 60 की संख्या और प्रत्येक कक्षा में 15 की संख्या विविध पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग गिनी जाएगी, और जहां शैक्षिक पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों के विभिन्न वर्गों की व्यवस्था हो वहां वैकल्पिक विषयों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग गिनी जाएगी ।

6. **विचारणीय विषय 4 : शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना :**—क्या राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध करना आवश्यक है ? यदि यह प्रबन्ध आवश्यक हो तो क्या इसे छात्रों के किसी वर्ग विशेष तक सीमित रखा जाना चाहिए या इस प्रकार की शिक्षा बिना किसी प्रतिबन्ध के सब छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए? इन प्रश्नों पर समिति ने विस्तारपूर्वक चर्चा की । समिति के सामने यह बात आई कि चारों राज्यों की यही निर्धारित नीति है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये, तथा इस सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद यह है कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को शिक्षा उनकी मातृ भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए । भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की

रियायत देने की आड़ में इस सामान्य नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। संयोजक का विचार था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहते हैं। उनके बच्चों को (चाहे वे अल्पसंख्यक वर्गों के हों अथवा बहुसंख्यक वर्ग के) अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की स्वीकृत दी जा सकती है, क्योंकि इस समय अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें देश के सब भागों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु जो लोग प्राय: एक ही स्थान में रहते हैं उनके बच्चों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करना किसी प्रकार से युक्तयुक्त प्रतीत नहीं होता। अगर भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के प्राय: एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को किसी कारण से अपनी मातृ भाषा में शिक्षा की सुविधा न दी जा सके तो उन्हें अंग्रेजी की अपेक्षा प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर सब सहमत थे कि स्थान बदलते रहने वाले माता-पिता के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए, तथा बहुसंख्यक वर्ग के प्राय: एक स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चे को प्रत्येक राज्य में एकमात्र प्रादेशिक भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के प्राय: एक ही स्थान में रहने वाले लोगों के बच्चों के कम स कम कुछ विशेष वर्गों के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था उचित न होगी? आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने यह मत प्रकट किया कि जहां भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग क बच्चों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध सम्भव न हो, वहां पर यदि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखत निर्णय किए गए :—

(i) सरकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के पृथक् अनुभागों में अंग्रेजी से शिक्षा की सुविधाओं के विषय में 1-7-1958 को विद्यमान स्थिति मालूम की जाए और बिना परिवर्तन के जारी रखी जाए।

(ii) भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के पृथक अनुभागों में 1-7-1958 को जितने स्थान उपलब्ध थे उनकी संख्या उससे कम न होगी। बहुसंख्यक वर्ग के बच्चों के विषय में भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया जाए या नहीं इस बात का फैसला प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा।

(iii) ऊपर बताई गई बातों के अनुरूप राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के विषय में अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहने वाले माता-पिता के (चाहे वे भाषाजात बहुसंख्यक वर्ग के हों अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के) बच्चों की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण उत्प होने वाली आवश्यकता के सिवाय अन्य किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकारों पर दायित्व नहीं होना चाहिए कि वे 1-7-1958 को अंग्रेजी माध्यम के जितने माध्यमिक स्कूल थे उनकी संख्या बढ़ावें।

7. विचारणीय विषय 5 : अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य के बाहर स्थित निकायों से सम्बद्ध करना :— समिति ने भारत सरकार

के राज्य सरकारों को यह सलाह देने के प्रस्ताव पर विचार किया कि स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थाओं को राज्य के बाहर स्थित शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध होने की स्वीकृति बिना कठिनाई के दे दी जानी चाहिए। इस प्रकार से सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि स्कूलों को राज्य से बाहर के शिक्षानिकायों के साथ सम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक कालेजों का सम्बन्ध है इस पर विचार करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है।

8. विचारणीय विषय 6 : सरकारी कामों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग :—राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि जिस राज्य में किसी अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का एक तिहाई या अधिक हो उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिए, तथा यदि किसी जिले की 70 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो समस्त राज्य के लिहाज से अल्पसंख्यक वर्ग के हों तो उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की भाषा न होकर उस अल्प संख्यक वर्ग की भाषा होगी। जिलों, नगरपालिकाओं, और इनसे भी छोटे क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी वहां की जनसंख्या का 15 या 20 प्रतिशत है, सरकारी सूचनाएं, चुनावों की नामावलियां आदि दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए तथा अदालतों में कागज अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी प्रस्तुत करने की स्वीकृति होनी चाहिए। समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया और मालूम किया कि चारों राज्यों में से किसी में भी कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां की अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 70 प्रतिशत अथवा अधिक हो। समिति ने देखा कि दोनों सुरक्षणों में से कोई भी सुरक्षण (अर्थात् राज्य को द्विभाषी घोषित करना, अथवा बहुसंख्यकों की भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा को किसी जिले की सरकारी भाषा घोषित करना) चारों में से किसी भी राज्य में लागू नहीं होता था। जिलों या इनसे छोटे क्षेत्रों में किन्हीं विशिष्ट कामों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के विषय में आयोग के सुझाव के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि इस दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका, शासित शहर और प्रत्येक ताल्लुक में नगरपालिका के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र को पृथक् स्थानीय क्षेत्र समझा जाना चाहिए, और प्रत्येक राज्य के स्थानीय क्षेत्रों के जिन ताल्लुकों या नगरपालिकाओं में 20 प्रतिशत लोग राज्य के बहुसंख्यक वर्गों की भाषाओं से भिन्न भाषा बोलते हैं, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार से तैयार की गई सूची में सम्मिलित प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिएं :—

(1) सब महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम, चुनावों की नामावलियां इत्यादि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा अथवा भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए।

(2) जनता के प्रयोग में आने वाले फार्म प्रादेशिक भाषा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा दोनों में छापे जाने चाहिएं।

(3) अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी दस्तावेजों की रजिस्ट्री की सुविधाएं होनी चाहिएं।

(4) अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा में भी सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार की स्वीकृति होनी चाहिए।

(v) इन क्षेत्रों में कागज अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए ।

(vi) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां तक व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव हो सकें, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जिन्हें क्षेत्र की अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार का पहले यह विचार था कि राज्य की सरकारी भाषा नियत करने के मुख्य प्रश्न के साथ ही इस विषय में आयोग के सुझावों को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जाए परन्तु बाद में वह इस बात के लिए राज़ी हो गई कि वह वही करेगी जो अन्य राज्य करेंगे ।

9. विचारणीय विषय 9 : राज्यों की लोक सेवाओं में भरती के विषय में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सुरक्षण :—विचारणीय विषय 9 व्यापक था और विचारणीय विषय 7 और 8 इसके अंग थे, इसलिए इस पर उनसे पहले विचार किया गया ।

10. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि जहां अंग्रेजी राज्य-भाषा बनी रहती है, तथा सेवा में भरती के लिए राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता था जहां सेवाओं में भरती के लिए ली जाने वाली मुकाबले की परीक्षाओं में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में ही उत्तर लिखना आवश्यक नहीं है वहां राज्य की लोक सेवाओं को भरती के मामले में भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा । परन्तु मद्रास ने तमिल को राज्य की सरकारी भाषा घोषित किया है तथा यह व्यवस्था की है कि किसी सेवा में सीधी भरती द्वारा नियुक्ति के लिए राज्य की भाषा, अर्थात् तमिल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा और तमिल के पर्याप्त ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार की गई है :—

(i) जिसने हाई-स्कूल पाठ्यक्रमों में तमिल में शिक्षा पाई हो; अथवा

(ii) जो, चाहे उसकी मातृ भाषा तमिल हो या न हो पर तमिल पढ़ लिख और बोल सकता हो; अथवा

(iii) जिसने तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास की हो ।

मद्रास लिपिक वर्गीय सेवाओं, मद्रास न्यायिक लिपिक वर्गीय सेवाओं आदि में भरती के लिए मद्रास लोक सेवा आयोग जो चतुर्थ वर्ग परीक्षाएं लेता था उनमें बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रादेशिक भाषा में लिखे जाने वाले पत्रों को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू में भी लिख सकने की जो छूट मद्रास राज्य ने 1958 तक दे रखी थी वह उसने वापस ले ली । इस प्रकार से इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए इन उत्तर पत्रों को तमिल में ही लिखना अनिवार्य हो गया । इससे भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए समस्याएं खड़ी ही गयीं क्योंकि एकाएक उन्हें इस शर्त का सामना करना पड़ा कि राज्य सेवा में नियुक्ति से पहले तमिल का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य है । उन्हें तमिल भाषी उम्मीदवारों के साथ तमिल माध्यम वाली परीक्षाओं में मुकाबला करना पड़ गया था । जब अन्य राज्य भी कुछ समय के बाद अंग्रेजी के स्थान पर बहुसंख्यक वर्ग की भाषा को सरकारी भाषा बनाएगी तब वहां के भाषा जात असल्पसंख्यक वर्गों को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । इसलिए सब राज्यों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि उन लोगों की ठीक ठीक परिभाषा की जाए तो जो इस प्रकार के नीति विषयक निर्णयों

से—जैसा कि मद्रास सरकार ने इस विषय में किया—प्रभावित होंगे, और उनके लिए भरती प्रादेशिक भाषा के पर्याप्त ज्ञान के मामले में, तथा राज्य की लोक सेवाओं में भरती के लिए ली जाने वाली मुकाबले की परीक्षाओं के माध्यम के मामले में; विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जाए। समिति ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया :—

(i) जिन लोगों के लिए विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जानी है उनकी परिभाषा कैसे की जाए;

(ii) उनके लिए किन किन सुरक्षणों की व्यवस्था की जाए ;

(iii) वे सुरक्षण कितने समय तक दिए जाते रहें।

11. **सुरक्षणों के पात्र लोगों की परिभाषा :**—मद्रास सरकार ने आरम्भ में वह सुझाव दिया था कि भरती के विषय में सुरक्षण लोगों के एक वर्ग विशेष को ही दिए जायें जिसे इस दृष्टि से "भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग" का नाम दिया जाए, और "भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग" की परिभाषाओं में वह हर व्यक्ति शामिल हो "जिसकी मातृभाषा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या उर्दू हो, परन्तु उस व्यक्ति के माता पिता में से एक मद्रास राज्य की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के अन्दर पैदा हुआ हो अथवा वहां का स्थायी निवासी हो।" मैसूर सरकार चाहती थी कि भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों की परिभाषा की शर्त माता पिता में से किसी एक को लगातार पांच वर्ष या अधिक की रिहाइश या स्थायी रूप से वस जाने की इच्छा का कोई विशिष्ट प्रमाण होना चाहिए। भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के कमिश्नर का विचार था कि मद्रास सरकार की परिभाषा में रखी गई रिहाइश सम्बन्धी शर्त संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध होगी। इस पर मद्रास सरकार ने अपनी प्रस्तावित परिभाषा की सांविधानिक मान्यता के विषय में अपने महाधिवक्ता की राय मालूम की। उसकी राय पर, जो समिति की बैठक से पहले प्राप्त हो चुकी थी, समिति ने विचार किया। महाधिवक्ता का विचार था कि यद्यपि भरती के नियमों में छूट को भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों में से कसी एक सीमित समूह तक के लिए सीमित कर देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु "भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग" की ऐसी परिभाषा करना कि इसमें केवल यह सीमित वर्ग ही सम्मिलित हों, अनुचित होगा। किसी नागरिक अथवा उसके माता या पिता के जन्म स्थान को भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों की किसी सामान्य परिभाषा की कसौटी नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान परिभाषा के सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने सुझाव दिया कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा करना आवश्यक नहीं, परन्तु जिन लोगों को भरती के नियमों में छूट का लाभ दिया जाना है उन्हें "गैर तमिलभाषी उम्मीदवार" अथवा तमिलतर मातृ भाषा वाले उम्मीदवारों की संज्ञा दी जा सकती है। उनकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि उनमें "वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल हों जिसकी मातृ भाषा तमिल से भिन्न हो और जिसने सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित योग्यता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास राज्य के किसी स्कूल, कालेज या अन्य संस्था से पास की हो" समिति ने मद्रास राज्य के महाधिवक्ता के इस सुझाव को मान लेने का निर्णय किया और इस विषय पर सहमति प्रदान की कि सेवाओं में भरती के मामले में प्रादेशिक भाषाओं के पर्याप्त ज्ञान तथा मुकाबिले की परीक्षाओं के माध्यम सम्बन्धी नियमों में छूट मद्रास में गैर तमिल-भाषियों को, आंध्र प्रदेश में गैर तेलुगु-भाषियों को, मैसूर में गैर कन्नड़ भाषियों को, और केरल में गैर मलयालम भाषियों को दी जानी चाहिए और उनकी परिभाषा में "वे सब लोग शामिल होंगे जिनकी मातृ भाषा तमिल (या यथास्थिति तेलुगु, या कन्नड़ या

मलयालम) से भिन्न कोई भाषा हो, और जिन्होंने उस पद के लिए, जिसके लिए भरती की जानी है, योग्यता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास (या आंध्र प्रदेश, या मैसूर, या केरल) राज्य की किसी शिक्षा संस्था से पास की हो ।" भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के जिन व्यक्तियों ने योग्यता सम्बन्धी परीक्षा राज्य की किसी संस्था से न पास की हो वे सेवाओं में भरती के अधिकार से वंचित नहीं होंगे परन्तु उन्हें ऊपर बताए गए नियमों से छूट की रियायत का अधिकार न होगा ।

12. **सुरक्षणों का स्वरूप:**— छूट के स्वरूप के विषय में मद्रास ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे:—

(1) **भरती की पात्रता के लिए तमिल के पर्याप्त ज्ञान की शर्त**—राज्य के भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी पद के लिए आवेदन पत्र देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे आवेदन पत्र देने के समय उसे सामान्य नियमों के अभिप्राय के अनुसार तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो । उसे नीचे खंड (3) में निरुपति शर्तों के अधीन रहते हुए चुने जाने का पात्र भी समझा जाना चाहिए ।

(2) **परीक्षा का माध्यम**—जहां मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को लेना आवश्यक होगा मद्रास राज्य के भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य, यदि चाहे तो, नीचे खण्ड (3) में निरुपति शर्तों के अधीन रहते हुए तमिल के स्थान पर अपनी मातृ भाषा को परीक्षा का माध्यम रख सकता है;

(3) **नियमों में छूट के साथ लगी शर्तें**—ऊपर खंड (1) और (2) में बताई गई, सामान्य नियमों में छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि उम्मीदवार निर्धारित समय में तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास कर ले । इसके साथ शर्त यह है कि उसे यह परीक्षा परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने से पहले और राज्य की स्थायी लोक सेवा में स्थायी होने से पहले पास कर लेनी होगी ।

समिति ने उपर्युक्त सुरक्षणों का इस शर्त पर अनुमोदन किया कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिए जाएं :—

(1) ये सुरक्षण मद्रास में उन सब गैर-तमिल भाषियों, आंध्र प्रदेश में गैर-तेलुगु-भाषियों, मैसूर में गैर-कन्नड़-भाषियों को और केरल में गैर-मलयालम-भाषियों को प्राप्त होंगे जो पिछले पैरा में निरुपति कसौटी की दृष्टि से नियमों में छूट के अधिकारी होंगे ।

(2) परीक्षा के माध्यम के विषय में इन छ: भाषाओं में से किसी को माध्यम के रूप में चुनने की छूट होनी चाहिए, अर्थात्, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, अंग्रेजी । राज्यों को अधिकार होना चाहिए कि वे चाहें तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा के उत्तर पत्र लिखने की छूट दे दें ।

(3) चुने गए उम्मीदवार को प्रादेशिक भाषा में परीक्षा पास करनी होगी जिसका स्तर चारों राज्यों की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिए ।

13. **सुरक्षणों के जारी रहने की अवधि:**— इन सुरक्षणों के जारी रहने की अवधि के विषय में सब एकमत थे कि सुरक्षणों को इस समय इनकी समाप्ति की तिथि निश्चित किए बिना

प्रारम्भ कर देना चाहिए और 1-7-1964 के बाद जल्दी से जल्दी जब इस रियायत से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या के विषय में सूचना उपलब्ध हो जाए इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर लिया जाए।

14. **विचारणीय विषय 7—राज्य सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना :—**समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के इस सुझाव पर विचार किया कि "राज्य सेवाएं" कहलाने वाली सेवाओं में, अर्थात् उच्च या राजपत्रित सेवाओं में, जिनके लिए मुकाबले की परीक्षायें होती हैं भरती के लिए उम्मीदवार को छूट होनी चाहिए कि वह संघ की भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी को, अथवा किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को जिसकी आबादी राज्य की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत या अधिक हो, राज्य की मुख्य भाषा के विकल्प के रूप में परीक्षा का माध्यम चुन सके। राज्य भाषा में उसकी दक्षता की परीक्षा सेवा के लिए चुने जाने के बाद परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले ली जाए। समिति ने महसूस किया कि यह उस बड़ी समस्या का भाग है जिस पर विचारणीय विषय 9 के अन्तर्गत विचार किया गया है, तथा इस समय राज्य सेवाओं में भरती के विषय में चारों राज्यों में से किसी में भी किसी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो मुकाबले की परीक्षायें हो रही हैं उन सब का माध्यम अंग्रेजी है। इस बात पर सब सहमत हुए कि इस मामले में, सब राज्यों को भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों को निम्नलिखित रूप में सुरक्षण देने चाहिए :—

(1) ऐसे सुरक्षण केवल उन भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होंगे जिनकी मातृ भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू और केवल आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में मराठी होगी।

(2) यदि किसी राज्य सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली किसी मुकाबिले की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की प्रादेशिक भाषा कर दी जाए तो इन अल्पसंख्यक वर्गों को परीक्षा के उत्तर पत्र अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने की छूट दी जानी चाहिए।

(3) यदि कोई राज्य उपर्युक्त खण्ड (1) में बताई गई भाषाओं के अतिरिक्त कोई और भाषा बोलने वाले भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग को भी रियायतें दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

15. **विचारणीय विषय 8—जिला सेवा संवर्ग में माने जाने वाले अधीन सेवाओं के संवर्ग में भरती :—**भारत सरकार का यह सिफारिश करने का विचार है कि जहां राज्य की अधीन सेवाओं में सम्मिलित कोई संवर्ग जिला सेवा वर्ग के रूप में समझा जाए, वहां जिले की मान्यता प्राप्त सरकारी भाषा को, जिले की मुकाबले की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। समिति ने देखा कि दक्षिणी प्रदेश के किसी भी राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां के 70 प्रतिशत लोग राज्य की भाषा से भिन्न कोई भाषा बोलते हों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करने के लिए यह आवश्यक शर्त है। इस प्रकार, भारत सरकार की यह सिफारिश दक्षिणी प्रदेश के किसी भी राज्य पर लागू नहीं होती।

16. विचारणीय विषय 10 : निवास सम्बन्धी नियमों और शर्तों की समीक्षा :— समिति ने देखा कि भारत सरकार द्वारा "सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी शर्तें) अधिनियम, 1957 पास किए जाने पर राज्य की सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिवास विषयक योग्यताओं के सम्बन्ध में सारी पाबन्दियों हटा दी गई हैं। इसलिए इस विषय में अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

17. विचारणीय विषय—11 ठेकों, मत्स्य-क्षेत्रों, इत्यादि के विषय में व्यक्तिगत **अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना** —समिति ने देखा कि चारों राज्यों में से किसी में भी वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के प्रति किसी प्रकार का भेद-पूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

18. विचारणीय विषय 12—अखिल भारतीय सेवाओं में नई नियुक्तियों में से एक न्यूनतम प्रतिशत की राज्य के बाहर से भरती; विचारणीय विषय 13 : राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की एक नियत संख्या की राज्य के बाहर से नियुक्ति। विचारणीय विषय 14 : दो या अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण :—इन विषयों में से किसी पर किसी भी राज्य ने कोई सुझाव नहीं दिए।

19. विचारणीय विषय 15 : सुरक्षणों को लागू करने के लिए एजेन्सी :—समिति इस बात से अवगत हुई कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार समय समय पर, भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के सुरक्षण के अनुसार हो रहे काम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों का कमिश्नर नियुक्त किया जा चुका है। समिति का विचार था कि दक्षिणी क्षेत्र के सब राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के सुरक्षणों की कार्यान्विति की समीक्षा और समन्वय करने के अभिकरण के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य से दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए मन्त्रियों में से हर एक राज्य की ओर से एक एक मन्त्री इस स्थायी समिति में अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। यह समिति भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों को दिए गए सुरक्षणों के अनुपालन के सम्बन्ध में उठने वाली सारी समस्याओं पर विचार विमर्श करेगी। सर्व सम्मति से तय किया गया कि ऐसी एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए।

20. भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग के कमिश्नर ने समिति को एक नोट भेजा था जिसमें उन्होंने कई राज्यों में प्रचलित इस बात की ओर संकेत किया था कि वहां आर्टस और साइंस कालेजों के विज्ञान पाठ्यक्रमों में और व्यावसायिक कालेजों और पालिटेक्निकों में सभी पाठ्य-क्रमों में दाखिले के लिए प्रादेशिक भाषा के पूर्वज्ञान पर एक अनिवार्य शर्त के रूप में बल दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ये शिकायतें भी मिली थीं कि इस शर्त पर केवल इस लिए जोर दिया जाता है कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रवेश न मिल सके। समिति ने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र के चारों राज्यों में से किसी में से किसी में भी ऐसा कट्टरपन **नहीं पाया जाता।**

21. उपर दी गई रिपोर्ट में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की 16 अप्रैल, 1960 को नई दिल्ली में हुई बैठक में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

(क) दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में स्कूलों को राज्यों से बाहर की संस्थाओं के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया गया। मद्रास के शिक्षा मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां तक कालेजों का प्रश्न है इस बात का फैसला करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है, सरकारों का नहीं। चर्चा के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्यों के स्कूलों में परीक्षाएं केवल क्षेत्रीय भाषाओं में ही नहीं वरन् विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी ली जाती हैं, और यदि कोई समस्या उठे तो उस पर स्थायी समिति द्वारा विचार कर लिया जाएगा जिसके निर्माण की सिफारिश मन्त्रियों की समिति ने की है।

(ख) चर्चा के दौरान श्री सुब्रह्मण्यम् ने कहा कि यद्यपि भारत के किसी भी नागरिक को जिसके पास अपेक्षित आवश्यक योग्यता हो राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए समान शर्तों पर मुकाबले की परीक्षाओं में भाग लेने का अधिकार है तथापि मन्त्रि वर्गीय समिति ने प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत भाषा जात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कई रियायतों की सिफारिश की है। इस दृष्टि से किसी उम्मीदवार को राज्य के भाषा जात अल्पसंख्यक वर्ग का तब समझा जाएगा जब उसने योग्यता प्रदान करने वाली आवश्यक परीक्षा उसी राज्य से पास की हो और उसकी मातृ भाषा राज्य की प्रादेशिक भाषा से भिन्न कोई भाषा हो। लोक सेवा में भरती को अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों से सीमित नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना "सरकारी रोजगार" (अधिवासी सम्बन्धी शर्तें) अधिनियम, 1957 के विरुद्ध होगा। दक्षिणी क्षेत्र के चारों राज्यों में से किसी में भी इस प्रकार की पाबन्दियां नहीं हैं।

यह तय हुआ है कि हिन्दी को भी उन भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाए जिनमें भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्य लोक सेवा में भरती की परीक्षाओं के उत्तर लिख सकेंगे।

(ग) कुछ विचार विमर्श के बाद, परिषद् ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और इस बात पर सहमति दी कि यदि समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित हो तो मामला स्थायी समिति के सामने रखा जाए। प्रस्तावित स्थायी समिति के गठन के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व एक एक मन्त्री करेगा और उस वर्ष के लिए परिषद् का उपाध्यक्ष समिति का संयोजक होगा। उस वर्ष के लिए क्षेत्रीय परिषद् का सचिव ही समिति का सचिव होगा। यह भी तय किया गया कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के कमिश्नर को भी समिति में ले लिया जाए।

परिशिष्ट IV

वक्तव्य

(जो 10, 11 और 12 अगस्त, 1961 को हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक द्वारा जारी किया गया था।)

राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलायी गयी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 10 अगस्त, 1961 को शुरू हुई। प्रधान मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तथा राज्यों के कुछ अन्य मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रि डा० विधान चन्द्र राय जो विदेश से लौटने पर 11 व 12 अगस्त की बैठक में सम्मिलित हुए और राजस्थान के मुख्य मंत्री जो बैठक में भाग लेने के लिए कार द्वारा जयपुर में दिल्ली आते समय दुर्भायवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण शामिल नहीं हो सके, के अलावा शेष सभी मुख्य मंत्री 10 अगस्त व उसके बाद की बैठकों में उपस्थित थे।

10 अगस्त

1. प्रधान मंत्री ने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, भाषागत और प्रशासनिक जैसे भिन्न-भिन्न पहलुओं की चर्चा की। उन्होंने सम्प्रदायवाद और भाषावाद की समस्या का भी जिक्र किया और इन प्रश्नों के प्रति उपयुक्त अखिल भारतीय दृष्टि से काम करने की बात कही।
2. केन्द्रीय गृह-मंत्री ने 31 मई और 1 जून, 1961 को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक के विचार विमर्श की चर्चा की और बताया कि साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पैनल कोड) के अनुच्छेद 153 (क) में संशोधन के लिए उन दो विधेयकों की व्यवस्थाएं बताईं जो कि संसद् में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उन्होंने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव की भी चर्चा की।
3. बैठक में यह स्वीकार किया गया कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा भारत संघ से देश के किसी अंग को अलग करने की हिमायत करना दण्डनीय अपराध होना चाहिए। इस विषय पर आगे और भी विचार किया जायेगा।
4. प्रधान मंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों की चर्चा की और कहा कि और अखिल भारतीय सेवायें बनायी जानी चाहिएं।

इंजीनियरी, चिकित्सा व वन विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया बशर्ते कि योजनाएं तैयार करने के बाद उन्हें विचारार्थ राज्य सरकारों को भेज दिया जाय।

5. बैठक की यह राय थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच अफसरों के आदान-प्रदान के नियम को अधिक कड़ाई के साथ अपनाना चाहिए।

6. इस बैठक में, प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे जज जो राज्य से बाहर के हों, रखने की वांछनीयता भी स्वीकार कर ली गई।

11 और 12 अगस्त

1. 11 व 12 अगस्त को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही चलती रही। 11 अगस्त को बैठक सुबह और दोपहर बाद दोनों समय हुई तथा 12 अगस्त को सुबह ही।

2. बातचीत का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। प्रधान मंत्री ने इस विषय पर संविधान की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिलाते हुए विचार-विमर्श आरम्भ किया। उन्होंने खास तौर से अनुच्छेद 29, 30 व 350 (क) और 350 (ख) की ओर ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन की चर्चा की जो भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। यह ज्ञापन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह-मशविरा करने के पश्चात् जारी किया गया था। एक प्रकार से यह ज्ञापन अखिल भारतीय संहिता (कोड) के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम रक्षात्मक उपायों का उल्लेख था।

3. यद्यपि ज्ञापन के सामान्य सिद्धान्त फिर से पुष्ट कर दिये गये थे, परन्तु उनमें कुछ हेर-फेर स्वीकार किय गये, जो इस प्रकार हैं ;

(अ) प्राथमिक शिक्षा:

भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्राथमिक स्तर तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार की बात पुनः स्वीकार की गयी। इसे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 350 (क) से वैधानिक मान्यता मिल चुकी है और राष्ट्रपति को जहां भी आवश्यक हो, निदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के फैसले सिद्धान्ततया स्वीकार कर लिये गये। चूंकि ये फैसले राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रख कर किये थे और ये तत्कालीन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए

थे, अतः ये पूर्णतया अन्य राज्यों पर लागू नहीं हो सकते। परन्तु सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां बिलकुल सुविधा नहीं है, वहां कुछ सुविधा मिले और जहां जहां सम्भव हो सुविधाएं बढ़ायी जायं।

(ब) माध्यमिक शिक्षा:

इस सम्बन्ध में 1956 के ज्ञापन की सामान्य व्यवस्थाओं को पुनः पुष्ट किया गया है और इस बैठक में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों का फैसला स्वीकार कर लिया गया। इन सिद्धान्तों पर राज्यों के शिक्षा विभागों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वे अपने राज्यों में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना सकें। मातृ-भाषा फार्मूला माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पढ़ाई के माध्यम के बारे में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता। इस स्तर पर छात्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दी जाती है जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें। यह शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। अतः प्रयुक्त भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी हो सकती हैं। आसाम के कुछ पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में अपवाद हो सकता है—जहां विशेष प्रबन्ध किया जा सकता है।

4. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की महत्ता पर भी ज़ोर दिया गया। सामान्यतया ये पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिएं और निजी प्रकाशकों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिएं। पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की बननी चाहिएं जिनसे छात्रों के दिमाग में समन्वित दृष्टिकोण और भारतीय एकता की भावना पैदा हो तथा उससे उन्हें भारत की बुनियादी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी मिले। उन पुस्तकों में भारत की वर्तमान स्थिति और अन्यत्र स्थिति की भी जानकारी मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का काम ऊंची योग्यता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए नमूने की पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी चाहिएं।

5. भारत की प्रादेशिक भाषाओं के विकास और शिक्षा में धीरे-धीरे उनके प्रयोग बढ़ने से अन्तर्राज्यीय सम्पर्क के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का शीघ्र विकास आवश्यक हो जाता है।

इंजीनियरी, चिकित्सा व वन विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया बशर्ते कि योजनाएं तैयार करने के बाद उन्हें विचारार्थ राज्य सरकारों को भेज दिया जाय।

5. बैठक की यह राय थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच अफसरों के आदान-प्रदान के नियम को अधिक कड़ाई के साथ अपनाना चाहिए।

6. इस बैठक में, प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे जज जो राज्य से बाहर के हों, रखने की वांछनीयता भी स्वीकार कर ली गई।

11 और 12 अगस्त

1. 11 व 12 अगस्त को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही चलती रही। 11 अगस्त को बैठक सुबह और दोपहर बाद दोनों समय हुई तथा 12 अगस्त को सुबह ही।

2. बातचीत का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। प्रधान मंत्री ने इस विषय पर संविधान की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिलाते हुए विचार-विमर्श आरम्भ किया। उन्होंने खास तौर से अनुच्छद 29, 30 व 350 (क) और 350 (ख) की ओर ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन की चर्चा की जो भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। यह ज्ञापन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह-मशविरा करने के पश्चात् जारी किया गया था। एक प्रकार से यह ज्ञापन अखिल भारतीय संहिता (कोड) के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम रक्षात्मक उपायों का उल्लेख था।

3. यद्यपि ज्ञापन के सामान्य सिद्धान्त फिर से पुष्ट कर दिये गये थे, परन्तु उनमें कुछ हेर-फेर स्वीकार किय गये, जो इस प्रकार हैं ;

(अ) प्राथमिक शिक्षाः-

भाषाजात अल्पसंख्यकों के प्राथमिक स्तर तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार की बात पुनः स्वीकार की गयी। इसे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 350 (क) से वैधानिक मान्यता मिल चुकी है और राष्ट्रपति को जहां भी आवश्यक हो, निदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के फैसले सिद्धान्ततया स्वीकार कर लिये गये। चूंकि ये फैसले राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रख कर किये थे और ये तत्कालीन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए

थे, अतः ये पूर्णतया अन्य राज्यों पर लागू नहीं हो सकते। परन्तु सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां बिलकुल सुविधा नहीं है, वहां कुछ सुविधा मिले और जहां जहां सम्भव हो सुविधाएं बढ़ायी जायं।

(ब) माध्यमिक शिक्षा:

इस सम्बन्ध में 1956 के ज्ञापन की सामान्य व्यवस्थाओं को पुनः पुष्ट किया गया है और इस बैठक में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों का फैसला स्वीकार कर लिया गया। इन सिद्धान्तों पर राज्यों के शिक्षा विभागों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वे अपने राज्यों में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना सकें। मातृ-भाषा फार्मूला माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पढ़ाई के माध्यम के बारे में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता। इस स्तर पर छात्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दी जाती है जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें। यह शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। अतः प्रयुक्त भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी हो सकती हैं। आसाम के कुछ पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में अपवाद हो सकता है—जहां विशेष प्रबन्ध किया जा सकता है।

4. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए, उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की महत्ता पर भी ज़ोर दिया गया। सामान्यतया ये पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिएं और निजी प्रकाशकों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिएं। पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की बननी चाहिएं जिनसे छात्रों के दिमाग में समन्वित दृष्टिकोण और भारतीय एकता की भावना पैदा हो तथा उससे उन्हें भारत की बुनियादी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी मिले। उन पुस्तकों में भारत की वर्तमान स्थिति और अन्यत्र स्थिति की भी जानकारी मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने का काम ऊंची योग्यता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए नमूने की पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी चाहिएं।

5. भारत की प्रादेशिक भाषाओं के विकास और शिक्षा में धीरे-धीरे उनके प्रयोग बढ़ने से अन्तर्राज्यीय सम्पर्क के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का शीघ्र विकास आवश्यक हो जाता है।

अब तक यह काम अंग्रेज़ी करती रही हैं। हालांकि आने वाले कुछ समय तक के लिए अंग्रेज़ी इस प्रकार का माध्यम बनी रहेगी पर यह स्पष्ट है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिएं ताकि उद्देश्य यथा संभव जल्दी से जल्दी पूरा हो सके अन्यथा ऐसा खतरा है कि विभिन्न राज्यों के बीच भाषा संबंधी सम्पर्क का कोई साधन नहीं रहेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क और आधुनिक विज्ञान, खास तौर से विज्ञान, उद्योग और टेक्नोलाजी के भारत में विकास के कारण यह महत्वपूर्ण है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की व्यापक रूप में जानकारी रहनी चाहिए। हालांकि यह कोई भी महत्वपूर्ण योरोपीय भाषा हो सकती है परन्तु अंग्रेज़ी यह काम आसानी से पूरा कर सकेगी क्योंकि भारत में इसकी काफी जानकारी है। अतः अंग्रेज़ी का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है।

7. यह याद रखने की बात है कि यदि भाषाओं को अच्छी तरह पढ़ाना है तो उन्हें पढ़ाई के आरम्भिक काल में शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। अतः आरम्भिक अवस्था से ही अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों पढ़ाई जानी चाहिएं।

8. बैठक की यह राय थी की सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि केवल वांछनीय ही नहीं है, बल्कि वह विभिन्न भारतीय भाषाओं में सम्पर्क की एक शक्तिशाली कड़ी भी सिद्ध होगी। अतः वह राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। भारत में ऐसी एक समान लिपि वर्तमान परिस्थिति में देवनागरी ही हो सकती है। हालांकि निकट भविष्य में एक समान लिपि का अपनाना कठिन हो सकता है पर यह उद्देश्य सामने रखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए।

9. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषागत विषय पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक त्रिभाषी फ़ार्मूला तैयार किया था, यह फ़ार्मूला स्वीकार किया गया है। यह सरल बनाया जाना चाहिए और शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषागत विषयों की पढ़ाई निम्न प्रकार से होनी चाहिए।

(क) प्रादेशिक भाषा और मातृ-भाषा जब कि मातृ-भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न हो,

(ख) हिन्दी या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा, और

(ग) अंग्रेज़ी या कोई अन्य आधुनिक योरपीय भाषा।

10. अल्पसंख्यकों की भाषा प्रयोग करने वाले स्कूल और कालेज को राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय या अन्य अधिकारी मण्डलों से सम्बद्ध कराने के विषय पर विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया कि अधिकांश मामलों में इस प्रकार की संस्थाओं का राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों या बोर्डों से सम्बद्ध कराने की व्यवस्था संभव होनी चाहिए। परन्तु जहां राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सम्बद्ध कराने में कोई दूर न हो सकने वाली कठिनाई हो तो संस्थाएं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय या बोर्ड से सम्बद्ध करायी जा सकती

11. यद्यपि प्रत्येक राज्य सरकारी कार्य के लिए एक या अधिक भाषाएं रख सकता है पर यह माना जाना चाहिए कि कोई भी राज्य पूर्णतया एक भाषी राज्य नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख कर शिक्षा आदि के लिए अल्पसंख्यकों की भाषाओं के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है कि सरकारी भाषा मोटे तौर पर सरकारी कार्य के लिए है। कोई बात जनता को बताते समय उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात बताई जाए उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। अतः जहां प्रचार की आवश्यकता हो वहां सरकारी भाषा के अलावा उस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए।

12. यदि किसी जिले की आबादी के कम से कम 60 प्रतिशत लोग राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो अल्प संख्यकों की यह भाषा उस जिले में, राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए मान्यता साधारणतया केवल उन प्रमुख भाषाओं को दी जा सकती है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई हैं। आसाम के पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में जहां आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा भाषाएं प्रचलित हैं, अपवाद हो सकता है।

13. जहां कहीं जिले या म्यूनिसिपैलिटी या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहां यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम आदि, उस अन्य भाषा या भाषाओं के अलावा जिनमें सामान्यतया ऐसे दस्तावेज प्रकाशित होते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषा में भी प्रकाशित होने चाहिएं।

14. प्रशासन का अन्दरूनी काम जैसे कि फ़ाइलों पर टिप्पणी लिखना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार सामान्यतया और सुविधाजनक रूप से उस राज्य की सरकारी भाषा या केन्द्र की सरकारी भाषा में होना चाहिए। लेकिन जहां प्रशासन का जनता के साथ सम्पर्क हो, वहां अर्जियां आवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी ले लेनी चाहिए और जहां भी संभव हो इस तरह का इन्तजाम किया जाना चाहिए कि जिस भाषा में जनता से पत्र प्राप्त हों, उसी भाषा में उत्तर दिए जाएं। राज्यों में या जिलों में या जहां कहीं भी अल्पसंख्यक भाषा के लोग 15 से 20 प्रतिशत हों, वहां महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों विनियमों आदि के सारांश का अनुवाद अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करने का प्रबन्ध होना चाहिए। स्वीकार किया गया कि इस काम के लिए राज्य के मुख्यालय में अनुवाद कार्यालय की स्थापना वांछनीय होगी। जहां राज्य सरकार का कोई परिपत्र या अन्य आदेश या विज्ञप्ति स्थानीय जनता के सूचनार्थ जारी करनी हों, वहां जिला अधिकारियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे उस जिले या म्यूनिसिपल क्षेत्र (जैसी भी स्थिति हो) की स्थानीय भाषा में अनुवाद करा लें।

15. राज्य के मुख्यालय और जिले के बीच पत्र-व्यवहार अन्दरूनी प्रशासन के बीच आता है। अतः साधारणतया यही उपयुक्त होगा कि राज्य और जिला मुख्यालय के बीच अथवा जिला मुख्यालय और राज्य के बीच पत्र-व्यवहार राज्य का सरकारी भाषा में हो। राज्य की सरकारी भाषा के स्थान पर इस कार्य के लिए केन्द्र की सरकारी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति भी होनी चाहिए। यह केन्द्रीय सरकारी भाषा इस प्रकार अंग्रेज़ी या हिन्दी होगी।

16. राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य सेवाओं में भरती के लिए भाषा, बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्य की सरकारी भाषा के अलावा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने की छूट भी देनी चाहिए। राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चुनाव के बाद और प्रावेशन की समाप्ति से पहले होनी चाहिए।

17. राज्य में सेवाओं की नियुक्ति के लिए जहां विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा होना योग्यता के अन्तर्गत अनिवार्य है, उस स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा मान्य सभी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिग्रियां या डिप्लोमा मान्य होने चाहिएं।

18. विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए माध्यम के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्व-विद्यालय शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने की जो प्रवृत्ति है वह कई प्रकार से वांछनीय तो है पर जब तक कि एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में कोई कड़ी न हो, इससे इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का शेष भारत से अलगाव हो सकता है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय को छात्र व अध्यापक आसानी से नहीं आ जा सकेंगे और विभिन्न भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से सामान्य सम्पर्क के अभाव में शिक्षा का अहित हो सकता है। विश्व-विद्यालयों के बीच में इस प्रकार की एक समान भाषा की कड़ी होने की बात पर जोर दिया गया। ऐसे आम सम्पर्क की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी ही हो सकती है। आखिरकार यह भाषा हिन्दी ही होगी। अतः यह आवश्यक है कि इस कार्य के लिए हिन्दी को उपयुक्त बनाने की हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए। हिन्दी या सामान्यतया अन्य प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना तभी प्रभावकारी हो सकता है जब कि इस प्रकार की भाषा आधुनिक शिक्षा के लिए और अधिक विशेषकर वैज्ञानिक और टेक्नीकल विषयों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाये। इस कार्य के लिए हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास करने का हर प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा हो तब तक के लिए अंग्रेजी जारी रखी जा सकती है। यह वांछनीय और संभव हो सकता है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या प्रादेशिक भाषा शुरू करने का काम कई दौर में या विषयों में विभाजित कर लिया जाय। इस प्रकार वैज्ञानिक और टेक्निकल विषय जब तक जरूरी हों अंग्रेजी में पढ़ाये जा सकते हैं और अन्य विषय हिन्दी या प्रदेशिक भाषाओं में पढ़ाये जा सकते हैं। दोनों स्थिति में स्कूलों व कालेजों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अध्यापन का स्तर ऊंचा उठना चाहिए और उच्च स्तर कायम रखा जाना चाहिए।

19. जैसा कि केन्द्रीय सरकार फैसला कर चुकी है, सभी टैक्नीकल और वैज्ञानिक शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं में समान होनी चाहिए।

20. बैठक ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से की गयी इस घोषणा का स्वागत किया कि हिन्दी के अखिल भारतीय सरकारी भाषा बन जाने पर भी अखिल भारतीय सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग सहकारी भाषा के रूप में चलता रहेगा। यह बात केन्द्रीय सरकारी-भाषा के सम्बन्ध में जारी किए राष्ट्रपति के आदेश से फिर पुष्ट हो जाती है।

21. यह स्वीकार किया गया कि भाषाजात अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित नीति पर अमल करने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने का काम बहुत अधिक

महत्व का विषय है। भाषाजात अल्पसंख्यकों के कमिश्नर के कार्य संविधान के अनुच्छेद 350(ख) में दिए गए हैं। यद्यपि कमिश्नर को हित-रक्षा के लिए कोई कार्यकारी अधिकार नहीं सौंपे जा सकते हैं पर इस बात को फिर से कहा गया कि सभी राज्यों को उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कमिश्नर को न केवल वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए बल्कि कम समय के अन्तर से जल्दी जल्दी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी रिपोर्ट बनानी चाहिए जो सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को भेजी जाए और गृह मंत्रालय को भी, जो सभी मुख्य मंत्रियों में घुमा देगा।

22. क्षेत्रीय परिषदों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि उनके क्षेत्र के इलाकों में इस नीति पर अमल किया जाय। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय परिषदों के उपप्रधान शामिल हों। यदि आवश्यक समझा जाये तो केन्द्रीय गृह मंत्री अन्य मुख्य मंत्रियों या अन्य मंत्रियों को उस समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर लें। इस समिति को भाषाजात अल्पसंख्यकों के हित रक्षा के उपायों और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के काम से निकट सम्पर्क रखना चाहिए।

23. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन के अधिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठकें और कम समय के अन्तर से होनी चाहिए ताकि वह हो रही कार्रवाई पर नजर डाल सकें और जब भी आवश्यक हो आगे के कदम सुझा सकें। इस उद्देश्य की सफलता सभी राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार की निरन्तर निगरानी और सहयोग पर निर्भर है।

24. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और अधिक व्यापक प्रचार वांछनीय है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस विषय पर एक प्रबन्ध (पेपर) तैयार करेगा और उसे आगे की बैठक में विचारार्थ मुख्य मंत्रियों को भेजेगा।

25. राष्ट्रीय एकता के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रख कर यह फैसला किया गया कि इसका काम राष्ट्रव्यापी आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक बड़ा सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा संसद की विभिन्न पार्टियों के प्रमुख सदस्य और शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक व्यक्ति शामिल हों।

परिशिष्ट 5

31 अगस्त 1964 को हुई राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति की तृतीय बैठक की कार्यवाही से उद्धरण ।

उपस्थित

1. श्री जी० एल० नन्दा, — अध्यक्ष
   केन्द्रीय गृह मंत्री
2. श्री एस० निजलिंगप्पा, — सदस्य
   मुख्य मंत्री, मैसूर
3. श्री वी० पी० नायक, — सदस्य
   मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र
4. श्री राम किशन, — सदस्य
   मुख्य मंत्री, पंजाब

विशेष रूप से आमन्त्रित

5. श्रीमती सुचेता कृपलानी,
   मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
6. श्री जे० एल० हाथी,
   राज्य मंत्री, गृह
7. श्री एल० एन० मिश्र,
   उप गृह मंत्री
8. डा० डी० एस० कोठारी,
   अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
9. श्री अनिल के० चन्दा,
   भाषाजात अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित कबीलों के आयुक्त

भारत सरकार के अधिकारी

10. श्री वी० विश्वनाथन,
    सचिव, गृह मंत्रालय

11. श्री पी० एन० कृपाल,
सचिव, शिक्षा मंत्रालय

12. श्री एल० पी० सिंह,
विशेष सचिव, गृह मंत्रालय

13. श्री हरि शर्मा,
अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय

14. श्री जी० मुखर्जी,
संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय

15. श्री आर० प्रसाद
संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय

16. श्री पी० के० दवे,
संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय

17. श्री पी० सी० भगत,
संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

18. श्री के० आर० प्रभू,
उप सचिव, गृह मंत्रालय

19. श्री आर० एस० वहल,
संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय परिषद् ।

अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिषदों की समिति की नियुक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर, भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राणों के कार्यान्वियन एवं राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित मामलों की जानकारी रखने के लिए की गई थी । यद्यपि समिति की बैठक अगस्त 1962 से नहीं हो सकी परन्तु समय-समय पर विभिन्न 'क्षेत्रीय परिषदों ने इन समस्याओं पर विचार किया है तथा जिस कार्य के लिए समिति बनाई गई थी उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य किया है । राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए परिषदें महत्वपूर्ण गोष्ठी का कार्य करती हैं तथा राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने में प्रभावकारी तरीके से उपयोग में लाई जा सकती हैं । इसलिए यह आवश्यक था कि इन्हें और भी प्रभावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये और यह समिति इनका पथ प्रदर्शन करे जिससे विभिन्न श्रेणी की नर्मी बड़ी समस्याओं के लिए न्यूनाधिक एक सा कार्य हो ।

अध्यक्ष ने आगे कहा कि राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राणों के कार्यान्वियन में प्रगति हुई है लेकिन कुछ दिशाओं में यह पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं है । कुछ राज्यों ने इस मामले में अच्छा कार्य किया है तथा कुछ राज्यों ने शीघ्र कार्यवाही

की आवश्यकता को स्वीकार किया है । अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे राज्य जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर लिए गए निर्णयों का पूर्णरूप से कार्यान्वयन नहीं किया है, बिना वर्णनीय देरी के ऐसा करे ।

अध्यक्ष ने विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रचारण की आवश्यकता और सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी के धारण का भी उल्लेख किया क्योंकि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क एवं आधुनिक ज्ञान के उपार्जन के लिए वड़े महत्व की है ।

राज्य सेवाओं में भर्ती के मामले में कुछ राज्यों द्वारा लगाई गई भाषा की पाबंदी का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि यह आवश्यक है कि ऐसी पावंदियां हटा दी जायं । अध्यक्ष ने इस पर भी जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को देश की किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश संभव हो तथा अधिवास की पावंदी किसी भी रूप में न लागू हो ।

2. फिर विचारणीय कार्यावली के विभिन्न मदों पर विचार किया गया ।

मद संख्या 1 :—निश्चयों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन

(क) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए परित्राण एवं भाषा नीति ।

(1) **प्राथमिक शिक्षा :**—समिति ने नोट किया कि करीब-करीब सभी राज्यों ने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मातृ-भाषा में शिक्षा देने के प्रश्न पर अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित नीति का कार्यान्वयन किया है ।

(2) **माध्यमिक शिक्षा :**—समिति ने स्थिति की समीक्षा की । यह नोट किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया और यद्यपि अल्पसंख्यक भाषाओं द्वारा शिक्षा की सुविधायें मध्य प्रदेश में वर्तमान हैं, तथापि 1961 के राष्ट्रीय एकता पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निश्चयों का पूर्णतया कार्यान्वयन नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मामले को देखने एवं भारत सरकार को रिपोर्ट भेजने की सम्मति दी । यह निश्चय किया गया कि मामले पर पुनः दोनों राज्य सरकारों के पास लिखा जाय ।

(3) **त्रि-भाषी सूत्र :**—यह नोट किया गया कि यद्यपि समिति की पिछली बैठक से कुछ प्रगति हुई है, तथापि स्थिति, खासकर मध्य प्रदेश के इलाकों में, असंतोषप्रद रही । यह निश्चय किया गया कि संबंधित राज्यों से राष्ट्रीय एकता के हित में अखिल भारतीय स्तर पर लिए गए निश्चयों के कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कदम उठाने का निवेदन किया जाय ।

(4) **उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान :**—यह निश्चय किया गया कि राज्यों ने पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करने एवं इस सम्बन्ध में आगे सुधार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि एवं प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, की एक समिति वनाई जाय । समिति क्षेत्रों के अन्य राज्यों के सदस्यों को विनियुक्त कर सकती है ।

(5) **हिन्दी और अंग्रेजी की आद्य स्तर की शिक्षा :**—समिति ने विभिन्न राज्यों में आद्य स्तर से हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा की व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया । यह नोट

किया गया कि सिवाय मद्रास राज्य के जहां हिन्दी आठवीं कक्षा से लागू की जाती है तथा सिवाय गुजरात राज्य के जहां अंग्रेजी आठवीं कक्षा से लागू की जाती है, हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा की व्यवस्था बहुत कुछ आद्य स्तर पर वर्तमान है।

(6) **स्कूलों एवं कालेजों का बाहर की संस्थाओं से सम्बन्धन :—**समिति ने नोट किया कि प्रायः सभी राज्यों में अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कालेजों के सम्बन्धन की उपयुक्त व्यवस्था वर्तमान है।

(7) **प्रसार कार्यों एवं जनता से संसर्ग के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग :—** समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन पर राज्यों की कार्यवाही का पुनर्विलोकन किया। यह निश्चय किया गया कि उन राज्य सरकारों को जिन्होंने राष्ट्रीय एकता पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों को अभी तक पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया, उन्हें ऐसा करने के लिए सुझाव दिया जाय।

(8) **राज्य सेवाओं में भर्ती :—**समिति ने नोट किया कि प्रायः सभी राज्यों ने, राष्ट्रीय एकता पर मुख्य मंत्रियों के 1961 के सम्मेलन द्वारा निर्धारित आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार, अपने भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया है। तथापि, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, राज्य की सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं से हिन्दी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र तथा सरकारी सेवाओं एवं जगहों के नियमों में पात्रता के लिए हिन्दी के ज्ञान की शर्त को हटाने के लिए अभी तक अनिच्छुक है। यह निश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार से वर्तमान भर्ती के नियमों एवं आदेशों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए अनुरोध किया जाय।

(ख) एक-तिहाई न्यायाधीशों की दूसरे राज्यों से भर्ती:—समिति ने स्थिति का पुनर्विलोकन किया और नोट किया कि यद्यपि एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थानांतरित न्यायाधीशों को प्रतिकर भत्ता और यात्रा सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, तथापि सामान्य नीति को कार्यान्वित करने में अत्यन्त प्रगति हुई है। समिति ने विचार किया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरण में अभी भी जो रुकावटें हों उनकी समीक्षा के लिए अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करे। समिति ने इस विचार की प्रशंसा की कि परिपाटी की तरह राज्य का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य से बाहर का व्यक्ति हो।

(ग) नई अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन :—समिति ने इंजीनियरी, वन एवं स्वास्थ्य के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के संगठन में हुई प्रगति को नोट किया। यह बताया गया कि अधिकतर राज्यों ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा एवं अखिल भारतीय कृषि सेवा के संगठन के प्रस्ताव को मान लिया है तथा अन्य राज्यों से केन्द्रीय मंत्रालय पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि के लिए प्रचार :—समिति ने राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए पिछले दो वर्षों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों द्वारा किये गए कार्य को नोट किया।

(ङ) राष्ट्रीय एकता प्रतिज्ञा :—समिति ने 1962 तथा 1963 में राष्ट्रीय एकता प्रतिज्ञा के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गए सामूहिक अभियान की कार्यवाही को नोट किया।

मद संख्या 2 :—तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में भर्ती के मामले में अधिवास की पाबंदियों पर अध्ययन दल की रिपोर्ट

समिति ने अपनी दूसरी बैठक में संगठित अध्ययन दल की सिफ़ारिशों को अनुमोदित किया कि देश भर में सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य/क्षेत्र/जिला के बाहर के विद्यार्थियों की भर्ती के मामले में अधिवास की पाबंदियां समाप्त कर दी जायं, लेकिन जहां आवश्यक समझा जाय अंतर्कालीन समय के लिए निम्नांकित व्यवस्था की जा सकती है :—

(1) इंजीनियरी डिग्री पाठ्य-क्रमों में (संविधान में उल्लिखित आरक्षण के अलावा) भर्ती योग्यता के आधार पर की जाय। आरंभिक अवस्था में अर्थात् करीब पांच वर्ष के लिए, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध स्थानों में से 25 प्रतिशत तक सीमित किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में राज्य के बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत स्थान अभी उपलब्ध हैं। यह आशय नहीं है कि यह प्रतिशतता किसी तरह कम की जाय।

टिप्पणी—उपर्युक्त कार्य के लिए, विद्यार्थी की, अगर उसने निर्धारित पात्रता परीक्षा राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से उत्तीर्ण की है, बाहर का विद्यार्थी माना जायगा और इस कार्य के लिए अधिवास या जन्म स्थान के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायगा।

(2) उपरिलिखित सिद्धान्त मेडिसिन के पाठ्यक्रम की भर्ती में भी लागू होगा। तथापि, आरम्भ में, करीब पांच वर्ष के लिए बाहर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध स्थान केवल 15 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

परिशिष्ठ (VI)

प्राथमिक शिक्षा---राज्यों में परित्राण की संगत योजना के कार्यान्वयन की प्रगति

संगत परित्राण	राज्य	कार्यान्वयन की स्थिति
(क) प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधायें उपबन्धित की जाएं, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। (संविधान का अनुच्छेद 350–क)	मध्य प्रदेश	यह सुविधा संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 14 भाषाओं तथा सिन्धी बोलने वालों तक सीमित है।
	उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान	इस परित्राण के उपबन्ध को स्वीकार करते हुए आदेश वर्तमान है।
	पंजाब	यह सुविधा हिन्दी, एवं उर्दू भाषियों को सीमित अवस्था में उपलब्ध है।

(ख) [illegible] को निर्धारित करने के अनुभाग में शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, बशर्ते कि पूरे स्कूल में उस भाषा के बोलने वाले 40 विद्यार्थियों से कम न हों या 10 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या एक कक्षा में हो । मातृभाषा वह भाषा होगी जो माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा घोषित की गई हो । (प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन अगस्त, 1949, और भारत सरकार के 1956 के ज्ञापन में भी माना गया)	मध्य प्रदेश	..	स्वीकृत , लेकिन यह सुविधा संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 14 भाषाओं तथा सिन्धी बोलने वालों तक सीमित है ।
	उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल केरल राजस्थान	..	कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत ।
	असम	..	यदि एक कक्षा या अनुभाग में 10 विद्यार्थी हों तो नियम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अलावा असम घाटी के स्कूलों में जहां एक बार विद्यार्थियों द्वारा असमिया शिक्षण के माध्यम के रूप में स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर ली गई है और उसी रूप में प्रचलित है, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ।
	उड़ीसा गुजरात	..	अगर एक कक्षा या अनुभाग में 10 या अधिक विद्यार्थी हों तो सुविधायें उपलब्ध नहीं है जब तक कि पूरे स्कूल में कम से कम 40 विद्यार्थी न हों ।

परिशिष्ठ (II)

अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सुविधायें

जिला	वर्ष	अल्पसंख्यक वर्ग की भी भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या	अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं द्वारा शिक्षा देने वाली पृथक कक्षाओं या अनुभागों (जो कालम 3 में सम्मिलित नहीं है) की संख्या	कालम 3 और 4 में उल्लिखित स्कूलों/कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित अध्यापकों की संख्या	कालम 3 में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले वर्ष में खोले गए स्कूलों की संख्या	कालम में सम्मिलित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				मध्य प्रदेश				
				अल्पसंख्यक भाषा —उर्दू				
इन्दौर	1963-64	12	..	4002	105	..	..	
धार	"	6	3	601	22	..	..	
देवास	"	2	2	385	12	..	..	

मध्य प्रदेश

[illegible] —— [illegible]

इन्दौर	1963—64	12	..	4002	105	..	..
[illegible]	..	9	3	901	22	..	..
खरगोन	,,	2	7	1831	45	..	..
उज्जैन	,,	8	5	1827	49	..	..
रतलाम	,,	4	..	1003	25	..	..
मंदसौर	,,	2	14	911	19	..	..
शाजापुर	,,	2	..	251	16	..	..
ग्वालियर	,,	..	12	225	8	..	..
शिवपुरी	,,	5	..	237	5	..	..
मोरेना	,,	4	1	286	8	..	..
भोपाल (यु०)	,,	..	22	1837	57	..	..
विदिशा	,,	3	..	404	12	..	..
राजगढ़	,,	..	25	..	7	..	..
होशंगाबाद	,,	4	..	531	14	..	..
खण्डवा	,,	41	1	7432	189	..	..
छिन्दवाड़ा	,,	3	..	542	14	..	..
बेतुल	,,	2	..	225	6	..	..
सिवनी	,,	5	.	1060	24	..	..
सागर	,,	7	..	1417	36	..	..
दमोह	,,	1	..	512	13	..	..
जबलपुर	,,	24	..	5180	152	..	..
बालाघाट	,	3	.	428	8	..	..
रायपुर	,,	5	..	957	29	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दुर्ग . .	1963-64	2	..	318	10	..	..	
बस्तर . .	,,	1	..	54	3	..	..	
भिण्ड . .	,,	1	..	94	2	..	..	
बिलासपुर . .	,,	3	..	425	14	..	..	
गुना . .	,,	1	3	112	3	..	..	
सतना . .	,,	2	..	377	2	..	..	
भोपाल (प) .	,,	4	..	174	8	..	..	
नरसिंहपुर . .	,,	1	..	133	3	..	..	
				अल्पसंख्यक भाषा---**मराठी**				
इन्दौर . .	,,	18	..	4352	113	..	..	
धार . .	,,	..	2	129	6	..	..	
देवास . .	,,	1	..	122	5	..	..	
खारगोन . .	,,	1	1	227	6	..	..	
ग्वालियर . .	,,	.:	25	915	37	..	..	
भोपाल (प०) .	,,	1	2	1094	59	..	..	
होशंगाबाद . .	,,	3	..	249	7	..	..	
छिन्दवाड़ा . .	,,	107	..	12516	315	2	68	इस शहर में मराठी भाषियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक है।

उत्तर प्रदेश

अल्पसंख्यक भाषा—उर्दू

मैनपुरी	,,	8	..	594	15	..	..
पीलीभीत	,,	21	1	1,926	22	..	..
फर्रुखाबाद	,,	33	..	1,751	56	..	..
फतेहपुर	,,	26	13	2,587	65	..	..
जालौन	,,	10	..	773	19	..	..
जौनपुर	,,	56	..	4,829	102	..	..
देवरिया	,,	84	..	3,936	237	..	..
राय बरेली	,,	16	14	2,363	15	..	..
सीतापुर	,,	22	28	3,654	65	..	..
नैनीताल	,,	10	..	948	18	..	..
खेरी	,,	16	20	1,443	40	..	..
गोंडा	,,	39	..	7,228	128	..	..
सुलतानपुर	,,	28	7	4,022	93	..	..
प्रतापगढ़	,,	24	..	1,8[illegible]8	37	..	..
बाराबंकी	,,	37	..	4,585	71	..	..
देहरादून	,,	4	5	830	7	..	..
मुजफ्फर नगर	,,	20	..	1,460	40	..	..
अलमोड़ा	,,	3	..	130	3	..	..
हमीरपुर	,,	10	..	872	19	..	..
मिर्जापुर	,,	12	..	835	23	1	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बलिया . .	1963-64	26	1	1,768	58	..	..	
आजमगढ़ . .	,,	111	61	11,796	263	3	259	
बरेली . .	,,	109	..	6,211	20	1	138	
रामपुर . .	,,	15	..	712	..	..	..	
वाराणसी . .	,,	57	..	2,680	85	..	..	
बरेली . .	,,	78	..	6,012	144	..	..	
सहारनपुर . .	,,	19	..	1,989	33	..	..	
मेरठ . .	,,	95	..	8,820	201	..	..	
मथुरा . .	,,	6	..	782	11	..	..	
आगरा . .	,,	27	5	3,996	227	2	450	
ऐटा . .	,,	17	..	1,019	23	..	..	
शाहजहानपुर .	,,	65	..	3,947	144	..	..	
कानपुर . .	,,	46	..	6,135	132	..	..	
झांसी . .	,,	13	1	1,396	42	..	..	
उन्नाव . .	,,	9	..	888	27	..	..	
हरदोई	,,	36	..	1,451	92	..	.	
फैज़ाबाद .	,,	26	1	3,192	74	..		
पिथौरागढ़ .	,,	1	..	50	2	..	.	
बांदा .	,,	12	..	830	14	..	..	
गाज़ीपुर .	,,	30	..	3,103	54	..	..	
बुलन्दशहर	,,	28	..	3,341	80	..	..	
इटावा	,,	14	..	1,616	34	..	..	

लखनऊ	.	"	48	7	4,591	140	..	..
मोरादाबाद	.	"	208	..	18,610	412	..	..
इलाहाबाद	.	"	95	..	4,887	117	..	..
				अल्पसंख्यक भाषा—पंजाबी				
शाहजहानपुर	.	"	1	..	183	0001	बंगला	..
				अल्पसंख्यक भाषा—बंगाली				
कानपुर	.	"	1	..	79	..	..	..
				अल्पसंख्यक भाषा—गुजराती				
नैनीताल	.	"	8	..	400	6	..	..
कानपुर	.	"	1	..	388	11	..	..
				अल्पसंख्यक भाषा—मराठी				
वाराणसी	..	"	2	..	32	2	..	..
				आसाम, बिहार, उड़ीसा — राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।				
				पश्चिम बंगाल				
				अल्पसंख्यक भाषा—हिन्दी				
		"	*194	2	32,490	910	3	309
		"	62	9	7,977	204	3	170

*हिन्दी माध्यम के स्कूलों में यह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुर्शिदाबाद . .	1963-64	2	–	114	3	–	–	वृद्धि इस कारण
हावड़ा . .	"	**70	–	10,679	335	–	–	है कि नगर-
हुगली . .	"	31	8	3,559	111	2	140	महापालिका
मिदनापुर . .	"	21	–	3,296	91	3	193	प्राथमिक स्कूलों
बर्दवान . .	"	45	4	4,182	106	—	—	के आंकड़े भी
बीरभूम . .	"	2	1	214	7	—	—	सम्मिलित कर
पुरुलिया . .	"	42	164	1,806	56	—	—	दिये गए हैं जो
जलपाईगुड़ी . .	"	99	—	7,157	137	—	—	पहले उपलब्ध न
पश्चिमी दीनाजपुर .	"	23	—	640	28	—	—	होने के कारण
कूचबिहार . .	"	7	—	729	19	—	—	सम्मिलित नहीं
मालदा . .	"	1	—	125	3	—	—	किये गए थे ।
								**तीन प्राथमिक स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी ।
				अल्पसंख्यक भाषा—उर्दू				
कलकत्ता . .	"	*71	5	7,118	212	—	—	*नगरमहापालिका
24-परगना . .	"	14	5	1,630	47	2	128	प्राथमिक स्कूलों
हावड़ा . .	"	8	—	994	31	—	—	के आंकड़े
हुगली . .	"	**4	6	860	26	1	47	सम्मिलित हैं ।
मिदनापुर . .	"	1	—	78	2	—	—	**कालम 3 में

वर्दवान . .	,,	6	4	600	15	—	—	दिये गए 5 स्कूलों में से 1 स्कूल में अनुभाग खोल कर दूसरी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए इसे कालम 4 में एक अनुभाग दिखाया गया है। एक दूसरा अनुभाग भी 1963-64 में खोला गया है।
पुरुलिया . .	,,	24	84	1,230	38	—	—	
पश्चिम दिनाजपुर .	,,	74	—	2,136	91	—	—	
दार्जिलिंग . .	,,	8	—	178	6	—	—	
				अल्पसंख्यक भाषा—नेपाली				
जलपाईगुडी . .		26	—	1,391	35	—	—	
दार्जिलिंग . .	,,	359	—	35,228	1,011	15	870	
				अल्पसंख्यक भाषा—तेलुगु				
कलकत्ता . .	,,	2	—	176	3	—	—	
24-परगना . .	,,	1	2	260	5	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हावड़ा . .	1963-64	*2	—	209	3	—	—	*उड़िया और तेलुगु में एक संयुक्त स्कूल ।
हुगली . .	”	2	1	241	6	—	—	
मिदनापुर . .	”	8	—	1,578	42	—	—	
पुरुलिया . .	”	2	5	269	6	—	—	
				अल्पसंख्यक भाषा—तिब्बती				
दार्जिलिंग . .	”	5	—	829	21	—	—	—
				अल्पसंख्यक भाषा—गुजराती				
कलकत्ता . .	”	5	—	3,811	96	—	—	—
				अल्पसंख्यक भाषा—उड़िया				
कलकत्ता . .	”	2	—	176	3	—	—	
24-परगना . .	”	5	—	470	11	—	—	
हावड़ा . .	”	2	—	147	4	—	—	
हुगली . .	”	*1	1	90	2	—	—	*अधिकारियों द्वारा एक उड़िया स्कूल को दूसरे स्कूल में एक अनुभाग के रूप में सम्मिलित कर
मिदनापुर . .	”	4	—	457	13	2	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृष्णा (पश्चिमी) .	1963-64	54	—	3,297	125	—	—	
गुंटूर . .	"	73	18	7,934	184	—	—	
नारासराउपेट .	"	49	43	6,889	130	—	—	
बापटला . .	"	55	15	5,652	123	1	25	
कुरनूल . .	"	97	—	11,202	298	—	—	
अदोनी . .	"	66	16	7,469	160	—	—	
अनन्तपुर . .	"	97	35	7,538	246	—	—	
कडप्पा . .	"	107	11	10,251	255	—	—	
नेल्लोर . .	"	38	17	3,886	106	—	—	
कानीगिरी . .	"	26	17	2,837	75	—	—	
चित्तूर . .	"	77	33	9,769	1,172	1	72	
हैदराबाद शहर .	"	133	330	46,171	980	—	—	
हैदराबाद जिला .	"	45	108	5,930	124	5	230	
मेदक . .	"	9	104	4,973	88	—	—	
निजामाबाद . .	"	6	90	1,998	105	—	—	
महबूबनगर . .	"	—	25	625	22	—	—	
नालगोंडा . .	"	4	17	1,520	50	—	—	
वरंगल . .	"	14	75	4,287	102	—	—	
खम्मम . .	"	4	5	636	17	—	—	
करीमनगर . .	"	4	43	2,297	56	1	57	
अदीलाबाद . .	"	12	45	2,459	69	—	—	

			अल्पसंख्यक भाषा—उड़िया				
श्रीकाकुलम . .	,,	49	225	5,190	198	—	—
विशाखापटनम .	,,	—	1	105	2	—	—
विजियानगरम .	,,	2	10	280	2	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—कन्नड़				
अदोनी . .	,,	45	—	4,547	111	—	—
हैदराबाद शहर .	,,	2	—	235	11	—	—
मेदक . .	,,	—	23	690	11	—	—
महबूबनगर . .	,,	12	16	1,274	24	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—तामिल				
कृष्णा (पश्चिमी) .	,,	1	—	300	6	—	—
चित्तूर . .	,,	62	68	9,122	206	—	—
हैदराबाद शहर .	,,	—	5	57	3	—	—
हैदराबाद जिला .	,,	2	1	1,582	29	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—गुजराती				
कृष्णा (पश्चिमी) .	,,	1	—	79	3	—	—
हैदराबाद शहर .	,,	1	—	310	12	—	—
हैदराबाद जिला .	,,	1	13	746	11	—	—
निजामाबाद . .	,,	1	—	141	3	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			अल्पसंख्यक भाषा—हिन्दी					
[illegible] .	1963-64	1	—	72	4	—	—	
हैदराबाद नगर .	”	23	26	5,582	163	—	—	
हैदराबाद जिला .	”	1	—	126	5	—	—	
निजामाबाद .	”	8	—	662	17	—	—	
अदीलाबाद . .	”	1	5	1,050	7	—	—	
			अल्पसंख्यक भाषा—मराठी					
हैदराबाद शहर .	”	7	25	1,581	66	—	—	
हैदराबाद जिला .	”	1	—	53	3	—	—	
मेदक . .	”	—	13	333	14	—	—	
निजामाबाद . .	”	32	20	1,223	53	—	—	
महबूबनगर . .	”	1	7	227	6	—	—	
अदीलाबाद . .	”	120	64	3,496	157	—	—	

केरल — राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।

मद्रास

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			अल्पसंख्यक भाषा—तेलुगु					
मद्रास . .	”	20	202	9,522	292	—	—	
चिंगलपुट . .	”	110	147	14,500	453	—	—	

उत्तरी अर्काट	"	36	75	3,369	87	—	—
सालेम	"	311	41	26,622	594	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—उर्दू				
मद्रास	"	43	—	2,685	316	—	—
चिंगलपुट	"	5	13	510	15	—	—
दक्षिणी अर्काट	"	46	7	3,630	74	—	—
तन्जोर	"	1	1	115	6	—	—
उत्तरी अर्काट	"	96	19	12,747	390	—	—
सालेम	"	31	24	4,395	98	—	—
तिरुचिरापल्ली	"	6	6	1,390	28	—	—
कोयम्बतूर	"	3	11	1,375	22	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—कन्नड़				
सालम	"	6	—	390	10	—	—
कोयम्बतूर	"	37	—	3,087	65	—	—
नीलगिरी	"	—	16	350	7	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—मलयालम				
मद्रास	"	1	10	229	7	—	—
कन्याकुमारी	"	9	504	18,807	556	—	—
कोयम्बतूर	"	1	8	1,106	37	—	—
नीलगिरी	"	16	103	4,334	105	17	2,334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				अल्पसंख्यक भाषा—गुजराती				
मद्रास . .	1963-64	3	5	958	28	—	—	
				अल्पसंख्यक भाषा—हिन्दी				
मद्रास . .	"	3	5	1,043	39	1	295	
				अल्पसंख्यक भाषा—मराठी				
मद्रास . .	"	1	—	41	3	—	—	
				मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र } राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।				
				राजस्थान				
				अल्पसंख्यक भाषा—उर्दू				
करोली और टोंक .	"	8	16	433	9	5	182	
जोधपुर-जयसालमर .	"	7	—	1,213	30	—	—	
भीलवाड़ा . .	"	—	6	65	2	—	—	
बालो . .	"	1	4	276	2	—	—	
शीकर . .	"	6	—	300	6	4	13	

बीकानेर . .	"	—	3	35	3	—	—
जयपुर . .	"	16	—	1,329	25	—	—
कोटा-बूंदी . .	"	—	28	866	18	—	—
उदयपुर . .	"	6	23	1,492	14	—	—
झुझुनू . .	"	6	—	88	6	—	—
अजमेर . .	"	9	—	492	20	—	—
नागौर . .	"	10	20	624	13	4	—
			अल्पसंख्यक भाषा–सिन्धी				
करोली-टोंक . .	"	3	—	285	8	—	—
शिरोही-वालोर .	"	1	—	29	1	—	—
जोधपुर–जयसलमेर .	"	7	7	4,528	35	—	—
भीलवाड़ा . .	"	—	5	280	6	—	—
पाली . .	"	1	5	270	2	—	—
सीकर . .	"	2	—	97	2	1	18
बीकानेर . .	"	1	3	95	3	—	—
जयपुर . .	"	11	—	2,479	58	—	—
कोटा-बूंदी . .	"	—	26	1,018	30	—	—
अजमेर . .	"	44	—	8,590	256	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा—पंजाबी				
गंगानगर . .	"	2	—	446	9	—	—
			अल्पसंख्यक भाषा–गुजराती				
सिरोही–जालोर .	"	2	—	30	2	—	—

परिशिष्ठ (VIII)

प्राथमिक शिक्षा—तीन वर्ष के शैक्षणिक सुविधाओं के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ग	स्कूल और संलग्न अनुभागों की संख्या		अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा जिसमें शिक्षा दी जाती है	प्रत्येक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों की संख्या	प्रत्येक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपलब्ध अध्यापकों की संख्या
	स्कूल	संलग्न अनुभाग			
1	2	3	4	5	6
		मध्य प्रदेश			
1961–62 . . .	174	32	उर्दू	27,067	873
	219	19	मराठी	27,148	879
	8	13	बंगला	1,389	31
	12	9	गुजराती	3,161	85
	35	45	सिंधी	9,206	322
	2	—	तेलुगु	30	2
	1	—	पंजाबी	192	1
1962–63 . . .	187	54	उर्दू	30,467	915
	210	25	मराठी	28,418	831
	12	—	बंगला	1,248	36

	11	9	गुजराती	3,251	86
	33	21	सिंधी	10,169	258
	1	—	तेलुगु	33	1
	1	—	पंजाबी	190	1
1963–64 . . .	159	95	उर्दू	33,771	910
	216	35	मराठी	32,266	902
	10	—	बंगला	1,058	34
	13	—	गुजराती	3,052	78
	37	23	सिंधी	10,169	265
	3	—	तेलुगु	277	7
	1	—	पंजाबी	218	1
	1	—	तामिल	18	1
			उत्तर प्रदेश		
1961–62 . . .	1,602	252	उर्दू	121,570	3,675
	—	7	बंगला	426	7
	2	—	गुजराती	382	11
	1	—	पंजाबी	208	2
	2	—	सिन्धी	328	2
1962–63 . . .	1,791	277	उर्दू	153,669	3,748
	9	1	बंगला	468	10
	1	—	गुजराती	388	11
	1	—	पंजाबी	185	1
	2	—	सिन्धी	342	2
	2	—	मराठी	25	—

परिशिष्ठ (VIII)

प्राथमिक शिक्षा—तीन वर्ष के शैक्षणिक सुविधाओं के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष	स्कूल और संलग्न अनुभागों की संख्या		अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा जिसमें शिक्षा दी जाती है	प्रत्येक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों की संख्या	प्रत्येक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपलब्ध अध्यापकों की संख्या
	स्कूल	संलग्न अनुभाग			
1	2	3	4	5	6
			मध्य प्रदेश		
1961–62 . . .	174	32	उर्दू	27,067	873
	219	19	मराठी	27,148	879
	8	13	बंगला	1,389	31
	12	9	गुजराती	3,161	85
	35	45	सिंधी	9,206	322
	2	—	तेलुगु	30	2
	1	—	पंजाबी	192	1
1962–63 . . .	187	54	उर्दू	30,467	915
	210	25	मराठी	28,418	831
	12	—	बंगला	1,248	36

	11	9	गुजराती	3,251	86
	33	21	सिंधी	10,169	258
	1	—	तेलुगु	33	1
	1	—	पंजाबी	190	1
1963–64 . . .	159	95	उर्दू	33,771	910
	216	35	मराठी	32,266	902
	10	—	बंगला	1,058	34
	13	—	गुजराती	3,052	78
	37	23	सिंधी	10,169	265
	3	—	तेलुगु	277	7
	1	—	पंजाबी	218	1
	1	—	तामिल	18	1
उत्तर प्रदेश					
1961–62 . . .	1,602	252	उर्दू	121,570	3,675
	—	7	बंगला	426	7
	2	—	गुजराती	382	11
	1	—	पंजाबी	208	2
	2	—	सिन्धी	328	2
1962–63 . . .	1,791	277	उर्दू	153,669	3,748
	9	1	बंगला	468	10
	1	—	गुजराती	388	11
	1	—	पंजाबी	185	1
	2	—	सिन्धी	342	2
	2	—	मराठी	25	—

1	2	3	4	5	6
*1963-64 . . .	1,672	1·64	उर्दू	126,814	3,092
	9	—	बंगला	479	8
	1	—	गुजराती	388	11
	1	—	पंजाबी	183	1
	2	—	मराठी	32	2
			आसाम		
1961-62 . . .	43	—	हिन्दी	4,373	97
	1,778	—	बंगला	130,454	3,602
	5	—	निकिर	265	9
	895	—	मारो	31,515	980
	21	—	बंदाली	1,725	[illegible]45
	761	—	खासी	38,406	1,050
	628	—	लुसाई (भीजो)	44,179	843
	80	—	मनीपुरी	5,857	129
	1	—	उर्दू	102	2
	75	—	अंग्रेजी	1,628	86
	1	—	तेलुगु	48	1
1962-63 } 1963-64 } राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।					
			बिहार		
1961-62 . . .	3,437	1,577	उर्दू	213,936	5,577
	835	436	बंगला	100,074	2,207

	36	88	उड़िया	7,329	195
	296	67	संथाली	18,558	361
	—	19	तेलगु	673	23
	—	7	गुजराती	197	8
	—	5	तामिल	202	3
1962-63, 1963-64	राज्य सरकार द्वारा भेजा नहीं गया।				
उड़ीसा					
1961-62 . . .	47	59	हिन्दी	8,172	248
	90	121	तेलुगु	13,372	352
	109	158	उर्दू	13,505	377
	12	6	बंगला	1,242	44
	1	—	नेपाली	56	2
	2	—	गुजराती	247	6
	—	—	तामिल	58	3
	2	—	अंग्रेजी	79	5
1962-63 . . .	63	71	हिन्दी	10,760	652
	109	91	तेलुगु	12,348	324
	86	165	उर्दू	11,518	374
	12	9	बंगला	1,151	41
	1	—	नेपाली	50	1

*केवल 51 जिलों के आंकड़े

	1	—	तामिल	63	2
	18	—	संथाली	357	15
1963–64 . . .	599	188	हिन्दी	72,887	2,010
	209	104	उर्दू	14,824	468
	385	—	नेपाली	36,619	1,046
	17	8	तेलुगु	2,733	65
	5	—	तिब्बती	829	21
	5	—	गुजराती	3,811	96
	14	1	उड़िया	1,340	33
	1	1	तामिल	387	13
	8	—	संथाली	195	5
	1	—	गुरमुखी	41	1

आन्ध्र प्रदेश

1961–62 . . .	1,012	1,228	उर्दू	159,209	3,8854
	87	25	तामिल	3,596	203
	25	23	कन्नड़	3,011	7
	43	—	उड़िया	7,049	113
	12	92	मराठी	3,775	153
	2	89	हिन्दी	11,977	310
	2	16	गुजराती	592	18

1	2	3	4	5	6
1962-63 . .	1,070	1,125	उर्दू	152,348	3,596
	57	90	तामिल	7,712	197
	32	42	कन्नड़	4,159	95
	64	86	उड़िया	6,588	159
	182	150	मराठी	8,541	301
	25	29	हिन्दी	7,021	166
	3	11	गुजराती	922	26
1963-64 . . .	1,083	1,066	उर्दू	155,858	4,725
	65	88	तामिल	11,061	244
	59	39	कन्नड़	6,746	157
	51	236	उड़िया	6,295	202
	161	129	मराठी	6,913	299
	34	33	हिन्दी	7,492	196
	4	13	गुजराती	1,276	31
		केरल			
1961-62 . . .	32	127	तामिल	16,581	307
	2	18	अंग्रेजी	1,734	37
	142	11	कन्नड़	24,696	1,005
1962-63 . . .	33	182	तामिल	14,316	344
	2	—	अंग्रेजी	2,032	47
	141	21	कन्नड	22,888	880

1963–64) राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।

		मद्रास			
1961–62	514	244	तेलुगु	51,900	1,338
	240	57	उर्दू	32,120	932
	39	16	कन्नड़	3,183	78
	5	1	गुजराती	1,074	36
	63	729	मलयालम	23,781	804
	4	1	हिन्दी	995	35
	1	1	मराठी	50	4
1962–63	469	398	तेलुगु	54,693	1,663
	221	67	उर्दू	31,620	885
	43	16	कन्नड़	3,790	82
	3	1	गुजराती	681	31
	34	760	मलयालम	28,362	863
	5	1	हिन्दी	1,171	35
	1	1	मराठी	50	4
1963–64	477	465	तेलुगु	54,013	1,426
	231	81	उर्दू	33,848	949
	43	16	कन्नड़	3,827	82
	3	5	गुजराती	958	28
	27	625	मलयालम	24,476	705
	3	5	हिन्दी	1,048	39
	1	—	मराठी	41	3

परिशिष्ट IX

प्राथमिक शिक्षा—राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों का भावार्थ

राज्य	भाषा वर्ग	शिकायतों का भावार्थ	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
देश	उर्दू	(क) बुरहामपुर के कदरिया ब्वायज उर्दू प्राइमरी स्कूल बन्द करने और अध्यापकों को नौकरी से निकाल देने की नोटिस ।	स्कूल की प्रबन्ध समिति को स्कूल न बन्द करने के लिए समझाया गया जिससे अध्यापक नहीं निकाले गए ।
		(ख) जिला पूर्व निमाड़, तहसील हरसुद के बलदी के उर्दू प्राइमरी स्कूल में हिन्दी जानने वाले 2 अध्यापकों की नियुक्ति ।	जांच से पता चला कि यह दोनों अध्यापक उर्दू जानने वाले थे और इनमें से एक उर्दू हायर सेकेन्ड्री स्कूल में भी पहले काम किया था ।
		(ग) जिला पूर्व निमाड़, तहसील हरसुद के लहदपुर के हिन्दी प्राइमरी स्कूल में उर्दू के अध्यापक की जगह उर्दू पढ़ाने के लिए हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति की गई ।	जांच से पता चला है कि उर्दू अध्यापक की बदली जनता की शिकायत पर की गई । उसकी जगह पर नियुक्त अध्यापक की भी बदली कर दी गई है और उसके स्थान पर उर्दू जानने वाले एक अध्यापक की अब नियुक्ति हो गई है ।

		(ङ) जिला पूर्व निमाड़ के थातर में स्थापित और एक भापाजात अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा दो वर्षो से अधिक संचालित उर्दू प्राइमरी स्कूल को मान्यता नहीं दी गई। स्कूल को राज्य सरकार ने अपने हाथ में भी नहीं लिया ।	सहायक आयुक्त के दौरे के समय जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ऐसा मुख्यतः धन की कमी के कारण किया गया । यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
र प्रदेश	उर्दू	(क) एटा के जिला परिषद के अन्तर्गत 625 प्राथमिक स्कूलों में से 38 जूनियर बेसिक स्कूलों में तथा एटा म्युनिसिपैल्टी के अन्तर्गत 50 उर्दू स्कूलों में उर्दू माध्यम के द्वारा शिक्षा देने की कोई सुविधा नहीं हैं। यहां तक कि भापाजात अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थापित इस्लामिया स्कूलों तथा मकतबों को मान्यता और सहायक अनुदान जल्दी नहीं दिए जाते । जिनको मान्यता दी जाती है उन स्कूलों को भी 12/– रु० प्रति मास के हिसाब से सहायता अनुदान दिया जाता है जो बिलकुल अपर्याप्त है ।	शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गई जिसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।
		(ख) वाराणसी के पक्का बाजार गर्ल्स स्कूल तथा हरहा गर्ल्स स्कूल में उर्दू के द्वारा शिक्षा देने की कोई सुविधा नहीं है यद्यपि वहां पर उर्दू भाषी विद्यार्थी बड़ी संख्या में हैं ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

2	3	4
	(ग) वाराणसी के फाटक शेक सलीम प्राइमरी स्कूल में उर्दू के द्वारा शिक्षा देने की सुविधा का अभाव ।	राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के 5 अध्यापकों में से 2 अध्यापक उर्दू द्वारा पढ़ाने के सुयोग्य हैं तथा वे उर्दूभाषी विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा द्वारा पढ़ाते रहे हैं ।
	(घ) गोरखपुर जिला में उर्दू द्वारा शैक्षिक सुविधाओं का अभाव तथा एन० ई० रेलवे प्राइमरी स्कूल, मेवातीपुर प्राइमरी स्कूल, भ् वा साहुत प्राइमरी स्कूल तथा पहाड़पुर प्राइमरी स्कूल में विशेषकर ऐसा अभाव है ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अन्तिम 3 स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई शुरू कर दी गई है । चूंकि पहला स्कूल रेलवे प्रशासन द्वारा चलाया जाता है इसलिए गोरखपुर के उपविद्यालय निरीक्षक से मामला रेलवे अधिकारियों के पास उठाने के लिए कहा गया है ।
	(च) इस्लामिया स्कूलों और मकतबों के लिए निर्धारित धन राशि दूसरे प्राइमरी स्कूलों में लगा दी गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(छ) नगर महापालिका की कार्यकारिणी समिति के 27 जुलाई, 1962 के इस प्रस्ताव कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा द्वारा दी जाय के बावजूद भी वाराणसी के म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्तर्गत स्कूलों में उर्दू माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
		(ग) मांग की गई कि जहां आवश्यक संख्या में उर्दू विद्यार्थी हों उर्दू प्राइमरी स्कूल खोले जायें ।	राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि यदि पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध हों तो शिक्षा के जिला- सुपरिन्टेन्डेन्ट उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे ।
		(घ) मांग की गई है कि जिला योजना तथा विकास समितियों में, जो नए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए अधिकृत हैं, उर्दू प्रतिनिधि होने चाहिएं ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(च) राज्य के विभिन्न जिलों में उर्दू भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले 115 उर्दू प्राइमरी स्कूलों को सहायता अनुदान नहीं दिया गया ।	यह मामला 115 ऐसे स्कूलों की सूची के साथ भेज दिया गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(छ) शिकायत की गई कि 34 प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों को बदल कर शिक्षा का माध्यम उर्दू से हिन्दी कर दिया गया यद्यपि वहां पर बड़ी मात्रा में उर्दू भाषी विद्यार्थी हैं ।	34 स्कूलों की सूची राज्य सरकार के पास भेज दी गई है जिसके उतर की प्रतीक्षा है ।
		(ज) सरकार की एक योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजने के कारण 23 उर्दू प्राइमरी स्कूल बन्द कर दिए गए हैं तथा इन अध्यापकों की जगह पर दूसरी भर्ती नहीं की गई ।	स्कूलों की सूची जांच के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

	(श) यद्यपि शिक्षा विभाग द्वारा बढ़िया बथानपुर, कन्थू, सलीमपुर सिंघली, मथुरा, हबीबपुर, सदाशिवपुर के प्राइमरी स्कूलों के लिए उर्दू अध्यापकों की स्वीकृति दी गई थी लेकिन उनकी जगह पर हिन्दी अध्यापक नियुक्त किए गए। कागजी कार्रवाई के लिए यह स्कूल, उर्दू स्कूल माने जाते हैं परन्तु हिन्दी स्कूलों की तरह कार्य कर रहे हैं।	मामले राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
बंगला	(क) धनबाद जिला के कुमारधोबी बंगला माध्यम गर्ल्स स्कूल को मान्यता नहीं दी गई।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(ख) सरायकेला सब-डिवीजन के दुगनो, आदित्यपुर, तुमन, बालूपुखरी, कोलाबीरा तथा जसबुरिया में बंगला माध्यम द्वारा शिक्षा देने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
उड़िया	(क) मांग की गई कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि बंगला, उड़िया और हिन्दी में उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से अलग अलग कर दी जाय।	राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि ऐसी मांग स्वीकृत करना सम्भव नहीं है तथा राज्य सरकार सभी भाषाओं की शिक्षा के लिए एक समान ध्यान देती है ।
	(ख) सरायकेला में उड़िया विद्यार्थियों को केवल हिन्दी जानने वाले अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है।	मामला भारत सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
	हो	(क) हो माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं का अभाव ।	राज्य सरकार ने मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की अपनी नीति को दोहराते हुए कहा कि वह इस नीति को आदिवासी भाषाओं में उपयुक्त अध्यापकों के प्राप्त होने की दशा में कार्यान्वित करेगी ।
पश्चिम बंगाल	तेलुगू	(क) मांग की गई कि 24 परगना में सोतेपुर में टीटा-गढ़ को आंध्र समिति द्वारा स्थापित प्राइमरी स्कूल को तेलुगू भाषी बच्चों के लाभ के लिए मान्यता दी जाये । कक्षा 1 से 5 में विद्यार्थी संख्या 62 है।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
आंध्र प्रदेश	उड़िया	(क) टेक्काली, पठापटनम, सोमपेटा और इच्छापुरम के प्राइमरी स्कूलों में उड़िया भाषाभाषी अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ख) पठापटनम पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में उड़िया स्कूलों तथा वर्तमान तेलुगू स्कूलों में उड़िया अनुभागों का अभाव है यद्यपि इन गांवों में पर्याप्त संख्या में उड़िया भाषी परिवार रहते हैं ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ग) टेक्काली और सोमपेटा के प्राइमरी स्कूलों में उड़िया बच्चों के लिए समानान्तर अनुभाग नहीं खोले गए यद्यपि ऐसे विद्यार्थी आवश्यक संख्या में भर्ती किए गए हैं।	मा... राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(घ) श्रीकाकुलम जिला के उड़िया एलीमेन्ट्री स्कूलों में नक्शे तथा फ्लेश-कार्ड्स केवल तेलुगू में दिए जाते हैं ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(च) मंडासा पंचायत समिति द्वारा वन्दोफारी, चीपो, चीकीनिगम, डिल्लोई, मन्डगाम, सरियापल्ली तथा मुकुनपुर गांव में जहां उड़िया भाषी पर्याप्त संख्या में रहते हैं समिति एलीमेन्ट्री स्कूल केवल तेलुगू में खोले गए हैं ।	मामला राज्य सरकार के पास जांच के लिए भेजा गया है।
(छ) टेक्काली पटनम, पेड्डंचला और नथापुद्दुमा गांव में तथा टेक्काली टाउन हरिजन स्कूल में जहां समिति एलीमेन्ट्री स्कूल हैं उड़िया अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई।	मामला राज्य सरकार के पास जांच के लिए भेजा गया है।
(ज) कृष्णापुरम टाउन के समिति एलीमेन्ट्री स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण पर सरकारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया गया।	राज्य सरकार के अधिकारियों ने सहायक आयुक्त को आश्वासन दिया कि भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था स्कूलों में लागू की जायगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(झ) यह आरोप किया गया कि उड़िया बच्चों के अभिभावकों से श्रीकाकुलम जिला के गोंडा गांव में इस बात के लिए जबर्दस्ती आवेदन पत्र दिलाए जाते हैं कि उनके बच्चे तेलगू द्वारा पढ़ाए जायं।	शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ट) प्राथमिक स्तर पर उड़िया में पुस्तकें न मिलने के कारण अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कठिनाई होती है।	जांच से पता चला कि जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध है उड़ीसा राज्य में चालू उड़िया पाठ्य-पुस्तकें तथा पाठ्यचर्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए अपनाई गई हैं।
		(ठ) विशाखापटनम के गांधी ग्राम केनेच पंचायत समिति प्राइमरी स्कूल में यद्यपि बड़ी संख्या में उड़िया विद्यार्थी हैं लेकिन उड़िया द्वारा पढ़ाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि गांधी ग्राम पंचायत समिति एलीमेन्ट्री स्कूल में एक उड़िया अनुभाग खोला गया है तथा कानोथी के बी० डी० ओ० को एक उड़िया अध्यापक नियुक्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक उड़िया विद्यार्थियों की संख्या 115 है।
	उर्दू	(क) मेडक जिला के 21 मिडिल उत्तीर्ण तथा बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक अभी तक बेरोजगार हैं यद्यपि इस अवधि में अन्य विद्यार्थियों द्वारा कई जगहें भरी गई।	राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उर्दू अध्यापकों की संख्या मेडक जिला की आवश्यकता से कहीं अधिक थी। इस स्थिति के बावजूद भी कई उर्दू प्रशिक्षित अध्यापक (एलीमेन्ट्री ग्रेड बी० टी०) भर्ती किए गए। 21 अध्यापकों में से वास्तव में

	कितने नियुक्त किए गए इसकी संख्या की प्रतीक्षा की जा रही है ।
(ख) यह शिकायत की गई कि अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल केवल उन्हीं स्थानों पर खोले गए जहां तेलुगू माध्यम स्कूल हैं।	राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि साधारणतः नए स्कूल खोलने की स्वीकृति वास्तविक आवश्यकता के आधार पर दी जाती है (शिक्षा का माध्यम चाहे जो कुछ हो) जैसा संविधान के अनुच्छेद 350क में कहा गया है । उर्दू माध्यम द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की व्यवस्था मांग के आधार पर की जाती है तथा उर्दू भाषी आबादी की प्रतिशतता पर नहीं ।
(ग) प्रादेशिक भाषा में सुविधा के साथ साथ भाषाजात अल्पसंख्यकों को मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने की सुविधा सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षा अधिकारियों को लेना चाहिए।	अभिवेदनकर्ताओं को इस सम्बन्ध में विभिन्न परित्राणों से अवगत कराया गया जिन्हें राज्य सरकार ने कार्यान्वित करने के लिए मान लिया जाता है तथा कार्यान्वयन की प्रगति विभिन्न स्तरों पर देखी जा रही है ।
(घ) यद्यपि 1963-64 में अतिरिक्त अध्यापक की स्वीकृति दे दी गई थी लेकिन गड़वाल के जे० भी० स्कूल में समानान्तर उर्दू अनभाग नहीं खोले गए।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिसने आयुक्त को सूचित किया है कि गड़वाल के जूनियर बेसिक स्कूल में समानान्तर उर्दू अनुभाग खोलने के लिए महबूबनगर के जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 4 जुलाई, 1964 को स्वीकृति दे दी थी ।
(ङ) भाषाजात अल्पसख्यकों के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण से सम्बन्धित राज्य सरकार का आदेश	सहायक आयुक्त के साथ हुए विचार-विमर्श के समय उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारियों ने आव

(1)	(2)	(3)	(4)
		कार्यान्वित नहीं किया गया जिससे उर्दू भाषी बच्चों को कठिनाई हुई ।	आश्वासन दिया कि रजिस्टर खोलने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।
		(च) यह कहा गया कि स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा/अनुभाग खोलने हेतु "दान" की मांग की जाती है । यह भी बताया गया कि ऐसी मांग तेलुगू माध्यम की कक्षा/अनुभाग खोलने के लिए नहीं की जाती ।	आंध्र प्रदेश के उप शिक्षा निदेशक, जिनके साथ इस सम्बन्ध में बातचीत हुई, ने कहा ऐसा चन्दा न मांगने के लिए आदेश वर्तमान हैं और सहायक आयुक्त को आश्वासन दिया कि ऐसी मांग न करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।
		(छ) यह शिकायत की गई कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी समितियों और जिला परिषदों ने महबूबनगर में दो शिक्षा सत्रों में उर्दू की कक्षायें नहीं खोली हैं ।	जांच से पता चला कि स्कूल के लिए शिक्षा अधिकारी अधिकृत नहीं हैं । यह जिम्मेदारी जिला-परिषदों की है । भाषाजात अल्पसंख्यकों की शिकायतें भी उचित मालूम पड़ीं । शिक्षा अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि विशिष्ट मांगें उनके ध्यान में लाई जायेंगी तो उर्दू अनुभाग खोले जायेंगे ।
		(च) दो वर्ष पहले यद्यपि जिला शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त हो गये थे किन्तु कीनापर्ट तालुक, काटकूा, साडीकुञ्ज और वाद्रा में उर्दू कक्षायें नहीं खोली गई ।	मामले की जांच की जा रही है ।
	तामिल	(क) पुस्तूर पंचायत समिति द्वारा प्रबंधित पुस्तूर के तामिल प्राथमिक स्कूल में स्वीकृत सात स्थानों में चार तेलुगू प्रशिक्षित अध्यापक थे ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(क) यह अनुरोध किया गया कि तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से "कुंवला यात्रा" नामक पाठ हटा दिया जाय जो कन्नड़ भाषियों के लिए अपमानजनक है ।	मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था । आयुक्त को सूचना मिली है कि यह पाठ अब हटा दिया गया है ।
(ख) कासरगोड क्षेत्र के कई प्राथमिक स्कूल जिला अधिकारियों द्वारा अवंआर्थिक संख्या के आधार पर बन्द कर दिये गए जिससे कुछ लोगों में एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं है ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ग) होसद्रुग तालुक के उदमा तथा अन्य स्थानों से कन्नड़ भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की मातृभाषा से शिक्षा देने की सुविधाएं समाप्त कर दी गईं ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(घ) संस्कृत प्राथमिक स्कूलों (जो अब प्राइमरी स्कूल कर दिये गये हैं) में कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन निर्धारित करने में असमानता ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ङ) वडाडका के कुंदनगली जो यू० पी० स्कूल में 50 कन्नड़ भाषी विद्यार्थियों की मातृभाषा से शिक्षा देने की कोई सुविधा नहीं है ।	मामला राज सरकार को भेजा गया था तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(च) अनुरोध किया गया कि मदूर परमेश्वरी ए० एल० पी० स्कूल में कक्षा 5 चलने दिया जाय क्योंकि कन्नड़ विद्यार्थियों की संख्या 13 थी जब कि आवश्यक	राज्य सरकार ने (जिसको मामला भेजा गया था) सूचना दी कि प्रबन्ध समिति द्वारा कक्षा 5 खोलना न्याय संगत नहीं था नियमों के अनुसार न्यूनतम

1	2	3
	संख्या केवल 10 है ।	संख्या 20 होनी चाहिये । 16 भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए एक समान्तर अनुभाग खोला जा सकता है किन्तु यह इस मामले में लागू नहीं होता । मामले पर पुनः बातचीत चल रही है ।
तामिल	(क) अनुरोध किया गया कि राज्य के बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिये भारतीय जामान कानून के अन्तर्गत चालू स्कूलों की मान्यता और "केयर" प्रोग्राम के अन्तर्गत भोजन की व्यवस्था की जाय ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिसने आयुक्त को सूचना दी है कि बागान क्षेत्रों में कर्मचारियों द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों की केरल शिक्षा नियम के अन्तर्गत मान्यता देने के लिए और "केयर" प्रोग्राम के अन्तर्गत उन स्कूलों में भी भोजन व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिये गये हैं । मामले पर लोक शिक्षा निदेशक द्वारा अपनी अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा है ।
	(ख) अनुरोध किया गया कि पातघाट जिला के देवीकोलम और पीरमे तालुकों तथा त्रिवेन्द्रम शहर, एसेथ्यो, वनया, विवलोन कस्बा, मट्टनवेरी, कालीकट, कोट्टापालम और भीर्थूर के देहाती क्षेत्रों में जहां तमिल भाषी बड़ी संख्या में रहते हैं, ज्यादा तमिल प्राथमिक स्कूल खोले जायं ।	मामला राज्य सरकार को जांच करने और उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया है । उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(ग) मुन्नर के प्राथमिक स्कूल में तमिल अध्यापक नहीं नियुक्त किया गया ।	मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(घ) जैसा कि सरकारी आदेश एम०-एस० संख्या 512/6/बी० डी० दिनांक 3-10-1962 में निवेदन किया गया है, त्रिवेन्द्रम, कोट्टयन और पालघाट जिलों के प्राथमिक स्कूलों में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण के रजिस्टर नहीं रखे गये।	राज्य सरकार से प्रत्येक जिले की स्कूलों की संख्या की मांग की गई है जहां पिछले वर्ष रजिस्टर रखे गये थे। उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।
(ङ) यह शिकायत की गई कि एक वर्ष के बाद भी अभी पालघाट कलत्र प्राथमिक स्कूल और कंचीकोड (वि तूर के निकट) प्राथमिक स्कूल में तमिल जानने वाले अध्यापक नियुक्त नहीं किये गये।	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
(च) यह शिकायत की गई कि राज्य सरकार की घोषित नीति कि यदि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हों तो तमिल माध्यम के समान्तर अनुभाग खोले जायेंगे, स्कूल के अधिकारियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी।	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
(छ) त्रिवेन्द्रम के पोर्ट सेन्ट्रल हाई स्कूल में संलग्न तमिल प्राथमिक स्कूल को दूर के एक स्कूल में कर देने से उत्पन्न तमिल विद्यार्थियों की कठिनाई।	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
(ज) त्रिवेन्द्रम शहर के कर्मनाई प्राइमरी स्कूल, मनकाड प्राइमरी स्कूल, पुवन चार्ड प्राइमरी स्कूल और माधवन प्राइमरी स्कूल तथा अन्य स्कूलों में	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।

(1)	(2)	(3)	(4)
		जहां तमिल कक्षायें थीं, तमिल अध्यापकों की अपर्याप्त व्यवस्था।	
		(झ) यह आरोप लगाया गया कि केवल सरकार तमिल या कन्नड़ भाषियों के लिए नये स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं थी यद्यपि उसने 1964 में 500 स्कूल खोलने का निश्चय किया था।	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ट) जब 1964 में गुन्नर का एंग्लो-तमिल प्राइमरी स्कूल पुनः खोला गया, तब से अभी तक पर्याप्त संख्या में तमिल अध्यापक नियक्त नहीं किये गये।	शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
तेलुगु		(क) डीसुर तालुक में तेलुगु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पंचायत यूनियन काउन्सिल के अधिकारी भेद-भाव रखते हैं। जब कि आठ या नौ की तमिल विद्यार्थी संख्या होने पर भी तमिल अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है।	जांच से पता चला कि हीसुर तालुक के 493 स्कूलों में से 312 तेलुगु स्कूल थे और अध्यापकों की नियुक्ति प्रत्येक स्कूल की छात्र-संख्या के आधार पर की जाती है। यह आरोप कि आठ या नौ तमिल विद्यार्थी होने पर भी तमिल अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, सत्य नहीं प्रतीत हुआ।
		(ख) यह शिकायत की गई कि थामपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी ने शूलागिरी ब्लाक के अन्तर्गत तेलुगु प्राथमिक पाठशाला की एक तेलुगु महिला अध्यापक	मामले पर राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

		के आंध्र प्रदेश के महिला प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए दिए गए आवेदन को लेने से इंकार कर दिया ।	
		(ग) वदपुर के आर० ओ० हायर इलेमेन्ट्री स्कूल में तेलुगु अध्यापक के नियुक्त करने की मांग ।	राज्य सरकार ने एक विषय स्थिति में बट्चूर के आर० ओ० हायर इलेमेन्ट्री स्कूल में एक तेलुगु अध्यापक की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी है ।
	मलयाजम	(क) राज्य उच्च प्राथमिक स्कूल में तमिल अध्यापन को वढ़ावा देने के लिए मलयालम के अनुभागों की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी ।	जांच करने पर पता चला कि 1961 में जव स्कूल को उच्चतम करके उच्च प्राथमिक स्कूल किया गया था तव शिक्षा अधिकारियों ने कक्षा 6 से 8 तक में मलयालम अनुभाग खोलने के लिए अनुमति दे दी थी । यह भी पता चला कि 340 विद्यार्थियों के लिए कक्षा एक से पांच तक में 12 तमिल अनुभाग और 128 विद्यार्थियों के लिए 5 मलयालम अनुभाग हैं । इसी प्रकार 111 विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से 8 तक में 4 तमिल अनुभाग और 63 विद्यार्थियों के लिए तीन मलयालम अनुभाग थे । स्कूल में 12 तमिल अध्यापक और 6 मलयालम अध्यापक थे ।
मैसूर .	. अंग्रेजी .	(क) यद्यपि सरकार ने मातृभाषा के माध्यम द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है परन्तु यह सिद्धान्त	मामले पर सहायक आयुक्त ने राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जिन्होंने प्रश्न पर परीक्षा करना स्वीकार किया । उत्तर की

(1)	(2)	(3)	(4)
		एंग्लो-इण्डियन बच्चों के मामले में लागू नहीं किया ।	प्रतीक्षा है ।
	मराठी	(क) यद्यपि नियमों के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है और विद्यार्थी संख्या द्वारा भी मांग की गई है किन्तु बेलगांव जिला के मराठी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए ।	राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वैलगांव की जिला स्कूल परिषद द्वारा संचालित मराठी प्राथमिक स्कूलों में 67,916 विद्यार्थियों के लिए 1,707 अध्यापक थे । इस प्रकार अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात 1:39·7 है जब कि कन्नड़ स्कूलों में यह अनुपात 1:41–9 न है। ये इस बात से सहमत हुए कि चार मामलों में यह अनुपात ज्यादा हो सकता है जिसे एक से दूसरे स्कूल में ऐसे मराठी अध्यापबकों का स्थानान्तरण करके कम किया जा सकता है ।
		(ख) पिछले दो वर्षों में बेलगांव को जिला स्कूल परिषद् ने पीरनवाढ़ी, मनगांव, कुट्टनदाढी, ढांगव, साम्वरे और मशीद गांवों के मराठी भाषी इलाकों में नये कन्नड़ प्राथमिक स्कूल खोले थे और इस प्रकार मराठी बच्चों को इन कन्नड़ स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था ।	राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी कि पीरनवाड़ी, मजगांव और मराड में स्कूल राज्य के पुनर्गठन से पहले मौजूद थे और 1957–60 में उन्हें राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था । कुट्टलवाडी डीनग और साम्वरे में निस्संदेह नये स्कूल खोले थे लेकिन इनमें से प्रत्येक स्थान पर एक डी० एस० वी० मराठी स्कूल वर्तमान था । इसलिये शिकायत उचित नहीं थी ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(च) शिकायत की गई कि यद्यपि झगड़े में एक स्कूल की इमारत बनाने के लिए जनता से धन इकट्ठा किया गया था और ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव द्वारा इस इमारत को मराठी स्कूल के नाम कर दिया था किन्तु जिला स्कूल परिषद द्वारा यह इमारत कन्नड़ स्कूल को दे दी गई ।	राज्य सरकार को सूचना दी गई कि ग्राम पंचायत का सुझाव इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि मराठी स्कूल बी० एस० बी० की इमारत में था और कन्नड़ स्कूल किराये की एक इमारत में ।
		(छ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई हिन्दी रीडरों में अनुवाद का अंश केवल कन्नड़ में है।	राज्य सरकार ने इस शिकायत को सही मान लिया है । अ-कन्नड़ भाषा के विद्यार्थियों के लिए विशेषांक निकालने का प्रश्न विचाराधीन है ।
		(ज) यह शिकायत की गई कि सीमावर्ती इलाकों में पिछले सात वर्षों में जिला स्कूल परिषद या अन्य अधिकारियों द्वारा एक भी मराठी स्कूल नहीं खोला गया ।	जांच से पता चला कि 1956 से 1963 तक 37 नए मराठी स्कूल खोले गए थे और इस अवधि में मराठी अध्यापकों के 574 स्थानों के लिए स्वीकृति दी गयी ।
		(झ) आरोप किया गया कि बिदर जिला में मराठी अध्यापकों की तरक्की इस बिना पर रोक दी गई कि उन्होंने कन्नड़ भाषा परीक्षा पास नहीं की थी ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ट) यद्यपि विद्या विकास के कन्नड़ स्कूल को मान्यता दे दी गई थी किन्तु निपानी के मराठी कन्या शाला को मान्यता प्राप्त नहीं हुई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ठ) यह शिकायत की गई कि निपानी के शिवाजीनगर में मराठी के दो स्कूलों की मांग ठुकरा दी गई और अधिकारियों ने एक कन्नड़ माध्यम का स्कूल खोलने को कहा ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ड) खड़क कोला में एक पूर्ण-रूपेण कक्षा 7 तक का प्राथमिक स्कूल चल रहा था किन्तु निरीक्षण अधिकारी (ए० डी० ई० आई०) ने स्कूल के अधिकारियों से 1964 से पांचवीं कक्षा बन्द करने को कहा ।	राज्य सरकार को टिप्पणी भेजी गई है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ढ) यद्यपि निपानी के आदिवासियों में मराठी भाषी जनता के चन्दे से मराठी विद्यार्थियों के लिए स्कूल की इमारत का निर्माण किया गया था किन्तु निर्माण के पश्चात् इस में एक कन्नड़ स्कूल खोला गया ।	राज्य सरकार की टिप्पणी मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा है ।
(ण) यह शिकायत की गई कि बेलगांव जिला में प्राथमिक स्कूल संचालन करने वाली दो संस्थाओं 'शेतकारी शिक्षण समिति' और बेलगांव प्राथमिक शिक्षण समिति' को राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि अगर उन्होंने प्राथमिक स्कूलों में कन्नड़ की पढ़ाई आरम्भ न की तो उनका सहायता अनुदान बन्द कर दिया जायेगा ।	राज्य सरकार ने कहा है कि सहायता प्राप्त मराठी प्राथमिक स्कूलों को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया और बिना किसी भेदभाव के सहायता अनुदान के नियम पूर्ण करता है और निर्धारित पाठ्यचर्या पालन करता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(त) बेलगांव के मराठी स्कूल, मराठी न जानने वाले कन्नड़ अधिकारियों द्वारा निरीक्षित किए जाते हैं।	जांच से पता चला कि बेलगांव जिला के बी०ए०डी०आई०ई०' में से सात ने मराठी के माध्यम से शिक्षा पाई थी और इनकी मातृभाषा मराठी थी । बाकी दो जगहें खाली थीं जो भरी जायेंगी ।
		(थ) यद्यपि हलजे वस्तवाड के मराठी स्कूल में चार कक्षायें थीं किन्तु एक ही अध्यापक की व्यवस्था की गई थी।	विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थिति के आधार पर स्कूल में एक अध्यापक की व्यवस्था की गई है । यह भी कहा गया है कि हाल ही में स्कूल ने प्रगति की है और एक अतिरिक्त अध्यापक देने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है।
महाराष्ट्र	तेलुग	(क) चन्द्रपुरा जिला के तिरोंचा और असरेली के स्कूल में तेलुगु भाषी विद्यार्थियों पर मराठी लादने का आरोप ।	मामला जांच के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ख) चांदा जिले के असरेली अपर प्राइमरी स्कूल की सात कक्षाओं में से प्रथम चार कक्षायें तेलुगु माध्यम से पढ़ाई जाती हैं यद्यपि पहले सभी सातों कक्षायें तेलुगु माध्यम से पढ़ाई जाती थीं ।	राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ग) चांदा के जिला के तेलुगु माध्यम स्कूलों में मराठी अध्यापकों की नियुक्ति की गई जिससे अल्प-संख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम के रूप	मामला राज्य सरकार के यहां भेजा गया है । अमली कारंवाई की प्रतीक्षा है ।

	में प्रादेशिक भाषा द्वारा पढ़ने को बाध्य किया गया।	
	(घ) यह आरोप किया गया कि एक मराठी अध्यापक की नियुक्ति करने के लिए सिरोंचा तहसील के कोराल प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर ने कक्षा एक और तीन में मराठी माध्यम आरम्भ किया था।	मामला राज्य सरकार के यहां भेजा गया है। अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा है।
कन्नड़	(क) शोलापुर जिला के पांचों कन्नड़ प्राइमरी स्कूल किराये की टूटी-फूटी इमारतों में हैं।	मामला राज्य सरकार के यहां भेजा गया है। अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा है।
	(ख) उसमानाबाद जिला के कन्नड़ भाषी तालुकों में एक भी कन्नड़ प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया।	मामला राज्य सरकार के यहां भेजा गया है। अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा है।
	(ग) कन्नड़ अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है।	राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।
उर्दू	(क) मांग की गई कि उर्दू प्राइमरी स्कूलों के समुचित निरीक्षण के लिए उर्दू जानने वाले ए० डी० ई० की नियुक्ति की जाय।	मामला राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है।
	(ख) बरार में महिलाओं के लिए पृथक बेसिक प्रशिक्षण कालेज खोलने की मांग।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
	(ग) औरंगाबाद के महाराष्ट्र नार्मल स्कूल में उर्दू के माध्यम से शिक्षा बन्द करने और शिक्षा तथा पढ़ाई विषयों पर उर्दू की "रेयर" पुस्तकों की बिक्री का कथित आरोप।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(घ) दरवाहा, कालम्ब तथा उमखेड़ के सरकारी प्राथमिक उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त करने की मांग ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया था जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
राजस्थान	उर्दू	(क) मकरामा के प्राथमिक स्कूल नं० 1, 2 और 3 में उर्दू माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं का अभाव । यहां पर कक्षा एक और दो में उर्दू भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती है ।	नवम्बर 1964 में राज्य के दौरे के समय इस मामले पर सहायक आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई जब यह बताया गया कि हाल ही में इन स्कूलों के हेडमास्टरों को उर्दू माध्यम द्वारा पढ़ाई आरम्भ करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं । राज्य सरकार की अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		(ख) जिन विद्यार्थियों ने प्राथमिक स्तर पर अपनी शिक्षा उर्दू के माध्यम से पाई है उन्हें कक्षा तीन में तीसरी कक्षा के स्तर की हिन्दी पढ़ाना पड़ता है । ऐसे विद्यार्थियों के लिए हिन्दी का पाठ्य-क्रम दो सालों में विभक्त कर दिया जाय ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ग) उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न-पत्र केवल हिन्दी में दिए जाते हैं ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(घ) नागौर के सब-डिप्टी-इन्सपेक्टर द्वारा जारी किए गए स्कूल की समय-सारिणी में उर्दू को स्थान नहीं दिया गया । कुछ स्कूलों में उर्दू, क्राफ्ट के पीरियड में पढ़ाई जाती है ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

	(ङ) वर्तमान उर्दू अध्यापकों की बदली हो जाने के बाद धुनधुना और परवतसर शहर के राजकीय स्कूल में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
	(च) नागौर के खत्रीपुरा के राजकीय जूनियर बेसिक स्कूल नं० 5 में अपनी मातृ भाषा के माध्यम से पढ़ने के इच्छुक 17 उर्दू विद्यार्थी थे किन्तु अब सिर्फ भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इस स्कूल में दो उर्दू अध्यापक कार्य कर रहे हैं जो उर्दू माध्यम से पढ़ाने के काबिल हैं।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
	(छ) नागौर के कुमारी गेट के राजकीय जूनियर बेसिक स्कूल नं० 7 की कक्षा 1 में अपनी मातृ भाषा से शिक्षा पाने के इच्छुक 21 उर्दू भाषी विद्यार्थी थे लेकिन उनके लिए कोई उर्दू अनुभाग नहीं खोला गया। स्कूल में एक अध्यापक उपलब्ध था भी जो उर्दू के माध्यम से पढ़ा सकता था।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
सिंधी	(क) मांग की गई कि एक कक्षा में 10 और पूरे स्कूल में 40 विद्यार्थी होने पर सिंधी अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उसने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और इसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
	(ख) टोंक, सवाई माधोपुर, मारवाड़ जंक्शन, सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर, बलोतरा और बारमेर में जहां सिंधी भाषी बड़ी संख्या में रहते हैं शिक्षा की सुविधाओं का अभाव।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

परिशिष्ट 10

माध्यमिक शिक्षा–राज्यों में परित्राण की संभत योजना के कार्यान्वियन की प्रगति

संगत परित्राण		कार्यान्वियन की स्थिति की सीमा
(क) यदि किसी क्षेत्र में भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या एक अलग स्कूल को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, तो ऐसे स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। सरकार उन सभी सरकारी नगरपालिका और जिला बोर्डों के स्कूलों में भी इसी प्रकार की सुविधायें देगी जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की मांग करें। सरकार से सहायता-प्राप्त स्कूलो में भी समान सुविधाओं की व्यवस्था सरकार करेंगी। (प्रान्तीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन 1949 और भारत सरकार का ज्ञापन 1956)	मध्य प्रदेश विहार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र	इस राज्य सरकारों ने भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को न्यूनतम संख्या निर्धारित करना स्वीकृत नहीं किया जिससे मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देना अवश्यकरणीय होगा।
	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार का अभी भी कथन है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का एक मात्र माध्यम हिन्दी होनी चाहिए और इसलिए वह भाषाजात अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के इस स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मानने को राजी नहीं है।
	असम पश्चिम बंगाल उड़ीसा पंजाब	सिद्धान्त रूप में इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए आदेश वर्तमान हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में ये सुविधायें हिन्दी, पंजाबी और उर्दू भाषियों तक सीमित हैं।
	आंध्र प्रदेश केरल मद्रास मैसूर	नीचे (ख) में वर्णित दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णयों के आधार पर और भी सुविधायें दी गई।

सिफारिश	राज्य	स्थिति
(ख) (i) मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपबन्धित के लिए यह आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक स्तर को अन्तिम चार श्रेणियों/कक्षाओं में 60 विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या तथा प्रत्येक ऐसी श्रेणी/कक्षा में 15 विद्यार्थियों की संख्या हो, पर शर्त यह है कि पहले चार वर्षों के लिए प्रत्येक श्रेणी/कक्षा में 15 की संख्या पर्याप्त होगी। (1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा पुनरुक्त दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय)	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश असम बिहार उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान	इन राज्य सरकारों ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।
	पश्चिम बंगाल	सिद्धांत रूप में सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी नहीं किए गए।
	आंध्र प्रदेश केरल मद्रास मैसूर	निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आदेश वर्तमान हैं।
(ii) मातृभाषाओं को माध्यमिक स्तर पर शिक्षाओं के माध्यम के रूप में उपबंधित करने के लिए प्रयुक्त भाषायें संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषायें तथा अंग्रेजी होनी चाहिएं। किन्तु असम के पहाड़ी जिलों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में अपवाद हो सकता हैं जहां विशेष प्रन्बध किया जा सकता है। (मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय)	मध्य प्रदेश	— उर्दू, मराठी, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी एवं बंगला के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं।
	उत्तर प्रदेश	— हिन्दी को छोड़कर जो एक मात्र शिक्षा का माध्यम है, राज्य में कुछ अंग्रेजी माध्यम वाले आंगल भारतीय स्कूल हैं।
	असम	— शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी उर्दू, बंगला, और अंग्रेजी की मान्यता है। कबीली भाषाओं के पूर्णतया विकसित न होने के कारण ऐसी सुविधायें पहाड़ी जिलों में मिडिल स्कूल स्तर तक सीमित हैं।

संगत परित्राण	कार्यन्वयन की स्थिति की सीमा
विहार	– उर्दू, बंगला, उड़िया और संथाली द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
उड़ीसा	– हिन्दी, तेलुगु, उर्दू, और बंगला के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
पश्चिम बंगाल	– हिन्दी, उर्दू, नेपाली, तेलुगु, गुजराती और उड़िया को मान्यता है ।
आंध्र प्रदेश	– उर्दू, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मराठी, और हिन्दी के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
केरल	– तमिल, अंग्रेजी, और कन्नड़ के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
मद्रास	– तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, हिन्दी और गुजराती के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
मैसूर	– उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु और हिन्दी के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
गुजरात	– मराठी, हिन्दी, उर्दू, सिन्धी और अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
महाराष्ट्र	– उर्दू, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगला और हिन्दी के द्वारा शिक्षा की सुविधाएं वर्तमान हैं ।
पंजाब	– विशिष्ट क्षेत्रों में सिन्धी, पंजाबी और उर्दू को मान्यता है ।
राजस्थान	– शिक्षा के माध्यम के रूप में किसी अल्पसंख्यक भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है ।

निर्णय	राज्य	स्थिति
(ग) अंग्रेजी माध्यम स्कूलों/कक्षाओं की सुविधाएं, जैसी 1-7-1958 को वर्तमान थी, अभिनिश्चित की जानी चाहिए, तथा बिना परिवर्तन के जारी रखी जानी चाहिए और भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को ऐसे अनुभागों/कक्षाओं में स्थानों की प्राप्यता के विषय में आश्वासित किया जाना चाहिए । इस सीमा के अतिरिक्त उसकी आवश्यकता प्रवासी माता-पिता के बच्चों की संख्याओं में भारी वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हों, राज्य सरकारों पर अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक स्कूलों में 1–7–1958 को वर्तमान स्थिति से अधिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि करने के कोई बंधन नहीं है ।	मध्य प्रदेश	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत : स्थिति मालम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।
	उत्तर प्रदेश असम बिहार	राज्य सरकारों ने न तो निर्णय की स्वीकृत की सूचना दी है और न हीं अब तक विषय पर आदेश जारी किया गया है ।
	उड़ीसा पश्चिम बंगाल	
	गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान आंध्र प्रदेश केरल मद्रास मैसूर	कुछ हेर-फेर के साथ निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
(घ) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए अलग स्कूलों और अलग कक्षाओं में 1–11–1956 को जितने अध्यापक थे उनके सहित विद्यार्थी संख्या और स्कूल की सुविधाओं के बारे म स्थिति अभिनिश्चित की जायेगी और बिना कमी के जारी रखी जायेगी, लेकिन किसी व्यक्तिगत मामले में सिवाय सरकार के विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत जो उस मामले में लागू हो सकें, कोई कमी नहीं की जानी चाहिएं ।	मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश केरल मद्रास	स्थिति मालूम करके के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं ।
	उत्तर प्रदेश असम बिहार	अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

संगत परित्राण		कार्यान्वयन की स्थिति
	उड़ीसा पश्चिम बंगाल मैसूर गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान	अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया ।
(ङ) अपनी मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अग्रिम रजिस्टर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए । (चौथी रिपोर्ट के आयुक्त की सिफारिश)	मध्य प्रदेश असम बिहार आंध्र प्रदेश केरल मद्रास	यह सिफारिश कार्यन्वित करने के लिए स्वीकार कर ली गई है ।
	मैसूर महाराष्ट्र पंजाब उत्तर प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल गुजरात राजस्थान	कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

संगत परित्राण	कार्यन्वयन की स्थिति की सीमा
	(ग) अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिये हिन्दी तथा हिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिये दूसरी भारतीय भाषा बशर्ते यह ऊपर वर्ग (क) में नहीं ली गई हो ।
उड़ीसा	(i) आधुनिक भारतीय भाषा (उच्च स्तर की उड़िया, हिन्दी, उर्दू, तेलुगु, और बंगला) । (ii) अंग्रेजी (iii) (क) उन विद्यार्थियों के लिये जो आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में उड़िया (उच्च स्तर) को लेते हैं 1. संस्कृत 2. हिन्दी । (ख) उन विद्यार्थियों के लिये जो आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी (उच्च स्तर) को लेते हैं । 1. संस्कृत 2. उड़िया (निम्न स्तर) (ग) उन विद्यार्थियों के लिये जो आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी या उड़िया (उच्च स्तर) के अलावा अन्य भाषाएं लेते हैं । 1. हिन्दी (निम्न स्तर) या संस्कृत या फारसी 2. उड़िया (निम्न स्तर) ।
पश्चिम बंगाल	प्रथम भाषा—मातृ-भाषा, जो कोई भी मान्यता प्राप्त आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो सकती है—यथास्थिति कक्षा एक से दस या एक से ग्यारह तक ।

संगति परित्राण	कार्यान्वयन की स्थिति की सीमा
आंध्र प्रदेश . . .	(क) मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा (ख) हिन्दी (ग) अंग्रेजी
केरल . .	(क) प्रथम भाषा भाग i (ऐच्छिक) भाग ii (ऐच्छिक) भाग i के अन्तर्गत, एक विद्यार्थी निम्नलिखित भाषाओं में से कोई एक ले सकता है, यथा :— मलयालम, तामिल, कन्नड़, संस्कृत, अरबी, गुजराती, उर्दू, फ्रांसीसी या सीरियाई । भाग ii के अन्तर्गत, एक विद्यार्थी निम्नलिखित भाषाओं में से कोई ले सकता है यथा :—मलयालम, तमिल, कन्नड़ या अंग्रेजी—माध्यम विद्यार्थियों के लिए विशेष अंग्रेजी । (ख) द्वितीय भाषा—अंग्रेजी (अनिवार्य) (ग) तृतीय भाषा—हिन्दी (अनिवार्य) टिप्पणी : ओरिएन्टल स्कूलों अर्थात् संस्कृत या अरबी जैसी भाषाओं के लिए विशेष स्कूलों में भाग i और ii भाग :। के अन्तर्गत विद्यार्थी अनिवार्य रूप से संस्कृत या अरबी लेंगे ।
मद्रास . .	भाग i—क्षेत्रीय भाषा या मातृ भाषा जब कि बादवाली क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो ।

भाग ii—हिन्दी या कोई दूसरी भारतीय भाषा जो भाग I में सम्मिलित न हो ।

भाग iii—अंग्रेजी या कोई दूसरी अभारतीय भाषा ।

मैसूर

प्रथम भाषा— (क) मातृभाषा या

(ख) प्रादेशिक भाषा यदि अभीष्ट मातृभाषा अंग्रेजी हो ।

द्वितीय भाषा—अनिवार्य अंग्रेजी ।

(i) कन्नड़ उन के लिए जो आठवीं श्रेणी में भर्ती होते हैं ।

(ii) जो किन्हीं अन्य राज्यों से आते हैं और नवीं या दसवीं श्रेणी में भर्ती होते हैं वे कन्नड़ के स्थान पर वैकल्पिक अंग्रेजी लेने के लिए अनुज्ञापित हैं ।

तृतीय भाषा—हिन्दी

महाराष्ट्र

(क) पश्चिमी महाराष्ट्र

(1) प्रादेशिक भाषा/मातृ भाषा
(2) अंग्रेजी
(3) हिन्दी

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि छात्र के लिए यह व्यवस्था है कि या तो वह प्रादेशिक भाषा में अध्ययन करें या अपनी मातृ भाषा में । किन्तु, जैसा मद्रास सरकार द्वारा किया गया है, हिन्दी को ऐच्छिक भाषा वनाना उचित नहीं होगा ।

संमत परिपत्र	कार्यान्वयन की स्थिति की सीमा
(ख) मराठवाडा	पांचवीं से दसवीं कक्षाओं तक, मराठी माध्यम के स्कूलों द्वारा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए यह द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है।
(ग) विदर्भ	एक विद्यार्थी निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक को मातृ भाषा के रूप में चुन सकता है। — (1) हिन्दी (2) मराठी (3) उर्दू (4) बंगला (5) गुजराती (6) तेलुगु (7) तमिल (8) सिन्धी और (9) अंग्रेजी। वर्ग क के अन्तर्गत हिन्दी एक अनिवार्य विषय है, यदि वर्ग क (क) के अन्तर्गत वह उस के द्वारा मातृ-भाषा के रूप में प्रस्तावित नहीं है और यदि क (अ) के अन्तर्गत हिन्दी मातृ-भाषा के रूप में प्रस्तावित है तो उस को निम्नलिखित भाषाओं में से एक का द्वितीय भाषा के रूप में प्रस्तावन करना होगा :— (1) मराठी (2) उर्दू (3) बंगला (4) गुजराती (5) तेलगु (6) तमिल और (7) सिन्धी। वर्ग क (ग) के अन्तर्गत अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है, लेकिन उन्हें जो क (अ) के अन्तर्गत अंग्रेजी को मातृ-भाषा के रूप में प्रस्तावित करते हैं निम्नलिखित भारतीय

परिशिष्ट IX

अल्पसंख्यक वर्गों की मातृ भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं

अल्पसंख्यक भाषा और जिला का नाम	वर्ष	अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले या अल्पसंख्यक भाषा को भाषा-विषय के रूप में पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या		अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले या भाषा विषय को पढ़ाने वाली पृथक् कक्षाओं या अनुभागों की संख्या जो कालम 3 और 4 में सम्मिलित नहीं है		कालम 3 और 5 में सम्मिलित स्कूलों कक्षाओं या अनुभागों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	कालम 4 और 6 के स्कूलों/पृथक् कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिए नियोजित अध्यापकों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिए वर्ष में खोले गए स्कूलों की संख्या जो कालम 3 और 4 में सम्मिलित नहीं है		
		माध्यम के रूप में	भाषा-विषय के रूप में	माध्यम के रूप में	भाषा-विषय के रूप में				स्कूल	विद्यार्थी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मध्य प्रदेश

उर्दू

इन्दौर	1963–64	5	6	—	—	1867	755	96		
धार	—	—	4	—	—	—	165	6		
देवास	,,	1	5	—	—	307	273	16	2	58
खरगोन	,,	—	9	—	—	—	229	10	4	93
उज्जैन	,,	3	4	—	—	2471	293	96		
रतलाम	,,	—	7	—	—	—	472	9		
मंदसौर	,,	—	5	—	—	—	163	5		
शाजापुर	,,	—	2	—	—	—	128	3		
ग्वालियर	,,	—	—	—	13	—	153	8		
भिण्ड	,,	—	—	—	2	—	12	1		
पूना	,,	—	—	—	3	—	35	1		
(भोपाल) (प०)	,,	2	40	—	—	60	2635	99		
भोपाल (पू०)	,,	—	20	—	—	—	452	30	5	62
विदिशा	,,	—	5	—	—	—	192	7	2	21
राजगढ़	,,	—	8	—	—	—	452	11	1	16
होशंगाबाद	,,	—	—	—	9	—	53	3		
खण्डवा	,,	8	1	17	10	1419	648	80	3	79
छिन्दवाड़ा	,,	2	—	—	—	113	—	2	1	60
नरसिंहपुर	,,	—	—	—	3	—	35	2		
शियनी	,,	—	—	—	6	—	169	4		
सागर	,,	1	—	—	—	310	—	14		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
जबलपुर . . .	1963-64	4	—	—	—	1191	—	48			
रायपुर . . .	,,	2	3	—	—	224	73	23			
बिलासपुर . . .	,,	—	1	—	—	—	56	1			
सतना . . .	,,	—	2	—	2	—	583	4			
मराठी											
इन्दौर . . .	1963-64	7	7	—	—	2869	1833	150			
धार . . .	,,	—	3	—	—	—	209	6			
देवास . . .	,,	—	4	—	—	—	358	7	1	82	
रकरगोन . . .	,,	—	2	—	—	—	35	2			
उज्जीन . . .	,,	1	4	—	—	380	236	24			
ग्वालियर . . .	,,	1	—	12	46	508	773	65			
भोपाल (प०) . . .	,,	—	3	—	—	—	86	3			
होशंगाबाद . . .	,,	—	—	—	7	—	72	2			
खण्डवा . . .	,,	18	1	28	21	1767	769	71			
दवाड़ा . . .	,,	12	4	—	—	2886	1275	132	1	73	
सागर . . .	,,	—	1	—	—	—	434	21			
जबलपुर . . .	,,	1	—	—	—	1085	—	39			
शाजापुर . . .	,,	—	—	—	—	—	—	—			
मंदसौर . . .	,,	—	1	—	—	—	57	1			

गुजराती										
इन्दौर . .	1963-64	1	3	—	—	281	430	25	1	287
उज्जैन . .	"	—	2	1	—	40	117	2		
रतलाम . .	"	—	2	—	—	—	48	4		
मंदसौर . .	"	—	1	—	—	—	75	1		
रायपुर . .	"	—	1	—	—	—	137	1		
खण्डवा . .	"	—	4	—	—	—	287	5		
बंगला . .	"	—	1	—	—	—				
जबलपुर . .	1963-64	—	1	—	—	—	199	—		
बिलासपुर . .	"	1	—	—	—	27	—	3		
सिन्धी										
इन्दौर . . .	1963-64	3	1	—	—	565	17	34		
भोपाल (प०) . .	"	—	6	—	—	—	1012	18		
रायचुर . .	"	—	1	—	—	—	87	3		
पंजाबी										
इन्दौर . . .	1963-64	—	1	—	—	—	266	2		
जबलपुर . .	"	—	1	—	—	—	92	2		
रायपुर . .	"	—	1	—	—	—	53	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बरेली . . .	”	—	5	—	—	—	2·89	5			
बांदा . . .	”	—	2	—	—	—	6·5	3			
गाजीपुर . .	”	—	9	—	—	—	8·06	19			
शाहजहांपुर . .	”	—	10	—	13	460	9·76	18			
फैजाबाद . .	”	—	3·3	—	—	—	9·85	30	15	245	
बंगला											
लखनऊ . .	”	—	1	—	—	—	74	1			
गोरखपुर . .	”	—	1	—	3	—	3·1	1			
वाराणसी . .	”	—	2	—	—	—	250	3			
मेरठ . . .	”	—	1	—	—	—	3·8	3			
कानपुर . .	”	—	1	—	—	—	1·62	1			
झांसी . . .	”	—	1	—	—	—	42	—			
पंजाबी											
नैनीताल . .	”	—	1	—	—	—	52	1			

लखनऊ	„	—	1	—	—	—	258	1
देहरादून	„	—	2	—	—	—	1132	15
वाराणसी	„	—	1	—	—	—	30	1
मेरठ	„	—	5	—	—	—	93	6
कानपुर	„	—	1	—	—	—	771	3
शाहजहांपुर	„	—	1	—	—	—	100	3
सिन्धी								
लखनऊ	„	—	2	—	—	—	444	3
कानपुर	„	—	1	—	—	—	38	1
गुजराती								
वाराणसी	„	—	1	—	—	—	18	1
कानपुर	„	—	1	—	—	—	151	2
पाली								
कानपुर	„	—	1	—	—	—	19	1

आसाम, बिहार, उड़ीसा } राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						पश्चिम बंगाल					
हिन्दी											
कलकत्ता . .	1963–64	56	—	5	—	26427	1123	1290	4	758	
24–परगना . .	,,	16	—	2	—	3672	—	137			
हावड़ा . .	,,	15	260	—	—	28104	—	292			
हुगली . .	,,	6	—	—	—	1497	—	60			
मिदनापुर . .	,,	—	—	7	—	2534	—	89	3	223	
वर्दवान . .	,,	16	57	—	—	15102	—	182			
वीरभूम . .	,,	1	—	—	—	65	—	4			
पुरुलिया . .	,,	5	—	—	52	889	484	55			
जलपाईगुड़ी . .	,,	8	—	—	—	1465	—	39			
पश्चिमी दिनाजपुर .	,,	7	146	—	—	13398	—	165			
उर्दू											
कलकत्ता . .	,,	10	—	3	—	4010	240	141			
24–परगना . .	,,	1	—	1	3	239	232	13			
मुर्शिदाबाद . .	,,	1	—	—	—	43	—	6			
हावड़ा . .	,,	3	—	—	—	821	19	—			
हुगली . .	,,	3	—	—	—	265	17	—			

वर्दवान	”	4	—	5	—	614	230	35	
जलपाईगुड़ी	”	—	—	—	21	—	163	8	
पश्चिमी दिनाजपुर	”	9	8	—	—	850	—	20	
दार्जिलिंग	”	1	—	—	—	105	—	6	
नेपाली									
दार्जिलिंग		44	—	—	—	10904	235	388	
तेलुगु									
कलकत्ता	”	1	—	—	—	471	—	3	
मिदनापुर	”	2	—	—	—	1002	—	32	
गुजराती									
कलकत्ता	”	4	—	—	—	2157	—	126	
उड़िया									
कलकत्ता	”	1	—	—	—	26	—	—	3
24-परगना	”	1	—	—	—	59	—	—	3
मिदनापुर	”	1	—	—	—	246	—	—	1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तिब्बती											
दार्जिलिंग . .	1963-64	*2	—	—	—	53	—	2	—	—	*इस वर्ष एक स्कूल दोनों प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर दिखाया गया है क्योंकि प्राथमिक कक्षा वाले एक वर्तमान स्कूल में कक्षा पांच भी खोल दिया गया है । इस स्कूल के अध्यापक प्राथमिक स्तर पर दिखाये गये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उर्दू											
श्रीकाकूलम . .	,,	—	1	—	12	—	40	2			
विशाखापटनम . .	,,	—	3	—	—	—	72	—			
विज़ियानगरम . .	,,	—	1	—	—	—	23	1			
काकीनडा . .	,,	—	—	—	1	—	21	1			
राजामुन्द्री . .	,,	—	—	—	4	—	115	6			
इलुरु . .	,,	—	—	—	4	—	74	8			

तानुक . .	,,	—	—	—	3	—	73	3
कृष्णा (पूर्वी) . .	,,	—	6	—	6	—	189	7
कृष्णा (पश्चिमी) .	,,	1	—	—	5	232	240	17
गुण्टूर . .	,,	2	—	1	—	357	—	23
बपाटला . .	,,	—	5	—	—	—	262	12
कुरनूल . .	,,	9	—	—	—	1293	—	49
अडोनी . .	,,	—	7	1	—	370	403	19
अनन्तपुर . .	,,	2	5	—	—	164	148	21
कडप्पा . .	,,	1	5	13	30	305	900	27
नेल्लोर . .	,,	—	10	—	40	—	434	12
कोनागिरि . .	,,	—	6	—	—	—	399	10
चित्तूर . .	,,	—	—	—	25	—	190	6
हैदराबाद शहर .	,,	34	3	251	—	19787	724	669
हैदराबाद जिला .	,,	4	1	40	—	1672	163	62
मेढ़क . .	,,	3	—	24	3	646	861	127
निजामाबाद . .	,,	2	—	26	—	1523	—	50
महबूबनगर . .	,,	1	—	9	—	217	—	14
नालगोंडा . .	,,	3	—	11	—	493	188	22
वारंगल . .	,,	11	6	17	22	1444	496	90
खम्मम . .	,,	3	—	4	—	339	—	18
करीमनगर . .	,,	6	—	12	—	1219	—	37
अदीलाबाद . .	,,	9	—	14	—	801	—	49

हिन्दी									
हैदराबाद शहर	.	”	10	21	14	253	1930	17144	202
हैदराबाद जिला	.	”	2	8	—	32	83	1431	36
मेढ़क	.	”	—	—	—	50	—	740	7
निज़ामाबाद	.	”	2	—	12	38	305	1120	24
ग्रदीलाबाद	.	”	—	5	—	32	—	573	10

केरल—राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।

मद्रास

तेलुगु									
मद्रास	.	”	12	9	96	36	5360	2995	213
चिंगलपट	.	”	9	49	64	76	3575	1424	172
उत्तरी ग्रर्काट	.	”	2	3	18	22	1264	390	59
सालेम	.	”	7	7	75	75	2558	2473	109
उर्दू									
मद्रास	.	”	5	—	33	—	2775	—	95
दक्षिण ग्रर्काट	.	”	—	1	—	—	—	40	1
तन्जौर	.	”	—	—	—	1	—	37	1
उत्तरी ग्रर्काट	.	”	5	2	31	42	1226	1368	49
तिरुचिरापल्ली	.	”	1	—	—	—	209	—	8
कोयम्बतूर	.	”	—	1	—	—	—	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कन्नड़											
मद्रास . .	1963–64	—	—	—	1	—	35	1			
कोयम्बतूर . .	”	1	—	—	—	154	—	6			
नीलिगिरि . .	”	1	—	4	—	14	—	1			
मलयालम											
मद्रास . .	”	1	1	9	1	595	328	22			
कन्याकुमारी . .	”	1	—	433	—	14664	—	495	1	359	
कोयम्बतूर . .	”	—	—	1	—	18	—	1			
नीलिगिरि .	”	1	—	6	—	145	—	6			
गुर्जराती											
मद्रास . .	”	2	2	18	7	990	622	30			
हिन्दी											
मद्रास . .	”	3	6	24	28	891	3082	73			
दक्षिणी अर्काट .	”	—	35	—	—	—	6308	35			
फारसी											
मद्रास . .	”	—	1	—	4	—	21	1			

तिरुचिरापल्ली .	"	—	1	—	3	—	149	1

राजस्थान

उर्दू

सिरोही-जालोर .	"	—	1	—	—	—	21	1
शिकार . .	"	—	4	—	4	—	249	5
जयपुर . .	"	—	1	—	—	—	201	4
कोटा-बूंदी . .	"	—	3	—	5	—	605	13
झुनझुनू . .	"	—	2	—	—	—	114	2
उदयपुर . .	"	—	4	—	—	—	1009	11
अजमेर . .	"	—	4	—	—	—	282	8
नागौर . .	"	—	6	—	5	—	266	11
गंगानगर . .	"	—	2	—	—	—	34	1

सिन्धी

सिरोही-जालोर .	"	—	1	—	—	—	38	1
जोधपुर . .	"	—	7	—	—	—	1902	21
जयपुर . .	"	—	2	—	—	—	249	9
कोटा-बूंदी . .	"	—	—	—	26	—	1015	30

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
उदयपुर	"	—	1	—	—	—	76	5			
अजमेर	"	—	7	—	31	—	2228	24			
पंजाबी											
गंगानगर	"	—	10	—	—	—	310	18			
गुजराती											
शिरोही-जालोर	"	—	2	—	—	—	73	2			

परिशिष्ट XII

अल्पसंख्यक वर्ग की मातृ भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं

वर्ष	अल्पसंख्यक भाषा का नाम जिसमें शिक्षा दी जाती है	अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले या अल्पसंख्यक भाषा को भाषा-विषय के रूप में पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या		अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले या भाषा-विषय को पढ़ाने वाली पृथक कक्षाओं या अनुभागों की संख्या जो कालम 3 और 4 में सम्मिलित नहीं है		कालम 3 और 5 में सम्मिलित स्कूलों/कक्षाओं या अनुभागों वाले में विद्यार्थियों की संख्या	कालम 4 और 6 के स्कूलों/पृथक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	अल्पसंख्यक भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिए नियोजित अध्यापकों की संख्या	टिप्पणी
		माध्यम के रूप में	भाषा विषय के रूप में	माध्यम के रूप में	भाषा विषय के रूप में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				मध्य प्रदेश—माध्यमिक					
1961–62	उर्दू . .	30	120	33	30	10,684	3,319	581	
	मराठी . .	35	26	54	30	10,200	3,481	514	
	गुजराती . .	—	6	1	—	47	1,209	28	

*केवल 50 जिलों के आंकड़े

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सिन्धी . .	3	8	—	—	2,138	137	93	
	बंगला . .	—	1	—	—	—	46	1	
	पंजाबी . .	—	2	—	—	—	350	3	
1962-63	उर्दू . .	23	124	17	42	7,906	7,516	602	
	मराठी . .	33	30	28	90	10,083	7,311	582	
	गुजराती . .	1	8	1	—	305	444	19	
	सिन्धी . .	3	8	—	—	460	1,194	82	
	बंगला . .	1	—	—	—	202	—	8	
	पंजाबी . .	—	3	—	—	—	287	5	
1963-64	उर्दू . .	28	122	17	48	7,962	8,026	579	
	मराठी . .	40	30	40	74	9,495	6,137	523	
	गुजराती . .	1	13	1	—	321	1,094	38	
	सिन्धी . .	3	8	—	—	565	1,116	55	
	बंगला . .	1	1	—	—	27	1,199	11	
	पंजाबी . .	3	—	—	—	411	—	5	
	उत्तर प्रदेश—माध्यमिक								
1961-62	उर्दू . .	2	216	—	4177	314	20,825	390	
	बंगला . .	—	10	—	2	—	553	8	

	पंजाबी . .	—	9	—	1	—	2,149	21
	गुजराती . .	—	1	—	—	—	149	2
	सिन्धी . .	—	6	—	1	—	647	6
	पाली . .	—	1	—	—	—	15	1
1962–63	उर्दू . .	—	267	—	183	318	25,161	299
	बंगला . .	—	5	—	—	—	536	8
	पंजाबी . .	—	9	—	—	—	1,482	17
	गुजराती . .	—	1	—	—	—	151	2
	सिन्धी . .	—	3	—	—	—	586	5
*1963–64	उर्दू . .	—	251	—	172	460	23,377	215
	बंगला . .	—	7	—	3	—	597	9
	पंजाबी . .	—	12	—	—	—	2,436	30
	गुजराती . .	—	2	—	—	—	169	3
	सिन्धी . .	—	3	—	—	—	482	4
	पाली . .	—	1	—	—	—	19	1
				आसाम—माध्यमिक				
1961–62	बंगला . .	353	—	3	1	83,823	1,000	3,501
	गारो . .	46	4	—	—	5,393	609	279
	हिन्दी . .	24	1	—	—	5,591	24	228
	नेपाली . .	7	—	—	—	1,700	—	48

*केवल 50 जिलो के आंकड़े ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	खासी . .	59	15	—	—	8,599	6,048	415	
	उर्दू . .	1	—	—	—	457	—	16	
	लुशाई/मीजो . .	109	6	—	—	7,152	1,691	465	
1962–63 1963–64	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।								
			बिहार—माध्यमिक						
1961–62	उर्दू . . .	126	700	22	90	26,167	13,059	1,228	
	बंगला . .	79	154	171	110	21,601	10,367	857	
	उड़िया . .	1	8	2	12	441	1,455	58	
	मैथिली . .	—	65	—	—	—	1,479	65	
	संथाली . .	—	25	1	4	52	1,061	47	
1962–63 1963–64	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।								
			उड़ीसा—माध्यमिक						
1961–62	हिन्दी . .	4	—	—	18	322	1,266	47	
	तेलुगु . .	3	—	—	3	204	113	10	
	उर्दू . .	28	—	—	23	301	994	51	
	बंगला . .	3	—	—	10	279	440	19	

1962-63	हिन्दी	6	14	19	8	1,901	1,577	79
	तेलुगु	3	9	7	13	1,981	549	100
	उर्दू	3	18	—	5	1,074	262	52
	बंगला	3	5	2	6	186	424	19
1963-64	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया।							

पश्चिम बंगाल—माध्यमिक

1961-62	हिन्दी	131	308	10	49	59,112	—	1,669
	उर्दू	33	283	6	23	6,200	—	285
	नेपाली	43	—	—	—	8,712	—	374
	तेलुगु	3	—	—	—	1,859	—	63
	गुजराती	3	—	—	—	1,686	—	51
	उड़िया	3	—	—	—	296	—	14
	तिब्बती	—	—	—	4	—	220	8
1962-63	हिन्दी	116	401	7	52	59,060	23,959	1,781
	उर्दू	30	8	6	24	6,759	862	286
	नेपाली	44	—	—	—	8,873	223	384
	तेलुगु	3	—	—	—	2,009	—	52
	गुजराती	3	—	—	—	1,936	—	57
	उड़िया	3	—	—	—	307	—	16
	तिब्बती	1	—	—	—	8	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1963-64	हिन्दी	130	463	14	52	93,153	1,607	2,313	
	उर्दू	32	8	14	24	6,947	901	230	
	नेपाली	44	—	—	—	10,904	235	388	
	तेलुगु	3	—	—	—	1,473	—	35	
	गुजराती	4	—	—	—	2,157	—	126	
	उड़िया	3	—	—	—	333	—	16	
	तिब्बती	2	—	—	—	53	—	2	

आन्ध्र प्रदेश—माध्यमिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1961-62	उर्दू	71	61	659	174	35,614	5,303	1,424	
	तामिल	2	7	58	22	203	1,301	61	
	कन्नड़	7	3	17	—	992	108	59	
	उड़िया	—	3	17	6	789	48	21	
	मराठी	10	4	97	17	2,974	365	176	
	हिन्दी	23	122	105	746	6,894	24,312	583	
1962-63	उर्दू	71	49	496	227	31,276	6,965	1,299	
	तामिल	2	24	31	8	1,923	485	66	
	कन्नड़	10	5	10	—	1,253	288	71	
	उड़िया	—	1	17	24	358	318	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मराठी . .	15	6	86	3	3,960	745	173	
	हिन्दी . .	14	29	19	297	3,811	16'698	268	
1963–64 .	उर्दू . .	88	58	423	155	31,081	5,351	1,362	
	तामिल . .	2	23	42	20	1,449	2,069	76	
	कन्नड़ . .	10	4	11	—	1,108	278	86	
	उड़िया . .	—	16	—	80	—	769	31	
	मराठी . .	18	11	81	21	2,726	1,146	160	
	हिन्दी . .	14	34	26	405	2,318	21,008	279	
				केरल—माध्यमिक					
1961–62 .	तामिल . .	5	4	88	35	3,331	1,321	109	
	अंग्रेजी . .	7	—	3	—	1,880	—	80	
	कन्नड़ . .	13	13	9	—	4,515	4,172	2(5	
1962–63 .	तमिल . .	7	8	112	73	3,831	1,886	139	
	अंग्रेजी . .	6	—	—	—	1,799	—	72	
	कन्नड़ . .	14	—	14	—	4,616	—	187	
1963–64 .	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					मद्रास माध्यमिक				
1961–62	तेलुगु		15	8	184	48	10,562	1,490	551
	उर्दू		8	3	59	55	3,975	1,412	187
	कन्नड़		1	..	—	3	76	77	7
	मलयालम		6	2	95	1	16,405	275	527
	हिन्दी		3	32	9	18	1,983	2,167	79
	गुजराती		2	3	15	7	562	479	25
	अरबी		..	1	..	3	..	75	1
	फारसी		..	1	..	4	..	30	1
1962–63	तेलुगु		28	68	249	178	8'756	7,300	670
	उर्दू		7	5	63	63	3,577	1,681	150
	कन्नड़		2	1	4	1	129	34	12
	मलयालम		8	1	422	1	15'375	334	499
	हिन्दी		3	41	8	28	3,511	2,833	85
	गुजराती		2	2	16	7	842	586	25
	अरबी		..	1	..	3	..	55	1
	फारसी		..	1	..	4	..	9	1

1963–64	तेलुगु	30	68	253	209	12,757	7,282	553
	उर्दू	11	4	64	43	4,211	1,455	155
	कन्नड़	2	..	4	1	168	35	8
	मलयालम	3	1	449	1	15,412	328	524
	हिन्दी	3	41	24	28	891	9,390	108
	गुजराती	2	2	18	7	990	622	30
	अरबी	..	1	..	3	..	149	1
	फारसी	..	1	..	4	..	21	1
					मैसूर—माध्यमिक			
1961–62	उर्दू	30	67	56	105	4,030	8,263	369
	तमिल	3	8	2	38	171	4,568	108
	तेलुगु	6	3	12	25	538	545	46
	मराठी	31	34	242	155	15,615	13,637	721
	गुजराती	..	2	..	1	..	8	3
	बंगाली	..	..	..	1	..	1	1
	हिन्दी	3	321	5	1215	250	58,769	478
	पंजाबी	..	..	..	1	..	11	..
1962–63	उर्दू	34	139	77	..	5,765	6,442	347
	तमिल	1	61	7	..	98	6,193	65
	तेलुगु	6	25	15	13	629	1,301	34
	मराठी	42	35	276	..	16,742	1,162	673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	गुजराती	..	2	..	..	..	29	2	
	मलयालम	..	1	..	..	..	2	1	
	हिन्दी	4	194	6	561	307	21,849	280	
1963–64 .	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।								

गुजरात—माध्यमिक

1961–62 . 1962–63 1963–64 .	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।

महाराष्ट्र माध्यमिक

1961–62. 1962–63 1963–64	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।

पजाब–माध्यमिक

1961–62 1962–63 1963–64	राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजा गया ।

राजस्थान —माध्यमिक

1961–62 .	उर्दू	..	22	..	13	..	2,495	55
	सिन्धी	..	13	..	21	..	4,255	135
1962–63	उर्दू	..	28	..	15	..	2,535	56
	सिन्धी	..	18	..	56	..	5,133	90
	पंजाबी	..	10	..	..	..	791	18
	गुजराती	..	2	..	..	..	73	2
1963–64 .	उर्दू	..	27	..	14	..	2,780	56
	सिन्धी	..	18	..	57	..	5,508	90
	पंजाबी	..	10	..	..	..	310	18
	गुजराती	..	2	..	..	..	73	2

परिशिष्ट 8

माध्यमिक शिक्षा—राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों का भावार्थ

राज्य	अल्पसंख्यक वर्ग	शिकायतों का भावार्थ	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
मध्य प्रदेश	उर्दू	(क) बुरहानपुर के राजकीय बालिका उर्दू मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में बदलने की मांग।	राज्य सरकार का विचार है कि दूसरे बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुरहानपुर में लड़कियों के लिए पहले से ही दो स्कूल हैं। यह भी कहा गया है कि जब और स्कूलों की व्यवस्था की जायगी तब मांग पर विचार किया जायगा।
		(ख) राजकीय उर्दू प्राथमिक स्कूल, बलकी, पूर्व निमाड़ जिला को मिडिल स्कूल में बदलने की मांग।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ग) मांग की गई कि हिन्दी मिडिल स्कूल, मंड़ी, पूर्व निमाड़ जिला में उर्दू माध्यम के अनुभाग खोले जांय क्योंकि इस स्कूल में उर्दू माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 56 विद्यार्थी हैं।	जिला शिक्षा अधिकारी का कथन है कि अध्यापकों की कमी के कारण इस स्कूल में उर्दू अनुभाग खोलना संभव नहीं हुआ। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से अध्यापकों की व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को लिखने को कहा है।
		(घ) मांग की गई कि बुरहानपुर के राजकीय सुधारा हायर सेकेन्डरो स्कूल की नवीं से ग्यारहवीं	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।

	कक्षा में भी उर्दू माध्यम के अनुभाग खोले जांय क्योंकि यहां कक्षा आठ के बाद उर्दू माध्यम चाहने वाले पर्याप्त विद्यार्थी हैं ।	
	(ङ) यह शिकायत की गई कि मध्य प्रदेश में भी निर्धारित अन्य राज्यों में उर्दू भाषा की चालू पुस्तकों में कथा तथ्य ,आदि दूसरे राज्यों के हैं । इसलिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करे ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
गुजराती	(क) रायपुर के गुजराती हायर सेकेन्डरी स्कूल को छठवीं कक्षा में 104 विद्यार्थियों में से 90 विद्यार्थी गुजराती भाषी थे लेकिन शिक्षा का माध्यम हिन्दी था । प्रधानाचार्य का कथन था कि निर्धारित पाठ्य-चर्या के अनुसार मातृभाषा पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है ।	जांच से पता चला कि त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत के स्थान पर गुजराती लागू की जा सकती है । लेकिन मुख्य कठिनाई गुजराती में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी वताई गई ।
मराठी	(क.) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल की कक्षाओं के लिए निर्धारित मराठी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं । फलत: विद्यार्थियों और उन के अभिभावकों को कठिनाई उठानी पड़ती है तथा जिन्होंने मजबूर हो कर मराठी पुस्तकें अन्य राज्यों से खरीदी यद्यपि ये मध्य-प्रदेश की पाठ्य-चर्या के अनुरूप नहीं थीं ।	जांच से पता चला कि राज्य सरकार द्वारा मुद्रित मराठी पाठ्य-पुस्तकें स्कूलों में प्रयुक्त की जाती हैं । तथा इन के न उपलब्ध होने की कोई शिकायत शिक्षा अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाई गई ।
उरांव	(क) धोंलग (रायगढ़ जिला) के होलीक्रास हायर-सेकेन्डरी स्कूल के वालिका स्कूल के प्राधानाचार्य ने	जांच से पता चला कि स्कूल द्वारा दिए गए लेखा से वढ़ती का पता चलता था और यदि कोई घाटा

(1)	(2)	(3)	(4)
		शिकायत की कि स्कूल को सन् 1957–58 से 1960–61 तक सहायतानुदान नहीं मिला ।	नहीं मालूम हुआ, इसलिए संस्था कों सहायता अनुदान नहीं दिया गया ।
उत्तर प्रदेश	उर्दू	(क) एटा के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाओं का अभाव ।	जांच से पता चला है कि ऐसी सुविधायें कालेज में उपलब्ध थीं ।
		(ख) उर्दू पाठ्य पुस्तकें (खास कर सातवीं कक्षा के के लिए सेकेन्ड रीडर) प्राप्त करने में कठिनाई क्योंकि ये समय पर मुद्रित नहीं की गई थीं ।	शिक्षा अधिकारियों का कथन था कि आरोप तथ्यपूर्ण नहीं था । निर्धारित पुस्तकें समय पर उपलब्ध की गई थीं ।
		(ग) सन् 1963–64 सत्र से वाराणसी नगर पालिका प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त बांट रही है लेकिन उर्दू को नहीं ।	नगर पालिका के शिक्षा अधिकारियों ने स्थिति को सही बताया तथा आश्वासन दिया कि मुफ्त बांटने के लिए उर्दू किताबें भी प्राप्त की जायेंगी ।
		(घ) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि उर्दू स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय और बाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाय । यह भी सुझाव दिया गया कि प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ स्थान उर्दू भाषी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए जायें ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ङ) शिकायत की गई कि यद्यपि 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत त्रि-भाषी सूत्र में "मातृ-भाषा" शब्द विशिष्ट रूप से उल्लिखित है परन्तु राज्य सरकार द्वारा स्कीकृत त्रि-भाषी सूत्र में "मातृ भाषा" शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(च) 1963 में वाराणसी के पिसन-हरिया; जैतपुरा; मछोदरी; कबीर चौरा तथा कोतवाली इलाकों के जूनियर हाई स्कूलों में की छठवीं कक्षा में क्रमश: 15, 40, 31, 54 और 15 उर्दू भाषी विद्यार्थी थे किन्तु सुविधाओं के उपलब्ध रहने के कारण वे भाषा विषय के रूप में उर्दू नहीं ले सके ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(छ) (1) कोआपरेटिव इण्टर कालेज, पिपराइच, (2) एस. ए. जे. इण्टर कालेज, आनन्दगनर, (3) राजकीय माडल स्कूल, गोरखपुर, (4) राजकीय विद्यार्थी इण्टर कालेज गोरखपुर, तथा (5) नौतनवा हायर सेकेन्डरी स्कल, नौतनवा में त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत उर्दू भाषी विद्यार्थियों को उर्दू नहीं लेने दिया जाता है ।	जांच से पता चला है कि 1964 सत्र से कोआपरेटिव इण्टर कालेज, पिपराइच, राजकीय माडल स्कूल, गोरखपुर, तथा राजकीय जुबली इण्टर कालेज, गोरखपुर, में उर्दू की शिक्षा प्रारंभ कर दा गई है, । एस. ए. जे. इण्टर कालेज, आनन्दनगर में अतिरिक्त अध्यापकों की कमी की वजह से तथा नौतनवा हायर सेकेन्डरी स्कूल, नौतनवा में स्थानाभाव के कारण यह सुविधा नहीं दी जा सकी ।
(ज) उत्तर प्रदेश की दोनों तालीमी कौंसिल ने अनुरोध किया कि माध्यमिक स्कूलों में जहां	राज्य सरकार भाषाजात अल्पसंख्यकों की मातृभाषा द्वारा माध्यमिक शिक्षा देने को राजी नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		कहीं पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी हों, उर्दू के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ।	
		(ञ) त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत मातृ-भाषा पढ़ने के लिए उर्दू भाषियों को बहुत कम सुविधायें दी गई, हैं।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ट) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की पाठ्य-चर्या इस प्रकार तैयार की गई है कि असाहित्यिक वर्ग के विषयों को लेने वाले विद्यार्थी उर्दू को भाषा विषय के रूप जैसा नहीं ले सकते ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
		(ठ) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में विना जिला विद्यालय निरीक्षक की विशिष्ट आज्ञा के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र का उत्तर उर्दू में लिखने की अनुमति नहीं दी जाती । चूंकि यह व्यवस्था असुविधाजनक है इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र का उत्तर उर्दू में देने की विना विशिष्ट आज्ञा के अनुमति दी जाय ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
		(ड) बरेली के स्कूलों में त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत के स्थान पर भाषा विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक से टिप्पणी मांगी गई है । अंतिम जवाब की अभी प्रतीक्षा है ।

(ढ) इलाहाबाद के तहसील हंडिया के भोपतपुर जें० एच० हाई स्कूल में 1963 सत्र में यद्यपि छठवीं कक्षा में 21 विद्यार्थियों ने उर्दू लिया था किन्तु इन विद्यार्थियों को उर्दू पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि त्रिभाषी सूत्र के अन्तर्गत अब उर्दू की पढ़ाई की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।
(ण) जालोन में कालपी के एम० एस० पी० इण्टर कालेज तथा बुलन्दशहर में बुवाली के कबीर इण्टर कालेज में त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत उर्दू की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।	राज्य सरकार के हाल के आदेशों के अनुसार त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत एक तृतीय भाषा पढ़ाने की सुविधा सभी संस्थाओं में दी जाएगी जहां जिला विद्यालय निरीक्षक या बालिका विद्यालयों की क्षेत्रीय निरीक्षिका का मत है कि एक कक्षा में तृतीय भाषा पढ़ाने के लिए पांच या अधिक विद्यार्थियों की वास्तविक मांग है ।
(त) सीतापुर जिला में लहरपुर के जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को उर्दू के स्थान पर संस्कृत लेने को बाध्य करना ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(थ) जोनपुर के एल० एम० जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा उर्दू भाषी विद्यार्थियों के अभिभावकों से त्रि-भाषी सूत्र के अन्तर्गत उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन नहीं स्वीकार किए गए ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(द) लखनऊ जिला की मलीहाबाद तहसील में बेहटा के जूनियर हाई स्कूल की छठवीं तथा सातवीं कक्षाओं	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		में उर्दू लेने के इच्छुक 50 उर्दू-भाषी विद्यार्थी थे किन्तु इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई ।	
		(घ) सीतापुर ज़िला में अमेरगांव के जूनियर हाई स्कूल की छठवीं कक्षा में आठ तथा सातवीं कक्षा में सात उर्दू लेने के इच्छुक उर्दू-भाषी विद्यार्थी थे लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(न) लखनऊ जिला में मोहनलाल गंज तहसील के चिनहट के जूनियर हाई स्कूल में उर्दू लेने के इच्छुक 19 उर्दू भाषी विद्यार्थी थे लकिन ऐसी अनुमति नहीं दी गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर है की प्रतीक्षा है ।
		(प) मैनपुरी के चतुर्भुज इण्टर कालेज की छठवीं कक्षा में उर्दू लेने के इच्छुक 12 उर्दू भाषी विद्यार्थी थे लेकिन उन्हें संस्कृत लेने को बाध्य किया गया ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
असम	मनीपुरी	(क) आसाम में मनीपुरी माध्यम के एम० ई० स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई तथा मनीपुरी स्कूलों एवं कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ख) कछार जिला में मनीपुरी स्कूलों के निरीक्षण के लिए मनीपुरी जानने वाले स्कूलों के सब-इन्सपेक्टर की नियुक्ति की मांग ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है ।

बिहार	उर्दू	(क) यह शिकायत की गई कि राज्य सरकार उर्दू में सभी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने में असमर्थ रही है तथा निजी प्रकाशक सीमित मांग के कारण ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन में रुचि नहीं रखते। अगर राज्य सरकार यह कार्य उसे दे तो अंजुमन-तरक्की-उर्दू बिना लाभ के आधार पर उर्दू में पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने को राजी है।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ख) चक्रधरपुर के रेलवे हाई स्कूल तथा महात्मा गांधी स्कूल में उर्दू विद्यार्थियों को केवल हिन्दी प्रश्न पत्र पाने पर कठिनाई हुई।	सिंहभूम के जिला शिक्षा अधिकारी मामले पर विचार करने को राजी हुए।
		(ग) मांग की गई कि उर्दू पढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लाक या अंचल में लड़कों और लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल खोले जायें।	राज्य सरकार ने सूचना दी कि प्रत्येक अंचल में लड़के और लड़कियों के लिए दो पृथक उर्दू मिडिल स्कूल खोलना न तो संभव है और न आवश्यकीय तथा प्रत्येक ब्लाक में उर्दू विद्यार्थियों की संख्या ऐसे स्कूलों के खोलने के लिए पर्याप्त न होगी।
		(घ) मांग की गई कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम उर्दू हो।	इस विषय पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सिवाय उन स्कूलों के जो भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाते हैं और सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।
		(ङ) उर्दू स्कूलों के निरीक्षण के लिए उर्दू जानने वाले निरीक्षकों की मांग।	उर्दू स्कूलों के लिए पृथक निरीक्षकों की मांग को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसका कथन है कि बहुत से निरीक्षण अधिकारी उर्दू जानते हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(च) मांग की गई कि सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में मौलवियों तथा उर्दू जानने वाले स्नातकों की नियुक्ति की जाय।	राज्य सरकार का कथन है कि जहां कहीं सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उर्दू पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में होते हैं वहां भाषा पढ़ाने के लिए मौलवियों तथा उर्दू जानने वाले स्नातकों की नियुक्ति की जाती है।
		(छ) मांग की गई कि ब्लाक, अंचल, पंचायतों, स्कूलों तथा कालेजों के पुस्तकालयों में उर्दू पुस्तकें, अखवार तथा पुस्तक-पुस्तिकाओं की व्यवस्था की जाय।	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कूल, कालेजों, ब्लाक, अंचल इत्यादि के पुस्तकालयों में उर्दू की पुस्तकें, अखवार, पुस्तक-पुस्तिकाएं आदि उपलब्ध करने में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है।
		(ज) यह शिकायत की गई कि चक्रधरपुर के रानी बालिका स्कूल की कुछ कक्षाओं में उर्दू पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे छात्राओं को अपनी मातृ भाषा उर्दू के स्थान पर अन्य विषय लेना पड़ता है।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(झ) चक्रधरपुर के उर्दू टाउन मिडिल स्कूल में वारम्वार अनुरोध करने पर भी शिक्षा अधिकारियों द्वारा किसी उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई।	मामले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		(त) यह शिकायत की गई कि मातृ-भाषा के रूप में उर्दू लेने वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक स्कूलों में इसलिए	राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांग का अग्रिम निर्धारण करने

	भरती नहीं किया जाता कि ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यक संख्या न हो सके जिससे स्कूल अधिकारियों को भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अनुभाग खोलने को बाध्य होना पड़े ।	के लिए भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थी सभी माध्यमिक स्कूलों में अपने नाम अग्रिम दर्ज करा सकते हैं । शिकायत राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई है ।
	(घ) यह कहा गया कि राज्य में सात अध्यापक प्रशिक्षण कालेज हैं और इनमें से प्रत्येक में उर्दू में शिक्षा की व्यवस्था है परन्तु इन में से किसी भी कालेज में उपरोक्त विषय के लिए अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई और एक भी विद्यार्थी को उर्दू में शिक्षा नहीं दी गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
	(द) 1947 से पहले राज्य के प्रत्येक जिले में मक्तबों के लिये अध्यापक प्रशिक्षित करने के लिए एक मौलवी प्रशिक्षण स्कूल होता था । ये स्कूल अब समाप्त कर दिए गए हैं किन्तु इनकी जगह पर अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई ।	मामले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
बंगला	(क) जमशेदपुर के साक्ची हायर सेकेन्डरी स्कूल की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार द्वारा तीन सरकारी व्यक्तियों का नामांकन, संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन है ।	मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ख) धनबाद जिले में बंगला माध्यम से पढ़ाने की सुविधा में कमी तथा लक्ष्मीनारायन ट्रस्ट सेकेन्डरी स्कूल में ऐसी सुविधा का अभाव ।	शिकायत पर राज्य सरकार की टिप्पणी की प्रतीक्षा है ।
		(ग) सरायकेला में कंगर के हरीशचन्द्र विद्यामन्दिर हाई स्कूल के मिडिल अनुभाग में बंगला-भाषी विद्यार्थियों की मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देने की सुविधाओं का अभाव ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		(घ) चूंकि कुछ विषयों में पाठ्य-पुस्तकें केवल हिन्दी में निर्धारित की गई हैं, इसलिए भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कठिनाई होती है ।	
		(ङ) यद्यपि सिंहभूम में गमरिया के राज्य-अनुपूरित हाई स्कूल में अधिकतर विद्यार्थी बंगला भाषी हैं, परन्तु स्कूल के अधिकारियों ने अभी तक बंगला माध्यम लागू नहीं किया ।	चूंकि यह स्कूल भाषाजात अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं चलाया जाता और बहुसंख्या हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की है, इसलिए राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है ।
	उड़िया	(क) सरायकेला के हाई स्कूल की प्रबन्ध समिति में कोई उड़ियाभाषी प्रतिनिधि नहीं है ।	मामले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		(ख) सरायकेला के बालिका मिडिल स्कूल में जब दो उड़िया अध्यापक सेवा-निवृत्त हुए तो उनके स्थान	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

उन व्यक्तियों द्वारा भरे गए जिन्हें उड़िया का पर्याप्त ज्ञान नहीं था ।	
(ग) उड़िया अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये यालमूम क्षेत्र में एक उड़िया प्रशिक्षण स्कूल होना चाहिये ।	सुझाव राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(घ) पुलिस थाना वहागगोढ़ा के खंडामोदा उड़िया हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने की मांग ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
(ङ) सुझाव दिया गया कि नए उड़िया स्कूल खोलने के लिये राज्य के शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिये उड़िया भाषियों की एक समिति की स्थापना की जाय ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
(च) सरायकेला के व्यायज्ञ एम० ई० स्कूल से उत्तीर्ण विद्यार्थी स्थानीय एन० आर० एच० ई० स्कूल में भरती नहीं किये गए, जबकि प्रथम स्कूल द्वितीय स्कूल के प्रदायक के रूप में है । इस प्रकार राजनगर सीनी, कान्द्रा, गमरिया आदि के स्कूलों में उड़िया पढ़ने की सुविधाओं के अभाव में उड़िया विद्यार्थी साधनहीन हैं ।	मामले पर अभी भी राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।
(छ) 73 वालिकाओं में से जिन्होंने जमशेदपुर के डी० एम० भवन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की आठवीं	राज्य सरकार का विचार है कि निजी स्कूल में स्थान बढ़ाने का प्रश्न प्रबन्ध समिति के निश्चय करने का

(1)	(2)	(3)	(4)
		कक्षा में भरती होने के लिये अपने नाम दर्ज कराये थे, 18 बालिकाओं को स्थान न मिलने के कारण भर्ती से इंकार कर दिया गया।	है। उड़ीया भाषी विद्यार्थियों के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध करने को राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया गया है।
		(ज) पाठ्यपुस्तक समिति में उड़िया और बंगला प्रतिनिधियों का न होना।	राज्य सरकार के अनुसार पाठ्य-पुस्तक समिति में भाषा के आधार पर प्रतिनिधित्व संभव नहीं है यद्यपि विशेषज्ञों और समीक्षकों की सलाह पर विचार किया जाता।
		(झ) यह शिकायत की गई कि केवल भाषा विषय को छोड़कर उड़िया में अन्य पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित नहीं की गईं। परीक्षाओं में अंग्रेजी में किये जाने वाले गद्यांश उड़िया विद्यार्थियों के लिये भी हिन्दी में दिये जाते हैं।	जांच से पता चला कि मामले पर कार्यवाही के लिये राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में प्रचलित पुस्तकें मंगाई जा रही हैं।
	पंजाबी	(क) धनवाद के खालसा हाई स्कूल को मान्यता नहीं दी गई।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ख) शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पंजाबी की शिक्षा के माध्यम तथा भाषा विषय के रूप में मान्यता नहीं दी गई।	मामले पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा	हिन्दी	(क) यह शिकायत की गई कि उड़ीसा के हाई स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती।	आरोप आधारपूर्ण नहीं मालूम होता तथा अभिवदन-कर्ताओं से विशिष्ट उदाहरण देने को कहा गया है जिससे आगे जांच की जा सके।
आंध्र प्रदेश	उड़िया	(क) इछापुरम, सोमपेटा, पटपटनम, और टेक्काली में उड़िया भाषियों के लिये पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, आदि का अभाव।	मामला राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट के लिये भेजा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
		(ख) राज्य सरकार ने उड़िया अध्यापकों के लिये दिये जाने वाले वर्धा के राष्ट्र भाषा प्रचार सभा के हिन्दी डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी और ये दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के डिप्लोमा परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में उड़िया से अनुवाद करने का प्रबन्ध नहीं है।	मामले पर राज्य सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है।
		(ग) मन्दासा के एस० आर० एस० एम० जैड० पी० हाई स्कूल की चौथी से ग्यारहवीं कक्षा तक में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों के होने पर भी कोई उड़िया माध्यम का अनुभाग नहीं खोला गया। हिन्दी कक्षायें भी तेलुगु जानने वाले अध्यापकों द्वारा ली जाती हैं।	मामले पर राज्य सरकार जांच कर रही है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(घ) यद्यपि एस० आर० एस० एम० जेड० पी० हाई स्कूल की निचली कक्षाओं में उड़िया अनुभाग	मामले पर राज्य सरकार जांच कर रही है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।

(1)	(2)	(3)	(4)
		पिछले तीन वर्ष से चल रहे हैं किन्तु इन्हें स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं लिया गया और इन कक्षाओं के उड़िया अध्यापक प्रत्येक वर्ष छंटनी करके पुनः नियुक्त किये जाते हैं। नियम के अनुसार एक अनुभाग तीन साल तक चलने पर स्थायी हो जाता है।	
		(ङ) मन्दासा के एस० आर० एस० एम० जेड० पी० हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रिंस आफ वेल्स संस्कृत छात्रवृत्ति नहीं दी जाती यद्यपि केवल उड़िया विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं तथा इसके पात्र होते हैं।	यह शिकायत राज्य सरकार के विचाराधीन है।
		(च) संस्कृत में ओरिएण्टल टाइटल धारण करने वाले उड़िया पंड़ितों की नियमों में अनुज्ञापित अति-रिक्त वेतन वृद्धि देने में भेद भाव किया जाता है	जांच से पता चला कि ओरिएण्टल टाइटल धारण करने वाले तेलुगु भाषा पंडितों को, चाहे वे संस्कृत कक्षायें न लेते हों, अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाती है। परन्तु उन स्कूलों में जहां उड़िया अनुभाग चल रहे हैं, इस विषय के लिये संस्कृत पंडित हैं और इसलिये राज्य सरकार अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उड़िया पंडितों को देने की उन्मुख नहीं हैं। मामले पर पुनः बातचीत चल रही है।

(छ) यह शिकायत की गई कि इच्छापुर के सुसन्गी हायर सेकेण्डरी स्कूल में चार मंजूर अध्यापकों के बजाय केवल एक बी० एड० प्रशिक्षित उड़िया अध्यापक की नियुक्ति की गई है। और इस अध्यापक को भी इस कारण सामान्य वेतन क्रम नहीं दिया गया क्योंकि उसने अपनी डिग्री उड़ीसा से प्राप्त की थी।	मामले पर राज्य सरकार जांच कर रही ह तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
(ज) इच्छापुर के सुसंगी हायर सेकेण्डरी स्कूल की बारहवीं कक्षा को पढ़ाने वाले ग्रेड एक पंडित को ट्रेनिंग का अवसर नहीं दिया गया और न ही ऐसी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अनुज्ञापित भत्ता ही दिया गया।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
(घ) उड़िया परीक्षार्थियों के लिये अभापा विषयों के प्रश्न पत्र, तेलुगु में बनाये गये तथा उड़िया में उत्तर पुस्तिकायें तेलुगु अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन की जाती हैं।	शिकायत पर राज्य सरकार की टिप्पणी की अभी प्रतीक्षा है।
(ट) टेक्काली के जिला परिषद् हायर सेकेण्डरी स्कूल में उड़िया माध्यम द्वारा शिक्षा देने की सुविधा का अभाव, यद्यपि निचली कक्षाओं में उड़िया विद्यार्थी बड़ी संख्या में हैं।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
(ठ) बरुवा, गोप्पोडो, कासोवुंग्गा, गुघलिंगम काविति, सलूर, लक्ष्मीनरसिंहपेटा तथा पटपटनम के जिला	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

विद्यार्थियों को वाध्य होकर तेलुगु द्वारा पढ़ना पड़ता है।	शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या एवं उड़िया प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता पर निर्भर है ।
(थ) यह आरोप किया गया कि उड़ीसा में अध्यापकों के प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन भेजने में देरी की जाती है।	जांच से पता चला कि आरोप आधारहीन है क्योंकि आंध्र प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए उड़ीसा के प्रशिक्षण संस्थाओं में संरक्षित कोई भी स्थान निरर्थक नहीं गया ।
(द) यह आरोप किया गया कि तेलुगु में बनाए गए प्रश्न-पत्रों का उड़िया में सही अनुवाद नहीं किया जाता जिसकी वजह से उड़िया भाषी परीक्षार्थी कठिनाई अनुभव करते हैं।	इस मामले पर राज्य सरकार के अधिकारियों से सहायक आयुक्त की बातचीत हुई जिन्होंने उड़िया में प्रश्न-पत्र का सही अनवाद करने के लिए राज्य के लोक शिक्षा निदेशक से परामर्श करने का आश्वासन दिया ।
(ध) यह अनुरोध किया गया कि पाठ्य-पुस्तकों की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार या तो इन्हें प्रकाशित करे या उड़ीसा से इनकी पूर्ति की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करे ।	यह राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
(न) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए राज्य सरकार को श्रीकाकुलम एवं विशाखापटनम के वर्तमान प्रशिक्षण स्कूलों में उड़िया अनुभाग खोलने चाहिए ।	इस पर सहायक आयुक्त एवं राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई जिन्होंने मामले की परीक्षा कराने को स्वीकार किया ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(प) श्रीकाकुलम जिला में रेण्टीकोटा राजपुरम एवं करवदा के स्कूलों में उड़िया अध्यापकों की नियुक्ति अपर्याप्त संख्या में की गई।	जांच से पता चला कि अध्यापकों की कमी के कारण कुछ उड़िया अध्यापकों की जगह खाली थी । श्रीकाकुलम के जिला परिषद् को सलाह दी गई है कि वह, जब कभी उपलब्ध हो, योग्य उड़िया अध्यापकों की सेवायें प्राप्त करें ।
		(फ) 1960–61, 1961–62 तथा 1962–63 के वर्षों में भंदासा के एस० आर० एस० जेड० पी० हाई स्कूल के विद्यार्थियों को प्रिंस आफ वेल्स छात्र-वृत्ति (अब सुरेन्द्र मेमोरियल छात्र-वृत्ति) नहीं दी गई।	जांच से पता चला कि मंदासा के एस० आर० एम० जिला परिषद् हाई स्कूल के विद्यार्थी विशेष को 1960–61, 1961–62 तथा 1962–63 में कभी भी छात्र-वृत्ति नहीं मिली और इसके बारे में कोई आवेदन पत्र श्रीकाकुलम के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं प्राप्त हुआ ।
		(ब) सुझाव दिया गया कि आंध्र प्रदेश में उड़िया अध्यापकों के वेतन क्रम में वृद्धि की जाय जिससे उड़ीसा के अध्यापक आंध्र प्रदेश में नौकरी करने को राजी हों।	अभिवेदन-कर्ताओं को सूचित किया गया कि यह सुझाव स्वीकार न किया जा सकेगा क्योंकि इसमें स्थानीय अध्यापक अलाभकर अवस्था में हो जायेंगे ।
		(भ) अनुरोध किया गया कि वित्तीय तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी उड़िया जातियों जैसे, रोलोस, मांडिधोस, केटुआ तेल्ली, रवोंडियाट, कुम्मारा	यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

कमसारी तथा कुछ अन्य ऐसे उड़िया समुदाय को पिछड़े वर्ग के समुदाय घोषित किया जाय ।	
(म) अनुरोध किया गया कि टेक्काली और सोमपेटा (श्रीकाकुलम जिला) के गर्ल्स हाई स्कूल में समान्तर उड़िया गर्ल्स अनुभाग खोले जायें ।	मामला राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(क) यह शिकायत की गई कि उर्दू प्रशिक्षित अध्यापकों का राज्य सरकार द्वारा अवशोषण ही किया गया और वे वेरोजगार हैं और समझौते के अनुसार उन्हें राज्य सरकार के अन्तर्गत नौकरी करनी पड़ेगी ।	जांच से पता चला कि यह स्थिति अब वैसी नहीं है क्योंकि अधिकतर प्रशिक्षित अध्यापकों का अवशोषण कर लिया गया है । यह भी कहा गया कि मिडिल प्रशिक्षित अध्यापकों की राज्य में बढ़ती है ।
(ख) आरोप किया गया कि उर्दू प्रशिक्षित अध्यापकों की वदली उन स्थानों में कर दी गई जहां उन्हें उर्दू माध्यम के द्वारा नहीं पढ़ाना पड़ता ।	अभिवेदन कर्ताओं से कहा गया कि वे निर्दिष्ट मामले को उद्धृत करें । आगे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।
(ग) ओरियन्टल भाषा में डिप्लोमा लेने वाले अध्यापक एवं उर्दू में ओरियन्टल भाषा के अन्तर्गत जो स्नातक हैं उन्हें तेलुगु, हिन्दी इत्यादि अध्यापकों की तरह वेतन नहीं दिया जाता । यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को उर्दू में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं ।	राज्य सरकार ने सूचित किया कि यह असमानता दूर करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं । राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया कि 1965–66 से तेलुगु और उर्दू पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीकरण किया जा रहा है ।
(घ) यह शिकायत की गई कि निम्न कक्षाओं के लिए निर्धारित उर्दू पुस्तकें मानस्तर से ऊंची हैं तथा उच्च कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकें मानस्तर से नीची हैं ।	राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ङ) यह अनुरोध किया गया कि उर्दू भाषी विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जायें जैसा कि राज्य में तेलुगु भाषी विद्यार्थियों के मामले में किया जाता है।	यह मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(च) महबूबनगर के उच्चतर माध्यमिक एवं मिडिल स्कूलों में उर्दू न जानने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की गई।	यह राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(छ) महबूबनगर के राजकीय बहुधंधी हाई स्कूल में पर्याप्त संख्या में योग्य उर्दू अध्यापक नियुक्त किए जायें।	यह राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ज) आरोप किया कि महबूबनगर के कुछ स्कूलों में उर्दू कक्षाएं बन्द कर दी गईं।	मामले की जांच की जा रही है।
		(झ) यह आरोप किया गया कि हैदराबाद के गवर्नमेंट सिटी कालेजिएट मल्टीपर्पज स्कूल में उर्दू माध्यम अनुभाग कम कर के उर्दू माध्यम समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।	जांच पर पता चला कि सन् 1964–65 में उर्दू माध्यम के अनुभागों में भर्ती के लिए प्राप्त. 142 आवेदन पत्रों में से केवल 14 लड़के भर्ती के लिए आए।
	तमिल	(क) चित्तूर के जिला परिषद हाई स्कूलों में तमिल प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई।	जांच से पता चला कि पुत्तुर, नागरी एवं पकाला के तीनों हाई स्कूलों की तमिल कक्षाएं तमिल प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जाती हैं।

भाषा	शिकायत/अनुरोध	कार्रवाई
	(ख) 1962 से चित्तूर के गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में तमिल अनुभाग बन्द कर दिया गया ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि थोड़े समय के लिए आर्थिक दृष्टि से संख्या कम होने के कारण तमिल अनुभाग बन्द कर दिया गया था और आवश्यकता अनुसार इसे फिर से चालू किया जायगा ।
	(ग) अनुरोध किया गया कि नागरी, नारायन वरम तथा एकालराकुप्पम के जिला परिषद हाई स्कूलों में तमिल के समान्तर अनुभाग चलते रहें ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(घ) अनुरोध किया गया कि पिछड़े वर्ग के तमिल भाषी बच्चों को शैक्षणिक रियायत तथा छात्रवृत्ति दी जाय ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(ङ) अनुरोध किया गया कि व्वायज हाई स्कूल में अभी पढ़ने वाली लड़कियों के लिए पुस्तूर के गर्ल्स हाई स्कूल में तमिल अनुभाग खोला जाय ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
हिन्दी	(क) शिकायत की गई कि वर्धा के राष्ट्र भाषा प्रचार सभा द्वारा संचालित राष्ट्र भाषा कोविद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति हिन्दी पंडितों के स्थान पर श्रीकाकुलम के जिला परिषद द्वारा नहीं की गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
कन्नड़	(क) अनुरोध किया गया कि सन् 1964–65 के सत्र में वड़ीनिहाल के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाय ।	मामला राज्य सरकार को उसके पहले के संदर्भ में कि इस पर, धनराशि उपलब्ध होने पर विचार किया जायगा, भेजा गया ।

(1)	(2)	(3)	(4)
केरल	कन्नड़	(क) कासरगोड तालुक के विभिन्न हाई स्कूलों में कन्नड़ अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की गई।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ख) अनुरोध किया कि कासरगोड़ तालुक के कुम्बला सेकेन्ड्री स्कूल में कन्नड़ जानने वाले प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाये।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि एक प्रथम ग्रेड सहायक जो कन्नड़ जानता है स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जायगा।
		(ग) चूंकि स्कूल के खुलने के बाद, भी कन्नड़ पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं इसलिए राज्य सरकार कन्नड़ भाषा तथा भाषा विषयों के अलावा पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए एक समिति का संगठन करे।	राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि पाठ्य-पुस्तकें समय से उपलब्ध की जायंगी और पाठ्य पुस्तक समिति संगठित करते समय अन्य सुझाव भी ध्यान में रखा जायगा।
		(घ) यह सुझाव दिया गया कि कन्नड़ अध्यापकों के वेतन क्रम में वृद्धि कर इसे मैसूर राज्य के अध्यापकों के वेतन क्रमों के अनुरूप कर दिया जाय जिससे कासरगोड क्षेत्र के अध्यापक दूसरे राज्य में न जांय।	यह सुझाव राज्य सरकार को भेज दिया गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(ङ) कोझीकोड के शिक्षण संस्थाओं में कन्नड़ प्राध्यापक नहीं हैं जिसके फलस्वरूप कन्नड़ विद्यार्थियों को वाध्य होकर मलयालम में शिक्षा लेनी पड़ती है जिसे वे समझ नहीं पाते।	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोझीकोड के कन्नड़ भाषा अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र को अब हटा कर नेपाली (कासरगोड) में कर दिया गया है जहां एक कन्नड़ प्रशिक्षण स्कूल है।

(च) यह शिकायत की गई कि कन्नड़ अध्यापकों की नियुक्ति मध्य सत्र में की जाती है और प्रत्येक वर्ष उन्हें निकाल दिया जाता है ।	मामले की जांच की जा रही है ।
(छ) यह सुझाव दिया गया कि कन्नड़ प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए वर्तमान अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापक तेल्लीचेरी के प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षित किए जांय ।	यह मामला राज्य सरकार के विचार के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ज) कोझीकोड के नर्सरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के इच्छुक विद्यार्थियों से घोषणा ली जाती है कि वे परीक्षा में प्रश्न-पत्र का उत्तर मलयालम में लिखेंगी ।	यह मामला राज्य सरकार के विचार के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(झ) कासरगोड क्षेत्र के स्कूलों में विषय निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई यद्यपि वहां पर कन्नड़ भाषी अधिक संख्या में हैं ।	मामले की जांच की जा रही है ।
(ट) कासरगोड के राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास की कमी है ।	राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय के लिए छात्रावास कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित व्यय रु० 1,77,000 खर्च करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिया है ।
(ठ) कन्नड़ जिले के होसदुर्ग तालुक के वेकल फिसरोज हाई स्कूल में पर्याप्त संख्या में कन्नड़ स्नातक सहायकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया ।	जांच से पता चला है कि स्कूल में केवल एक कन्नड़ अध्यापक का स्थान रिक्त है जिसकी पूर्ति के लिए राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ङ) कन्नड़ भाषा अध्यापक की कमी के कारण उन अध्यापकों को जिनकी प्रथम ग्रेड भाषा अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई थी शिक्षा सत्र के अन्त में पदावनति न की जाय ।	सुझाव पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
	तमिल	(क) यह शिकायत की गई कि मुन्नर के राजकीय हाई स्कूल, त्रिवेन्द्रम के चलई हाई स्कूल एवं पालघाट के मोतीलाल हाई स्कूल में तमिल अनुभाग नहीं खोले गए ।	मामले की जांच हो रही है ।
		(ख) मुन्नर हाई स्कूल में तमिल अध्यापक अपर्याप्त संख्या में हैं ।	एक पहले के अभिवेदन के उत्तर में राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में तमिल अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है । 31 दिसम्बर, 1963 तक तमिल अध्यापकों की संख्या तथा तब से स्कूल में नियुक्त किए गए तमिल अध्यापकों की संख्या मालूम करने के लिए जांच की जा रही है ।
		(ग) शिकायत की गई कि उन क्षेत्रों में जहां तमिल भाषी संकेन्द्रित हैं तमिल भाषा के स्कूलों में तमिल अध्यापकों की जगह पर मलयालम जानने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की गई ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(घ) शिक्षा अधिकारी चित्तूर, देवीकोलम, पालघाट, त्रिवेन्द्रम, पीरनेड और नेय्यट्टिन्करे में तमिल जानने वाले हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर सके ।	मामले की जांच की जा रही है ।
(ङ) त्रिवेन्द्रम के चलई तमिल हाई स्कूल में जगह की कमी है ।	मामले की जांच की जा रही है ।
(च) अनुरोध किया कि चलई तमिल हाई स्कूल में पूर्ण रूप से योग्य तमिल प्रधानाध्यापक और तमिल जानने वाले हिन्दी पंडितों की नियुक्ति की जाय ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(छ) यह आरोप किया गया कि त्रिवेन्द्रम के माडल हाई स्कूल में तमिल विद्यार्थियों को भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया जिसके फलस्वरूप इस स्कूल में तमिल अध्यापकों की संख्या में कमी कर दी गई ।	मामले की जांच की जा रही है ।
(ज) तमिल के लिए विषय निरीक्षक नहीं नियुक्त किए गए यद्यपि ऐसे निरीक्षक अंग्रेजी, मलयालम और हिन्दी की पढ़ाई में सुधार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि हाई स्कूलों में पढ़ने वाले तमिल विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण यह उचित नहीं है कि तमिल के लिए विषय निरीक्षक नियुक्त किए जायें । फिर भी यह निदेश दिए गए हैं कि शिक्षा अधिकारी तमिल और कन्नड़ के मान स्तर को देखने के लिए विशेषज्ञों की प्राप्ति करें ।

1	2	3	4
		(झ) यह अनुरोध किया गया है कि त्रिवेन्द्रम शहर के प्रशिक्षण स्कूलों में से एक में समान्तर तमिल अनुभाग खोले जांय ।	मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।
		(ट) बी० टी० कक्षाओं में तमिल पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है ।	मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।
	अंग्रेजी	(क) माग की गई कि आंग्ल-भारतीय संस्थाओं में आंग्ल भारतीय गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जायं ।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि आंग्ल-भारतीय स्कूल ऐसे स्कूलों के लिए बनी नियम संहिता द्वारा अधि-शासित है और इस संहिता के अनुसार आंग्ल-भारतीय बच्चे मुफ्त शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं । अगर प्रवन्ध समिति चाहे तो विद्यार्थियों द्वारा दी गई फीस लौटा सकती है ।
		(ख) अनुरोध किया गया है कि आंग्ल-भारतीय शिक्षा को केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रवन्धित आंग्ल-भारतीय संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाय ।	जांच से पता चला कि सभी आंग्ल-भारतीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । केरल का लोक शिक्षा निदेशक अन्य संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं खुलवाने के लिए अधिकृत है ।
		(ग) मांग की गई कि स्कूलों में आंग्ल-भारतीय और गैर-आंग्ल-भारतीय विद्यार्थियों का अनुपात पुनः लागू किया जाय ।	राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि अनुपात को पुनः लागू कर दिया गया है, लेकिन ऐसा विचार किया जाता है कि इस पर जोर देने से विद्यार्थी संख्या पर

			प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से स्कूल बन्द कर देना पड़ेगा ।
		(घ) यह शिकायत की गई कि मद्रास राज्य द्वारा उस राज्य के आंग्ल-भारतीय स्कूलों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं केरल में ऐसे स्कूलों को नहीं दी जातीं ।	राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि आंग्ल-भारतीय स्कूलों की नियम संहिता केरल और मद्रास दोनों में लागू की जाती है । और संहिता के अनुसार सभी सुविधाएं ऐसे स्कूलों को दी जाती हैं निस्संदेह एक नवम्बर, 1956 के बाद यदि मद्रास सरकार ने अपने स्कूलों में कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं तो हो सकता है कि वे केरल राज्य के स्कूलों में न प्राप्त हों ।
मद्रास	तेलुगु	(क) जिला पुस्तकालय अधिकारियों द्वारा होसुर में खोले गए तीन पुस्तकालयों में पर्याप्त मात्रा में तेलुगु पुस्तकें इत्यादि नहीं दी जातीं ।	जांच से पता चला कि जिला पुस्तकालय अधिकारियों द्वारा चलाये जाने वाले तीनों पुस्तकालयों में तेलुगु उपन्यास, कहानी की किताबें और समाचार-पत्र "आन्ध्र प्रभा" इत्यादि दी जाती हैं तथा अधिकारी तेलुगु किताबों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ा देते हैं ।
		(ख) यह आरोप किया गया कि बिना निरीक्षण अधिकारियों की सिफारिश के होसुर से सभी तेलुगु अध्यापकों की बदली कर दी गई ।	जांच से पता चला कि ऐसा कोई मामला जिला विकास सभा के ध्यान में इसके किसी सदस्य द्वारा, जो पंचायत यूनियन कौंसिल के अध्यक्ष भी हैं, नहीं लाया गया ।
		(ग) यह शिकायत की गई कि तेलुगु अनुभागों में विद्यार्थियों की हाजिरी तमिल माध्यम कक्षाओं के लिए बने रजिस्टर में ली जाती है ।	शिकायत की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि यह आरोप साधारण तरह का था । और विशिष्ट मामला नहीं दिया गया ।

1	2	3	4
...		(घ) यह सुझाव दिया गया कि तेलुगु क्षेत्रों में पंचायत आयुक्तों पर देख-भाल करने के लिए सालेम के जिलाध्यक्ष को अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी बदली के लिए अधिकार दिए जांय ।	राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि जिलाध्यक्ष या उपजिलाध्यक्ष रिकार्ड्स देख सकते हैं और यदि नियमों के पालन करने में कोई त्रुटि हो तो आयुक्तों को आदेश दे सकते हैं ।
		(ङ) यह अनुरोध किया गया कि गडियतम तालुक के म्युनिसिपल हाई स्कूल को कक्षा 9 में तेलुगु अनुभाग खोला जाय और कक्षा 9 से 11 में तेलुगु दूसरी भाषा के रूप में लागू की जाय ।	मामले की जांच की जा रही है और राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		(घ) यह अनुरोध किया गया कि तेलुगु विद्यार्थियों के लिए तमिल अनिवार्य न हो ।	अपने सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने तीसरी कक्षा से आगे प्रादेशिक भाषा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ने का प्रावधान किया है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थी हिन्दी को छोड़ कर तमिल और अपनी मातृ भाषा ले सकता है । इस प्रकार भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तमिल अनिवार्य नहीं है ।
मैसूर	मराठी	(क) वेलगांव में मराठी स्कूल मराठी के पर्याप्त ज्ञान न रखने वाले कन्नड़ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कर दिए गए हैं ।	जांच से पता चला कि वेलगांव के शिक्षा निरीक्षक तथा उपशिक्षा निरीक्षक जिन्होंने मराठी माध्यम के सेकेन्डरी स्कूलों का निरीक्षण किया, मराठी

	अच्छी तरह जानते हैं। वेलगांव के उपशिक्षा निरीक्षक की मातृभाषा मराठी है।
(ख) यह आरोप किया गया कि वेलगांव के मराठी मण्डल हाई स्कूल को गणतन्त्र दिवस के समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है।	राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार केवल ऐसे प्रसंगों को समारोह में दिखाने की अनुमति दी जाती है जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों से संबंधित हैं।
(ग) यह शिकायत की गई कि मराठी में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण अध्यापकों को कन्नड़ पाठ्य-पुस्तकों की सहायता से मराठी माध्यम की कक्षाएं चलाने का आदेश दिया गया।	जांच से पता चला है कि मराठी में पाठ्य-पुस्तकों की सीमित मांग के कारण प्रकाशक इन्हें प्रकाशित करने को इच्छुक नहीं हैं। इसलिए वेलगांव के मुख्य अध्यापकों की परिषद् को मराठी में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए कहा गया है।
(घ) यह आरोप किया गया कि मराठी के प्रश्नपत्रों में त्रुटियां थीं।	राज्य सरकार ने सूचना दी कि आवश्यक कार्यवाही तभी की जा सकती हैं जब विशिष्ट दृष्टांत उसके ध्यान में लाए जाएं।
(ङ) वेलगांव के सरदार हाई स्कूल में मराठी अध्यापक अपर्याप्त संख्या में हैं।	यह सूचना दी गई कि स्कूल में सात मराठी प्रभाग के लिए आठ मराठी स्नातक अध्यापक यथेष्ट हैं।
(च) यह शिकायत की गई कि वेलगाव के वड़गांव मराठी प्रशिक्षण महाविद्यालय में महाराष्ट्र राज्य के मराठी भाषी विद्यार्थियों की भर्ती बन्द कर दी गई।	यह सूचना दी गई कि प्रशिक्षण महाविद्यालय को सहायता अनुदान प्रशिक्षार्थियों की संख्या पर दिया जाता है। है। इसलिए राज्य सरकार दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए ऐसे अनुदान देने के लिये उन्मुख नहीं है, खास कर जब कि उस भाषा विशेष में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था वर्तमान है।

1	2	3	4
		(छ) यह आरोप किया गया कि भाषा के विचार पर निपानी म्युनिसिपल हाई स्कूल का सहायता अनुदान बन्द कर दिया गया ।	मामले की जांच की जा रही है ।
		(ज) विदन् जिला के हुलसुर आर० एम० टी० सोसायटी द्वारा संचालित हाई स्कूल में आठवीं कक्षा खोलने का अनुरोध किया गया ।	राज्य द्वारा इस स्कूल में आठवीं कक्षा खोलने के लिए आवश्यक अनुमति दे दी गई है ।
		(झ) यह सुझाव दिया गया कि शिक्षण संस्थाओं को राज्य के बाहर के निकायों से सम्बन्ध होने तथा उन की पाठ्य चर्या अपनाने की अनुमति दी जाय ।	राज्य सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया ।
		(ट) शिकायत की गई कि बेलगांव के सरदार हाई स्कूल को बन्द कर दिया गया ।	जांच से पता चला कि राज्य सरकार द्वारा स्कूल को बन्द करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया ।
	तेलुगु	यह शिकायत की गई कि चूंकि उत्तर कनारा जिला के डांडेली में तेलुगु भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए साक्षरता बहुत कम है, इसलिए बालिगों के लिए रात्रि स्कूल तथा अन्य बच्चों के लिए भी. मिडिल स्कूल खोले जायें ।	राज्य सरकार की सूचना के अनुसार भाषाजात अल्पसंख्यकों ने तेलुगु स्कूल खोलने के लिए धन एकत्रित किया है और उपयुक्त स्थान की जरूरत है । राज्य सरकार ने कृपा एजूकेशन सोसाइटी द्वारा स्थान के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विचार करने का आश्वासन दिया है ।

	गुजराती	(क) श्री डी० एस० टी० सी० हाई स्कूल तथा राज्य के अन्य हाई स्कूलों में गुजराती माध्यम द्वारा पढ़ाई वन्द कर दी गई ।	राज्य सरकार ने सूचना दी कि गुजराती विद्यार्थियों की कम संख्या के कारण शिक्षा विभाग के लिए गुजराती इत्यादि में प्रश्न पत्र वनाने और उनका अनुवाद करने तथा गुजराती भाषा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने में वर्ष प्रतिवर्ष कठिनाई हो रही है । इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम अपनाने का सुझाव दिया गया है ।
गुजरात	अंग्रेजी	(क) यह कहा गया कि गुजरात सरकार को गुजरात के स्कूलों में पांचवीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की अनमति दे कर राष्ट्रीय एकता के लिए मुख्य मंत्रियों के लिए सम्मेलन की सिफारिश का कार्यान्वयन करना चाहिए ।	राज्य सरकार ने अपने पहले के मत को दुहराया कि पांचवीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना वास्तव में आवश्यक नहीं है ।
महाराष्ट्र	पंजावी	(क) विदर्भ क्षेत्र में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, स्कूलों में पंजावी नहीं पढ़ाई जाती ।	मामला राज्य सरकार को भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(क) कोलावा से वोरोविली तक कन्नड़ स्कूलों की व्यवस्था नहीं है यद्यपि यहां पर अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए वड़ी संख्या में स्कूल है ।	मामले पर राज्य सरकार जाच कर रही है ।
	कन्नड़	(ख) यह शिकायत की गई है कि जनता द्वारा शुरू किए गए कन्नड़ स्कूल अपर्याप्त अनुदान एवं मान्यता न प्राप्त होने के कारण ठीक से नहीं चल रह हैं ।	मामले पर राज्य सरकार जांच कर रही है

1	2	3	4
	उर्दू	(क) अनुरोध किया गया कि अमरावती के राजकीय उर्दू हाई स्कूल का मूल स्कूल एवं छात्रावास भवन में पुनर्स्थापन किया जाय ।	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
		(ख) मांग की गई कि उर्दू पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा किया जाय ।	मामले पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
		(ग) कौल्हापूर में उर्दू माध्यम का हाई स्कूल खोलने का अनुरोध किया गया ।	मामला राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिये भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(घ) अमरावती जिले के तलगांव. इसवासर में उर्दू मिडिल स्कूल के छात्रावास को जिला परिषद् द्वारा सहायता अनुदान बन्द कर दिया गया ।	मामले पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ङ) अनुरोध किया गया कि अमरावती जिला के राजकीय हाई स्कूल में उर्दू माध्यम की नवीं कक्षा खोली जाय ।	जांच से पता चला है कि स्कूल की नवीं कक्षा में एक अतिरिक्त उर्दू माध्यम अनुभाग खोलने के प्रश्न पर अमरावती जिला परिषद् की शिक्षा विषय समिति ने विचार किया किन्तु उर्दू विद्यार्थियों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण ऐसा अनुभाग खोलना उचित नहीं समझा गया है । मामले पर पुनः पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

(च) अनुरोध किया गया कि वतमाल के राजकीय वालिका आई. ई. एम. स्कूल में अतिरिक्त उर्दू माध्यम का अनुभाग नवीं कक्षा में खोला जाय ।	मामले पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(छ) मांग की गई कि वतमाल में मुसलमान लड़कियों के लिये एक हाई स्कूल खोला जाय जिसमें शिक्षा का माध्यम उर्दू हो ।	मामला राज्य सरकार को उसके टिप्पणी के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ज) मांग की गई कि उर्दू भाषी लड़कियों के लिए पुसोड़ राजकीय वालिका हाई स्कूल के मिडिल स्कूल कक्षाओं में उर्दू माध्यम के अनुभाग शरू किये जांय ।	मामला राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(झ) अनुरोध किया गया है कि उर्दू विद्यार्थियों के लिए यवतमाल के राजकीय वहुधंधी हाई स्कूल में मिडिल स्कूल के अनुभाग खोलें जांय ।	मामला राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ट) यह शिकायत की गई कि विदर्भ क्षेत्र में खोले गए 16 नए वेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में से कोई भी महाविद्यालय उर्दू भाषी विद्यार्थियों के लिए नहीं है ।	मामला राज्य सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
(ठ) अनुरोध किया गया कि सभी उर्दू स्कूलों में सभी स्तरों पर मराठी की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में हो ।	मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
राजस्थान	उर्दू	(क) यह शिकायत की गई कि नागौर जिला के कुचमान शहर में राजकीय जवाहर हाई स्कूल में कक्षा आठ और नौ के 100 विद्यार्थियों को उर्दू की जगह पर संस्कृत लेने के लिए वाध्य किया गया ।	मामले पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ख) यह अनुरोध किया गया कि नागौर जिला में उर्दू भाषियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर पर उर्दू के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ।	मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
		(ग) यह आरोप किया गया है कि गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ कस्वा के हाई स्कूल में उर्दू पढ़ाने की सुविधाएं नहीं दी गईं ।	जांच से पता चला कि विभिन्न कक्षाओं में केवल 6 विद्यार्थी उर्दू को एक नए विषय के रूप में लेने को इच्छुक थे जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता था ।
		(घ) प्राथमिक कक्षाओं में उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं है ।	जांच से पता चला है कि तीसरी से पांचवीं कक्षा तक के लिए अंकगणित, सामान्य विज्ञान तथा समाज शास्त्र में उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें राजस्थान के पाठ्य-पुस्तक के लिए राष्ट्रीयकरण परिषद् द्वारा जूलाई, 1964 में मुद्रित तथा निर्धारित की गईं । पहली और दूसरी कक्षाओं के लिए

		उर्दू भाषा की पुस्तकें जो उत्तर प्रदेश में निर्धारित हैं राजस्थान के स्कूलों में भी निर्धारित की गई हैं ।
हिन्दी	(क) यह शिकायत की गई कि 1956 में स्थापित अजमेर के आदर्श विद्यालय सेकेन्ड्री स्कूल में शिक्षा का माध्यम सिन्धी से बदल कर हिन्दी कर दिया जाय।	मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।
	(ख) यह शिकायत की गई कि यद्यपि राजकीय सेन्ट्रल मिडिल माडर्न स्कूल, आगरा गेट के माडल स्कूल तथा अजमेर के नाला बजार स्कूल में 50 प्रतिशत विद्यार्थी सिन्धी भाषी हैं, परन्तु सिन्धी एक भाषा विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती ।	मामला राज्य सरकार को रिपोर्ट के लिए भेजा गया है ।
	(ग) शिकायत की गई कि सिन्धी स्कूलों में सिन्धी न जानने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की गई ।	जांच से पता चला है कि यद्यपि सिन्धी स्कूलों में सिन्धी जानने वाले अध्यापकों को नियुक्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं परन्तु कभी कभी सिन्धी अध्यापकों की कमी के कारण ऐसा करना कठिन हो जाता है ।

परिशिष्ट XIV

स्कूलों में, निजी प्रवन्ध के स्कूलों में भी, भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये मद्रास राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था ।

लोक शिक्षा निदेशक, मद्रास राज्य, की कार्यवाही की प्रति आर. सी. संख्या ८६०-के. 5(1)/63 दिनांक 28 मई, 1963

विषय:—स्कूल—माध्यमिक—भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाएं—दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन—आदेश जारी ।

अधोलिखित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् द्वारा संगठित स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि (1) अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने के इच्छुक भाषाजात अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने, तथा (2) परस्पर स्कूल अन्तरण का प्रावधान माध्यमिक स्कूलों में भी लागू किया जाय। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है । इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए निदेशक निम्नलिखित आदेश जारी करता है :

(क) अभी सरकारी आदेश एम॰ एस. संख्या 341 शिक्षा, दिनांक 14 फरवरी, 1961 के संदर्भ से राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों को, जहां कहीं आवश्यक हो, विभिन्न भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग विद्यार्थियों की संख्या मालूम करने के लिए सत्र प्रारंभ होने से 15 दिन पहले तीन महीने तक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता से उनके बच्चों की भर्ती के लिए आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर बनाना है । अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भर्ती के मामले में परस्पर स्कूल अन्तरण किया जायेगा जिसे केवल इस कारण कोई आवेदक शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित न रहे कि किसी विशेष में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या ऐसे विद्यार्थियों के लिये एक पृथक अनुभाग खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है । यह आदेश जो अभी सब प्राथमिक स्कूलों में लागू है, इस आदेश द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में भी लागू किया जाता है ।

(ख) सत्र प्रारंभ होने से 15 दिन पहले तीन महीने तक भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता से उनके बच्चों की भर्ती के लिए राज्य के प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्कूल का प्राधानाध्यापक आवेदन पत्र लेगा । ऐसे सभी आवेदन पत्र इस कार्य के लिए बनाए गए निम्नलिखित शीर्षकों वाले एक रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे :—

1. माता-पिता का नाम :
2. विद्यार्थी का नाम :

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख :
4. विद्यार्थी की आयु (जन्म तिथि) :
5. विद्यार्थी का मातृभाषा :
6. भाषा माध्यम जिसमें वह पढ़ाया जायगा :
7. पहले किन स्कूलों में पढ़ा है तथा उन स्कूलों में किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है :
8. कक्षा तथा भाषा माध्यम अनुभाग जिसमें भर्ती हुआ :
9. भर्ती की तारीख :
10. दूसरा स्कूल, यदि कोई हो, जहां जिला शिक्षा अधिकारी की आज्ञा से आवेदन पत्र अतंरण किया गया।

स्कूल का प्रधानाध्यापक आवेदन पत्र का रूप निर्धारित करेगा ।

(ग) सरकारी आदेश एम. एस. संख्या 341, शिक्षा दिनांक 14 फरवरी, 1961 के साथ पढ़े गए नियम 60 एम ई. आर. के अन्तर्गत निदेशक किसी भी स्कूल के प्रबंध से भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए, यदि उच्च प्राथमिक (या मिडिल स्कूल) स्तर को 6, 7 तथा 8 कक्षाओं में न्यूनतम 30 विद्यार्थी एवं हाई स्कूल स्तर को 9, 10 और 11 कक्षाओं में 45 विद्यार्थी हो तो पृथक अनुभाग खोलने के लिए मांग कर सकता है। यदि इस नियम के अन्तर्गत किसी स्कूल के प्रबंध से किसी भी भाषाजात अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक अनुभाग खोलने के लिए कहा जाय तो स्कूल के सत्र प्रारंभ होने से पहले निम्नलिखित सूचना के साथ जिला शिक्षाधिकारी या निरीक्षिका द्वारा निदेशक के पास निश्चित प्रस्थापना पेश की जायेगी:–

1. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को संख्या जिनकी उनको मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करनी है।
2. दूसरे (लड़कों तथा लड़कियों के) स्कूलों के नाम जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3. उनमें से प्रत्येक स्कूल में सम्बन्धित भाषा वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षानुसार संख्या।
4. किसी परस्पर-स्कूल संमजन की संभावना जिससे भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के लिए खर्चीले पृथक अनुभाग न खोले जांय।

(घ) ऊपर (ख) से सम्वन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थाओं के प्रधान उन्हें सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी या निरीक्षाका के ध्यान में लायेंगे जो एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें ऐसे आवेदन पत्र दर्ज किए जायेंगे। इस रजिस्टर में उपरिलिखित सभी कालम तथा अन्य आवयश्क कालम होंगे जिससे स्कूलों

के नाम जिसमें भर्ती की इच्छा है तथा आवेदन का अंतिम निपटान मालूम हो। जहां कहीं समय हो, जिला शिक्षा अधिकारी या निरीक्षिका को स्थानीय क्षेत्र में पहले से वर्तमान सम्बन्धित भाषा माध्यम अनुभागों में आवेदकों की भर्ती का प्रबंध करना चाहिए और ऐसे आवेदकों के लिए पृथक अनुभागों में खोलने की प्रस्थापना तभी पेश की जानी चाहिए जब अन्य प्रबंध संभव न हो।

2. अधोलिखित अधिकारियों से निवेदन है कि इन आदेशों को सभी माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधकों तथा प्रधानों के ध्यान में लाएं और उनसे ऊपर पैरा (ख) में निर्धारित रजिस्टर खोलने की रिपोट प्राप्त करे।

3. इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेजी जाय एवं ऊपर पैरा 1 (घ) तथा 2 में वर्णित कार्य-वाही की रिपोर्ट निदेशक को दी जाय।

GMGIPND—LS III—243 M of HA—4-6-66—1,300